Wednesday, 13th August, 1986

लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 5 8
Date 3/8/87

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा

बुधवार, 13अगस्त, 1986/22 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

निर्धारित समयावधि से पीछे परियोजनाएं

*387. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय क्षेत्र की 66 प्रतिशत आधारभूत परियोजनाएं निर्धारित समयावधि से पीछे चल रही हैं ;

(ख) परियोजनाओं की लागत क्या है ;

(ग) कोयला, इस्पात, रेलवे, सीमेंट, नौवहन और पत्तन, दूरसंचार, उर्वरक और पैट्रोलियम के क्षेत्रों में उन परियोजनाओं का क्या विश्लेषण किया गया है, जो निर्धारित समयावधि से पीछे चल रही है और प्रत्येक मामले में कितना विलम्ब हुआ है; और

(घ) प्रत्येक क्षेत्र में इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) अब कार्यान्वयनाधीन 20-20 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली 264 परियोजनाओं में से 202 परियोजनाएं माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित क्षेत्र-अर्थात कोयला, इस्पात, रेलवे, सीमेंट, जहाजरानी और खेल दूर संचार, उर्वरक और पेट्रोलियम हैं, जिनमें से 99 परियोजनाओं को विलंबित बताया गया है ।

(ख) विलंबित परियोजनाओं की लागत का अनुमान 29022,15 करोड़ रु. लगाया गया है।

(ग) परियोजनाओं का विश्लेषण सदन पटल पर रखे गए विवरण-1 में दिया गया है।

(घ) विलंब के मुख्य कारण सदन पटल पर रखे गए विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

क्रम संख्या	क्षेत्र	विलंबित परियोजनाओं की संख्या	विलंब की सीमा (महीना)	लागत (करोड़ रु.)
1.	2.	3	4	5
1.	कोयला	35	9 से 204	4613.50
2.	इस्पात	13	6—131	18635.50
3.	रेलवे	18	12—144	2161.00
4.	सीमेंट	2	17—24	319.15
5.	जहाजरानी तथा बंदरगाह	7	4—42	961.00
6.	दूरसंचार	1	25	71.00
7.	उर्वरक	4	6—119	1267.00
8.	पेट्रोलियम	19	1—64	5994.00
	जोड़	99		29022.15

विवरण-2

पता लगाए गए मुख्य कारण, जिनकी वजह से विलम्ब हुआ निम्नलिखित हैं :—

1. भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।
2. मूलभूत सुविधाओं की कमी।
3. मिश्रित अभियांत्रिकी रूपरेखा को अन्तिम रूप देने में विलंब।
4. आर्डर देने और विदेचित उपस्करों और सामग्री की पूर्ति में विलंब।
5. विषय-क्षेत्र में परिवर्तन।
6. निर्माण और ठेकेदारों के अक्षम कार्य-चालन में विलंब।
7. कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी।
8. निधि का अपर्याप्त आवंटन।

9. श्रम और अन्य श्रम समस्याओं के संघटन में विलंब ।

10. विक्रेता और वितरकों आदि को निविदा देने और बेमेल प्रगति में विलंब ।

श्री सी. माधव रेड्डी : विभिन्न कारणों से जो 99 परियोजनाएं विलम्बित हुई हैं उनमें से कितनी धनाभाव के कारण विलम्बित हुई हैं तथा कितनी परियोजनाएं धन के आवंटन होते हुए भी अन्य कारणों से विलम्बित हुई हैं ।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : रेलों को छोड़कर कोई भी परियोजना धनाभाव के कारण विलम्बित नहीं हुई । (**व्यवधान**)

श्री सी. माधव रेड्डी : के कारण कौन सी परियोजनाएं (**व्यवधान**) धनाभाव के कारण विलम्बित हुई हैं ।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : मैं कह सकता हूं कि विशाखापत्तनम के बारे में शुरू शुरू में धनाभाव ही भूमि अधिग्रह में विलम्ब, ठेके को अन्तिम रूप देने में विलंब तथा उपकरणों की पूर्ति में विलम्ब का कारण था ।।

श्री सी. माधव रेड्डी : धन को नियत करने की कमी के अलावा विवरण में बताये गए कारण इतने सरल तथा सरकार तथा मन्त्रालय की क्षमता के अनुरूप हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्रालय ने अन्य मंत्रालयों के साथ कोई बैठक क्यों नहीं की ? क्या मैं जान सकता हूं कि समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालयों को किस तरह की सहायता आप देते हैं इन परियोजनाओं की क्रियान्वित में विलम्ब न हो इसके लिए उनके मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों को क्या मार्ग निर्देश दिए ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : सधारणतया हम अन्तर मंत्रालय बैठकें करते हैं । उनमें हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं । हमारे मंत्रालय का निगरानी प्रभाग 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करता है तथा उसी समय एक रिपोर्ट तैयार करता है । इस रिपोर्ट में परियोजनाओं के उन गम्भीर पहलुओं को दर्शाया जाता है जिसके कारण विलम्ब होता है । उससे हम कार्योन्मुख विशेष रिपोर्ट तैयार करते हैं । उपचारात्मक उपायों के लिए इसे उच्चतम अधिकारी के पास भेजा जाता है । यह दूसरी बात है । तीसरे हमारे पास अपने सलाहकार हैं । और परामर्शदाता हैं । सलाहकारों तथा परामर्श-दाताओं के अनुसार मूलभूत कठिनाई गलत रिपोर्टों का तैयार होना है । (**व्यवधान**) आप इसे देख सकते हैं परन्तु सचाई यही है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इसकी चिन्ता है (**व्यवधान**)

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बताया है हम परि-योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को बदलने पर जोर दे रहे हैं ।

प्रो. मधु दण्डवते : अर्थात् राजनीतिक प्रणाली । (**व्यवधान**)

श्री ए. बी, ए. गनी खान चौधरी : प्रणाली को बदलने के लिए हम परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने पर बल देते हैं। यदि कोई परियोजना रिपोर्ट गलत होती है तो बाद में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि भूमि अधिग्रहण में सदा कठिनाई होती है। सभी परियोजनाओं में आप इसकी कठिनाई पायेंगे।

चौथा कारण महत्वपूर्ण उपकरणों की पूर्ति है चाहे वह देशी या आयातित हो बुनियादी सुविधाओं का निर्माण है। मैंने ये कुछ कारण बताए हैं फिर ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनकी हम त्रैमासिक रिपोर्ट उच्चतम अधिकारी को देते हैं। फिर उन परियोजनाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाना होता हैं जिनमें कि असाधारण विलम्ब हुआ है जैसे कि कलकत्ता की भूमि-मत प्रणाली, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना आदि।

मैंने कई राज्यों का दौरा किया है तथा मुख्य मत्रियों के साथ स्पष्ट तथा सौहार्दपूर्ण वार्ता की है। मैंने उनसे परियोजनाओं के पूरा करने में मदद मांगी हैं। उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है। उदाहरण के तौर पर टालीगंज कलकत्ता भूमिगत प्रणाली के सम्बन्ध में परिश्चम बंगाल के मुख्य मत्री ने भूमि अधिग्रहण करने में मदद दी है। फिर उत्तर प्रदेश में बिजली की पूर्ति में व्यवधान की समस्या में मत्री स्तर पर हस्तक्षेप करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री ने उसका समाधान किया है। फिर कोरवा सुपर तापीय विद्युत केन्द्र को पानी की पूर्ति की समस्या थी। उसमें भी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सहायता दी। इस तरह हम समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा कर रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 388, श्री जयन्ती पटनायक उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न सख्या 389 श्री शोभनीद्रेश्वर राव उपस्थित नहीं हैं अब प्रश्न संख्या 390 श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही।

गन्ने का मूल्य

*390 **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने के मूल्य की बुआई के समय घोषणा न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) गन्ने का मूल्य निर्धारित करने हेतु चीनी के मूल्य को आधार मानने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीरे और औद्योगिक एल्कोहल के मूल्य गन्ने के मूल्य के आधार पर निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 1986-87 मौसम के लिए देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा बुवाई मौसम से काफी पहले कर दी गई थी।

(ख) और (ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के अनुसार, गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय संगत तथ्यो में से चीनी का मूल्य थी एक संगत तथ्य होता है, जिसे ध्यान में रखना होता है। चीनी के मूल्य का हिसाब लगाने में, जोकि एक प्रमुख उत्पाद है, शीरे की बिक्री से हुई वसूलियों को भी विधिवत् ध्यान में रखा जाता है और इस प्रक्रिया से गन्ने के मूल्य का शीरे से हुई वसूलियों से भी सम्बन्ध हो जाता है।

चूंकि सभी चीनी फैक्ट्रियों की डिस्टिलरियां नहीं होती हैं, इसलिए औद्योगिक एल्कोहल के मूल्य को ध्यान में रखने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसके अलावा, औद्योगिक एल्कोहल गन्ने का सीधा सह-उत्पाद नहीं है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : पिछले 40 वर्षों के दौरान हमने देखा है कि चीनी के उत्पादन में प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात कुछ चक्रीय कमी आती है जिसके कारण चीनी का अन्य देशों से विदेशी मुद्रा कम करके आयात करना पड़ता है। क्या उसे देखते हुए सरकार के लिए यह संभव है कि गन्ने के मूल्यों की, विवरण में दिए गए कानूनी न्यूनतम मूल्यों की नहीं, घोषणा की जाये; क्योंकि कानूनी न्यूनतम मूल्य किसानों को देय वास्तविक मूल्य नहीं हैं ? अत: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चीनी उद्योग में स्थिरता लाना और बुआई से पूर्व गन्ने के मूल्यों की घोषणा करना संभव है।

श्री ए. के. पांजा : यह संभव है और इसीलिए 1985-86 तथा 1986-87 के लिए गन्ने के मूल्यों की घोषणा नवम्बर 1985 में बुआई के मौसम के शुरू होने से पूर्व कर दी गई थी। हम गन्ना नियंत्रण आदेश के खण्ड 3 को पालन किए बिना न्यूनतम मूल्य की घोषणा नहीं कर सकते जिसमें कि उस घोषणा के लिए मानदण्ड दिया गया है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : ऐसे सभी नियमों का अभिप्राय किसी बात को विनियमित करना होना है। यदि खण्ड 3 बाधक बनता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। मेरे कहने का आशय यह है कि वास्तविक देय मूल्यों की घोषणा पहले से की जानी चाहिए, न कि कानूनी न्यूनतम मूल्य की जिसका कि मंत्री उल्लेख कर रहे हैं।

श्री ए. के. पांजा : यह कार्यवाही के लिए है। हम इस पर ध्यान देंगे।

श्री आर. एस. माने : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या गन्ने का मुल्य एक बार ही दिया जा सकेगा। क्योंकि आजकल यह एक अथवा दो वर्षों में चार बार दिया जाता है।

श्री ए. के. पांजा : गन्ने के मूल्य का मामला माननीय सदस्य ने ठीक ही उठाया है। इस बारे में देय धन बकाया न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए हमने संबंधित राज्यों के साथ वास्तव में मेरे वरिष्ठ साथी तथा मैंने भी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुखों को पत्र लिखें हैं कि वे इस बात का प्रयास करें कि गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की अदायगी शीघ्र की जाये तथा देय राशि का भी भुगतान किया जाये।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष जी, किसानों के जो बकाया हैं, वह उन्हें अभी तक नहीं

मिले हैं। क्या सरकार ने इस बात की जानकारी करायी है ? यदि हां तो उसके भुगतान के लिए क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो इस प्रश्न के साथ संबंधित नहीं है।

श्री राम स्वरूप राम : ऐसे मामले करोड़ों की संख्या में हैं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : 30.6.86 को कुल 1557.8 करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 33.3 करोड़ रुपये बकाया था। बकाया राशि गन्ने की कुल राशि का 2.1 प्रतिशत है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है इस वर्ष भी हमने चार पत्र मुख्य मंत्रियों को लिखे थे। उन्होंने हमें लिखा है कि वे बकाया राशि की अदायगी के लिए समुचित कदम उठा रहे हैं। हमने उन्हें यह भी लिखा है कि वे इस बारे में भी प्रयास करें कि ब्याज की अदायगी की जाये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में गन्ने के दो क्षेत्र हैं। एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में गन्ने की उपज अधिक है और उसका कास्ट आफ प्रोडेक्शन उत्तर भारत से कम है। जब गन्ने के दाम सरकार घोषित करती है तो समूचे देश के लिए एक जैसे घोषित करती है जबकि उत्तर भारत में उपज कम है और कास्ट आफ प्रोडेक्शन अधिक लगता है। इसी कारणवश आज उत्तर भारत में सारी शूगर फैक्ट्रियों की हालत खराब है और सारी चीनी मिलें करोड़ों के घाटे में जा रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह दोनों की कास्ट आफ प्रोडेक्शन को देखते हुए उत्तर भारत के गन्ना किसानों के लिए कुछ विशेष सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एच. के. एल. भगत : वास्तव में चीनी नीति के सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में चीनी नीति पर हमारा शीघ्र निर्णय लेने का विचार है। यह सही है कि चीनी का अधिक उत्पादन उष्टाकटिबन्धी क्षेत्रों, अर्थात दक्षिणी राज्यों तथा महाराष्ट्र आदि होता है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में उत्पादकता बहुत ही कम है। राष्ट्रीय प्रति हेक्टेयर उपज 56 टन है जबकि दक्षिणी राज्यों में यह लगभग 75 टन है।

हमें इस बात की बहुत उत्सुकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अच्छी और अधिक चीनी का उत्पादन हो। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे अथवा सुझाव के सम्बन्ध में हम इसकी ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि और क्या कुछ हो सकता है।

श्री पी. कुलनदईवेलू : गन्ने का मूल्य उसके उत्पादन की लागत के समान निर्धारित करना है। किन्तु वास्तव में मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि उर्वरक और अन्य सामग्री लागत में वृद्धि हुई है। हमें इस मामले को पूर्णरूप से देखना है, और गन्ने के सामान्य मूल्य निर्धारित करने हैं।

जहां तक चीनी नीति का सम्बन्ध है आपने बजट सत्र के समय यहां पहले ही इस बात की घोषणा की है कि आप चीनी के लिए नई नीति की घोषणा करने वाले हैं किन्तु अभी तक आपने इसकी घोषणा नहीं की। इसका क्या कारण है ?

श्री एच. के. एल. भगत : हमने कहा था कि हम चीनी नीति की घोषणा करेंगे। हमने सदन से और तीन महीने का समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, क्योंकि अभी अनेक ऐसी बातें हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना है। अभी बहुत परामर्श आदि करने बाकी हैं।। हम आशा करते हैं कि इस नीति की शीघ्र ही घोषणा करेंगे।

श्री पी. कुलनदईवेलू : तीन महीने तो पहले ही बीत गए हैं।

श्री एच. के. एल. भगत : हमें आशा है कि अब हम सत्र के पश्चात् ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। हम विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। जहां तक चीनि के मूल्य का सम्बन्ध है, गन्ना नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत केवल उत्पादन लागत का नहीं अपितु बहुत सी अन्य बातों का भी सम्बन्ध है। हम इन पर भी विचार कर रहे हैं।

उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों की किस्म

*391 **श्री अख्तर हसन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य की दुकानों द्वारा सप्लाई किये गये खाद्यान्न बहुत घटिया किस्म के होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भविष्य में बेहतर किस्म के खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, नहीं। उचित दर की दुकानों द्वारा सप्लाई किए गए खाद्यान्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्टाक की पूर्व-जांच करने, संयुक्त रूप से नमूने लेने, तथा उचित दर की दुकानों पर गुण मानक लागू करने जैसे विभिन्न उपायों के जरिये अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो इन्होंने दिया···नहीं

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : तो किस के सवाल का जवाब दिया ?

श्री अख्तर हसन : मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि खराब अनाज, खराब गेहूं और खराब चावल उन दुकानों पर आता है जिसे एम. पी. लोग तो खा नहीं सकते। ऐसी एक भावना है कि ऐसा अनाज नहीं होता है जिसे सब लोग खा सकें। तो जो उनकी रिपोर्ट आती है सिलक्वट की उसके बारे में किसी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही हुई है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के एल. भगत) : मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मेरे साथी ने पहले ही प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से दिया है। हम कुछ मानदण्डों से ही खाद्यान्नों की किस्म निर्धारित करते हैं। कभी-कभी हमें शिकायत कम ही मिलती है।

भारतीय खाद्य निगम राज्य संगठनों को आपूर्ति करता है और वे इस को वितरित करते है। अब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम जांच करते हैं। यदि कोई खराब किस्म का खाद्यान्न दिया जाता है तो इसे बदल दिया जाता है और कार्यवाही की जाती है। (व्यवधान) सामान्यतः आपूर्ति ठीक ही होती है।

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन : कितने अफसरों के खिलाफ कार्यवाही हुई यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एच. के. एल. भगत : शिकायत के आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है मैंने कहा कि ऐसे मामले बहुत ही कम हैं।

अब दो मुद्दे हैं। पहला यह है कि राज्य की एजेंसियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति की जाती है। वह अधिकतर मामलों में सामान प्राप्त करते हैं। कभी यह प्रश्न भी उठा है—उन्होंने सप्लाई ले ली है और तत्पश्चात् कहा जाता है कि सामान खराब है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी कहते हैं कि हमने सामान दे दिया और उन्होंने इसकी जांच की। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जांच संभव नहीं है इसकी भी हमने सुलझाने की कोशिश की है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि हम देखते हैं कि जान-बूझ कर खराब खाद्यान्न भेजे जा रहे हैं तो कार्यवाही जरूर की जाएगी।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जिन्दा रहने के लिये रोटी, कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गरीब आदमियों के लिये ध्यान ज्यादा दिया गया है लेकिन हमारे बंगाल में पब्लिक को पापकार्न मिलाकर चावल देते हैं। पब्लिक को अगर चावल मिलता है तो चीनी नहीं

मिलती, चीनी मिलती है तो गेहूं नहीं मिलता, ऐसा क्यों है ? एम. पी. को आप खराब दे दीजिये लेकिन पब्लिक को तो अच्छा चावल देना होगा ।

[अनुवाद]

श्री एच. के. एल. भगत : उत्तर में मैं इतना उत्साही नहीं हो सकता हूं जितना कि प्रश्न पूछने वाला है । किन्तु हम पश्चिम बंगाल सरकार को इतना ही अच्छा सामान देते हैं जितना कि अच्छा हमारे पास उपलब्ध होता है, और सामान्यतः यह अच्छा ही होता है । वास्तविक उचित मूल्य दुकान में यदि कोई शिकायत है, तो वह इस बात को हमारी नोटिस में लाएं और हम इसे राज्य सरकार की नोटिस में लायेंगे ।

श्री आनन्द गजपति राजू : उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दिया गया खाद्यान्न बहुत ही घटिया है । मैं कहूंगा कि बिचौलियों द्वारा यह सारी राशि खाया जाना सबसे बड़ी बाधा है । यदि आप गांव में जायेंगे तो आप देखेंगे कि ग्राम के कुछ वयोवृद्ध व्यक्तियों, कारनामों और मुन्सिफों को कार्ड दिए जाते हैं । कार्ड उसको दिए जाते हैं ।इसके बदले वह कुछ पैसे इकट्ठे करता है और कुछ पैसे खा जाता हैं । क्या सरकार इसकी ओर ध्यान देगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल शिखर पर अपितु निचले स्तर पर भी अत्यन्त वैज्ञानिक आधार पर इस प्रकार बनायी जाये कि बिचौलियों को अलग किया जाए और गरीब लोगों तक उचित खाद्यान पहुंच जाए ?

श्री एच. के. एल. भगत : महोदय जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं इसे पहले लेता हूं । उन्होंने कहा कि कभी कार्ड-धारियों को भी कठिनाई होती है । उन्होंने कहा कि कार्ड-धारियों को गलत ढंग से चुना गया है, आदि । मैं सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह यह प्रश्न अपनी सरकार को भेज दें । दूसरी बात उन्होंने खाद्यानों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कही है । कभी-कभी हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं । सामान्यतः राज्यों से हमें यह पता चला है कि खराब खाद्यान्न नहीं भेजे जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी : फूडग्रेन्स की क्वालिटी को एसटेन करने के लिए क्या मंत्रालय के पास कोई मशीनरी है ? अगर है तो फेअर प्राइस शाप्स के कितने बार सैम्पल्स लिए गए और उनका एनालाइसिस कराया गया और क्वालिटी को एन्श्योर किया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री एच. के. एल. भगत : यह देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या वितरण प्रणाली उचित रूप से कार्य कर रही हैं । मैंने उन्हें कई बार लिखा है । उन्होंने कई बार छापे मारे हैं । मैं माननीय सदस्य को मारे गए छापों की सही संख्या रद्द किए गए कार्डों की संख्या तथा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करा सकता हूं ।

दिल्ली पुलिस को प्रभाव बनाने हेतु उपाय

* + +

*392. **श्री अजित कुमार शाहा :**

श्री आनन्द पाठक :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुलिस को आधुनिक हथियारों, आधुनिक संचार साधनों और परिवहन व्यवस्था तथा बेहतर सुविधाओं से लेस करने के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा कर सकी है; और

(ग) दिल्ली पुलिस को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए और कौन से उपाय करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पी. चिदम्बरम : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आधुनिक पुलिस बल की आवश्यकता विकासोन्मुख प्रक्रिया है। दिल्ली पुलिस को नये वाहन तथा उपकरण प्रदान करके तथा जनशक्ति को बढ़ाकर आधुनिक बनाने के लिए हाल ही में कदम उठाये गये हैं। अनुबन्ध "क" पर एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

2. दिल्ली पुलिस को कारगर बनाने के लिए निम्न प्रस्ताव किए गए हैं :

1. चरणबद्ध तरीके से पुलिस जिलों तथा पुलिस उप-खण्डों की संख्या में वृद्धि।
2. पुलिस थानों की संख्या में वृद्धि।
3. जनशक्ति को और बढ़ाना, वाहन तथा आधुनिक उपकरण प्रदान करना।
4. अपराध कांडों को वैज्ञानिक ढंग से इकट्ठा करने तथा सहज सन्दर्भ की सुविधा के लिए एक कम्प्यूटर की स्वीकृति दी गई है।
5. पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधायें।
6. पुलिस नियन्त्रण कक्ष को और आधुनिक बनाना।

अनुबन्ध—क

1. **दिल्ली पुलिस में जनशक्ति बढ़ाने के लिए स्वीकृत किया गया अतिरिक्त स्टाफ**

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	1
2.	पुलिस उपायुक्त	4
3.	सहायक आयुक्त पुलिस	17

1	2	3
4.	निरीक्षक	107
5.	उप निरीक्षक	1070
6.	सहायक उप निरीक्षक	485
7.	हैड कांस्टेबल	1703
8.	कांस्टेबल	2163
9.	चालक/अन्य	949
		कुल 6499

(वित्तीय व्यय 10.66 करोड़ रुपये)

II. दिल्ली पुलिस की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए स्वीकृत किए गए वाहन

1. कारें	45
2. जीपें	157
3. पिक-अप	73
4. मोटर साइकिल	211
	कुल 486

कुल वित्तीय व्यय 2.87 करोड़ रुपये

III. दिल्ली पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए स्वीकृत किए गए उपकरण

1.34 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय से उपकरणों की 716 मदें ।

श्री अजित कुमार साहा : समूचे देश में आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार देश में आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण करने की सलाह देने की बात सोच रही है ?

श्री पी. चिदम्बरम : हम समय-समय पर राज्य सरकारों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण करने तथा सिपाहियों और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुदेश देते हैं ।

श्री अजित कुमार साहा : दिल्ली पुलिस के लिए कौन से आधुनिक उपस्करों की मंजूरी दी गई है ?

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने विवरण में इन में से कुछ बातों का उल्लेख किया है । हमने अधिक वाहन, अधिक उपस्कर, अधिक दूरसंचार उपस्कर, अधिक वाइरलेस सेट, नए शस्त्र आदि

दिए हैं। यही दिल्ली पुलिस को उपलब्ध किए गए हैं। और हमें आशा है कि राज्य सरकारें भी पुलिस के लिए अपने वाहनों, शास्त्रों और वाइरलेस संचार सेटों की संख्या बढ़ा देंगी।

श्री अताउर्रहमान : हम बहुत समय से पुलिस बल के आधुनिकीकरण के संबंध में सुनते आ रहें हैं। जो कुछ भी कहा गया है वह कोई नई बात नहीं है किन्तु निस्संदेह हम कुछ कठिनाइयों के होते हुए, सुधार कर सकते हैं, कम से कम यदि हम पुलिस बल से कहें कि 8 घटे की पारी के अनुसार कार्य करें जैसा कि उन्होंने रेल सुरक्षा बल के मामले में किया है तो हम अपराधियों की नवीनतम सूची के साथ कीटा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। विभिन्न बैंकों तथा विभिन्न स्थानों में लूट कर भाग जाने वाले मामले हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि लूट मार करने और भाग जाने का काम इस प्रकार होता है कि शीघ्र पुलिस को खबर करना बहुत कठिन है। किन्तु यदि हमारे पास हेलीकॉप्टर होंगे। मुझे विश्वास है कि कोई इस बात से चकित नहीं होगा यदि मैं "हेलीकॉप्टर" शब्द बोल दूँगा तो प्रभावशाली ढंग से पीछा किया जाएगा। महोदय, अब समय आ गया है जब कि पुलिस को अत्यन्त गतिशील तथा तेज होना है और जिस प्रकार की भी स्थिति हो उसका सामना करना है। ऐसा करने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत आवश्यक है। यदि हमारे पास केवल वाहन और 'वायरलेस' हैं तो केवल इनसे काम नहीं चलेगा।

मैं प्रश्न का दूसरा भाग उठाता हूँ जो पुलिस के प्रभावशाली होने के सम्बन्ध में कही गई है। पुलिस तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक न्यायपालिका प्रभावशाली न हो। हम इसके बारे में बहुत बातें करते हैं··· (**व्यवधान**)। क्या सरकार न्यायपालिका में सुधार करने तथा पुलिस को प्रभावकारी बनाने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है क्योंकि इतने अधिक मामले इकट्ठे हो गए हैं कि पुलिस बल इन मामलों से पूरी तरह से निपट रहा है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले पर ध्यान दिया जायेगा और ये बहुत अच्छे सुझाव हैं जिन पर हम विचार करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त: संघ राज्य क्षेत्र में, चाहे यह दिल्ली या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप हो, कानून और व्यवस्था का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में जेल तोड़ने, आदि की घटनाओं के सन्दर्भ में, मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से द्वीपसमूह में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव आया है या नहीं और यदि आया है तो क्या कार्यवाही की गई है, और इस तथ्य को नजर में रखते हुये कि द्वीपसमूह में काफी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चल रही हैं और विदेशी जहाज प्राय: द्वीपसमूह के पास समुद्र में आते हैं, क्या वह कुछ विशेष प्रबन्ध करने के लिए विचार कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : यह एक सतत प्रक्रिया है और जब हमें किसी इकाई से चाहे वह राज्य हो या संघ राज्य क्षेत्र कोई सुझाव मिलता है तो हम उस पर यथोचित विचार करते हैं। मुझे बताया गया है कि हाल ही में हमें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन से कुछ सूचना मिली है। हम निश्चतोर पर इस पर विचार करेंगे।

श्री नारायण चौबे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि समारे देश में विकास हो रहा

है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और शहरी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, क्या सरकार 'पुलिस' को योजना आयोग योजनाओं के तहत एक विषय के रूप में लाने के बारे में विचार करेगी और क्या यह एक योजना विषय होगा या नहीं।

सरदार बूटा सिंह : मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि क्या हम इस विषय को समवर्ती सूची में लाने के लिए विचार कर रहे हैं उन्होंने योजना के बारे में कहा है। हां समस्त देश में पुलिस संगठन के लिए उपयुक्त आयोजना एक बहुत आवश्यक बात है। किन्तु यह, राज्य सरकारों का कार्य है। अगर वे पुलिस के कार्य में और पुलिस संगठन में सुधार करने के लिए अपनी योजनाओं में अपने प्रस्ताव पेश करते हैं तो उन्हें इसका सुझाव देना चाहिए और फिर इस पर विचार किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों के पदों पर भर्ती के लिए दिशानिर्देश

+

*393. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** :

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वैज्ञानिक विभागों द्वारा वैज्ञानिकों के पदों पर भर्ती करने के लिए कोई दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक पदों पर भर्ती करने के बारे में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी वैज्ञानिक विभागों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं, किन्तु ये सिद्धान्त अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में यह व्यवस्था की गई है कि जिन मामलों में वैज्ञानिक पदों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाता है, उनमें आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए पदों पर भर्ती करते समय उन्हें भर्ती के सामान्य सिद्धान्तों का जैसे कि भर्ती नियमों में यथानिर्धारित अर्हताओं सहित रिक्तियों को अधिसूचित करना, आरक्षण नियमावली आदि का पालन करना चाहिए। प्रत्येक स्तर के लिए खोज एवं चयन समितियों का गठन करने का भी प्रस्ताव है जिनमें विशेषज्ञों सहित, कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य विभाग से बाहर के होने चाहिएं।

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बहुत अस्पष्ट ढंग से बताया है। उन्होंने उत्तर में कहा है कि "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों में यह व्यवस्था की गयी है कि जिन मामलों में वैज्ञानिक पदो को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाता है" इसलिए, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है या नहीं। अगर ऐसा है तो क्या

सरकार की संघ लोक सेवा आयोग की सक्षमता में कोई आस्था नहीं है ? मेरे विचार में इसी वजह से इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है ।

श्री पी. चिदंबरम् : श्रीमान् जहां तक कुछ वैज्ञानिक विभागों का संबंध है उदाहरण के तौर पर परमाणु ऊर्जा आयोग अन्तरिक्ष आयोग, इलेक्ट्रोनिक्स आयोग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, निम्नलिखित विभाग अर्थात् परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके यह निर्णय पहले ही ले लिया गया था । इसी प्रकार ऊर्ज कि अतिरिक्त साधनों सम्बन्धी आयोग और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन विभाग को भी चार वर्ष के लिए संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि इनको हाल ही में बाहर रखा गया है । इनको पहले ही बाहर रखा गया था । यह वर्तमान प्रस्ताव कुछ वैज्ञानिक विभागों में कुछ कुछ अन्य वैज्ञानिक पदों का पता लगाने के लिए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके यह निर्णय लेने के लिए है कि क्या इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाये । यह प्रक्रिया अभी भी जारी है ।

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : क्या माननीयमं श्री प्रतियोगी परीक्षा में एक अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों पर निर्भर होंगे ? क्या सरकार प्रतियोगी परीक्षा के लिए विचार करेगी ताकि योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके ?

श्री पी. चिदंबरम् : श्रीमान, प्रतियोगी परीक्षा नियुक्ति का एक तरीका है । वास्तव में, आजकल भी कई तकनीकी पदों की भरती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है । किन्तु मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकता कि प्रतियोगी परीक्षा ही भरती करने का एक मात्र ढंग है । भरती करने के और भी कई ढंग हैं जिनको हम अपना सकते हैं ।

श्री मट्टम श्री राम मूर्ति : यह कहा गया है कि कुछ दिशानिर्देश दिये गये थे । वे दिशा-निर्देश कब दिये गये थे ? वे दिशानिर्देश क्या हैं ? क्या कारण है कि दिशानिर्देशों को अब तक लागू नहीं किया गया है ?

श्री पी. चिदंबरम् : श्रीमान् विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 मई 1986 को इन दिशानिर्देशों को जारी किया था । इनको अब तक लागू इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि हमें कुछ वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक पदों का पता लगाना है । हमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है और फिर इन पदों को संघ सेवा आयोग क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का एक आदेश जारी करना है । चूंकि यह प्रक्रिया अभी जारी है इसलिए इस परिपत्र को अभी तक लागू नहीं किया गया है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : हम समय-समय पर निराशा की वजह से वैज्ञानिकों की मृत्यु तथा आत्महत्याओं के बारे में सुनते रहते हैं । इस देश में प्रतिभा पलायन भी एक समस्या बन गयी है । प्राय: हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद ये शिकायतें करते हैं कि एक नवान्वेषी मस्तिष्क के

विकास के लिए अवसर प्रदान करने की बजाय हम नेमी मामलों पर अधिक ध्यान देते हैं। इस लिए इन रिपोर्टों तथा प्रतिभा पलायन की शिकायत के संदर्भ में भी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश के प्रशासनिक तंत्र में भी वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिक विद लोगों को अपनी नवान्वेषी मस्तिष्क का विकास करने के लिए अवसर प्रदान किया जाए इस मंत्रालय द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हैं या नहीं।

श्री पी· चिदंबरम् : प्रत्येक वैज्ञानिक विभाग में संवर्ग का प्रशासन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास होगा। मैं मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि हमने लचीली अनुपूरक व्यवस्था प्रारंभ कर दी है जिसके तहत प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को ऊपर उठने का अवसर दिया जाता है; उनको स्वस्थाने पदोन्नति दी गयी है। वैज्ञानिकों के लिए कार्मिक नीति बहुत उदार और प्रगतिशील है। किन्तु कार्मिक नीति में सुधार करने के लिए यदि माननीय सदस्य कोई विशेष सुझाव देते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस सुझाव पर गौर करेंगे।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : मुझे पता है कि केन्द्र सरकार के उपक्रमों तथा विभागों में कर्मचारियों की भर्ती पर एक सामान्य रोक लगा रखी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह रोक वैज्ञानिकों की नियुक्ति पर भी लागू होती है।

श्री पी. चिदंबरम् : इस पर रोक थी, किन्तु हाल ही में कुछ शर्तों के साथ इसे उठा लिया गया है। आजकल भरती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

महासागरीय संसाधनों के विदोहन के लिए एकीकृत नीति

*394 **श्री टी. बशीर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महासागरीय संसाधनों के विदोहन और महासागर संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए कोई एकीकृत नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार ने महासागरीय संसाधनों के विदोहन के लिए और महासागर से संबंधित गतिविधियों के त्रिभागीय समन्वयन के लिए एक समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड में भारत सरकार के विभिन्न सचिव और समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। इस बोर्ड की पहली बैठक 22 मई 1986 को हुई जिसमें इतने महासागर विकास के बड़े कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया और उन्हें अनुमोदित किया।

श्री टी. बशीर : वास्तव में मुझे माननीय मन्त्री से एक विस्तृत जवाब की अपेक्षा थी। (व्यवधान) यह समुद्रीय संशाधनों के विदोहन के लिए एकीकृत नीति के संबध में है। उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार ने एक समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी बार्ड की स्थापना की है। यह एक अच्छी बात है। और बोर्ड ने अपनी पहली बैठक भी कर ली है। यह

भी अच्छी बात है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और उनको अन्तिम रूप दिया गया है। समुद्रीय संसाधनों का अन्वेषण तथा विदोहन बहुत महत्वपूर्ण है। निस्सन्देह इसके लिए तीन बातों की आवश्यकता है : पहली है बेहतर आधारभूत सुविधाएं दूसरी, पर्याप्त कुशल जन शक्ति और तीसरी आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्राप्ति। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के विस्तार अधिक कुशल कर्मचारियों को तैयार करना और इस संबंध में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए, क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम या योजना तैयार की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार बोर्ड द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महासागर के सन्दर्भ में इसे समझना आवश्यक है। क्योंकि समुद्र दो-तिहाई हिस्से में है जब कि भूमि एक तिहाई में। और भूमि के संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग के लिए जो समय धन हमने लगाया है और जिस प्रौद्योगिकी का हमने विकास और उपयोग किया है उसकी तुलना महासागरिय संसाधनों के लिए खर्च किए गए धन और विकसित की गयी प्रौद्योगिकी से करनी है। इस पृष्ठ भूमि में, यह सुनिश्चित करने लिए हमने कदम उठाये हैं कि संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक आधार भूत सुविधाओं का निर्माण होगा, जनशक्ति और प्रौद्योगिकी का भी निर्माण होगा। हम समुद्रीय संसाधनों के उपयोग और आधार भूत सुविधाओं के निर्माण मौर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी धन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये कार्य विभिन्न विभागों पैट्रोलियम विभाग, कृषि मंत्रालय तथा खान मंत्रालय के माध्यम से, किये जा रहे हैं और महासागर विकास विभाग तथा दूसरे विभागों के माध्यम से भी कुछ कार्य किया जा रहा है। इन गतिविधियों में समन्वय लाना होगा और इसलिए एक बोर्ड की स्थापना की गयी है और यह बोर्ड एक संयुक्त नीति पर गौर कर रहा है। हम योजना स्तर तक नहीं गये हैं क्योंकि इस उद्देश्य के लिए जो धन उपलब्ध है वह भी सीमित है। जब हम लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये कई क्षेत्रों में संसाधनों के उपयोग हेतु तथा बुनियादी ढांचे के विकास तथा मानव-शक्ति के विकास हेतु खर्च कर रहे हैं तो मुश्किल से 5000 करोड़ रुपये सातवीं योजना में समुद्री क्षमताओं का विकास करने के लिए दिये गये हैं। लेकिन हम इस उद्देश्य के लिए और अधिक धन जुटायेंगे और जैसे ही धन उपलब्ध होगा हम बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे तथा प्रौद्योगिकी का भी विकास करेंगे। समग्र रूप से यह दृष्टिकोण है।

श्री टी. बशीर : हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के विकास में यह एक बड़ा संसाधन है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार का वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों. तथा अभियन्ताओं को समुद्री विकास की योजनाओं में भाग लेने के लिए आकर्षित करने का कोई कार्यक्रमों है। अगर हां, तो वे कौनसी योजनायें हैं ?

श्री शिवराज वी. पाटिल . समुद्री सत्ता अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी स्पष्ट नहीं हैं। इस पृष्टभूमि में हम देश मे एक बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक हजार वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविद तैयार करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में हमारी सहायता करेंगे। हमने वास्तव में, पोत ले लिए हैं जिनका हम समुद्री जल सीमा आर्थिक क्षेत्र तथा खुले समुद्र का भी सर्वेक्षण करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इस कार्य

के लिए हमें सबमर्सीबल्स की भी जरूरत पड़ेगी। अलग-अलग विभागों के लिए कतिपय उद्देश्य निर्धारित होते हैं और हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे तो भी हमें यह स्पष्ट होगा कि जो कार्य किया गया है वह वास्तव में काफी अधिक नहीं है। जो करना बाकी है वह बहुत अधिक है और इस पृष्ठभूमि में हमें यह आकलन करना होगा कि क्या करना है।

श्री टी. बशीर : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिकों, प्रौद्यागिकीविदों तथा अभियंताओं को समुद्री विकास की योजनाओं के विकास हेतु आकर्षित करने का कोई कार्यक्रम आपके पास है। वास्तव में भविष्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री शिवराज वी· पाटिल : हमारे पास बहुत सी योजनायें हैं और इन योजनाओं को विभिन्न विभागों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। समुद्री तल में तेल की खोज तथा उसे निकालने के लिए, हमें मालूम है, क्या किया जा रहा है। इसके साथ मछली पालन के बारे में हमें मालूम है, क्या किया जा रहा है। इसके बाद समुद्री गर्भ में 'नोड्यूल्स' का खनन तथा 'एनटार्टिका अभियान' आता है। इसके पश्चात् इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण आता है। ये चीजें हैं जो इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों को आकर्षित करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। हम वैज्ञानिकों को आकर्षित कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारत, अन्य बहुत से विकासशील देशों की भांति, उस लम्बी बातचीत में बहुत दिलचस्पी रखता था जो संयुक्त राष्ट्र में समुद्री गर्भ के संसाधनों के खनन के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय सहमति कायम करने के लिए चल रहीं थीं। मैं समझता हूं कि उन वार्ताओं का अभी तक कुछ विकसित राष्ट्रों के आग्रह के कारण कोई कारगर अन्तर्राष्ट्रीय समझौता नहीं हो सका है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसमें सर्वोत्तम आधुनिक प्रौद्योगिकी की जरूरत है और इसलिए उन्हें समुद्री गर्भ के खनन कार्य में कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे इन 'नोड्यूल्स' को निकाल सकें जबकि विकासशील राष्ट्र शायद नहीं निकाल पाएंगे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जहां तक हमारे देश द्वारा अपनाए गए रुख का सम्बन्ध है ताजा स्थिति क्या है तथा क्या किसी विदेशी पार्टी को हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र तथा समुद्री जल सीमा में तथाकथित आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रकार का खनन कार्य करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री शिवराज वी पाटिल : अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात पर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत इस कानून को स्पष्ट करने के प्रयास चल रहे हैं एक 'कन्वेंशन' हुआ था और यह फैसला करने का प्रयास किया गया था कि विभिन्न राष्ट्रों को 'पोलिमैटेलिक नाइलस' को खुले समुद्र से निकालने के लिए किस प्रकार का अधिकार और क्षेत्र दिया जाये। समुद्री जल सीमा तथा आर्थिक क्षेत्र से 'नाइल्स' को निकालने पर राष्ट्रों के बीच कुछ सहमति हुई है। इस क्षेत्र के बारे में राष्ट्रों के बीच अधिक मतभेद नहीं हैं। लेकिन जहां तक खुले समुद्र का प्रश्न है उस पर कोई आम सहमति नहीं है। अतः वे पहले कोई आम राय कायम करने का प्रयास कर

रहे हैं और आम राय कायम होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नियम बनायेगा ! नियमों के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्र, अर्थात्, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, खुले समुद्र में एक प्रार्थी को दिया जायेगा। एक राष्ट्र दो खानों के स्थलों की अर्जी दे सकता है और दो में से एक स्वीकार करके एक क्षेत्र उसे दिया जायेगा। लेकिन ऐसा केवल नियम बनाने के बाद किया जायेगा। प्रशान्त महासागर में विभिन्न राष्ट्रों के बीचविवाद हैं। उनके द्वारा किये गये दावे एक दूसरे से मेल खाते हैं और इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण को नियम बनाना संभव नहीं हो सका है और चूंकि नियम नहीं बने हैं, भारत को क्षेत्र नहीं मिला है। अतः, महोदय, यह अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास विचाराधीन हैं और जैसे ही प्राधिकरण हरी झंडी दिखाता है तो हमारे लिए इस क्षेत्र से जिसके लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है पालिमटेलिक नोड्ल्स का पता लगाना तथा उसे निकालना संभव हो सकेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : समुद्री मछली संसाधन की दृष्टि से समुद्री विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के बीच प्रभावी आर्थिक क्षेत्र को निश्चित करने के लिए स्थापित किये गए समन्वय के बारे में मेरे 4 अगस्त के अतारांकित प्रश्न से उठने वाले प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि यह देहरादून स्थित नेवल हाईड्रोग्राफिक सेंटर द्वारा किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि नेवल हाईड्रोग्राफिक सेंटर यह क्यों कर रहा है। फिर भी, हमारे आर्थिक क्षेत्र के मछली संसाधन का यह प्रतिवेदन कब पेश किया जायेगा ? इसे सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया जायेगा क्योंकि आज स्थिति यह है कि अगर आप भारतीय प्रभावी आर्थिक क्षेत्र का अच्छा मछली पकड़ने का नक्शा चाहते हैं तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए जापान जाना पड़ेगा। आप इन मछली पकड़ने वाले नक्शों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं सभा में यह बात कहता रहा हूँ कि हमारा समुद्री आर्थिक क्षेत्र हमारे भूमि क्षेत्र का दो-तिहाई है। यद्यिप हम अपने संपूर्ण भूमि क्षेत्र का 1940-42 से सर्वेक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए भूमि क्षेत्र का सर्वेक्षण भी संभव नहीं हो सका है। यह सम्पूर्ण समुद्री आर्थिक क्षेत्र के सर्वेक्षण का प्रश्न है। हमारे पास दो जल-पोत हैं। एक जल-पोत का प्रयोग उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा पता लगाने के लिए किया जा रहा है जहां खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं तथा दूसरा पोत इस प्रकार का सर्वेक्षण करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि कहां पर मछलियां उपलब्ध हैं तथा समुद्र की क्या स्थिति है। परिणामों के बारे में पूछते समय हमें जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना है उनको तथा इस काम में होने वाली अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना होगा। पश्चिमी तट के आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है और पूर्वी तट के आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण चल रहा है और हम कोई प्रतिवेदन दे सकेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होगा।

[हिन्दी]

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवार

*395. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1985-86 की अवधि के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवार लाभान्वित हुए और उक्त अवधि के दौरान कितने परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये गये ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : वर्ष 1985-86 के दौरान, गरीबी रेखा से ऊपर उठने योग्य बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या क्रमश: 22,94,636 और 8,73,100 है। आशा है इससे सहायता प्राप्त परिवारों का काफी बड़ा भाग गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकेगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रति परिवार अनुमानत: कितना धन व्यय किया गया है और किन-किन मदों में खर्च किया गया है ?

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, यह कहना तो बहुत कठिन है कि प्रति परिवार कितना धन खर्च किया गया है, जनरली किसी को 6 हजार, किसी को 7 हजार-8 हजार रुपया दिया जाता है। ट्राइसम योजना के अन्तर्गत 25 हजार भी दिया गया है और उसे बढ़ाकर 35 हजार भी दिया गया है। अलग-अलग कई योजनाएं हैं, उनके अन्तर्गत यह दिया जाता है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद : अभी लाखों बस्तियां ऐसी हैं जहां कमजोर वर्ग के लोगों के लिये पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। क्या मन्त्री महोदया दूसरी मदों में पैसा कम करके पानी पीने की मद में अधिक खर्च करने पर विचार करेंगी ?

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत 1990 तक सरकार की तरफ से यह योजना है कि जितने प्राबलम विलेजेज हैं, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की कठिनाई दूर की जाए और इस पर प्रायर्टी बेसिस पर धन खर्च किया जा रहा है।

श्री डी. पी. यादव : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में हरिजनों और आदिवासियों के लिए कितने मकान बनाये गये, आज उनकी क्या स्थिति है ? उनमें से कितने ढह कर नीचे चले गये और कितने बचे हुये हैं. क्या इसका वह कोई सैम्पल सर्वे करायेंगी ?

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं और जितने मकान बनाये गये हैं, उनमें से कुछ ढह गए हैं, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री चरनजीत सिंह अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं नार्थ में, जैसे पंजाब, हरियाणा और यू. पी. के भी कुछ इलाके हैं, जिसमें लोग सिर्फ रोटी खाते हैं। गरीब जो हैं वह रोटी रूखी भी खाते हैं, मिर्च और अचार से भी खाते हैं, लेकिन खाते सिर्फ रोटी ही हैं। दूसरी स्टेट्स का मुझे पता नहीं लेकिन पंजाब का पता है, कि पिछले सालों में स्टेट्स को जो मैंचिंग ग्रांट सैंटर की तरफ से दी जाती है वह इसलिए कम दी गई क्योंकि पंजाब में लोग रोटी खाते हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि रोटी में जो कंटेंट्स होते हैं, वह वैसे ही हैं जो रिच फूड

में होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ रोटी के कंटैन्ट्स को बेस मानकर स्टेट की ग्रांट को कम करना ठीक है ? मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ रोटी के कंटैन्ट को बेस न मानते हुये जो दूसरे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं क्या उन्हीं की तरह यहां के लोगों को ट्रीट करके वहां के लिये ग्रांट देने लिये सरकार तैयार है ?

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जहां तक मेरी जानकारी है, ग्रांट देने का ऐसा कोई आधार नहीं है और न इसमें कोई कमी की गई है।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हरिजनों के लिए एक सौ स्कैवेयर के मकान बनाये गये हैं, क्या उनकी रिपेयर के लिये लोने देने की वह कृपा करेंगी।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जो मकान बनाये जा रहे हैं, उनके रिपेयर के लिये अलग से लोन देने की व्यवस्था नहीं है।

श्री वी. तुलसी राम : अध्यक्ष जी, स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को चलाया था। इसमें काफी कुछ काम हुआ भी है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। प्रधान मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं और उन्होंने चुन-चुनकर इस बिभाग में मंत्रियों की नियुक्ति की है। इसमें एक तो मैडम है। उनके साथ किसी पहलवान को जोड़ दिया गया है। वे पीछे बैठे हुए हैं डिप्टी मिनिस्टर इनसे अधिकारी लोग डरते नहीं हैं। अगर प्रधान मन्त्री जी श्री अरुण नेहरू जी जैसे लोगों को यह डिपार्टमेंट दे देते ···। तो यह डिपार्टमेंट एकदम ठीक हो जाता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने योग्य बनाने की योजनायें

\+

*397. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री राम भगत पासवान :

क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सहायता देने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए हैं।

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उनकी क्या उपलब्धियां रहीं,

(ग) क्या गुजरात में भी ऐसे कार्यक्रम आरम्भ किए गये थे,

(घ) यदि हां, तो उस राज्य में इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है, और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस प्रयोजनार्थ क्या प्रावधान किया गया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

गुजरात तथा 4 केन्द्र शासित प्रदेशों सहित 20 राज्यों ने अनुसूचित जातियों को तथा 17 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश ने अनुसूचित जनजातियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम चलाये हैं। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को अनुबन्ध-1 की तालिका में दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना विशेष कम्पोनेंट योजना के तहत अनुसूचित जाति विकास के लगभग लिए 6303.32 करोड़ रुपये का तथा आदिवासी उप योजना के तहत अनुसूचित जनजाति विकास के लिये लगभग 6199.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए क्रमश: 93.00 करोड़ रुपये तथा 756 करोड़ करोड़ विशेष केन्द्रीय सहायता का भी प्रावधान है।

अनुबन्ध—I

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	7,50,000	9,35,619	118000	200564
2. असम	1,14,000	1,02,583	200429	267554
3. बिहार	10,48,000	9,52,873	200000	399475
4. गुजरात	2,36,000	3,51,864	350000	405095
5. हरियाणा	1,60,000	2,34.977	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	86,000	1,99,791	43749	35796
7. जम्मू तथा कश्मीर	9,500	10,799	—	—
8. कर्नाटक	5,30,000	5,49,674	15500	24797
9. केरल	2,38,900	2,20,404	16000	23307
10. मध्य प्रदेश	7,00,000	6,81,847	618000	844340

1	2	3	4	5
11. महाराष्ट्र	8,54,000	8,36,628	497332	656909
12. मणिपुर	2,686	3,872	उपलब्ध नहीं	31156
13. उड़ीसा	4,00,000	4,46,304	514794	490963
14. पंजाब	4,19,000	4,01,163	—	—
15. राजस्थान	5,00,000	5,31,611	50000	205703
16. सिक्किम	3,400	3,195	उपलब्ध नहीं	77559
17. तमिलनाडु	1,17,000	8,89,242	19000	28884
18. त्रिपुरा	25,526	34,457	उपलब्ध नहीं	43823
19. उत्तर प्रदेश	15,00,0000	19,07,031	3100	11032
20. पश्चिमी बंगाल	11,12,000	9,76,637	108275	278233
21. चण्डीगढ़	2,119	2,402	—	—
22. दिल्ली	40,000	36,253	—	—
23. गोआ, दमन दीव	5,865	5,446	1500	3226
24. पांडिचेरी	9,000	9,038	—	—
अखिल भारतीय	96,82,096	1,03,23,710	2759379	3966609

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : माननीय अध्यक्ष जी, आदिवासियों के विकास के लिये अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वैसे तो इनके विकास के लिए सरकार की तरफ से कई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। लेकिन हमारे जिले में आदिवासियों की हालत बहुत खराब है। इन आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग विभाग या मन्त्रालय शुरू करने की बहुत अधिक जरूरत है मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वह आदिवासियों की हालत को ध्यान में रखते हुए कोई अलग विभाग या मन्त्रालय शुरू करने के बारे में विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : पहले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रभाग गृह मंत्रालय के अधीन थे। अब चूंकि कल्याण मंत्रालय का गठन विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए शुरू किया गया है इसलिए एक अन्य नया मंत्रालय शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है नया मंत्रालय बनाने के पश्चात् हमने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। छठी योजना से अनुसूचित जातियों के लिए एक संघटक योजना भी शुरू की गई है। राज्य योजना के अन्तर्गत एक जनजातीय उप-योजना भी शुरू की गई है और इन दोनों योजनाओं के

लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है। विशेष केन्द्रीय सहायता देने में हमने हाल ही में यह परिवर्तन किया है कि यह सहायता परियोजना वार दी जायेगी क्योंकि अन्यथा निधि अन्य कार्यों पर व्यय होने की आशंका रहती है। राज्य भी परियोजना-वार निधि देगा। देश में 184 ऐसी परियोजनायें हैं जिनके बारे में परियोजनावार निधि की राशि तय की जानी है। केवल तभी वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

[हिन्दी[

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बैठक

+

अ. सू. प्र. 1 **श्री सोम नाथ चटर्जी** :
श्री वी तुलसीराम :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अगस्त, 1986 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने उनसे मुलाकात की थी और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के बारे में विचार विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो इस विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट का तथाकथित आन्दोलन राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी है और उसके सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जाएगी;

(घ) क्या सरकार को दिनांक 4 अगस्त, 1986 के टाइम्स आफ इन्डिया में "जी. एन. एल. एफ. बिड टु एक्सटर्नलाइजस्टिर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

6 अगस्त, 1986 को गृह मंत्री ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा चलाये गये आन्दोलन से उत्पन्न समस्याओं की गहन समीक्षा की। यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरा समन्यव रखेंगी और देश की एकता और अखण्डता को कमजोर करने वाली ताकतों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाही की जाएगी।

सरकार को दिनांक 4 अगस्त, 1986 के टाइम्स आफ इन्डिया में "जी.एन.एल. एफ. बिड टू एक्सटर्नलाइज स्टिर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 के अनच्छेद 6 और 7 के अन्तर्गत ही भारत में नेपाली नागरिकों और नेपाल में भारतीय नागरिकों को कुछ पारस्परिक रियायतें प्रदान की गई हैं। उनसे किसी प्रकार भी नेपाली मूल के भारतीय नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

———

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे इस विवरण से अत्यन्त निराशा हुई है। यह न केवल दुर्भाग्य-पूर्ण है बल्कि चिंता का विषय है कि सरकार सबक नहीं ले रही और अलगाव आदि ताकतों को जोरदार शब्दों में राष्ट्र-विरोधी घोषित करके उनकी आलोचना नहीं कर रही हांलांकि विशेष रूप से इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी पूछा गया है।

महोदय, गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने स्वतन्त्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने 15 अगस्त को काले झंडे लहराने का निर्णय किया है। ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने विदेशी राष्ट्रों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से भी सम्पर्क किया है। उन्होंने 1950 से लागू हुई भारत नेपाल संधि का उत्सादन करने के लिए भी कहा है। उन्होंने इस संधि की प्रतियां जला दी हैं और ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि इस संधि, जिसमें एक पक्ष भारत है, ने दार्जीलिंग तथा भारत में अन्य स्थानों पर नेपालियों के भारतीय नागरिक होने के सम्मान को ठेस पहुँचाई है।

महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसका सरकार द्वारा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया जाना चाहिए था। सरकार द्वारा इस प्रकार का अन्तर नही दिया जाना चाहिए था। किन्तु, महोदय, चूंकि यह मामला ऐसा है जो लोगों में आक्रोश उत्पन्न कर रहा है, और आन्दोलन करने वाले ऐसे लोग हैं जो समस्यायें खड़ी करेंगे, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस भ्रम को मिलाने के लिए, कि यह संधि भारतीय नागरिकता वाले नेपालियों को कुप्रभावित करती है, क्या

उपाय किये जा रहे हैं ? सरकार द्वारा इस संधि के विस्तार क्षेत्र के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने और उस क्षेत्र के लोगों को यह बताने के लिए, कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इस सम्पूर्ण समस्या की समीक्षा करने के लिए 6 अगस्त, 1986 को गृह मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच बैठक हुई थी। बैठक के अन्त में यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें समन्वित ढंग से कार्य करेंगी। हम यह स्पष्ट कहते हैं कि इस संधि से नेपाली मूल के भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार कुप्रभावित नहीं होते। यह सही है कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसा प्रचार किया जा रहा है जिससे ऐसे लोग प्रभावित होते हैं। हम स्पष्ट कर रहे हैं इससे भारतीय नागरिक बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। संधि के अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 पारस्परिक आधार पर कुछ अधिकार देते हैं।

मैं माननीय सदन से यही निवेदन करूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार को, जिस पर इस समस्या से निपटने की पहली जिम्मेदारी है, इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव देने चाहिएं और भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार को आश्वासन दिया है कि वे उनके साथ समन्वित ढंग से कार्य करेंगे। इसके लिए ठोस सुझाव देने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार अभी भी इस समस्या को कानून एवं व्यवस्था की समस्या मान रही है। यह स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार इस आन्दोलन को राष्ट्र-विरोधी मानती है या नहीं। उन्होंने इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और वे इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ही मान रहे हैं। इस आन्दोलन के प्रायोजक अपने समर्थकों को हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए भड़का रहे हैं और कहा जाता है कि उनके नेताओं का कहना यह है कि "यदि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रयोग यह आन्दोलन समाप्त कराने के लिए किया जाता है तो हम अपनी खुखरियों से उनके सिर काट देंगे।" यह केवल धमकी ही नहीं। उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा पुलिस कार्मिकों के गले पर हमला किया है। खुखरी से कत्ल किए गए है। उन्होंने भारतीय सेना के गोरखा लोगों तथा भूतपूर्व सैनिकों से अपील की है कि जो लोग सेना में हैं उन्हें त्यागपत्र देकर इस आन्दोलन में शामिल हो जाना चाहिए। यह अत्यंत गम्भीर बात है। इसमें संदेह नहीं है कि कानून तथा व्यवस्था की समस्याओं से निपटा जा रहा है। मुख्य मंत्री यहां आये और उन्होंने इस पर चर्चा की। मुझे विश्वास है कि दोनों सरकारें इस ओर ध्यान देंगी किन्तु सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने से वहां हमस्या को हल करने में सुविधा होगी। इसलिए मैं इस आंदोलन के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा जवानों को दिए गए आह्वान को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार देशको या हमें बतायेगी कि वे ऐसे पृथकतावादी आंदोलन को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि कम से कम सैनिक इस आह्वान से प्रभावित न हों, जिसके लिए वास्तव में कोई आधार नहीं हैं ? हमें ऐसा कोई आधार नहीं मिलता। हम सरकार का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में बोलेंगे ?

श्री पी. चिदम्बरम : हमने पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार से आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ ताल-मेल रखेंगे। 6 अगस्त को एक बैठक हुई थी और आज 13 अगस्त है। यदि पश्चिम बंगाल की सरकार विशेष रूप से अनुरोध करें और विशेष सुझाव दे तो हम उन पर विचार करने को तैयार हैं और तदनुसार मार्च करने को तैयार हैं। उन्होंने हमसे सी. आर. पी. एफ. और बी. एस. एफ. की मांग की थी। हमने उन्हें सी. आर. पी. एफ. और बी. एस. एफ. दे दी हैं। प्राथमिक रूप से यह राज्य की समस्या है···(**व्यवधान**)···

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रही हैं (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : आप अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : आप मुझसे कहना चाहते हैं। अतः मैं आपको उत्तर दूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। उन्हें बोलने दीजिये। प्रधान मत्री को अपनी बात कहने दीजिये। आपका अपना ही रवैया है। वे जो कहना चाहते हैं। वह उन्हें कहना ही है।

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते ? कृपया अब बैठ जाइये। प्रधान मंत्री को अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री राजीव गांधी : मुझे इसे पूरा करने दीजिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके बैठ जायेंगे और उनकी बात सुनेंगे ?

श्री राजीव गांधी : जब मैं कलकत्ता गया था; तब मैंने स्वयं ही मुख्य मंत्री से कहा था। उसके बाद मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री से कहा था। किसी भी समय मुख्य मन्त्रीने यह नहीं कहा कि समस्या हाथ से बाहर हो गई है। इसलिये, मैंने यही अनुमान लगाया कि स्थिति उनके काबू में है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक तरह से बैठकर प्रधान मंत्री की बात क्यों नहीं सुनते।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरूप, कृपया बैठ जाइये। उन्हें कहने दीजिये। प्रधान मंत्री को अपनी बात कहने दीजिये और इसके बाद हम देखेंगे !

श्री राजीव गांधी : हम तब तक राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देते, जब तक कि हम यह नहीं महसूस करते कि।··· ··(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : आपने विशेष घोषणा की थी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : और भी अनुपूरक प्रश्न हैं, जिन्हें पूछा जा सकता है। श्री आचार्य, और भी अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप प्रधान मंत्री को अपनी बात क्यों नहीं कहने देते ? श्री कुरूप, आपके पास पूछने के लिये कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्री सोम नाथ चटर्जी के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। क्या आप बैठ जायेंगे ? ये माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में साम्मिलित नहीं किया जायगा।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं है ? क्या आप बैठ जायेंगे ? आपका हर समय खड़ा रहना उचित बात नहीं है।

श्री राजीव गांधी : मेरे विचार से वे उत्तर नहीं चाहते हैं; क्योंकि उन्हें वास्तविकता का पता है। (**व्यवधान**) मैंने मुख्य मन्त्री से कहा था। उन्होंने मुझसे इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें हमारे प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, श्री दास मुंशी से पूरा सहयोग मिल रहा है। जहां तक इस समस्या से निपटने का संबंध है इससे कांग्रेस की कोई समस्या नहीं है। हम कांग्रेस की ओर से किसी भी राष्ट्र विरोधी आन्दोलन का समर्थन नहीं करेंगे। माननीय सदस्य ने भारत नेपाल संधि के बारे में पूछा है···(**व्यवधान**) क्या आप उत्तर चाहते हैं अथवा वह बड़बड़ाते ही रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : बिना अनुमति के मैं किसी को बोलने देना नहीं चाहता। यह तो सीधी सी बात है।

श्री राजीव गांधी : भारत-नेपाल संधि का मामला उठाया गया है। हमारे विचार से भारत नेपाल संधि से भारतीय नेपालियों की कोई समस्या नहीं है और मेरे विचार से उन्हे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। नेपाली भारतीय नहीं हैं किन्तु वे यहां बस गए हैं और यदि यह संधि रद्द हो गई तो उनको काफी नुकसान होगा क्योंकि उन्हें वापस जाना पड़ेगा। अतः इस संधि से वास्तव में भारत में रह रहे नेपालियों को पर्याप्त सुरक्षा मिलती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस स्पष्ट वक्तव्य के लिए हम प्रधान मंत्री के आभारी है। किन्तु आप इस आन्दोलन की भर्त्सना क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : और किया ही क्या जा सकता है ? श्री तुलसीराम।

(**व्यवधान**)

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आपकी बारी नहीं है। आप उनका समय नहीं ले सकते हैं। आप ऐसी बात क्यों करते हैं, जो नियम के अनुसार नहीं है। सभा को नियमानुसार चलाना पड़ता है न कि आपकी इच्छानुसार।

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री से बात की और किसी और से बात की, लेकिन गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रेन्ट वालों की तरफ से जो कुछ हो रहा है, वह सब जानते हैं और सारा सदन जानता है कि वह बुरा हो रहा है ··(**व्यवधान**)···कौन से देश वाले इसके पीछे हैं और इस मांग को ये विदेशों में ले जाना चाहते हैं, विदेशों की सहायता लेना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।···(**व्यवधान**)···

प्रो. मधुदंडवते : बाहर के लोग हैं या नहीं ?

श्री वी. तुलसी राम : पहली बात गोरखा लोग भारत के नागरिक हैं या नहीं है ? अगर भारत के नागरिक हैं, तो क्यों आज यह डिमांड कर रहे हैं ? अगर नहीं हैं, तो जो भारतवासी नेपाल में बसे हुए हैं, अगर वे लोग कल अपना हक मांगे तो अपनी सरकार का क्या रवैया होगा इसके पीछे क्या कोई बाहरी ताकत है ? यदि है, तो उसमें वे क्या मदद कर रहे है ? यह मैं माननीय महोदय से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदंबरम् : हमने यह बात भली-भांति स्पष्ट कर दी है कि नेपाली भावी भारतीय नागरिक अन्य भातीय नागरिकों के समान ही नागरिक हैं। नेपाली मूल के जिन व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो गये हैं वे भारतीय नागरिक हैं और उन्हें भारतीय नागरिकों के अधिकार पाने का हक है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने अभी बताया था कि इस संधि से नेपाली मूल के भारतीय नागरिक कदापि प्रभावित नहीं होंगे। संधि की धारा 6 और 7 में नेपाल में रह रहे भारतीयों और भारत में रह रहे नेपालियों को पारस्परिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो नेपाली भारत में आकर बहुत वर्षों से यहीं रह रहे हैं किन्तु अभी तक यहां के नागरिक नहीं हो पाए हैं, संधि के रद्द किए जाने से वे बहुत अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए इस संधि से नेपालियों, नेपाली बोलने वाले व्यक्तियों की और नेपाली भारतीय नागरिकों की रक्षा करती है इसके विपरीत जो प्रचार किया है, वह नितांत गलत है।

अब, जहां तक विदेशी सहायता का संबंध है, मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि इस आन्दोलन को कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है अथवा नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : गृह मन्त्री श्री बूटा सिंह द्वारा इसी सभा में दिनांक 28 जुलाई को दिए गए वक्तव्य तथा आज के उत्तर से इस स्थिति की गंभीरता का पता नहीं चलता। दार्जिलिंग में स्थिति केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति नहीं है। भारत और नेपाल के बीच की संधि दो स्वतन्त्र देशों के बीच की संधि थी। वे संयुक्त राष्ट्र संघ गए हैं। वहां उन्होंने विदेश

ने सहायता मांगी है । यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है । यदि उनकी मांग पश्चिम बंगाल राज्य में से राज्य प्राप्त करने की होती तो वे लोग इस हद तक नहीं बढ़ते। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुच न की होती । उनकी मांग एक स्वतंत्र देश के लिए है, हमारे देश से अलग होने की अर्थात् एक स्वतंत्र राज्य की है । इसलिए उनका आन्दोलन राष्ट्र विरोधी है और भारत सरकार ने अभी तक उसकी भर्त्सना नहीं की है तथा गृह मंत्री के वक्तव्य तक में उसकी भर्त्सना नहीं की गई है । उन्होंने यह बताया है कि उनकी मांग भारत संघ के भीतर ही एक पृथक राज्य की है । आज प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि कांग्रेस दल ने इस आन्दोलन को राष्ट्र विरोधी बताकर भर्त्सना की है । किन्तु हमारी मांग यह है कि केन्द्रीय सरकार के प्रधान के रूप में प्रधान मंत्री को इस आन्दोलन की भर्त्सना राष्ट्र विरोधी के रूप में करनी चाहिए। इसलिए हम स्वयं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वह स्वयं इस प्रथकतावादी आन्दोलन को जो जी. एन. एस. एफ द्वारा चलाया जा रहा है एक राष्ट्र विरोधी आन्दोलन एक पृथकतावादी आन्दोलन मानते हैं ।

श्री राजीव गांधी : यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर तो दे चुके हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । उन्होंने कांग्रेस (आई) दल के अध्यक्ष के रूप में उत्तर दिया है न कि केन्द्रीय सरकार के प्रधान और प्रधान मंत्री के रूप में दूसरा—

अध्यक्ष महोदय : दूसरा नहीं । केवल एक प्रश्न । दूसरा प्रश्न कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री राजीव गांधी : मैं उसका उत्तर दे चुका हूं । (व्यवधान)**

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मैं पिछली बार दे चुका हूं । मैं वह अभी अभी कह चुका हूं । मैं नहीं समझता कि मैंने जो कहा था, उसे माननीय सदस्य ने सुना हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : जी हां, मैंने सुना था ।

श्री राजीव गांधी : जी नहीं । आपने नहीं सुना । आप बाद के कार्यवाही वृतांत को पढ़ें ।

श्री वसुदेव आचार्य : आप इसे स्पष्ट कर दें ।

श्री राजीव गांधी : मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता । मैंने यह कहा था कि मैंने मुख्य मन्त्री से बात की थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष से वह जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है और मैं स्वयं भी कह चुका हूं कि भारत सरकार के रूप में अथवा प्रधान मंत्री के रूप में अथवा कांग्रेस दल के रूप में हम सभी

** कार्यवाही वृतात में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

राष्ट्र-विरोधी आन्दोलन की भर्त्सना करते हैं। (व्यवधान) मुझे और बोलने दीजिये। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी बहुत बुरी आदत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में विशेष बात क्या है ? किसी भी राष्ट्र-विरोधी आंदोलन की भर्त्सना की जानी चाहिए।

कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में और अधिक क्या कहा जा सकता है ?

श्री वसुदेव आचार्य : मैं एक स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं जिसमें इस आन्दोलन की भर्त्सना की जाए।

श्री राजीव गांधी : मुझे बात पूरी करने दीजिए। मेरे विचार से एक बात बहुत स्पष्ट चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की है। (व्यवधान) मुझे बात पूरी करने दीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी बड़ी खराब आदत है।

श्री राजीव गांधी : हम जो भी कदम उठायें वह उस सरकार के साथ पूर्ण समन्वय रख-कर उठाना चाहिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : यह राष्ट्र विरोधी आन्दोलन है अथवा नहीं ?

श्री राजीव गांधी : जब मैं कलकत्ता में था, तब मैं मुख्य मन्त्री से मिला था। (व्यवधान) दुर्भाग्यवश, मैं नहीं समझता कि वास्तव में उनकी इसमें रुचि है···(व्यवधान)

मेरे विचार से माननीय सदस्यों की रुचि इस बात में नहीं है कि यह आन्दोलन क्या है और इस स्थिति से निपटने के लिए हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं कलकत्ता में था तब मैं मुख्य मंत्री से मिला था। मैंने उनसे गृह मंत्री से इस विषय पर चर्चा करने को कहा था। दुर्भाग्यवश, मुख्य मंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। दूसरे कार्यों से उन्हें विदेश जाना पड़ा था और वह हाल ही में वापस आए हैं। केवल एक सप्ताह पूर्व, लौटने के बाद 6 अगस्त को वह गृह मंत्री से मिले थे। उसके बाद, उन्होंने उन मदों अथवा चीजों की सूची नहीं दी थी, जो वह हमसे कराना चाहते थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें जिस चीज की भी आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम उन्हें पूरी सहायता देंगे। किन्तु हमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि राष्ट्रपति शासन आरम्भ हो जाने के बाद ही केन्द्र का क्षेत्राधिकार आरम्भ होता है। जब तक पश्चिम बंगाल में लोक प्रिय सरकार है तब तक हम उस बात में उलझना नहीं चाहते। (व्यवधन)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी बोलने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं, केवल श्री दास मुन्शी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या मैं अभी एक बात कह सकता हूं ? यदि माननीय सदस्य वास्तव में इस बात पर जोर देते हैं कि केन्द्र कुछ करे तो संभवत: वे राज्य सभा में अपने सदस्यों से यह कह सकते हैं, कि पश्चिम बंगाल को संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन रखा जाये ।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात हुई है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुन्शी बोल रहे हैं । मैंने उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है ।

श्री राजीव गांधी : श्रीमन्, पश्चिम बंगाल के सत्ता और विपक्ष, सभी संसद सदस्यों के आज के व्यवहार से एकबात स्पष्ट होती है कि उन्हें स्थिति से निपटने में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योग्यता पर कुछ शक है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुन्शी बोल रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मुझे पश्चिम बंगाल सरकार में पूर्ण विश्वास है कि वह स्थिति से निपट सकती है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सहमत नहीं भी हो सकते, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : एक अच्छी बात यह हुई है कि हमारे अनुरोध पर, गृहमन्त्री से मिलने के पश्चात् मुख्य मंत्री **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दास मुन्शी बोल रहे थे उन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी प्रकार व्यवहार करते रहे, तो मैं आपके खिलाफ कुछ सख्त कार्यवाही करूंगा । मुझे कार्यवाही करने के लिए विवश मत कीजिए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद, सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलाई है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही, कार्यवाही है । जबानी कार्यवाही भी हो सकती है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : हमारे अनुरोध पर मुख्य मंत्री ने सर्वदलीय बैठक इस माह की 18 तारीख को बुलाई है ; हालांकि यह बैठक तीन माह पूर्व भी हो सकती थी । मैंने इस बारे में कई बार अनुरोध किया था । मैं माननीम मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस समय इस मामले पर हमें और सी. पी. एम. को झगड़ना नहीं चाहिए । क्योंकि हम सभी देशकी एकता और बंगाल को मजबूत बनाने के प्रश्न पर एकमत हैं । यह किसी दल का मामला नहीं है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है । और हम हर संभव सहयोग दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति-शांति । सभा में शांति रखी जाए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : स्थिति से निपटने के लिए मुख्य मन्त्री को सहयोग देने के लिए हम सब एक हैं । इस तत्य से इन्कार नहीं किया जा जा सकता । मैं, आप, माननीय सदस्यों, से निवेदन करता हूं कि यहां प्रश्न करने और शोर मचाने की बजाय, हमें यह साहस दिखाना चाहिए कि हम पहाड़ पर जाकर वहां लोगों को सम्बोधित करें । 9-10 जुलाई को मैं वहां था । बी. पी. आई. के नेता श्री बिशन दास गुप्त ने मुझे लिखा था । मैं युवा श्री सैफुद्दीन से अनुरोध करता हूं कि वह वहां, पहाड़, पर जाएं । आप वहां पहाड़ पर नहीं जाते ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमन्, मैं उनसे पहले ही वहां गया था ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रथा है कि अगर राज्य सरकार यह समझती है कि कोई एक व्यक्ति, लोगों का ग्रुप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है तो वर्तमान कानून के अनुसार, यह उनका कर्त्तव्य है कि वे उन्हें पहले गिरफ्तार करें और फिर सरकार को सूचित करें । अगर नहीं, तो, अब सरकार किस बहाने इस चरण पर वहां हस्तक्षेप करेगी ? जब तक पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री भारत सरकार को तसल्ली नहीं दे देते, तब तक क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ? (व्यवधान) हम इस विचार के पक्ष में हैं ।

श्री पी. चिदम्बरम : श्रीमन्, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ··· (व्यवधान) श्रीमन्, गृह मन्त्री की पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से हुई मुलाकात के फौरन पश्चात् जारी किये गए वक्तव्य की ओर मैं इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं उद्धृत करता हूं "यह निश्चय किया गया कि देश को कमजोर करने वाली ताकतें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप हमेशा अधीर क्यों रहते हैं ।

श्री पी. चिदम्बरम : "हम स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तालमेल रखेंगे और यह भी फैसला किया गया कि देश की एकता और अखण्डता को कमजोर करने वाली ताकतों से सख्ती से निपटा जायेगा ।

हम इस वादे के समर्थक हैं । इस वक्तव्य में हमारी 'दृढ़ता' बिल्कुल स्पष्ट है और हमारा विश्वास है कि पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार भी इस वादे को पूरी दृढ़ता से निभायेगी और कदम उठायेगी ।

प्रो. मधु दंडवते : श्रीमन्, यह मानते हुए कि इस प्रश्न पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में कोई मतभेद नहीं होना चाहिये, मैं माननीय मंत्री से मात्र यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि गोरखालैंड को पश्चिमी बंगाल के भीतर ही बनाये जाने की मांग है या भारत संघ के बाहर यानि भारत के बाहर या भारत संघ के भीतर। मेरे ख्याल से दोनों ही असंगत हैं। लेकिन मैं यह जानकारी चाहता हूं और इस संदर्भ में मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और बाद में उन्होंने कहा 'जब मैंने मुख्य मंत्री से मुलाकात की तो कोई समस्या ही नहीं थी।' और उन्होंने यह भी कहा 'हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है।' आप इन विरोधाभासों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस सभा में तथ्यों को सही किया जा सके ? (व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम् : श्रीमन्, जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, जी. एन. एल. एफ. की मांग, जैसाकि समाचार पत्रों और जनता में मांग की गई है, भारतीय संघ के भीतर ही गोरखालैंड राज्य की स्थापना करना है।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्पर्क स्थापित क्यों किया ?

श्री पी. चिदम्बरम् : मैंने कहा कि यह मांग जनता और समाचार पत्रों में छप रही है।

श्रीमन्, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मुझे प्रधान मंत्री के कथन में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता।

प्रो. मधु दंडवते : उन्हें परस्पर विरोधी कथनों का पता है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैंने जो कुछ कहा है, उसमें कुछ भी विरोधाभास नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री बोल रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : श्रीमन्, जो कुछ मैंने कहा उसमें कुछ भी विरोधाभास नहीं है। मैंने यह कहा था कि मूल जिम्मेदारी पश्चिमी बंगाल सरकार की है और हम हर तरह से और हर वक्त उन्हें सहायता देने को तैयार हैं। मुख्य मंत्री से कलकत्ता में हुई मुलाकात में मैंने यह कहा था। उसके बाद उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई। हम हर सम्भव तरीके से उनके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि यह पश्चिमी बंगाल सरकार की समस्या है। हम केवल संविधान के अनुच्छेद 249 या राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत ही हस्तक्षेप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, मूल प्रश्न के उत्तर के दौरान गृह मन्त्री ने कहा था कि—कई दफा दोहराया गया था—केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग और मिलकर काम करने को तैयार है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इस आन्दोलन को जिस एक बात से बल मिला है और आन्दोलन के नेता जिस बात का अभी भी लाभ उठा रहे हैं—वह है संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करवाना। सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल सरकार, और न केवल इस राज्य सरकार ने—बल्कि सारी पश्चिमी बंगाल

विधान सभा ने तीन दफा सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है कि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। लेकिन इसे क्यों नहीं माना गया। यह नहीं जानते हैं। वहां नेपाली भाषी गोरखाओं की भावनाओं को भड़काने के लिए इस मुद्दे को प्रयोग किया जा रहा है। मैं उनसे इस बारे में जानना चाहता हूं। अगर वे राज्य सरकार से सहयोग और समन्वय स्थापित करने के इतने ही इच्छुक हैं तो वे इस मांग को क्यों नहीं मान रहे हैं ? और इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इस पर कुछ करें ताकि उन्हें आश्वासन दिया जा सके ?·· ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर भोजपुरी को भी क्यों न शामिल किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप भोजपुरी के लिए मांग कीजिए। मैं इसकी मांग क्यों करूं ?

प्रो. मधु दंडवते : श्रीमती भंडारी ने सभा में इसकी मांग की थी।

श्री पी. चिदंबरम : पहले भी नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर विचार किया गया है।

श्री पी. एम. बनातवाला : यहां तक कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने भी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था।

श्री पी. चिदंबरम : सरकार की यह राय रही है कि आठवीं अनुसूची में और भाषाएं शामिल करने से, कोई ज्यादा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसके विपरीत, सारे देश में इसकी उल्टी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं। आप संविधान में किए गए प्रावधानको देखें। आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने या ना करने से, उस भाषा की तरक्की में कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तब अनुसूची से सभी भाषाएं हटा ही दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं। श्री सैफुद्दीन, आप बहुत गलत कह रहे हैं। जब वे बोल रहे हों, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए और जब आप बोलें, तब उन्हें सुनना चाहिए। कृपया उनके बीच व्यवधान न डालें।

श्री पी. चिदंबरम : आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा का सम्बन्ध मात्र अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से होता है। वास्तव में भाषा की प्रगति, भाषा के प्रयोग और भाषा के विकास या भाषा को सरक्षण आदि के मामले में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसके विपरीत संविधान में ऐसे दूसरे प्रावधान हैं जो उन सभी भाषाओं पर लागू होते जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं या नहीं। नेपाली भी एक ऐसी भाषा है, जिस पर संविधान में अन्य सभी प्रावधान लागू होते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने नेपाली भाषा के विकास और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काफी सहायता दी है और राशि खर्च की है। किसी भाषा के विकास और प्रगति के मामले को उसके आठवीं अनुसूची में शामिल होने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये दोनों अलग-अलग मामले हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : ये सब बातें सुनने के पश्चात, मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा। क्या आप एक संसदीय दल को दार्जिलिंग क्षेत्र भेजेंगे जो वहां जाकर लोगों से बात करें और पता लगाए कि क्या वाकई पश्चिमी बंगाल सरकार उनका दमन कर रही है या नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इससे स्थिति और बिगड़ेगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा में विदेशों से धन प्राप्त करने वाले संगठन

* 388. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विदेशों से धन प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह संगठन किस प्रयोजन के लिए विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संगठन ने कितनी धनराशि प्राप्त की है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में बड़ी संख्या में संगठनों ने विदेशी अभिदान प्राप्त किया है। अत: प्रत्येक संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि के बारे में मांगी गई सूचना अत्यधिक विस्तृत होने के कारण प्रस्तुत करना व्यवहारिक नहीं है। यदि किसी विशेष संगठन के विषय में सूचना अपेक्षित है तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रमों वाली एसोसिएशनें विदेशी अभिदान प्राप्त कर सकती हैं।

प्रदूषण निवारण के लिए उपाय

*389. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** :

डा. टी कल्पना देवी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए उपकरण स्थापित करने हेतु उद्योगों से कोई लेवी वसूल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए उपायों से किस सीमा तक प्रदूषण पर नियन्त्रण हो सका है और इस सम्बन्ध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया गया योगदान और किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

—प्रदूषण उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक और उत्सर्जन सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन मानकों के कार्यान्वयन में राज्य बोर्डों की सहायता के लिए कृत्यक बलों की स्थापना की गई है। केन्द्रीय और राज्य बोर्डों के अनुरोध पर 4054 प्रदूषक उद्योगों (बड़े मझोले) में से, 2076 इकाईयों ने बहिस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना कर ली है;

—जल और वायु गुणवत्ता प्रबोधन के एक तन्त्र की स्थापना की गई है; और

—नदी घाटी-वार अध्ययन किए गए हैं। ऐसे एक अध्ययन के आधार पर गंगा बेसिन में गंगा कार्यकारी योजना आरम्भ की गई है।

रक्षा मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में चोरी और जालसाजी

*396. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय के अनेक विभागों में लापरवाही, चोरी और जालसाजी की घटनाओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप हर वर्ष हानि बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक उक्त कारण से कितनी-कितनी हानि हुई;

(ग) इस हानि को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) इस प्रकार हो रही हानि को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा मन्त्रालय (सचिवालय) में लापरवाही, चोरी और जालसाजी के कारण हानि के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रति व्यक्ति आय

*398. प्रो. रामकृष्ण मोरे : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान और श्री लंका से केवल कम ही नहीं है बल्कि इसकी वार्षिक वृद्धि दर भी इन देशों की वार्षिक वृद्धि दर से काफी कम है हालांकि अनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में, निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तव में कितनी सफलता प्राप्त हुई है और इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) विश्व विकास रिपोर्ट 1986 के अनुसार 1984 में भारत में अमरीका में प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन 260, पाकिस्तान 380, श्री लंका के 368 था। संयुक्त राष्ट्र से अब उपलब्ध तुलनीय राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1980 से 1982 तक तीन वर्षों के दौरान औसतन सकल देशीय उत्पादन की प्रति व्यक्ति संवृद्धि दर भारत में 3.1 प्रतिशत प्रतिवर्ग, पाकिस्तान में 3.2 प्रतिशत और श्री लंका में 3.8 प्रतिशत थी।

आय के स्तरों और संवृद्धि निष्पादन में अन्तर, अनेक उपादानों जैसे अर्थव्यवस्था का आकार और संरचना, प्राकृतिक संसाधन संपन्नता, मौसम पर निर्भरता, संस्थागत विकास, बचत जुटाना और विदेशी सहायता और ऋण पर निर्भरता, आधारित है।

(ग) अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय, सकल देशीय उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

	लक्ष्य	उपलब्धि	के लिए संवृद्धि के लक्ष्य
पहली योजना	2.1	3.6	राष्ट्रीय आय
दूसरी योजना	4.5	4.0	राष्ट्रीय आय
तीसरी योजना	5.6	2.2	राष्ट्रीय आय
चौथी योजना	5.7	3.3	निवल देशीय उत्पादन
पांचवीं योजना	4.4	5.2	सकल देशीय उत्पादन
छठी योजना	5.2	5.3	सकल देशीय उत्पादन
सातवीं योजना	5.0	—	—

30 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले छठी योजना के दौरान प्राप्त प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर 3.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी प्रति व्यक्ति आय में 3.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर प्राप्त करना है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया है जिनसे खाद्यान्न उत्पादन में तेज गति से संवृद्धि रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास के जरिए उत्पादकता में वृद्धि होगी। विकास की वर्तमान स्थिति में, ये तीनों अधिक तात्कालिक उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने और लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के दीर्घाविधि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केन्द्रक हैं।

कृत्रिम वर्षा

*399. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात में कृत्रिम वर्षा करने के लिए कुछ प्रयोग किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयोग करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने जुलाई, 1986 से गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में मेघ बीजन संबंधी प्रयोग किये हैं, परन्तु इसके परिणाम ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय उष्णकटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान एक अनुसंधान परियोजना के रूप में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने सम्बन्धी प्रयोग कर रहा है।

"राजधानी में पत्थर पीसने वाले कारखानों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोक थाम के उपाय"

*400. **श्री पी. एम. सईद :**
श्री अमिताभ बच्चन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में पत्थर पीसने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि इन कारखानों से किस प्रकार का और किस सीमा तक प्रदूषण फैलता है और इसका मानव जीवन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन कारखानों द्वारा जमा की जा रही धूल केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है और यदि नहीं, तो वह इससे कितनी अधिक है।

(घ) क्या पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण इन कारखानों को वहां से हटाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया था; और यदि हां तो कब और इस निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या अब इन कारखानों की वहां से हटाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) लालकुआं, रजोकरी, जौनपुर, किशनगढ़, भाटी खान, आनन्द पर्वत और रंगपुरी में 110 पत्थर पीसने की ईकाइयां हैं।

(ख) इन ईकाइयों से निकलने वाली धूल के स्तर का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि पत्थर पीसने की इकाइयों के आसपास के इलाकों में उच्चस्तर की धूल-सांद्रता है। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कोई क्रम-बद्ध अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, डाक्टरी जांच से तपेदिक, श्वसनी शोथ और अन्य श्वास के रोगी जैसी बिमारियां पाई गई हैं।

(ग) जी, नहीं। अगर उपयुक्त नियंत्रण उपाय लागू न किए जाएं तो अनुज्ञेय सीमा से 20 गुणा से भी अधिक धूल-सांद्रता हो जाती है।

(घ) और (ङ) जनवरी 1986 में सूरज कुण्ड को जाने वाली सड़क के नजदीक पत्थर पीसने वाली ईकाइयों को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है और ईकाइयों को स्थानान्तरित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं

*401. **श्री अमल दत्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के लम्बित प्रस्तावों/परियोजनाओं की मंजूरी के बारे में 1 जुलाई, 1986 को कलकत्ता में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्यों के अनुसरण में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप मंजूर किये गये प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री के कलकत्ता में 1 जुलाई, 1986 को दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में आगे कार्रवाई अगले कुछ महीनों में की जाएगी।

जवानों की भर्ती

*402. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के लिए जवानों की भर्ती के संबंध में विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार को जवानों की भर्ती में कदाचारों के आरोपों की जानकारी है,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जवानों की भर्ती यथा संभव भिन्न-भिन्न वर्गों से की जाये ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (घ) थलसेना के लिए जवानों की भर्ती की सामान्य पद्धति यह है कि 12 भर्ती केन्द्रों एवं 58 शाखा भर्ती केन्द्रों में खुद उपस्थित हुए उम्मीदवारों में से योग्य रंगरुटों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न स्थानों में दौरा करके एवं रेलियां करके भी भर्ती की जाती है। चयन बोर्डों द्वारा रंगरुटों की शारीरिक शैक्षणिक एवं चिकित्सा मानदण्डों की जांच करने के पश्चात उनका चयन किया जाता है।

2. भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों से काफी अधिक होती है। जांच पड़ताल में भी काफी समय लगता है। इसलिए 1.1.1986 को अम्बाला एवं मद्रास के क्षेत्रीय भर्ती केन्द्रों में इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मंगाने की एक नयी पद्धति प्रायोगिक तौर पर आरम्भ की गयी है। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और भर्ती की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक, शारीरिक मानदण्डों, खेलों में उपलब्धि आदि पर आधारित न्यूनतम स्वीकार्य मानदण्डों, के बारे में सलेक्शन बोर्ड निर्णय लेता है। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्वीकार्य मानदण्डों के अनुसार संतोषप्रद पाए जाते हैं उन्हें विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से चयन हेतु आगे जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया जाता है।

3. दोनों पद्धतियों में अब अन्य परीक्षणों से पहले ही आरम्भिक चरण में चिकित्सा परीक्षा की जाती है।

4. भर्ती में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें से कुछ ये हैं :—

(i) अब अफसरों के एक बोर्ड द्वारा भर्ती का पर्यवेक्षण किया जाता है ;

(ii) जहां तक संभव हो भर्ती दौरों के द्वारा की जा रही है ;

(iii) उम्मीदवारों को केवल उन्हीं शाखा भर्ती केन्द्रों में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है जो उनके निवास के जिलों के लिए खोले गए हैं।

(iv) उम्मीदवारों को स्पांसर करने की पद्धति पूर्णतः बंद कर दी गई है ;

(v) उम्मीदवारों को अब पासपोर्ट साइज के फोटुओं की दो प्रतियां लानी होती हैं ताकि भर्ती के विभिन्न चरणों में उनकी पहचान की जा सके ;

(vi) प्रत्येक शाखा भर्ती केन्द्र भर्ती के बारे में पूछताछ का उत्तर देने के लिए एक खुले सम्मेलन के रूप में "पूछताछ दिवस" आयोजित करता है ;

(vii) प्रशिक्षण केन्द्रों में संकटों के आने पर उनकी पहचान करने के साथ-साथ उनके कागजात की जांच की जाती है ताकि यदि कोई बोगस भर्ती हो तो उसका पता लगाया जा सके और ऐसे मामलों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सिविल पुलिस को सौंपा जा सके ।

(viii) भ्रष्टाचार एवं दलाली के मामलों में मुख्यालयों के कमाण्डरों को सलाह दी गयी है कि वे संबंधित राज्यों के सिविल प्रशासन के साथ सम्पर्क करें ।

5. आजादी के बाद सरकार की यह नीति रही है कि थलसेना में भर्ती का आधार व्यापक बनाया जाए और जाति, वंश धर्म या क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना योग्य उम्मीदवारों को चुना जाए ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारखानों द्वारा कम्प्यूटरों का निर्माण

*403 **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से कारखाने कम्प्यूटरों का निर्माण कर रहे हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या कम्प्यूटरों के विकास और निर्माण के संबंध में देश की स्थिति अच्छी है ;

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या कम्प्यूटर के बने बनाए किटों का आयात किया जा रहा है ;

(ङ) क्या सरकार इन किटों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और देश में इनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ; और

(च) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कम्प्यूटरों के उत्पादन में वृद्धि करने के संबंध में अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के नाम तथा उनके वार्षिक उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । कैलेण्डर वर्ष 1985 के दौरान कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर के सहायक उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन लगभग 155 करोड़ रुपये रहा ।

(ख) और (ग) जी, हां । देश में कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने तथा उनका विकास करने का आधार बना लिया गया है । इस आधार को प्रौद्योगिकी के चुनिन्दा आयात के जरिये,

विनिर्माण मूल-संरचनात्मक सुविधाएं तैयार करके, प्रणाली इन्जीनियरी/साफ्टवेयर विकास से संबंधित कार्य कलापों को बढ़ावा देकर, जनशक्ति को प्रशिक्षित करके और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलापों की रफ्तार को तेज करके पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति के तहत लघु (मिनी) सूक्ष्म (माइक्रो) कम्प्यूटरों तथा वैयक्तिक कम्प्यूटरों से संबंधित विनिर्माण के कार्यक्रमों के लिए बने बनाए किटों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। किन्तु, जहां तक विशेषीकृत प्रणालियों का विनिर्माण करने का प्रश्न है, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी· एम. पी.) के प्रथम चरण में कुछ किटों के आयात की अनुमति दी जाती है।

(ङ) जहां तक किटों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न है, यह कार्य उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखित ढंग से किया जाता है। सरकार विनिर्माण प्रक्रिया के लिए नीति को उदार बनाकर और तैयार उत्पादों के आयात पर रोक लगाकर स्वदेशी-उत्पादन को लोकप्रिय बना रही है।

(च) सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में स्वदेश में ही विनिर्माण करने की क्षमता के लिए मंजूरी दी गई है ताकि 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्याशित मांग को पूरा किया जा सके।

विवरण

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के कंप्यूटर विनिर्माणकारी एककों के नाम तथा उनके वार्षिक उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	एकक का नाम	उत्पादन मूल्य
		(लाखों रुपयों में)
1.	एडवांस्ड माइक्रोनिक डेवाइसिस प्रा. लि., बंगलौर	32.50
2.	एलनवुड रोफ एण्ड कंपनी इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली	1,52.14
3.	एलाइड कम्प्यूटर्स, मद्रास	0.46
4.	अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राईसिज लि., बड़ौदा	3,22.19
5.	एपलाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स बम्बई	1.18
6.	अरुण इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., बम्बई	4.42
7.	ओरिलेक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, कोट्टाकुप्पम	1,14.10
8.	सी. एम. एस. कम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड, बम्बई	4.90
9.	केडिट्रोनिक्स प्रा. लि., अहमदाबाद	77.60
10.	कंसोलिडेटिड इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई	2.89

1	2	3
11.	कंसोलिडेटिड प्रोसेस कन्ट्रोल्स प्रा. लि., बंगलौर	1.50
12.	डेटाबाइट इक्विपमेंट प्रा. लि., पुणे	12.00
13.	डी. सी. एम. डेटा प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली	9,55·47
14.	डेसीबेल्स इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., पुणे	37.28
15.	डिजिटल इन्नोवेसन प्रा. लि. बड़ौदा	1,78.63
16.	डिजिटल इन्स्ट, एण्ड कन्ट्रोल्स प्रा. लि. मद्रास	18.65
17.	डिजिटल इन्सट्रूमेंट्स एण्ड सिस्टम्स इण्डिया, कलकत्ता	14.50
18.	ईको कम्प्यूटर प्रा. लि., बंगलौर	88.88
19.	इलेक्ट्रो सिस्टम्स एसोसिएट्स, बंगलौर	12.35
20.	इलेक्ट्रानिक रिसर्च प्रा. लि., बंगलौर	42.66
21.	इलेक्ट्रानिक स्पेसिलिटीस प्रा. लि., अहमदाबाद	3.24
22.	इलेक्ट्रानिक सिस्टम पंजाब लिमिटेड, चण्डीगढ़	4,08.00
23.	इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., हैदराबाद	15,21.83
24.	एम. इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. बंगलौर	1.33
25.	इसेन इलेक्ट्रानिक्स, बंबई	6,81.00
26.	ग्लोबाल इलेक्ट्रनिक्स, हैदराबाद	0.50
27.	हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	17,11.68
28.	आई. के. बिश्लोई, नई दिल्ली	15.55
29.	इमसिकोन (ईस्टर्न) प्रा. लि. कलकत्ता	2.31
30.	इनकोन इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स,पुणे	3.40
31.	इन्डस्ट्रियल एण्ड बिजिनेस मसीन, कलकत्ता	0.60
32.	इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई	57.60
33.	इनफोटोन सिस्टम्स एण्ड सर्विसिस प्रा. लि., बम्बई	33.25
34.	इन्नोवेटिव डिजाइन्स प्रा. लि., मद्रास	30.00
35.	इन्सट्रूमेंट्स रिसर्च एसोसिएट्स, बंगलौर	2.10
36.	इन्टीग्रेटिड डेटा सिस्टम्स, हैदराबाद	96.79
37.	इनटेक इन्जीनियर्स, पुणे	2.80
38.	इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इन्डियन मैन्यु. लि., पुणे	12,72.93
39.	इन्टरनेशनल डेटा मेनेजमेंट प्रा. लि., बम्बई	3,30.90

1	2	3
40.	जयमेक मिडवेस्ट कम्प्यूटर्स प्रा. लि., कलकत्ता	3.50
41.	केलविनेटर्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली	35.15
42.	केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव. कारपोरेशन लि., त्रिवेन्द्रम	1,35.99
43.	की प्लापी, हैदराबाद	17.26
44.	लेक्सन्स इन्जीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., बम्बई	16.00
45.	माइक्रो एडवांस, बंगलौर	5.00
46.	माइक्रोनिक्स कारपोरेशन, हुगली	5.33
47.	माइक्रोसेंस कम्प्यूटर्स लि. सिकन्द्राबाद	65.81
48.	मिनीकोम्प प्रा. लि., बम्बई	2,25.00
49.	एम. एम. सी. डिजिटल सिस्टम्स,	11.18
50.	माड्यूलर सिस्टम्स, कलकत्ता	8.60
51.	मोनोटाइप इन्डिया लि. कलकत्ता	42.00
52.	निसुल डेटा सिस्टम्स प्रा. लि., गुड़गांव	98.26
53.	ओईन माइक्रो सिस्टम्स लि., कोचीन	1,07.40
54.	ओ. एम. सी. कम्प्यूटर्स लि. पट्टनचेरू	1,78.00
55.	ओरबिट इलेक्ट्रानिक्स, बड़ोदा	29.49
56.	पाक सिस्टम्स, बम्बई	45.00
57.	पेसकल कम्प्यूटर प्रा. लि., कलकत्ता	15.15
58.	पी. सी. एस. डेटा प्रोडक्ट्स प्रा. लि., बम्बई	2,38.59
59.	पूना उद्योग, पुणे	0.05
60.	प्रगति कम्प्यूटर्स, पांडिचेरी	61.00
61.	प्रिमियर इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., लखनऊ	11.50
62.	प्रोसेस एण्ड कंट्रोलएलीमेंट्स, बम्बई	3.00
63.	प्रोसेसर सिस्टम्स (इन्डिया) प्रा. लि., बंगलौर	22.77
64.	प्रोकोन इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रा. लि., मद्रास	0.51
65.	प्रोफेसनल इलेक्ट्रानिक्स, मेरठ	4.00
66.	प्रोम्प्ट कम्प्यूटर सर्विसिस प्रा. लि., बम्बई	22.00
67.	पी. एस. आई. डेटा सिस्टम्स प्रा. लि., बंगलौर	6,59.37
68.	पायकाम इन्डस्ट्रीज, बम्बई	25.00
69.	एस. एस. इण्डस्ट्रीज, बम्बई	1.05

1	2	3
70.	सेलेक्ट्रो, अहमदाबाद	4.00
71.	सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड, मोहाली	1,71.70
72.	शिवान कम्प्यूटर्स प्रा. लि., अहमदाबाद	2.90
73.	सिद्धार्थ बकाया, अहमदाबाद	3.50
74.	सीता इलेक्ट्रानिक्स, हैदराबाद	50.00
75.	संवदर्न मेगनेटिक्स प्रा. लि., मद्रास	6.86
76.	श्री सिद्धेश्वरी इलेक्ट्रानिक्स इक्विपमेंट्स, हैदराबाद	2.00
77.	सुजाता डेटा प्रोडक्ट्स प्रा. लि., सिकन्दराबाद	1,90.78
78.	सम इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई	86.91
79.	सुमीत इलेक्ट्रानियस प्रा. लि., अहमदाबाद	47.79
80.	सन-रे कम्प्यूटर्स प्रा. लि., बंगलौर	1,50.00
81.	सुरेन्द्रकुमार, नई दिल्ली	3.15
82.	सुविक इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., गांधी नगर	1.17
83.	स्वादीप इन्स्ट्रूमेंटेशन, बम्बई	5.50
84.	सिस्टेच प्रा. लि., पुणे	0.49
85.	सिस्टम्स इन्जीनियरिंग लेबोरेटरीज, पुणे	1.58
86.	सिस्टेलेक इन्जीनियर्स, बंगलौर	24.00
87.	तमिलनाडु इलेक्ट्रानिक डेवाइसिस प्रा. लि. मद्रास	36.00
88.	टेक्नोलेब इन्नोवेक्स लिमिटेड, मद्रास	0.50
89.	टेकनिक्स (इन्डिया) प्रा. लि., बंगलौर	0.20
90.	टेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., नई दिल्ली	31.66
91.	दी माइक्रो प्रोसेसर मैन्यु. कं. (आई) प्रा. लि., कलकत्ता	6.37
92.	दी नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रानिक्स कं. लि. बम्बई	6,20.95
93.	अल्ट्रा बिजिनेस मशीन्स प्रा, लि., बंगलौर	40.00
94.	अपट्रोन कम्युनिकेशन्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स, लि., लखनऊ	44.60

1	2	3
95.	अपट्रोन डिजिटल सिस्ट्म्स लिमिटेड, लखनऊ	4,35·93
96.	ऊषा माइक्रोप्रोसेस कन्ट्रोल्स लिमिटेड	6,51.55
97.	वी. एक्स. एल. इम्स्ट्रूमेंट्स, बंगलौर	34.63
98.	वेबल बिजिनेस मशीन्स लिमिटेड, कलकत्ता	10.89
99.	वेबल कम्प्यूटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	4.00
100.	वाइपरो इनफोरमेशन टेक्नालोजी लि., बम्बई	11,94.00
101.	जेनीथ इलेक्ट्रो-सिस्टम्स प्रा. लि., बम्बई	3,93.95

"वनों की कटाई"

*404. **श्री एच. एम. पटेल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में और सार्वजनिक रूप से निरन्तर की जा रही एक आलोचना की जानकारी है कि वनों के तेजी से हो रहे ह्रास का मुख्य कारण वन अधिकारियों और वन ठेकेदारों के बीच सांठ-सांठ होना है; और

(ख) यदि हां, तो वन संरक्षण प्रणाली में निहित इस बुराई को दूर करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी : (क) सरकार को इस आलोचना की जानकारी है।

(ख) यह आलोचना कि वन अधिकारियों और वन ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ वनों के कम हो जाने का मुख्य कारण है, सही नहीं है। हमारे वनों के ह्रास का मुख्य कारण जीवीय दबाव है जो कि हमारे वनों की वहनीय क्षमता से अधिक है। विश्व की कुल वन भूमि के मात्र 2% से भारत विश्व जनसंख्या के 15 प्रतिशत और विश्व में पशुओं की कुल संख्या के 13.5% का भरण करता है। मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से देश में वनों का विनाश हुआ है :—

(1) ईंधन की लकड़ी के लिये वृक्षों की कटाई।

(2) वहनीय क्षमता से अधिक चराई और इसके परिणामस्वरूप वनों के पुनर्जनन में बाधा पड़ी है।

(3) वन क्षेत्रों में अतिक्रमण।

(4) झूम खेती।

(5) गैर कानूनी कटाई और इमारती लकड़ी की चोरी।

(6) गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का दिक्परिवर्तन।

(7) आकस्मिक या जानबूझ कर वनों में आग का लगना।

भारत 133 मिलियन मीटरी टन की अनुमानित वार्षिक मांग की तुलना में 49 मिलियन मीटरी टन ईंधन की लकड़ी तथा 700 मिलियन मीटरी टन की मांग की तुलना में 540 मिलियन मीटरी टन हरा चारा पैदा करता है।

औद्योगिक और व्यापारिक लकड़ी का वार्षिक उत्पादन 25 मिलियन घन मीटर की मांग की तुलना में केवल 13.5 मिलियन घन मीटर है।

सन् 1951 में भारत में पशुधन (कुक्कुट के अलावा) 292 मिलियन से अधिक, 1972 में 336 मिलियन से अधिक और 1981 में 400 मिलियन से अधिक था। 1951 से 1981 के बीच वृद्धि की मात्रा 37 प्रतिशत के करीब है।

चराई से होने वाली क्षति का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि चराई से होने वाला अवक्रमण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

"भारत में वन क्षेत्र के अतिक्रमण" पर कृत्यक बल द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 700627 हेक्टेयर वन क्षेत्र अनधिकार प्रवेश हुआ है।

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और सिक्किम राज्यों के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा अभी भी झूम खेती की जाती है 1973 में यह अनुमान लगाया गया था कि 6.22 लाख परिवार देश में 4.33 मिलियन हेक्टेयर भूमि में झूम खेती करते हैं।

कीमती इमारती लकड़ी की गैर-कानूनी कटाई में कुछ संगठित गिरोहबन्दी है जिसके परिणामस्वरूप वन सुरक्षा कर्मचारियों से मुठभेड़ें होती हैं। मुख्यत: वनों के किनारों पर रहने वाले लोगों द्वारा अपने घरेलू उपयोग और साथ-साथ बिक्री के द्वारा जीवन-निर्वाह करने हेतु लट्ठों और ईंधन की लकड़ी को नियमित रूप से हटाया जाता है। वृक्षों की गैर-कानूनी कटाई के द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा के बारे में कोई सुनिश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

जहां कहीं वनों की गैर-कानूनी कटाई में वन कर्मचारियों की सांठ-गांठ का कोई मामला सामने आता है तो राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें, जिनके कि ये कर्मचारी नौकर हैं, गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करती हैं।

लकड़ी एवं चारे की अत्यधिक कमी को सिर्फ व्यापक वनरोपण कार्यक्रम और विद्यमान संघाधनों के संरक्षण से सुधारा जा सकता है। 1951 से 1985 तक लगभग 57 लाख हेक्टेयर भूमि को वनरोपण के अन्तर्गत लाया गया है। ईंधन की लकड़ी और चारे के लिए प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन परती भूमि पर वनरोपण करने के लिए एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को वनों के बेहतर प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सम्मिलित हैं।—

(1) यथासंभव प्राकृतिक वनों की सम्पूर्ण कटाई से बचना।

(2) जहां कहीं सम्पूर्ण कटाई को अपनाना अत्यन्त आवश्यक हो वहां पहाड़ी क्षेत्रों में इसे अधिकतम 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर तक सीमित कर दिया जाना चाहिए।

(3) जब तक पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में नाजुक क्षेत्र अभिज्ञात नहीं कर लिए जाते तब तक कम से कम कुछ वर्षों तक 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर वृक्षों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए।

(4) सुरक्षा क्षेत्रों जैसे वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और जीवमण्डल रिजर्व की वृद्धि।

(5) उपज निर्धारणों में कटौती।

(6) वृक्षारोपण करते समय विदेशी प्रजातियों की तुलना में देशी प्रजातियों को अग्रता मिलनी चाहिए।

केरल और उत्तर-पूर्वी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अलावा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वनों में काम विभागीय स्तर पर होता है और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण वृक्षों की गैर कानूनी कटाई के मामलों में पर्याप्त कमी आई है।

अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

*405. **श्री अजय मुशरान** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने पद आरक्षित रखे गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में सेवावार आरक्षित कोटा के कितने पदों को भरा गया है;

(ग) क्या आरक्षण नीति प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ भी लागू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी समीक्षा की जा रही है अथवा इसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तीन अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक सेवा में, प्रत्येक वर्ष, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कुल रिक्तियों का क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

संघ लोक सेवा आयोग को सूचित की गई रिक्तयों की संख्या तथा वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 में आयोजित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आवंटित अधिकारियों की संख्या तथा उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा में वास्तविक रूप से कार्य-भार ग्रहण किया था, नीचे दी गई है :—

परीक्षा का वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा		भारतीय पुलिस सेवा		भारतीय वन सेवा	
	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति
1982						
(आरक्षित रिक्तियां)	24	11	11	5	18	9
(आवंटित उम्मीदवार)	24	11	11	5	17	8
(उम्मीदवार, जिन्होंने कार्य-भार ग्रहण किया)	24	11	8	4	17	8
1983						
(आरक्षित रिक्तियां)	21	12	14	8	23	11
(आवंटित उम्मीदवार)	21	12	14	8	23	11
(उम्मीदवार, जिन्होंने कार्य-भार ग्रहण किया)	21	12	11	7	23	11
1984						
(आरक्षित रिक्तियां)	24	12	17	9	26	13
(आवंटित उम्मीदवार)	24	12	17	9	26	13
(उम्मीदवार, जिन्होंने कार्य-भार ग्रहण किया)	24	12	13	6	25	10

विशेष ध्यान दीजिये : वर्ष 1985 में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं और नियुक्तियों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सरकारी कार्यालयों के लिये कार्य-दिवस

*406. **श्री के. राममूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) एक वर्ष में सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों तथा शनिवार, रविवार, धार्मिक और प्रतिबंधित छुट्टियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) एक वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य आकस्मिक छुट्टियां अर्जित छुट्टियों चिकित्सीय आधार पर अर्ध-वेतन छुट्टियों और महिला कर्मचारियों के मामले में प्रसूति छुट्टियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कार्य दिवसों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के बारे में कोई अनुदेश हैं ?

शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां । कार्यालय में समय की पाबन्दी और नियमित उपस्थिति की आवश्यकता पर बल देते हुए, समय समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं ।

विवरण

(क) भारत सरकार की छुट्टियां निम्नलिखित हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में एक कलैण्डर वर्ष में 16 छुट्टियां मनाई जाती हैं ।

(ii) इन 16 छुट्टियों में से, 13 छुट्टियां, जिनमें गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस और महात्मा गांधी जन्म दिवस राष्ट्रीय छुट्टियां भी शामिल हैं, तथा निम्नलिखित 10 अवसर सम्पूर्ण भारत के केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से मनाए जाते हैं :—

1. बुद्धपूर्णिमा
2. क्रिसमस डे
3. दिवाली
4. दशहरा (विजयदशमी)
5. गुड फ्राइडे
6. गुरू नानक जन्म दिवस
7. ईद-उल-फितर
8. ईद-उल जुहा

9. महावीर जयन्ती

10. मुहर्रम

(iii) शेष तीन छुट्टियां निम्नलिखित त्यौहार के अवसरों में से वर्षानुवर्ष के आधार पर चुनी जा सकती हैं :—

1. दशहरा के लिए एक अतिरिक्त दिवस
2. होली
3. जन्माष्टमी
4. राम नवमी
5. महा शिवरात्रि
6. गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी
7. मकर संक्राति
8. रथ यात्रा
9. ओणम
10. पोगल
11. श्री पंचमी/बसंत पंचमी
12. विशु/वैशाखी

उपर्युक्त तीन छुट्टियां (उपर्युक्त) iii (देखिए) दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित कार्यालयों के मामले में इस विभाग द्वारा चुनी जाती हैं और दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के मामले में इनका चयन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा अथवा जहां पर इस प्रकार की समितियां विद्यमान नहीं हैं, वहां कार्यालय के प्रधान द्वारा किया जाता है।

16 राजपत्रित छुट्टियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को विशिष्ट अवसरों की सूची में से दो वैकल्पिक छुट्टी लेने की भी अनुमति है।

केन्द्रीय सरकारी संगठनों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यक, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी एक वर्ष में 16 छुट्टियां मनाते हैं जिनमें से तीन राष्ट्रीय छुट्टियों तथा अन्य 13 अवसरों का निर्णय ऐसे प्रतिष्ठान संगठन द्वारा वर्षानुवर्ष के आधार पर किया जाता है। (औद्योगिक प्रतिष्ठान जहां पर कर्मचारी 1960 से पहले 23 सार्वजनिक छुट्टियां मनाया करते थे, उनको भी 2 वैकल्पिक छुट्टियां लेने की अनुमति है।)

3 जून, 1985 से सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में 5 द्विसीय सप्ताह की योजना लागू होने से, ये कार्यालय अब सोमवार से शुक्रवार तक कार्य करते हैं, जिनमें सभी शनिवारों और रविवारों को छुट्टियां होती हैं, जबकि प्रत्येक वर्ष में 52 शनिवार तथा रविवार होते हैं।

(ख) आकस्मिक छुट्टी—एक कलैण्डर वर्ष में आमतौर पर 12 दिनों की होती है। गैर-आद्योगिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को निम्न प्रकार से छुट्टी की हकदारी है :

अर्जित छुट्टी—एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिनों की होती है। प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को छुट्टी के खाते में 15 दिनों के अर्जित अवकाश को अग्रिम रूप से जमा किया जाता है। अधिक से अधिक 180 दिनों के अर्जित अवकाश को संचित करने की अनुमति है।

अर्द्ध वेतन छुट्टी—एक कलैण्डर वर्ष में 20 दिनों की होती है। प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को छुट्टी खाते में 10 दिनों का अर्द्ध वेतन अवकाश अग्रिम रूप से जमा किया जाता है। अर्द्ध-वेतन अवकाश को चिकित्सीय आधार पर परिणत करने की अनुमति है, बशर्ते कि डाक्टरी प्रमाण पत्र पेश किया जाए। अर्द्ध वेतन छुट्टी को संचित करने की कोई सीमा निश्चित नहीं है।

प्रसूति छुट्टी—बच्चे के जन्म पर प्रत्येक अवसर पर छुट्टी आरम्भ होने की तारीख से 90 दिनों की छुट्टी की अनुमति है। गर्भपात होने/गर्भपात कराने के प्रत्येक अवसर पर 42 दिनों की छुट्टी अनुज्ञेय होती है।

वायुसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय

*407. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय को त्रिवेन्द्रम से स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वायुसेना की दक्षिणी कमान के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के पास की भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) त्रिवेन्द्रम के सिविल हवाई अड्डे के पास भारतीय वायु सेना की यूनिट को स्थापित न करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार द्वारा सप्लायरों को भुगतान में असाधारण विलम्ब

3921. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सप्लाईकर्त्ताओं ने उनके बिलों के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के कारण, सुपर बाजार को अपने उत्पादों को सप्लाई करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने सप्लाईकर्त्ता हैं उनके लम्बित बिलों की धनराशि कितनी है और इन सप्लाईकर्त्ताओं को भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) से (ग) सुपर बाजार ने इस बात से इन्कार किया है कि बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण आपूर्तिकर्त्ताओं ने सुपर बाजार को अपने उत्पादों की सप्लाई करना बन्द कर दिया है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ किए गये करारों की शर्तों के अनुसार उन्हें भुगतान करने हेतु सभी प्रयास करते हैं। तथापि आपूर्तिकर्त्ताओं की संख्या बहुत अधिक होने तथा प्रतिमाह 5 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किये जाने के कारण कभी-कभी कुछ मामलों में कुछ देरी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तथापि, सुपर बाजार ने अपनी कार्यकारी पूंजी में वृद्धि लाने हेतु कदम उठाये है, क्योंकि सुपर बाजार की कुल बिक्री जो 1984-85 में 45.52 करोड़ रुपये थी, 1985-86 में बढ़कर 66.30 करोड़ रुपये हो गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केन्द्रों की स्थापना

3922. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुलिस कर्मियों की संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि को देखते हुए, सरकार का विचार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के और ग्रुप केन्द्रों की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और वे कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक और ग्रुप केन्द्र की स्थापना करने का है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के और अधिक ग्रुप केन्द्र स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं किया है। जब नए ग्रुप केन्द्रों की स्वीकृति दी जाएगी तो उनके संचालनात्मक, प्रशासनिक और अन्य सम्बन्धित पहलुओं को उचित रूप से ध्यान में रख कर उनको स्थापित करने के स्थानों का निर्णय किया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अन्य ग्रुप केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कार्यान्वयन के लिए लम्बित पड़े हुये मध्यस्थता निर्णय

3923. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय में कार्यान्वयन के लिए लंबित पड़े हुए मध्यस्थता निर्णयों की संख्या कितनी है;

(ख) निर्णय को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे. सी. एम.) की योजना के अन्तर्गत लिए गए दो निर्णय कार्यान्वयन के लिए बकाया पड़े हैं।

(ख) और (ग) इन निर्णयों के प्रभावों की जांच करने में कुछ समय लगा है। अब मामले पर अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है।

खण्डसारी भण्डार

3924. **श्री के. वी. शंकर गौड़ा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खण्डसारी एककों से 3 जून, 1986 तक यह बताने के निदेश दिए कि 31 मई, 1986 को उनके पास कितना भंडार था;

(ख) यदि हां, तो क्या खण्डसारी उत्पादकों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि जून से सितम्बर तक प्रत्येक महीने में बेची गई और भेजी गई मात्राएं इन महीनों में आरम्भिक भंडार के 20 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निदेश जारी करने के क्या प्रमुख कारण हैं;

(घ) ये निदेश खण्डसारी के मूल्य उपयुक्त स्तर पर स्थिर रखने में कहां तक सहायक रहे हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों से भी इन आदेशों को प्रभावी रूप में लागू करने के लिए कहा गया है;

(च) ऐसी कितनी राज्य सरकारों ने इन आदेशों को कार्यान्वित किया ?

(छ) क्या इन निदेशों के बावजूद खण्डसारी के मूल्य बढ़ा दिए गये; और

(ज) यदि हां, तो इन निदेशों को क्रियान्वित न करने वाले खण्डसारी एककों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इन निदेशों का उद्देश्य बाजार में खण्डसारी के स्टाक की नियमित आमद को और इस वस्तु के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखना सुनिश्चित करना था।

(घ) इन निदेशों का खण्डसारी के मूल्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था, जो कि प्रमुख

मण्डियों में मई, 1986 के अन्त को चल रहे मूल्यों की तुलना में जून और जुलाई, 1986 के महीनों के दौरान मामूली कम चल रहे हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार नौ खण्डसारी उत्पादक राज्यों द्वारा इन आदेशों को कार्यान्वित कर दिया गया बताया जाता है।

(छ) जी, नहीं। जैसा कि भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है, मूल्यों में मामूली कमी आई है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय नौ सेना के भगोड़े नाविक

3925. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**
श्री शांताराम नायक :
श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :
श्री शनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के कुछ नौसैनिक अमरीका में उस समय नौसेना छोड़कर भाग गए थे, जब आई. एन. एस. गोदावरी "स्टेच्यू आफ लिबर्टी" के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका गया था;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होना सुनिश्चित करने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय नौसेना पोत गोदावरी के कमांडिंग अफसर ने रिपोर्ट की है कि 7 जुलाई, 1986 को जब यह पोत न्यूयार्क रवाना हुआ तो भारतीय नौसेना के निम्नलिखित 4 नाविकों ने वापस रिपोर्ट नहीं की :

(1) सुरेन्द्र पाल जोशी,

(2) सरवन सिंह,

(3) अमर चन्द,

(4) सूरत राम,

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं। नौसेना

मुख्यालय ने विद्यमान उपायों को सख्ती से लागू कर दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न होने पायें।

केरल में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के खातों की जांच

3926. **श्री सुरेश कुरूप**। क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के खातों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के खातों का जहां आवश्यक समझा जाता है, निरीक्षण किया जाता है।

मेन फ्रेम कम्प्यूटर का निर्माण करने का प्रस्ताव

3927. **श्री आर. एम. भोये** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अत्याधुनिक "मेन फ्रेम कम्प्यूटर" का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विदेशों से भी कोई सहयोग मांगा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका का सहयोग मांगा गया है। उनके अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

20-सूत्री कार्यक्रम पर निगरानी

3928. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय 20-सूत्री कार्यक्रम की प्रगतिशील उपलब्धियों पर निगरानी रखने हेतु प्रत्येक राज्य से मासिक रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में प्रत्येक 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में उपलब्धियों के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में उपलब्धियां सराहनीय हैं और किन-किन क्षेत्रों में अभी प्रगति की जानी है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 1986-87 की प्रथम तिमाही के दौरान मासिक प्रगति रिपोर्ट में दी गई मदों के सम्बन्ध में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

(ग) प्रथम तिमाही में राज्य सरकार की उपलब्धि "बहुत अच्छी" है अर्थात् निम्न-लिखित मदों के अन्तर्गत तिमाही लक्ष्य का 90 प्रतिशत और उससे अधिक रहा—फालतू जमीन का वितरण, अनुसूचित जनजाति परिवार, गंदी बस्ती का सुधार, ग्रामीण जलपूर्ति, निर्माण सहायता, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को मकान, बिजली दिए गए पम्प सैट और स.बा.वि. से. खण्ड। बाकी मदों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धि के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में 1986-87 की प्रथम तिमाही (अप्रैल, जून 1986) में 20-सूत्री कार्यक्रम का निष्पादन

सूत्र	मद	एकक	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत मात्रा
3 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पुराना और नया)	संख्या	22575	18283	81
3 ख	रा.ग्रा.रो.का. (एक हजार श्रम दिवस)		3435	1820	53
3 ग	ग्रा. भू.रो.गा.का. (एक हजार श्रम दिवस)		3450	2917	85
4	फालतू जमीन	एकड़	900	2536	282
6	बन्धुआ मजदूर	संख्या	9	शून्य	—
7 क	अनुसूचित जाति कल्याण	संख्या	13481	4773	35
7 ख	अनुसूचित जनजाति कल्याण	संख्या	11250	11893	106
8	पेय जल	गांव की स.	825	3677	446
9 क	गृह स्थल	संख्या	3780	2215	59
9 ख	निर्माण सहायता	संख्या	3780	5443	144
10 क	गंदी बस्तियों की जनसंख्या	संख्या	61530	63637	103
10 ख	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए मकान	संख्या	1680	2145	128

1	2	3	4	5	6
11 क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	45	30	67
11 ख	विद्युत चालित पैम्प सैट	संख्या	7200	13894	193
12 क	वृक्षारोपण	संख्या (लाख में)	120	72.6	61
12 ख	वायोगैस संयंत्र	संख्या	6000	4252	71
13.	नसबन्दी	संख्या	85500	48926	57
15.	स. बा. वि. से खंड	संख्या	2	9	450
17.	उचित दर दुकान खोली गई	संख्या	—	55	—
18 ख	लघु पंजीकृत लघु एकक	संख्या	—	764	—

''यमुना में प्रदूषण''

3929. **डा. ए. के. पटेल :**
श्री सी. जंगा रेड्डी

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी में प्रदूषण के विभिन स्रोतों के कारण दिल्ली, वृन्दावन, मथुरा, आगरा और प्रयागराज में यमुना में कितना प्रदूषण व्याप्त है;

(ख) क्या यमुना का जल उपरोक्त स्थानों पर पीने योग्य सुरक्षित है;

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रत्येक स्थान पर क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। और

(घ) प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब तक क्या उठाए गए हैं और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य स्रोत असंसाधिक घरेलू मलजल, पशुपालन से सम्बद्ध गतिविधियां तथा उद्योगों से निस्सारित बहिस्राव हैं। यमुना नदी के जल में इन स्रोतों से होने वाले प्रदूषण भार को संलग्न विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) उक्त स्थान पर यमुना नदी के जल की गुणवत्ता निर्निष्ट सर्वोत्तम उपयोग से दो स्तर नीचे है।

(ग) और (घ) यमुना नदी में प्रदूषण निवारण के लिए उठाए गए कदमों में निम्न-लिखित शामिल हैं :

— मौजूदा मलजल उपचार संयंत्रों की क्षमताओं में वृद्धि करना;
— मौजूदा मलजल उपचार संयंत्रों और पम्पिंग स्टेशनों का नवीकरण; और
— कूड़ा-करकट के पानी को नदी में गिरने से रोकने हेतु ब्रांच सीवर्स तथा दिक्परिवर्तन की पद्धतियां स्थापित करना।

1977 की तुलना में केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में नदी के प्रदूषण भार में 35 प्रतिशत की कमी आई है। यह नजफगढ़ नाले से मलजल के दिक्परिवर्तन और उत्सर्जन से पूर्व इसके उपचार के कारण हुआ है।

विवरण

यमुना नदी में प्रदूषण भार

फैलाव	लम्बाई कि. मी.	कुल बी.ओ.डी. अंशदान कि. ग्रा./दिन					
		शहरी कचरा	औद्योगिक	पशु		ग्रामीण	कुल
				बेडिंग	अन्य	आबादी	
1	2	3	4	5	6	7	8
ताजे वाला ऊपरी बहाव	200	—	—	600	6,000	4500	11,100
ताजे वाला से वजीराबाद	250	70,000	90,800	24,000	48,000	63000	295,800
वजीराबाद से ओखला	25	229,300	7,500	1,225	2,250	6000	246,175
ओखला से इटावा	375	87,200	5,800	57,750	115,500	144000	409,250
इटावा से इलाहाबाद	550	22,700	—	4,300	43,000	69,000	139,000

गैर-निवासी भारतीयों द्वारा निवेश

3930. **श्री एच.बी. पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक उपक्रमों निवेश को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या रियायतें दी गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्न सुरक्षा अभियान के लिए धनराशि

3931. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सामान्यत: अन्न बचाओ अभियान से सबंधित कार्यक्रम और विशेष रूप से भन्डारण तथा कीटनाशकों से सम्बन्ध रखने वाले कार्यक्रमों के लिए जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पजाब और हरियाणा के उत्तर पश्चिम राज्यों को कोई धनराशि उपलब्ध कराई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन चार राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए इस अवधि के दौरान इन कार्यों हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देशियों तथा कार्यक्रमों के लिए उचित रूप से किया गया जिनके लिए उन्हें विशेष रूप से आबंटित किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की प्रत्येक वर्ष के इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संक्षिप्त रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या किसी राज्य द्वारा निधियों को किसी अन्य कार्य में प्रयोग किए जाने के बारे में पता लगाया गया है और इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

रंगीन टेलीविजन सेटों के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग :

3932. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगीन टेलीविजन सेटों के विनिर्माण के लिए भारतीय फर्मों के साथ कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सहयोग करने की अनुमति दी गई है, उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या इस प्रकार के सहयोग इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के हित में हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) और (ख) रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति साधारणतया नहीं दी जाती है लेकिन हां, प्रत्येक मामले के विशिष्ट गुण-दोष के आधार पर इसकी अनुमति दी भी जाती है लेकिन उत्पादन लाइन को निरन्तर अद्यतन बनाए रखने के लिए आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास के द्वारा पूर्ण सहायता देनी पड़ेगी। रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए अब तक किसी भी कम्पनी को विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

जहां तक विदेशी सहभागिता का सम्बन्ध है, सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस तथा प्रौद्योगिकी नीति की समीक्षा की है। दिनांक 1 जनवरी, 1986 से विदेशी साम्यापूंजी वाली ऐसी कम्पनियों को इस उद्योग में भाग लेने की अनुमति दी जाती है जिनके पास 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्यापूंजी नहीं है। किन्तु इन कम्पनियों को, उनकी यूनिट के द्वारा उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से पांच वर्ष तक अपने उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत भाग की आपूर्ति किट के रूप में लघु उद्योग की यूनिटों को करनी होगी। श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण तथा उनकी बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड नाम की अनुमति नहीं दी जाती है। दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए अब तक निम्नलिखित छः विदेशी साम्यापूंजी वाली कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंसस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं, जिनकी विदेशी साम्यापूंजी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है

1. मेसर्स नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लि., बम्बई।
2. मेसर्स तोशिबा आन्नद बैटरीज, कोचिन।
3. मेसर्स लखन पाल प्रा. लि. नई दिल्ली।
4. मेसर्स अप्ट्रान इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसिज लि. साहिबाबाद।
5. मेसर्स अल्यूमीनियम इण्डस्ट्रीज लि., मद्रास।
6. मेसर्स पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि., बम्बई।

अन्तरिक्ष यानों को छोड़ने के लिए बड़े केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव

3933. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्तरिक्ष यानों को छोड़ने के लिए बड़े केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है; और

(ग) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल (क) से (ग) 1971 में छोड़े गये प्रथम परिज्ञापी राकेट की उड़ान के साथ ही भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्री हरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राकेट प्रमोचन रेंज की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। एस. एल. वी. 3 द्वारा रोहिणी उपग्रह के प्रमोचन से जुलाई 1980 में इस रेंज से उपग्रह की प्रथम सफल उड़ान हुई थी। 1980-90 दशाब्द के लिए अन्तरिक्ष अनुसधान और विकास सम्बन्धी क्रिया-कलापों की स्वीकृत सापेक्ष महत्व की योजना में अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से, आवश्यकता नुसार, नयी उपग्रह प्रमोचन रेंज की स्थापना करना शामिल है। अतिरिक्त उपग्रह प्रमोचन रेंज और इसकी कतनीनी विशेषताओं की स्थापना के सबध मे अध्ययन किये जा रहे हैं।

"अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन क्षेत्र पर अनधिकृत रूप से कब्जा

3934. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी विभागों और लोगों द्वारा वन क्षेत्रों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकारी विभागों और गैर-सरकारी विभागों द्वारा अलग-अलग कितने वन क्षेत्र पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है ; और

(ग) अनधिकृत कब्जे कब से किए जा रहे हैं और अब तक कितने वन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी (क) से (ग) केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार 2847.37 हेक्टेयर वन भूमि पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है। यह अनधिकृत रूप से कब्जा 485.76 हेक्टेयर आरक्षित वनों में और 2361.61 हेक्टेयर रक्षित वनों में है, 2824.57 हेक्टेयर वन भूमि पर अक्तूबर 1980 से पहले और 22.80 हेक्टेयर पर अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया था।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को प्रौद्योगिकी उत्पादों की सप्लाई में सहयोग

3935. **श्री एन. डेनिस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों का विवरण और उन देशों के नाम क्या हैं, जो भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को प्रौद्योगिकी/उत्पादों की सप्लाई में सहयोग देते रहे हैं अथवा प्रौद्योगिकी/उत्पाद प्रदान करने की स्थिति में हैं; और

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान सगठन द्वारा अपनी आवश्यकता के विभिन्न उत्पादों को अपने देश में ही तैयार करने के लिए इस समय आरम्भ किए गए स्वदेशीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 1974 में फ्रेंच फर्म सोसाइटी यूरोपियन डी. प्रोपल्शन (एस. ई. पी·) से अर्जित उच्च दबाव वाले द्रव राकेट इन्जिनों के डिजाइन, विकास और जांच की जानकारी का ही केवल ऐसा क्षेत्र है, जिसमें मुख्य प्रौद्योगिकी तकनीक प्राप्त की गई थी ।

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी. एस. एल. वी.) के द्वितीय चरण के लिए एल्यूमिनियम एलाय की प्रणोदक टंकियों के निर्माण और सप्लाई के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.) को ठेका प्रदान किया गया है। एच. ए. एल. एक फ्रेंच फर्म ला एमर सिक्विड से इस प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को सप्लाई किए जा रहे उत्पादों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(1) अन्तरिक्ष-अर्हता प्राप्त इलेक्ट्रानिकी उपकरण;

(2) विशिष्ट रसायन एवं द्रव्य;

(3) विशेष टूलिंग;

(4) संविरचन एवं जांच के लिए अत्यन्त परिशुद्ध उपस्कर;

(5) परिष्कृत कम्प्यूटर प्रणालियां और कुछ विशेष उपयोग वाले सोफ्टवेयर ।

प्रमुख सप्लायरों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

मद	सप्लाई का स्त्रोत
1. निकल-कैडमियम बैटरियां	: एस. ए· एफ. टी., फ्रांस
2. सौर सेल	: ए· ई. जी. टेलीफंकन, एफ. आर· जी.
3. लिस कैमरो के लिए लेंस	: मेतरा, फ्रांस

1	2
4. उच्च घनत्व वाले अंकीय टेप रिकार्डर	: हरिवेल, संयुक्त राज्य अमरीका
5. टी. डब्ल्यू टी. ए.	: सी. एच. एस. थोमसन, फ्रांस
6. सी. सी. डी.	: फेयरचाइल्ड, यू. एस. ए.
7 कंप्युटर	: डी. ई. सी., यू. एस. ए.
8. कन्टूर नौजलें	: मैसर्स वाल्वो, स्वीडन
9. ऊर्ध्वाधर मिश्रक	: मैसर्स डे मिक्सिंग कम्पनी, यू. एस. ए.
10. ऊर्ध्वाधर बोरिंग और टर्निंग मिल	: मैसर्स मित्सुई एण्ड के., जापान
11. 15 एम. ई. वी. रैखिक त्वरित्र	: मैसर्स रेडिएशन डायनामिक्स, यू. के.

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू भारतीय औद्योगिक अवसंरचनात्मक क्षमताओं और विशेषज्ञताओं के विकास मे सहायता करना है। प्रारंभ से ही, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम ने आत्म-निर्भरता पर बल प्रदान किया है और प्रमोचक राकेटों, उपग्रहों तथा उपयोग/वैज्ञानिक पीतभारों के डिजाइन, विकास और निर्माण में अधिकतम स्वदेशीकरण की दिशा की ओर प्रयास जारी है। फिर भी, चूंकि अन्तिम उपस्कर अथवा पदार्थ तक ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता है, अतः प्रमुख क्रियाकलापों को प्रारंभ करने से पहले स्वदेशी आयात विकल्पों के सम्बन्ध में कड़ी समीक्षा की जाती है।

भारतीय उद्योग, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के जिन प्रमुख क्षेत्रों में पहले से संलग्न है, वे इस प्रकार हैं (क) द्रव्यों और उपस्करों की सप्लाई; (ख) इसरो द्वारा विकसित उत्पादों की प्रौद्योगिकी अन्तरण का उपयोग; (ग) तकनीकी परामर्श सेवा और (घ) विशिष्ट अनुसंधान तथा विकास और सविरचन ठेकों सहित प्रौद्योगिकीय उपयोग।

प्रायोजित अनुसंधान (रेस्पोण्ड) कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों में प्रौद्योगिकी और उपयोग संबंधी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए भी निधि प्रदान की जाती है। उपग्रह के क्षेत्र में, इस समय विकासाधीन जटिल उपग्रहों के लिए भी अनेक उप-प्रणालियां पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसी प्रकार से. भू-प्रणालियों जैसे एन्टेना, प्रदर्श और कई इलेक्ट्रानिकी उपस्करों के लिए अधिकतम स्वदेशीकरण पहले से ही विद्यमान हैं। प्रमोचक राकेट के क्षेत्रों में भी प्रणोदकों, रसायनों और पदार्थों, जिन्हें इसरो/स्वदेशी जानकारी के आधार पर भारतीय स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता है, के क्षेत्रों में अधिकतम स्वदेशीकरण प्राप्त कर लिया गया है। कुछ क्रान्तिक पदार्थों जैसे बेरीलियम, मैरेजिंग स्टील इत्यादि को देश में विकसित करने के भी प्रयास किये गए हैं। इलेक्ट्रानिकी उपस्करों के स्वदेशीकरण के लिए प्रमुख कार्यक्रम विद्यमान है, जिसमें भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन अन्तरिक्ष-गुण वाले इलेक्ट्रानिकी उपस्करों के स्वदेशीकरण के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रमुख औद्योगिक यूनिटों के साथ सहयोग करता है।

"पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम लागू करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना"

3936. डा. बी. एल. शैलेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वातावरण को और अधिक दूषित होने से बचाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को सख्ती से लागू करने हेतु कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) पर्यावरण संबंधी मानकों का विकास करने, उन पर निगरानी रखने तथा उन्हें लागू करने के क्षेत्र में प्राधिकरण को क्या कार्य सौंपे गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की किस्म के स्तर निर्धारित किए जाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

उड़ीसा सुदूर संवेदन प्रयोग केन्द्र को सहायता

3937. श्री हरिहर सोरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा सुदूर संवेदन प्रयोग केन्द्र को कितनी सहायता दी गई;

(ख) उड़ीसा सुदूर संवेदन प्रयोग केन्द्र द्वारा भूमि और जल सर्वेक्षण से संबंधित कितनी परियोजनायें चुनी गई हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सुदूर संवेदन प्रयोग केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र के सहयोग से कोई परियोजना आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और आन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र के लिए 75.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1986-87 वर्ष के लिए 15.00 लाख रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। कुछ केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों ने कुछ सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र को लगभग 12.00 लाख रुपये की निधि प्रदान की है।

(ख) उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र ने भूमि और जल सर्वेक्षणों से संबंधित 22 परियोजनाओं का चयन किया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (ओर्साक) ने अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदाबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन. आर. एस. ए.), हैदराबाद के सहयोग से

भारतीय सुदूर संवेदन उपयोग कार्यक्रम (आई. आर. एस. उ. का) के अन्तर्गत पहले ही 3 परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं। ये निम्न प्रकार हैं :

1. अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद के साथ फसल उत्पादन संबंधी भविस्यवाणी।

2. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन. आर. एस. ए·) हैदराबाद के साथ क्षेत्रीय भूविज्ञानीय मानचित्रण।

3· एन. आर. एस. ए. हैदराबाद के साथ मृदा मानचित्रण।

कुटीर और मध्यम उद्योगों की स्थापना की योजना

3938. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक कुटीर तथा मध्यम उद्योग स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य के लिये प्रस्तावित परिव्यय क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) से (ग) कुटीर व लघु उद्योग तथा मझौले उद्योग उद्यमियों द्वारा सामान्यत: निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाते हैं। इन उद्योगों के लिए योजना कार्यक्रम अधिकांशत: प्रोत्साहित प्रकृति के होते हैं।

उद्योगों को शहरी आबादी से दूर लगाने के लिये, केन्द्रीय पूंजी सहायता, रियायती वित्त सहायता, परिवहन सहायता, कच्चे माल की पूर्ति, आसान शर्तों पर उपस्करों व औजारों की व्यवस्था जैसी स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सातवीं योजना के दौरान, राजस्व संबंधी प्रणाली का औचित्यपूर्ण स्थापना आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का संवर्धन, आधुनिक प्रबंध तकनीकों को अपनाना और उचित प्रौद्योगिकी के विकास व प्रसार सहित विभिन्न नीति प्रयत्नों की परिकल्पना की गई है। उद्योगों की नीतियों व कार्यक्रम के ब्यौरे सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के खंड-2 के अध्याय 4 व 7 में दिए गये हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों तथा खनिज क्षेत्रकों में राज्यवार सातवीं योजना परिव्यय, जिसमें बड़े, मझौले और ग्रामीण व लघु उद्योग शामिल हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

सातवीं योजना 1985-90 के लिए राज्य-वार आवंटन

(करोड़ रु. में)

राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	उद्योग व खनिज
1	2
(क) राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	312.90
2. असम	103.10
3. बिहार	216.60
4. गुजरात	259.67
5. हरियाणा	56.55
6. हिमाचल प्रदेश	26.57
7. जम्मू व कश्मीर	72.75
8. कर्नाटक	247.00
9. केरल	208.00
10. मध्य प्रदेश	165.04
11. महाराष्ट्र	365.00
12. मणिपुर	24.30
13. मेघालय	19.35
14. नागालैंड	28.20
15. उड़ीसा	140.35
16. पंजाब	123.31
17. राजस्थान	190.69
18. सिक्किम	8.72
19. तमिलनाडु	285.00
20. त्रिपुरा	16.25
21. उत्तर प्रदेश	600.53
22. पश्चिम बंगाल	316.00
जोड़—(क) राज्य	3785.88

1	2
(ख) संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.06
2. अरुणाचल	9.75
3. चंड़ीगढ़	2.27
4. दादरा व नगर हवेली	1·49
5. गोवा, दमन व द्वीव	15.60
6. दिल्ली	63.60
7. लक्षद्वीप	1.52
8. मिजोरम	13.35
9. पांडिचेरी	12.34
जोड़—(ख) संघ राज्य क्षेत्र	121.98
कुल जोड़ (क+ख)	3907.86

स्रोत : सातवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज
(खंड-1, पृष्ठ 30 अंग्रेजी)

"स्वच्छ" गाजिल ऊर्जा (काइनेटिक) और अन्य "रे वेपन्स" का उत्पादन

3939. **श्री विनेश सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "स्वच्छ" गरिलिज ऊर्जा (काइनेटिक) और निर्माण किए जा रहे अन्य "रे वेपन्स" के नये उत्पादन के बारे में जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार उनके बारे में कोई अध्ययन/अनुसंधान करा रही है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नई पीढ़ी के गतिज ऊर्जा (काइनेटिक) किस्म के युद्धोपकरणों का पहले ही विकास किया जा चुका है और उसका अब उत्पादन किया जा रहा है। "रे" शस्त्र के लिए प्रारम्भिक सैद्धान्तिक अध्ययन किए गए हैं ताकि ऐसे युद्धोपकरणों के लिए उपयोग आने वाली प्रोद्योगिकियों का पता लग सके।

भारत में "बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी

3940. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैण्ड की "बेपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी" भारत में लम्बे समय से कार्यशील है;

(ख) क्या बैपटिस्ट यूनियन आफ नार्थ इंडिया ने बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी का कार्य और उसकी परिसम्पत्तियां अपने अधिकार में ले ली हैं;

(ग) बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी की संपत्ति से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है और इस धनराशि को किस प्रकार खर्च किया जाता है;

(घ) क्या सरकार को इस धनराशि को बंगला देश में कार्यशील "बैपटिस्ट मोजोस को स्थानांतरित किए जाने के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) क्या बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी की आस्तियां और परिसंपत्तियां भारतीय बैपटिस्ट द्वारा बनाये गये न्यास में रखी जायेंगी ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

"राजस्थान पंजाब और हरियाणा में वनरोपण"

3941. **श्री आनंद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में परती भूमि में वनरोपण के सम्बन्ध में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने क्षेत्र में वनरोपण शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है और उसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वन रोपण के लिए लक्ष्यों और क्षेत्रों को सभी क्षेत्रों से संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् सालाना आधार पर निश्चित किया जाता है।

सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में वनरोपण किया गया कुल क्षेत्र, वर्ष 1986-87 के लिए लक्ष्य, वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र के लिए सातवीं योजना में कुल परिव्यय और वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय परिव्यय (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा अन्य प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से वनीकरण के लिए उपलब्ध करायी गई निधियां निम्न प्रकार से हैं :—

	राजस्थान	हरियाणा	पंजाब
1. 1985-86 के दौरान वन-रोपण किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	47,900	46,850	29,500
2. 1986-87 के लिए लक्ष्य (हेक्टेयर में)	55,000	36,250	27,500

1	2	3	4
3. वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र के लिए कुल सातवीं योजना परिव्यय (लाख रुपयों में)	4,985	6,700	3,200
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा अन्य प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वनीकरण के लिए उपलब्ध निधियां (लाख रुपयों में)	986	397	393

पवित्र नगरों में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

3942. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल के मिलने तथा मथुरा, काशी, वृन्दावन, बद्रीनाथ और केदारनाथ शहरों को पवित्र नगर घोषित करने तथा इन शहरों में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की उसकी मांग के बारे में 9 जुलाई, 1986 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई निदेश या सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के अन्तर्गत मांस और शराब की बिक्री और तीर्थ स्थानों का रख-रखाव राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई दिशा निदेश अथवा सलाह नहीं दी जाती है।

तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन संबंधी समस्या

3943. **डा. चिन्ता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि तारापुर में इस समय कार्य कर रहे जनरल इलैक्ट्रिल कंपनी की रिएक्टरों में भी उसी प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसी कि थ्री-माइल-आइलैंड रिएक्टरों में हुई थी; जैसा कि 26 जुलाई, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तारापुर में लगे रिएक्टर ग्री-माइल आइलैंड में लगे रिएक्टरों से भिन्न किस्म के हैं। जबकि तारापुर में लगे रिएक्टर बायलिंग वाटर किस्म के रिएक्टर हैं, ग्री-माइल आइलैंड में लगे रिएक्टर दाबित पानी किस्म के रिएक्टर हैं।

(ख) ग्री-माइल आइलैंड की दुर्घटना से सबक लेकर, तारापुर में लगे रिएक्टरों में अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जा चुके हैं। उन उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(i) रिएक्टर में जल के स्तर को मापने, महत्वपूर्ण वाल्वों की स्थिति का पता लगाने आदि के लिए अतिरिक्त उपकरण लगाना।

(ii) कनटेनमैंट में दाब को मापने और रिकार्ड करने की व्यवस्था करना।

(iii) अनिवार्य उपस्करों का रख-रखाव उनमें दोष न आने देने की दृष्टि से करने की प्रक्रिया में सुधार करना।

(x) प्रचालकों को प्रशिक्षण और फिर से प्रशिक्षण देना ताकि प्रचालक अपेक्षित कार्य समुचित रूपेण कर सकें।

दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को एल. टी. सी.

3944. **श्री एच. जी. रामुलू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-दराज के क्षेत्रों और उन क्षेत्रों की, जहां राज्य परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है, यात्रा करने वाले व्यक्तियों को एल. टी. सी. नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रंगीन टेलीविजन की ट्यूबें न खरीदे जाने के कारण हानि

3945. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख टेलीविजन विनिर्माताओं द्वारा विदेशी विनिर्माताओं से रंगीन टेलीविजन ट्यूबों की भारी मात्रा में खरीदने से इन्कार कर दिये जाने के कारण भारत को इस वर्ष लगभग 15 लाख डालर की विदेशी मुद्रा में हानि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रंगीन टेलीविजन की ट्यूबों का बिना हानि उठाये निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिक्चर ट्यूबों के आयात को दिनांक 12 अप्रैल, 1985 से गैर-सरणीबद्ध कर दिया गया है। किन्तु, विदेशी-मुद्रा के देश से बाहर चले जाने को सीमित करने के उद्देश्य से तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबों के थोक आयात के जरिए मूल्यों का फायदा उठाने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग ने भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ तथा इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई. टी. एण्ड टी.) के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया। एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है जिसमें भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ के दो सदस्य, ई. टी. एण्ड टी. के दो सदस्य तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग के एक सदस्य शामिल होंगे। यह समिति विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात के लिए उनकी मूल्य-सीमा निर्धारित करेगी।

मंत्रियों द्वारा निजी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में दिशा निर्देश

3846. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रिमंडल स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निजी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में क्या दिशानिर्देश हैं और वे कहां तक कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(ख) किन परिस्थितियों में और कहां तक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसरण से छूट दी जा सकती है; और

(ग) क्या मंत्रियों के निजी कर्मचारियों के रूप में काम करने की अवधि के बारे में कोई नियम है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन ऐंगती) : (क) और (ख) : मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमान संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं। अन्य स्तरों के पदों का परित्याग करके और बराबर की बचत करके मंत्रियों के निजी सचिव के अलावा अन्य स्तरों पर समायोजनों को अनुमति दी गई है।

(ग) मंत्री के निजी सचिव के मामले में, कार्यकाल की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है। बाकी कर्मचारियों के मामले में, संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाती है।

विवरण

मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमान

(दिनांक 4.4.85 तथा 24.4.86 के परिपत्र द्वारा यथासंशोधित
दिनांक 2.4.85 के परिपत्र संख्या 8/5/85-के.से.-11 के अधीन)

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

कर्मचारियों की श्रेणी	संख्या	वेतनमान	अभ्युक्तियां
निजी सचिव	1.	रु. 1500-60+1800-100-2000	
अपर निजी सचिव	2	रु. 1100-50-1600	
सहायक निजी सचिव	2	रु. 650-30-740-35-880-द.रो.-40-140	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ख"
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	रु. 650-30-740-35-810-द.रो.-39-880-40-1000-द.रो.-40-1200	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	रु. 425-15-500-द. रो. 15-560-20-700-द. रो.-25-800	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "ग"
हिन्दी आशुलिपिक	1	—वही—	यदि मंत्री द्वारा अपेक्षित हो ।
लिपिक	1	रु. 260-6-290-द. रो. 6-326-8-366-द.रो. 8-390-10-400	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड
ड्राइवर	1	रु. 260-6-290-द.रो.-6-326-8-366-द.रो.-8-390-10-400	
जमादार	1	रु. 200-3-206-4-234-4-250	
चपरासी	4	रु. 196-3-220- द.रो. 3-232	

यदि मंत्रियों द्वारा अपेक्षित हो तो निम्नलिखित मंत्रालयों के मंत्रिमण्डल स्तर के प्रभारी मंत्री रु. 1100-1600 के वेतनमान में अपर निजी सहायक का एक अतिरिक्त पद रख सकते हैं :

1. माधव संसाधन विकास मंत्रालय
2. उद्योग मंत्रालय
3. कृषि मंत्रालय
4. वित्त मंत्रालय
5. गृह मंत्रालय

2. राज्य मंत्री

कर्मचारियों की श्रेणी	संख्या	वेतन	अभ्युक्तियां
निजी सचिव	1	रु. 1200-2000	
विशेष निजी सचिव	1	रु. 1500-1800	केवल उन राज्य मंत्रियों के लिए जो एक से अधिक स्वतंत्र विभागों के प्रभावित हों।
अपर निजी सचिव	1	रु. 1100-1600	
सहायक निजी सचिव	1	रु. 650-1040	के. स. आ. से. का ग्रेड (ख) उस राज्य मंत्री को एक अतिरिक्त सहायक निजी सचिव दिया जाए जो एक स्वतंत्र मंत्रालय/ विभाग का प्रभारी हो बशर्ते कि संबंधित मंत्री को आवश्यकता हो।
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	रु. 650.1200	के. स. आ. से. का ग्रेड क
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	2	रु. 425-800	के. स. आ. से. का ग्रेड "ग
हिन्दी आशुलिपिक	1	—वही—	यदि मंत्री को आवश्यकता हो।
क्लर्क	1	रु. 260-400	के. स. लि.से.-अ.श्रे ग्रेड
ड्राइवर	1	—वही—	
जमादार	1	रु. 200-250	
चपरासी	3	रु: 196-232	

1	2		3
3. उप मन्त्री			
निजी सचिव	1	रु. 1100-1600	
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	रु. 650-1200	के.स.आ.से. का ग्रेड "क"
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	रु. 425-800	के.स.आ.से. का ग्रेड "ग"
क्लर्क	1	रु. 260-400	के.स.लि.से. काम. श्रेणी ग्रेड
ड्राइवर	1	—वही—	
जमादार	1	रु. 200-250	
चपरासी	1	रु. 196-232	
4. संसदीय सचिव			
निजी सचिव	1	रुपए 1100-1600	
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	रुपए 650-1200	के.स.आ.से. का ग्रेड,,
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	रु. 425-800	के.स.आ. से. का ग्रेड"
ड्राइवर	1	रु. 260-400	
चपरासी	1	रु. 196-232	

[हिन्दी]

सागर में गेहूं की अवैध बिक्री

3947. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर, मध्य प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेचे जा रहे गेहूं के मामले में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए.के. पांजा) (क) जी, हां।

(क) और (ग) 15 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है जिनमें से एक सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम डिपो, सागर और तीन अधिकारियों, जोकि सभी सहायक ग्रेड-III हैं, को मुअत्तल कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुअत्तल कर्मचारियों

के विरुद्ध एक मामला रजिस्टर किया है और उन्होंने उनके कार्यालय परिसरों तथा घरों की तलाशी ली है जिसके परिणामस्वरूप कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जबलपुर द्वारा मामले की और आगे जांच की जा रही है

[अनुवाद]

"भोपालपटनम और इन्चमपल्ली बांध परियोजना"

3948. **श्री दिग्विजय सिंह** . क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमशः इन्द्रावती और गोदावरी नदियों पर भोपालपटनम और इन्चमपल्ली बांध परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन प्रस्तावित बांधों से मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क और महाराष्ट्र की अप्रयुक्त कोयला खानों के जलमग्न हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) और (ख) भोपालपटनम और इन्चमपल्ली नदी घाटी परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा अभी भी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) प्रस्तावों के अभाव में, जलमग्न हो रहे क्षेत्रों का आकलन उपलब्ध नहीं है।

इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड को अन्यत्र ले जाना

3949. **श्री मुरलीधर माने** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड के एक भाग को हैदराबाद से महाराष्ट्र में ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) और (ख) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड के एक भाग को हैदराबाद से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत में सरकारी वसूली प्रणाली के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

3950. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी वसूली प्रणाली के बारे में विश्व बैंक की अद्यतन रिपोर्ट में कोई टिप्पणी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के प्राधिकारियों ने भारत की खाद्यान्नों की मूल्य निर्धारण और वसूली नीति की तीव्र आलोचना की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन टिप्पणियों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए.के. पांजा) (क) "विश्व और विकास रिपोर्ट, 1986" में भारत में सार्वजनिक वसूली प्रणाली पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं।

(ख) से (घ) इस रिपोर्ट का एक उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें संगत ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) यह रिपोर्ट विश्व बैंक के स्टाफ के कुछ सदस्यों द्वारा तैयार की गई है और इसमें दी गई राय आवश्यक रूप से विश्व बैंक के निदेशक बोर्ड अथवा जिन सरकारों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, के विचारों को अभिव्यक्त नहीं करती है। भारत सरकार की खाद्यान्नों की मूल्य निर्धारण और वसूली नीति, देश की खाद्य नीति की गहरी जानकारी के आधार पर और समूचे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

विवरण

भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टाफ और मूल्य स्थिरता

पिछले दो दशकों में भारत के खाद्यान्न क्षेत्र ने उल्लेखनीय मोड़ लिया है। 1960 से 1969 के मध्य में भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था गम्भीर संकट में थी और देश गेहूं के आयातों पर अत्यधिक निर्भर था, जिनका वित्त-पोषण मुख्यतया पी. एल. 480 खाद्य सहायता कार्यक्रम के जरिए होता था। तब से स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और सिंचाई में भारी पूंजी निवेश करने, अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों का इस्तेमाल शुरू करने और फार्म-मूल्यों में वृद्धि करने के मिश्रित प्रयासों से खाद्यान्नों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। खाद्यान्नों की पैदावार में वृद्धि करने के अपने प्रयासों के अलावा, सरकार ने सहायता प्राप्त स्थिर मूल्यों पर कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए हैं।

इस कार्य को करने के लिए भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्य एजेन्सियों के माध्यम से विश्व भर में सर्वाधिक विशाल खाद्य वितरण प्रणालियों में से एक विशाल खाद्य वितरण प्रणाली चला रही है। विशेष बात तो यह है कि सरकार खाद्यान्नों के घरेलू विक्रेय अधिशेष के एक भाग को खरीदती है, बाहरी व्यापार पर एकाधिकार रखती है, वर्तमान बफर स्टाक में वृद्धि करती है अथवा उसे निकालती है और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हुई सप्लाई की विशिष्ट "उचित दर की दुकानों" के माध्यम से बिक्री करती है। एक सामान्य

वर्ष में, सरकार अनाज की कुल खपत के लगभग 10 प्रतिशत की बिक्री करती है, सूखा वर्ष में यह मात्रा बढ़कर लगभग 15% पहुँच जाती है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए अधिक स्थिर मूल्य प्रदान करने में सफल हुई है, नहीं तो स्थिति इसके विपरीत होती।

उत्पादकों और उन उपभोक्ताओं, जो उचित दर की दुकानों का लाभ उठाने की स्थिति में हैं, को लाभ पहुँचाने के बावजूद, इस प्रणाली को चलाने की लागत निरन्तर चिन्ता का विषय बनी हुई है। 1960 से 1969 में तथा 1970 से 1979 के शुरू में, जब भारत पर्याप्त अनाज का आयातक देश था, आयात विषयक आवश्यकताओं को कम करने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत कम बफर स्टाक से खाद्य वितरण प्रणाली चलाई जाती रही थी। हाल ही के वर्षों में बफर स्टाक की मात्रा और इस प्रकार बफर स्टाक रखने की लागत में अचानक वृद्धि हो गई है। बताया जाता है कि भारत के पास इस समय 300 लाख मीटरी टन से भी अधिक खाद्यान्नों का बफर स्टाक है, जो कि उचित दर की दुकानों की प्रणाली से दो वर्षों से भी अधिक समय में बेचे गए स्टाक के बराबर है। भारी मात्रा में बफर स्टाक आवश्यक रूप से इस स्तर पर स्टाक रखने के सोचे-समझे गए निर्णय के कारण जमा नहीं हो गया है बल्कि ऐसा अन्य तथ्यों के अनैच्छिक प्रभाव के रूप में हुआ है। खाद्यान्नों की पैदावार में वृद्धि मांग में वृद्धि को पार कर गई है क्योंकि सरकार ने बार-बार वसूली मूल्य में वृद्धि की है।

1977-78 में जब लगभग 120 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक था, तब बिड़ला वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान द्वारा भारत में एक अध्ययन किया गया था, जिससे विदित हुआ था कि भारतीय खाद्य निगम को कुल 6·75 बिलियन रुपये (कुल बिक्री का लगभग 44 प्रतिशत) की राजसहायता दी गई थी। इसमें से 5·66 बिलियन रुपये सीधी नकद राजसहायता के लिए थे। जिसमें से 60 प्रतिशत बफर स्टाक के परिचालनों की लागत को पूरा करने के उद्देश्य से रखा गया था। बफर स्टाक की मात्रा में वृद्धि होने के कारण, 1984-85 में सीधी नकद राज-सहायता बढ़कर लगभग 11 बिलियन रुपये तक पहुँच गई।

बफर स्टाक परिचालनों की बढ़ती हुई लागत से प्रणाली की लागत विषयक प्रभाव-कारिता से सुधार लाने के लिए उपायों की तलाश करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा एक अध्ययन किया गया था और 1983 से पूर्व के वैकल्पों का जायजा लेते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक विश्वास करते हुए गेहूं के कार्यक्रम के वही उद्देश्य वास्तविक लागत के लगभग एक तिहाई से प्राप्त किए जा सकते हैं और अधिक उदार आयात नीति को अपनाने से स्थिरता के उन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बफर स्टाक की मात्रा में भारी कमी करते की गुंजाइश मिल जाती। यद्यपि भण्डारण लागत के अलावा के तथ्य बफर स्टाक की मात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए संगत हैं, लेकिन इस अध्ययन में भारी घरेलू बफर स्टाफ के वैकल्प के रूप मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिक इस्तेमाल के महत्व को बताया गया है।

"चाइना मेकिंग गाइडिड मिजाइल डैस्ट्रायर्स" शीर्षक से समाचार

3951. **श्री वी तुलसीराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 जून, 1986 के "दी टाइम्स आफ इण्डिया", में प्रकाशित इस समाचार पर ध्यान दिया है कि चीन गाइडिड प्रक्षेपास्त्र ध्वंसकों का निर्माण कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर नजर रखती है और रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समुचित रूप से अपनी रक्षा योजनाएं बनाती है।

गेहूँ तथा तिलहनों की खरीद और स्टाक

3952 **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तिलहनों की कुल कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ख) आरक्षित भण्डारों में तिलहनों का वर्तमान स्टाक कितना है;

(ग) क्या देश के कुछ भागों में, विशेषकर गुजरात में, गम्भीर सूखे का तिलहनों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की सप्लाई बनाए रखने के लिए क्या नीति तैयारी की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने एक केन्द्रीय केन्द्रक अभिकरण के रूप में 1985-86 के दौरान निम्नलिखित मात्रा में तिलहनों की खरीद की है।

1. सरसों/रेपसीड — 13.466 मी. टन
2. सोयाबीन — 1,91,666 मी. टन

(ख) तिलहनों का सुरक्षित भण्डार नहीं रखा जाता है।

(ग) फसल वर्ष 1985-86 के दौरान देश के कुछ भागों, विशेषकर गुजरात में मौसम की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण तिलहनों, विशेषकर मूंगफली के उत्पादन पर, प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप 1985-86 में तिलहनों का अखिल भारतीय उत्पादन 116 लाख मी. टन के आस-पास होने की सम्भावना है, जबकि इसकी तुलना में 1984-85 में 181 लाख मी. टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। मूंगफली के उत्पादन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है, जो 1984-85 के 68 लाख मी. टन के स्तर से गिर कर 1985-86 में अनुमानत: 55 लाख मी. टन रह गया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आबंटन बढा दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को उचित दर की दुकानों के जरिए खाद्य तेलों को पर्याप्त आपूर्ति बनाई रखी जा सके।

दिल्ली स्थित ट्रेवल एजेन्सी द्वारा उत्तरी अमरीका में तस्करी गिरोह का संचालन करना

3953 **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित ट्रेवल एजेंसी लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने में लगी हैं और उत्तरी अमरीका में तस्करी गिरोह का संचालन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संबंधित ट्रेवल एजेंसी के विरुद्ध कोई अन्य आरोप लगाय गए हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) निम्नलिखित दो ऐसी एजेंसियां दिल्ली पुलिस के ध्यान में आई हैं :

1. अफ्रीक ट्रेवल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

2. कन्कोर्ड ट्रेवल, कनाट प्लेस नई दिल्ली।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/468/471/120-ख के तहत पुलिस स्टेशन कनाट प्लेस नई दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया है तथा दोनों एजेंसियों के मालिकों अफ्रीक सिंह तथा भूपिन्दर सिंह को गिफ्तार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ के कार्यकरण सम्बंधी पुनरीक्षा समिति

3954. **श्री थम्पन थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक पूर्ति मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ के कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए कोई पुनरीक्षा समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या पुनरीक्षा समिति ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ के कार्यकरण में कोई दोष बताए थे;

(ग) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ के प्रधान और उप-प्रधान के चुनाव हो गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ के भूतपूर्व प्रधानों के विरुद्ध अनियमितताओं के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्य की समय-समय पर पुनरीक्षा करने के लिए नागरिक पूर्ति विभाग में सचिव की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा

समिति गठित की गई है। पुनरीक्षा समिति ने समय-समय पर विभिन्न कमियों, जैसे : वित्तीय नियन्त्रण में ढील, खरीदारी व बिक्री में अनियमितताएं, बकाया देयताओं की वसूली न करने, कर्मचारियों के निरुद्ध अनियमितताओं को उपयुक्त जांच न करने का पता लगाया है और वित्तीय नियन्त्रण, बिक्री तथा खरीदारी के लिए प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने संघ को विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के लिए रखे गए लक्ष्यों की तुलना में उसके कार्य निष्पादन की नियमित पुनरीक्षा करने, पुरानी बकाया राशि की तेजी से वसूली करने, अनियमितताओं के मामलों की शीघ्र जांच करने तथा प्रोन्नति, भर्ती आदि के बारे में उपयुक्त कार्मिक नीतियां अपनाने और अपने शाखा कार्यालयों को आर्थिक आत्मनिर्भरता का पता लगाने के लिए उनके कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाये हैं।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव अधिकारी ने चुनाव स्थगित कर दिया, क्योंकि निदेशक मण्डल के कुछ निदेशकों के नामितियों की वैधता/पात्रता के बारे में कुछ शिकायतें थीं, जिनकी जांच करनी अपेक्षित थी।

(घ) जी नहीं।

कर्नाटक में 20-सूत्री कार्यक्रम

3955. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के 20-सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है तथा उसे अब तक कर्नाटक में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में कार्यान्वित किया है।;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार 1983 से कर्नाटक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें 20-सूत्री कार्यक्रम को शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसे इस प्रकार इसमें शामिल करने की क्या आवश्यकता थी;

(घ) क्या ऐसे कार्यक्रमों की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर की कोई समितियां हैं; और

(ङ) क्या सम्बन्धित जिलों के संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद् सदस्यों को जनवरी, 1984 से जून, 1986 की अवधि के दौरान बिदार जिले में हुई बहु-समीक्षा बैठकों में भाग लेने का अवसर दिया गया था ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए.बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) कर्नाटक सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम का पूरी तरह कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार ने सोचा है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के साथ-साथ सकल योजना विकास कार्यक्रम का भी नियोजित विकास के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कार्यान्वयन किया जाए।

(घ) जी, हां।

(ङ) 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन तथा कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर की समितियां नियुक्त की गई हैं जिनके सदस्य जिले के निवासी संसद सदस्य, विधायक तथा विधान परिषद के सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार का एक मन्त्री होता है। ससद सदस्य, विधायक और सदस्य विधान परिषद मासिक बहु-समीक्षा बैठकों में भाग नहीं लेते क्योंकि ये विभागीय समीक्षाएं होती हैं। फिर भी संसद सदस्य, विधायक, सदस्य विधान परिषद जिला स्तर की समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। जिला स्तर सम्बन्धी सूचना इस मन्त्रालय द्वारा एकत्रित नहीं की जाती।

दिल्ली में तरण तालों की सुरक्षा

2956. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने तरण ताल हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं और कितने बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और उनके रखरखाव के लिए यदि कोई मार्ग निदेश जारी किए गए हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) तरणतालों की सुरक्षा और कार्यचालन संबंधी पहलुओं के सांवधिक उपबन्धों का ब्यौरा क्या है और उनके उचित रखरखाव और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवधिक जांच के लिए कौन-सा तंत्र है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अब तक 21 तरणताल लाइसेंस जारी किए गए हैं। आज तक 9 और लाइसेंस के तरल-तालों का पता लगाया गया है। ऐसे तरणतालों के विरुद्ध दिल्ली पुसिल अधिनियम के तहत कार्रवाही की जा रही है। तरण-तालों का कार्यकरण तरण-ताल विनियमन 1980 के अधीन है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तरण-ताल के लिए लाइसेंस की शर्तें

(1) लाइसेंसधारी 40 से अधिक व्यक्तियों (नौसिखियों) को उथले किनारे पर अनुमति नहीं देगा तथा 50 मीटर × 21 मीटर के पूरे आकार के ताल में 2.5 मीटर चौड़ी प्रत्येक लेन में 5 व्यक्तियों को अनुमति देगा।

(2) लाइसेंसधारी संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में तरण-तालों को नियंत्रित करने के लिए बनाये गए दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या 1517/ विशेष एकक पी. एच. क्यू. दिनांक 23-6-1980 के विनियमनों का अनुपालन करेगा।

(3) लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा परन्तु किसी भी मामले में लाइसेंस की वैधता को लाइसेंस दिए जाने की तिथि से आने वाले दिसम्बर माह के 31 दिन के आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

(4) लाइसेंसधारी डूबने से बचाने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण तथा परिसर में अभिशमन उपकरणों को भी प्रदान करेगा।

(5) लाइसेंसधारी पुलिस आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करेगा।

(6) लाइसेंसधारी पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग-अलग स्नानागार तथा शृंगारकक्ष प्रदान करेगा जिनकी संख्या तथा आकार लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(7) लाइसेंसधारी स्नानागारों के फव्वारे प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

(8) लाइसेंसधारी ताल के पानी को साफ रखेगा और पुलिस आयुक्त के निदेशों के अनुसार अल्पावधि के बाद पानी को बदलेगा।

(9) लाइसेंसधारी कम से कम दो बोया हर समय तैयार रखेगा जब भी ताल नौसिखियों द्वारा एस्तेमाल किया जा रहा हो।

(10) लाइसेंसधारी ताल के परिसर में आवश्यक सामान सहित प्राथमिक सहायता बाक्स रखेगा और उसका रखरखाव करेगा।

(11) लाइसेंसधारी तरण-ताल का उपयोग, लाइसेंस दिए जाने के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।

(12) लाइसेंसधारी पुलिस आयुक्त की विशेष अनुमति के बिना आधी रात के बाद तरण-ताल को खुला नहीं रखेगा अथवा 5 बजे सुबह से पहले नहीं खुलेगा।

(13) लाइसेंसधारी जब तक तरण-ताल जनता के लिए खुला रहता है, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था प्रदान करेगा।

(14) लाइसेंसधारी एक या दो व्यक्तियों को तरण-ताल चलाने के लिए नामित करेगा तथा पुलिस आयुक्त द्वारा स्वीकृत एक व्यक्ति को तरण-ताल के प्रबन्धक के रूप में नियुक्त करेगा जिसका नाम लाइसेंस में पृष्ठांकित होगा।

(15) लाइसेंसधारी किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए तरण-ताल तथा इससे सम्बद्ध परिसर में निशुल्क प्रवेश की अनुमति देगा।

(16) लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को :

(एक) तरणताल में प्रवेश नहीं करने देगा जब तक उसने लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए गये स्नानागार में शावर बाथ फुटबाथ न किया हो।

(दो) तरणताल में विनियमनों के तहत निर्धारित समय से अलग किसी समय पर तरण-ताल में प्रवेश अथवा उसमें रहने देगा अथवा ताल के खुलने तथा बन्द होने के समय से क्रमशः 15 मिनट पहले अथवा बाद में सम्बद्ध परिसर में प्रवेश करने अथवा रहने नही देगा।

(तीन) मान्यता प्राप्त तरण पोशाक अथवा तरण जांघिये से अलग किसी अन्य पोशाक में तरण-ताल के पानी में प्रवेश नहीं करने देगा।

(चार) तरण ताल के पानी में प्रविष्ट होने से पहले और बाद में साबुन, तेल अथवा किसी अन्य प्रकार का पदार्थ अथवा उत्पाद का प्रयोग नहीं करने देगा जिससे ताल का पानी गन्दा हो सकता हो अथवा तैराकों के लिए अनपयुक्त हो जाये।

(पांच) थूककर अथवा किसी अन्य प्रकार से जानबूझकर अथवा किसी तरह ताल के पानी को गंदा अथवा प्रदूषित नहीं करने देगा।

(छह) किसी त्वचा रोग, यौन रोग अथवा किसी अन्य सक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को तरण ताल का प्रयोग नहीं करने देगा।

(सात) तैरना न जानने वाले अथवा नौसिखियों का इन विनियमनों के अधीन अर्हता प्राप्त प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में ताल में प्रविष्ट नहीं होने देगा।

(आठ) आठ वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे को तरण ताल के पानी में प्रविष्ट नहीं होने देगा जब तक उसके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो।

(नौ) तरण-ताल अथवा इससे सम्बन्ध परिसर में किन्हीं जानवरों को घुसने नहीं देगा।

(17) लाइसेंसधारी पुलिस आयुक्त दिल्ली की अनुमति के बिना अपने लाइसेंस में कोई बढ़ोतरी अथवा तबदीली नहीं करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों में जवाबदारी लाने के लिए योजनायें

3957. **डा. जी. विजय रामा राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी प्रतिष्ठानों पर वर्ष 1950 से अब तक भारी निवेश किए जाने के बावजूद देश को उनसे पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) क्या उनके कार्यकरण जवाबदारी लाने के लिए कोई ठोस योजनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं। हमें अपने निवेशों का पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

(ख) और (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की योजनायें ध्यानपूर्वक बनाई जाती हैं तथा अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों की योजनाओं की पुनरीक्षा के लिए स्थापित कार्यदलों की रिपोर्टों के आधार पर योजना आयोग इन्हें अपनी स्वीकृति देता है। इन योजनाओं में, जहां व्यवहार्य होता है, मानीटरन, समीक्षा और विशिष्ट लक्ष्यों के लिए कियाविधियों का उल्लेख किया जाता है। मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अलग-अलग विभागों/संस्थाओं के कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करता है और

हर तिमाही के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के कार्य के मानीटरन और पांच के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी करता है। दीर्घकालिक प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास कार्यों से सम्बन्धित कार्यक्रमों की समीक्षा अलग-अलग विभागों/संस्थानों की विशेष समितियों/परिषदों द्वारा की जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों की मुख्य गतिविधियों के सम्बन्ध में तिमाही रिपोर्टें कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को समय-समय पर भेजी जा रही हैं।

लाटरी विज्ञापनों पर व्यय

3958. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान लाटरी विज्ञापनों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई थी;

(ख) उन विज्ञापनों के परिणामस्वरूप कितनी अनुमानित धनराशि प्राप्त हुई और कितनी बचत की गई; और

(ग) उक्त बचतों में से किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिंदी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार द्वारा सहायता

3959. **श्री उमाकांत मिश्र** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

3960. **श्री बीरेन्द्र सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों को गेहूं का निर्यात करने के लिए कोई ताजा सौदा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) नेपाल को 30,000 मीटरी टन, जौरडन को 50,000 मीटरी टन और डी. पी. आर. कोरिया को 1,10.000 मीटरी टन गेहूं की बिक्री करने के लिए करार किए गए हैं।

कर्नाटक को वनस्पति घी की आपूर्ति

3961. **डा. बी. वेंकटेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष और गत तीन महीनों के दौरान कर्नाटक को वनस्पति घी का कोई आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक को वनस्पति घी की अतिरिक्त मात्रा आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो आबटित की जाने वाली मात्रा कितनी है ?

योजना मत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) से (घ) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष तथा पिछली तिमाही के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है, को वनस्पति का कोई आबटन नहीं किया है।

नये चीनी कारखानों की स्थापना

3962. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

श्री मुरलीधर माने : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नये चीनी कारखानों की स्थापना के 55 प्रस्तावों और 5 चीनी कारखानों की वर्तमान क्षमता के विस्तार की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कितने समय से लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ग) नये चीनी कारखानों की स्थापना के लिए अन्तिम मंजूरी कब तक दे दी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने अथवा मौजूदा यूनिटों में विस्तार करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान करने हेतु कोई आवेदन पत्र इस समय सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मझगांव डाक लिमिटेड को ठेका देना

3963. **प्रो. वाई. एस. महाजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने "वाटर इन्जेक्शन साउथ प्लेट फार्म" की सप्लाई के लिए मझगांव डाक लिमिटेड को ठेका दिया था;

(ख) क्या जो कार्य जनवरी-मार्च, 1984 को पूरा हो जाना था अभी तक पूरा नहीं हुआ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मझगांव डाक लिमिटेड ने उक्त निर्माण कार्य का उप ठेका कोरिया मैसर्स समसंग को दे दिया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या उसने ठेके के मूल्य में 60 प्रतिशत वृद्धि कर दी है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आशय पत्र के अनुसार काम मार्च 1984 तक पूरा किया जाना था। परियोजना की जटिलताओं के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सहमति से काम पूरा करने की तिथि संशोधित करके 20 दिसम्बर, 1986 कर दी गई है।

(घ) जी, हां। मैसर्स मझगांव डाक लिमिटेड ने कोरिया के मैसर्स समसंग को केवल आवास एवं स्विच गियर माड्यूलों, हेलीडेक और "ब्रिज" के निर्माण का उप ठेका दिया है जो स्टील टनों के हिसाब से लगभग 920 मीट्रिक टन बैठता है जबकि पूरे ढांचे का कुल टन भार लगभग 6210 मीट्रिक टन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत एवं समय अधिक नंगे या इसमें कमी लाई जा सके, संबंधित ऐजेन्सियों के साथ विचार विमर्श करके सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

"तेलगू गंगा परियोजना का निष्पादन"

3964. **श्री पी. पेंचालैया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तेलगू गंगा परियोजना के निष्पादन के लिए वनों का कटान करने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसे स्वीकृति कब दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव में अनिवार्य सूचना नहीं दी गई है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लेना संभव होगा।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

3965. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान भारत में कितने टेलीविजन सेटों का निर्माण किया गया;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान केरल की केल्ट्रान द्वारा कितने टेलीविजन सेटों का विनिर्माण किया गया; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान अधिकतम सादे रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने कितने टेलीविजन सेटों का विनिर्माण किया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1985 के दौरान देश में 24,6 लाख दूरदर्शन सेटों का उत्पादन किया गया।

(ख) मैसर्स केरल राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड (केल्टान) ने कैलेण्डर वर्ष 1985 के दौरान 29,632 दूरदर्शन सेटों का उत्पादन किया।

(ग) मैसर्स वेस्टन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने वर्ष 1985 के दौरान श्याम तथा श्वेत और रंगीन दोनों ही प्रकार के 1,38,818 दूरदर्शन सेटों का उत्पादन किया। यह इस अवधि के दौरान किसी एक कम्पनी द्वारा किया गया सर्वाधिक उत्पादन है।

"पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने हेतु उठाए गए कदम"

3966. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए आरम्भ की गई योजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली 19 नदियों का जल गुणवत्ता प्रबोधन;

(ii) 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित 14 नगरों में 54 स्टेशनों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन;

(iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना।

(घ) वायु और जल प्रदूषण नियन्त्रण के लिए क्रमशः वायु अधिनियम, 1981 तथा जल अधिनियम, 1974 के उपबंधों को कर्नाटक प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के जरिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

जुलाई, 1985 में स्थल चयन सहित पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एक पर्यावरणीय अनुमोदन समिति गठित की गई है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग

3967. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी संचार सुविधाएं कम समय में दूरदर्शन पर घटनाओं का प्रसारण मौसम सम्बन्धी सही भविष्यवाणी उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या निकट भविष्य में अन्तरिक्ष से प्रदूषण रहित ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी; और

(ग) क्या अन्तरिक्ष संकल्पना ने अनेक राज्यों में भूतल जल क्षमता की खोज में सहायता की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां। अन्तरिक्ष-प्रणालियों ने दूरसंचार, प्रसारण (रेडियो एवं टी. वी.), मौसम विज्ञान, नौसंचलन, बचाव और खोज सेवाओं इत्यादि से संबंधित प्रौद्योगिकीय क्षमताओं में नये आयाम जोड़े हैं। लम्बी दूरी के दूरसंचार, प्रसारण और मौसमविज्ञान के क्षेत्रों में प्रचालनात्मक उद्देश्यों के लिए इन्सैट प्रणाली अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारे प्रथम राष्ट्रीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है।

(ख) फिलहाल, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में भू-उपयोगों के लिए अन्तरिक्ष से ऊर्जा प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, हां। उपग्रह-प्रतिबिम्बिकी के उपयोग से भूमि जल के संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाना संभव है। विविध भूविज्ञानीय/भू-आकृति विज्ञानीय यूनिटों जो भूमि जल के होने को

सूचक हैं, के संरेखण के लिए उपग्रह प्रतिबिम्बकी का उपयोग किया गया है । अन्तरिक्ष विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ सहयोगी प्रयास से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के प्रमुख भागों का तथा अन्य राज्यों के कुछ भागों को उपग्रह आंकड़ों के प्रयोग द्वारा भूमिजल के संभाव्य क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किये हैं । ये मानचित्र भूमिजल की विस्तृत खोज संबंधी कार्य/प्रयास के लिए नियत क्षेत्रों को संकुचित करने में अत्यन्त लाभकारी रहे हैं । कई प्रयोक्ता एजेंसियों/राज्य सुदूर संवेदन एजेंसियों ने ऐसे भूमि जल का पता लगाने के लिए उपग्रह प्रतिबिम्बकी का भी प्रयोग किया है ।

[हिन्दी]

दण्डकारण्य परियोजना में रवीन्द्र नाथ टैगोर अस्पताल

3968. **श्री मनकूराम सोढी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय आदिवासियों द्वारा यह मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के कोंडागांव में दण्डकारण्य परियोजना द्वारा संचालित रवीन्द्रनाथ टैगोर अस्पताल का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाता रहे; और

(ख) क्या सरकार का स्थानीय आदिवासियों द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लेने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस विभाग के लिये अस्पताल को दण्डकारण्य परियोजना के तहत पुनर्वास चरण समाप्त होने के बाद भी अनिश्चित काल तक संचालित करना संभव नहीं होगा ।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे में डाक्टर

3969. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सशक्त सेना मेडिकल कालेज, पुणे से अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रत्याशियों का (छात्र और छात्राएं अलग-अलग) ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने प्रत्याशियों ने प्रत्येक वर्ष स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में सेना मेडिकल कोर में पदभार ग्रहण किया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अन्तिम वर्ष कैडेट योजना के अन्तर्गत कमीशन प्राप्त अधिकारी/ लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में कितने प्रत्याशियों (छात्र और छात्राएं अलग-अलग) ने सेना मेडिकल कोर में पदभार ग्रहण किया ;

(घ) एक स्नातक डाक्टर पर सशक्त सेना मेडिकल कालेज ने औसतन कितना व्यय और अन्तिम वर्ष कैडेट योजना पर कितना व्यय किया गया; और

(ङ) क्या सरकार का विचार केवल उन्हीं प्रत्याशियों को सशक्त सेना मेडिकल कालेज में प्रवेश देने का है जो सेना मेडिकल में सेवारम्भ करने का वचन देते हों ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन उम्मीदवारों ने सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या	
	छात्र	छात्राएं
1983	103	19
1984	111	22
1985	91	23

(ख) स्थायी कमीशन अफसर एवं अल्प सेवाकालीन कमीशन अफसर के रूप में सेना चिकित्सा कोर में भर्ती हुए उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्थायी कमीशन अफसर के रूप में		अल्प सेवाकालीन कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में	
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
1983	52	1	12	16
1984	52	2	25	18
1985	41	2	19	18

(ग) जो उम्मीदवार स्थायी कमीशन अफसर/अल्प सेवाकालीन कमीशन अफसरों के रूप में सेना चिकित्सा कोर में भर्ती हुए उनकी संख्या दी गई है :—

सेना चिकित्सा कोर में भर्ती होने वाले उम्मीदवार

वर्ष	स्थायी कमीशन अफसर के रूप में		अल्प सेवाकालीन कमीशन अफसर के रूप में	
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
1983	41	2	7	—
1984	13	1	10	—
1985	30	2	12	—

(घ) इस समय औसतन व्यय इस प्रकार है:—

(i) सशस्त्र सेवा चिकित्सा कालेज पुणे के उम्मीदवार

स्थायी कमीशन के दायित्व के साथ	:	60,917.00 रु.
अल्प सेवाकालीन कमीशन के दायित्व के साथ	:	52,067.00 रु.
(ii) चिकित्सा कैडेट योजना के उम्मीदवार	:	8,200.00 रु.

(ङ) सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज पुणे में भर्ती सभी उम्मीदवारों का इस समय कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में सशस्त्र सेनाओं में सेवा का दायित्व है।

[हिन्दी]

रानीखेत छावनी के अन्तर्गत भूमि का अन्तरण

3970. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में रानीखेत छावनी बोर्ड के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र एक भवन का निर्माण कराने के लिए उसे अन्तरण करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का अनुरोध सबसे पहले कब किया गया था और उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुरोध सितम्बर, 1984 में प्राप्त हुआ। इसके लिए सरकारी मंजूरी जारी कर दी गयी है।

[अनुवाद]

उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को सहायता

3971. **श्री डी. एस. अदेजा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों को उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए कोई सहायता दी गई है ;

(ख) किसी भी सरकार की ओर से सहायता के लिये दिया गया ऐसा अनुरोध लम्बित पड़ा है; और

(ग) उग्रवाद से प्रभावी क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से कानून और व्यवस्था कायम करने के लिये क्या सहायता दी जाएगी ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुछ शस्त्र और गोलाबारुद दिये गए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1985 में अर्धसैनिक बलों की

मांग की थी लेकिन ये उपलब्ध नहीं किये जा सके क्योंकि रिजर्व बल उपलब्ध नहीं थे। इस समय इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय अर्धसैनिक बल उपलब्ध नही कराया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी भी सरकार से हाल में प्राप्त कोई अनुरोध लम्बित पड़ा प्रतीत नही होता।

(ग) जिन क्षेत्रों में उग्रवाद व्याप्त है वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार स्थिति की अत्यावश्यकता और उपलब्ध स्त्रोतों के अनुसार सहायता देती है।

बैंकों के लिए कम्प्यूटर

3972 **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर अनुरक्षण केन्द्र (कम्प्यूटर मेटेनेंस सेंटर) ने बैंकों के लिए (कम्प्यूटरों के क्रयादेश केवल एक ही कम्पनी को दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) : जी, नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयो के लिये आवश्यक निर्धारित विशिष्टियों के कुल 100 कम्प्यूटर एक निश्चित समय-सीमा में प्राप्त करने के उद्देश्य से सी॰ एम. सी. लिमिटेड ने, जिसे परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, विश्वव्यापी टेंडर की प्रक्रिया अपनाकर, प्रस्तावों तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं का उचित मूल्यांकन करके 60 प्रणालियों के लिये 2 स्थानीय विनिर्माताओं को, जो इनकी आपूर्ति कर सकते हैं, तथा शेष 40 प्रणालियों के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विक्रेता को क्रयादेश भेजे हैं।

अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत योजनाओं के लिए उड़ीसा को सहायता कार्यक्रम

3973. **श्री राधा कांत डिगाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता से उड़ीसा में कौन कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है अथवा यह राज्य योजना राशि के अतिरिक्त है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) प्रथम परन्तुक के अधीन सहायता अनुदान से उड़ीसा में कार्यान्वित कार्यक्रम शिफटिंग कृषकों के पुर्नवास, वनों में रहने वाले ग्रामीणों, आदिवासी प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों आदिमजातियों के लिए आवासीय स्कूलों और विशेष काम्पोंक्ट क्षेत्रीय कार्यक्रमों के बारे में है।

1985-86 के दौरान कल्याण मंत्रालय ने इन विशेष योजनाओं के लिये 172.40 लाख रुपये दिए।

(ग) यह धन राशि राज्य राजस्व के लिये अनुदान सहायता होती है। यह राज्य योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को दिए गए ब्लाक अनुदानों का ही एक भाग होता है। अतः इससे राज्य योजना संसाधनों में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा कर्नाटक की लघु इकाइयों के उत्पादों की खरीद

3975. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर कर्नाटक की लघु इकाइयों के उत्पादों को नहीं खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड लघु इकाइयों के कम से कम छोटे उत्पादों की खरीद करेगा जैसाकि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुब्बराव) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर कर्नाटक राज्य की छोटे पैमाने की यूनिटों के उत्पादों की खरीद करते रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम

3976. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर उपायों अनुश्रवण और सुधारात्मक उपायों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यों में क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर समन्वय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना जनजातीय उप-योजना के सम्बन्ध में कोई नीति सम्बन्धी परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास की एक व्यापक नीति तैयार करके कार्यान्वित की गई थी। इसमें तीन घटक अर्थात् (1) राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए विशेष कम्पोनेंट प्लान (एस. सी. पी.); (2) विशेष केन्द्रीय सहायता (एस. सी. ए.) और (3) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम (एस. सी. डी. सी.) है।

इस नीति में सातवीं योजना के दौरान भी अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं और लाभ प्रधान कार्यक्रमों पर निरन्तर जोर देना जारी रखा जाएगा। अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के एकीकरण पर जोर देते हुए, इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने होंगे, जिससे उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें। सातवीं योजना का मुख्य कार्य छठी योजना के दौरान कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वयन में अनुभूत कमियों को दूर करना होगा। इनमें कलैक्टरों को विशेष कम्पोनेंट प्लान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपना; असंचित वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों का सम्पेषण कार्य जिला तथा ब्लाक प्राधिकारियों को, कार्यान्वयन मशीनरी सुदृढ़ करना, नियमित निरीक्षण, प्रत्येक कार्यक्रम की चैक-लिस्टें बनाना, लाभग्राही परिवारों को पुनर्गणना रोकना तथा मुख्य सचिव व मुख्य मंत्री स्तर पर प्रगति की समीक्षा करना शामिल है।

2. अनुसूचित जनजाति विकास का एक व्यापक कार्यक्रम (जनजाति उप योजना नीति) है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना से चल रहा है। प्रत्येक योजना के अनुभव के आधार पर, जनजाति विकास कार्यक्रमों की प्लानिंग, समन्वय और प्रबोधन में सुधार करने का प्रयास छठी और सातवीं योजनाओं में किया गया है। केवल सम्बन्धित क्षेत्रों की जनजाति उप योजना के राशि-नियतन सम्बन्धी कुछ नीति विषयक परिवर्तन के बारे में तथा जनजाति उपयोजना के परिमाणन के लिए पूंजी प्रधान परियोजनाएं शामिल न करना (इनसे जनजातीय लोग सीधे लाभान्वित नहीं होते) ही राज्य सरकारों को सूचित किया गया है। इसी प्रकार, विशेष केन्द्रीय सहायता आई टी डी ए-वार आबंटित की जानी है। आई टी.डी.पी. और एम.ए.डी.ए. क्षेत्रों में न रहने वाले बिखरे आदिवासियों के लिये लाभपरक कार्यक्रम शुरू किये जाने हैं। प्रबोधन तरीकों की निरन्तर समीक्षा और सुधार किया जा रहा है।

"लकड़ी की खपत में कटौती करने के उपाय

3977. **श्री शांता राम नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लकड़ी की खपत में कटौती करने के उपायों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गये विकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्टोवों और चूल्हों की सुधरी हुई किस्मों को पुरःस्थापित करके, जलावन की लकड़ी के कुशल शवदाह गृहों, विद्युत शवदाह गृहों का विकास करके, इष्टिकाकरण के लिए आरा मशीनों और काष्ठ अपशिष्टों को इस्तेमाल करके, लकड़ी से गैस बनाने के संयंत्रों की स्थापना और इस संयंत्र के संचालन के लिए लकड़ी प्राप्त करने हेतु पौधरोपण करके, रेलवे लाइनों में लकड़ी के स्लीपरों की जगह कंकरीट या धातु के स्लीपरों का प्रयोग करके और जैव-

गैस, सौर ऊर्जा और तरल पैट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) जैसे गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाकर लकड़ी के उपभोग की मात्रा में कमी लाई जायेगी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने काष्ठ की छिल्लन और काष्ठ की लुगदी के आयात को आयात कर से छूट देकर और लकड़ी और इमारती लकड़ी के मामले में इसे 10 प्रतिशत तक कम करके आयात को उदार बना दिया है।

कोचीन में नौसेना भौतिकी और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला

3978. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थित नौसैनिक भौतिकी और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) नौसेना भौतिकी और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन के लिए ककनाड में अतिरिक्त तकनीकी आवास की अनुमानित लागत 6·0.77 लाख रुपए है।

(ख) 1988 के अन्त तक।

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

3979. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा भारत सरकार को कितने आवेदन पत्र भेजे गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में फरार होने के आधार पर कितने आवेदनों पर पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) शेष मामलों में पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) बिहार से लगभग 95,000 और उत्तर प्रदेश से लगभग 27,000 आवेदन पत्र स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 और स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन स्वीकृति के लिए प्राप्त हुये हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन पत्र आवेदकों से सीधे प्राप्त हुए हैं।

गत तीन वर्षों अर्थात् 1983, 1984 और 1985 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्रमश: 1346 और 694 मामलों में पेंशन की स्वीकृति दी गई है, जिनमें फरार होने की यातना के दावों के मामले शामिल हैं। यातना के दावों के अनुसार स्वीकृति मामलों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) सभी राज्यों के लम्बित आवेदन-पत्रों पर 15 अगस्त, 1986 तक कार्रवाई करने के

लिए एक अभियान शुरू किया गया है, और इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ।

हिन्दी]

विशेष पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अरावली पर्वत क्षेत्र

3980. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग से, अरावली पर्वत क्षेत्र को विशेष पर्वत क्षेत्र पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने का जोरदार आग्रह किया है;

(ख) क्या योजना आयोग इसके लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां तो पिछड़े अरावली पर्वत क्षेत्र को विशेष पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नए पहाड़ी क्षेत्रों के चित्रण के लिए सुझाए गए माप दण्डों के अनुसार उपयुक्त माप दण्ड तैयार करने और देश में नए पहाड़ी क्षेत्रों की एक सूची तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। अरावली पहाड़ियों के संबंध में राजस्थान सरकार का दावा विशेषज्ञ दल को सौंपा गया है। इस दल को अपने कार्यकाल अक्तूबर, 1986 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कल्याण के समीप नौसेना परियोजना

3981. **श्री एस. पी. चोलप्प** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कल्याण के समीप नेवेली में नौ सेना परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) क्या परियोजना के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना की तात्कालिक एवं भावी सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने अगस्त, 1983 में बम्बई में कल्याण (नेवेली) में 22.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक हेलीकाप्टर बेस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए वायुसेना ने 1659 एकड़ रक्षा भूमि भी नौसेना को हस्तांतरित कर दी है।

"वन विकास निगम का कार्यकरण

3982. डा. फूलरेणु गुहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या वन विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो शुरू किए जाने वाले कार्य की योजना क्या है और उसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न वन निगमों द्वारा आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य में ये शामिल हैं वनों के दोहन में ठेकेदारी प्रथा को हटाना, समन्वित काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना करना, लघु वन उत्पादों का एकत्रीकरण, संसाधन और विपणन, गहन प्रबन्ध और व्यापक वन रोपण के माध्यम से पटटे पर दिए गये वन क्षेत्रों का विकास, वन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए संयुक्त सहयोगी उपक्रम और औद्योगिक उपयोग के लिए पौधरोपण। भारत सरकार ने नौ वन विकास निगमों को हिस्सेदारी पूंजी के रूप में 881.83 लाख रुपये की राशि आबंटित की है।

"परती भूमि विकास"

3983. श्री मानिक सान्याल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष 50 लाख हेक्टेयर परती भूमि पर ईंधन लकड़ी और चारा उगाने का लक्ष्य सातवीं योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिया जाएगा;

(ख) योजना के प्रथम वर्ष का कार्य निष्पादन क्या था; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए चुने गए क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वर्तमान अनुमानों पर आधारित सातवीं योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष पांच मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन रोपण के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने की संभावना है।

(ख) 1985-86 में 1.40 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले में 1.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन रोपण किया गया।

(ग) यह कार्यक्रम प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1985-86 के दौरान वनरोपण के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लक्ष्य (हजार हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हजार हेक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश	130.0	157.80
2.	असम	20.0	19.80
3.	बिहार	75.0	76.15
4.	गुजरात	127.5	124.85
5.	हरियाणा	47.5	46.85
6.	हिमाचल प्रदेश	27.5	33.60
7.	जम्मू और कश्मीर	17.5	23.35
8.	कर्नाटक	125.0	127.30
9.	केरल	30.0	58.30
10.	मध्य प्रदेश	175.0	175.05
11.	महाराष्ट्र	100.0	108.25
12.	मणिपुर	6.0	6.25
13.	मेघालय	6.5	6.55
14.	नागालैण्ड	9.0	13.45
15.	उड़ीसा	107.1	96.50
16.	पंजाब	26.35	29.50
17.	राजस्थान	41.0	47.50
18.	सिक्किम	4.1	4.10
19.	तमिलनाडु	55.0	60.75
20.	त्रिपुरा	7.5	10.00
21.	उत्तर प्रदेश	162.5	177.40
22.	पश्चिमी बंगाल	55.0	55.75
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4.75	4.75
24.	अरुणाचल प्रदेश	5.0	5.15
25.	चंडीगढ़	0.145	0.076
26.	दादर एवं नागर हवेली	1.5	1.55

1	2	3	4
27.	दिल्ली	1.25	1.25
28.	गोवा, दमन एवं दीव	1.6	2.25
29.	लक्षद्वीप	0.002	0.01.25
30.	मिजोरम	35.0	35.0
31.	पाण्डिचेरी	0.50	0.55
		1404.797 अथवा 1.40 मिलियन हेक्टेयर	1510.0385 अथवा 1.51 मिलियन हेक्टेयर

"प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण"

3984. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न प्रदूषण बोर्डों को यह अधिकार दिए हैं कि वे उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करें जो वायु और जल में प्रदूषण करते पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अब तक दी गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को क्या शक्तियां दी हैं; और

(घ) देश में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल और वायु में प्रदूषण को नियंत्रित करने में किस सीमा तक समर्थ हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्डों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली औद्योगिक ईकाइयों में प्रवेश और निरीक्षण करने, सहमति न देने अथवा वापस लेने और सहमति की शर्तों का अनुपालन न करने अथवा प्रदूषण पैदा करने के लिए दोषी इकाई के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार है।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता दी जा रही है :—

(1) नदियों के जल की गुणवत्ता का प्रबोधन,

(2) चुनिन्दा नगरों में परिवेशी वायु की गुणवत्ता का प्रबोधन,

(3) मानवशक्ति प्रशिक्षण,

(4) जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं।

(घ) प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की पहल पर, 4054 प्रदूषण उद्योगों (बड़े और मझोले) में से 2076 ईकाइयों ने बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं।

[हिन्दी]

"कर्नाटक उड़ीसा और बिहार में हाथियों का मारा जाना"

3985. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकार चोर हाथी दांत प्राप्त करने हेतु कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार के विभिन्न जिलों में चोरी छिपे निर्दोष हाथियों को मार रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो हाथी दांत की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) कर्नाटक और बिहार में हाथीदांत के लिए हाथियों के चोरों-छिपे शिकार की कुछ घटनायें हुई हैं, परन्तु उड़ीसा में हाथीदांत के लिए हाथियो के गुप्त रूप से हत्या किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ख) हाथीदांत की सस्करी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

(1) पिछले संसद सत्र के दौरान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम के उपबंधों के तहत, भारतीय हाथी-दांत के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और अधिनियम के उप-बन्धों में हाथीदांत के व्यापार के लिए जो छूट दी गई थी, उसे वापस लिया जा रहा है।

(2) अफ्रीका मूल के हाथीदांत के व्यापार एवं उत्पादन के लिए लाइसेंस देना आरम्भ किया गया है।

(3) वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तरराष्ट्रीय व्या-पार पर अभिनय (सी आई टी ई एस) के उपबन्धों के अनुसार हाथीदांत से बनी वस्तुओं के आयात तथा पुनः निर्यात को नियंत्रित किया जाता है।

(4) हाथियों के चोरी-छिपे शिकार और हाथीदांत के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के प्रयासों में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच 50 प्रतिशत साझे आधार पर एक नई योजना प्रतिपादित की गई है जिसके लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान 110·00 लाख रुपये का प्राविधान है।

(5) राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और बाघ रिजर्वों के लिए वित्तीय-सहायता में वृद्धि की जा रही है।

(6) केन्द्रीय वन्यजीव प्रभाग को मजबूत बनाने की योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसका उद्देश्य वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाना तथा वन्यजीव कानूनों का प्रवर्तन करना है।

[अनुवाद]

नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल और नागालैंड की विद्रोही गतिविधियां

3986. **श्री सुदर्शन दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागालैंड की नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड ने मिजो समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नागालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में अपनी विद्रोही गतिविधियां तेज कर दी हैं ;

(ख) जुलाई, 1986 के दौरान नागालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड के विद्रोहियों द्वारा मारे गये या घायल किए गए सैनिकों और लूटे गए हथियारों तथा गोला बारूद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में इन विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू): (क) जी हां, श्रीमान। एन.एस.सी.एन- की विघटनकारी गतिविधियों में जुलाई, 1986 के दौरान वृद्धि ध्यान में आयी है।

(ख) नागालैंड, मणिपुर तथा संघ राज्य क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश में जुलाई 1986 के दौरान 11 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गये इनमें असम राइफल्स के 6 जवान भी शामिल हैं। उन्होंने 12 हथियारों को लूटा और 6 सुरक्षा बल कर्मचारियों को घायल किया।

(ग) एन.एस.सी.एन की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा उपाय तेज किए गए हैं। सीमा पर सतर्कता कड़ी कर दी गई है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए आंतकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मणिपुर का "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है। उग्रवादियो की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-बर्मा सीमा पर "विक्षुब्ध क्षेत्र" पटटी को नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया गया है। नागालैंड और मणिपुर राज्य सरकारों से बैंकों/खजानो में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

तिलहनों तथा अन्य तेलों के मूल्य में वृद्धि

3987. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वनस्पति उत्पादकों में सट्टे की प्रवृत्ति के कारण तिलहनों तथा अन्य तेलों के मूल्यों में हुई वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वनस्पति में सट्टे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और तिलहनों और तेलों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) यदि कोई उपाय नहीं किए गए हैं तो,इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) खाद्य तिलहनों/तेलों के मूल्यों में वृद्धि, तिलहनों के उत्पादन में आई गिरावट और कमी के मौसम के कारण हुई है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हैं जिनसे वनस्पति के संबंध में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों का संकेत मिलता हो।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।
2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे राज्य के नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र में उत्पादित वनस्पति की 30 प्रतिशत मात्रा अधिप्राप्त करें।
3. पर्याप्त मात्रा में आयातित खाद्य तेल सप्लाई करके वनस्पति का पर्याप्त उत्पादन और उसकी आसान उपलब्धता बनाए रखी जाती है, ताकि देशी खाद्य तेलों पर पड़ने वाले दबाव को दूर किया जा सके।

(4) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी विरोधी उपायों में तेजी लाएं। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे तिलहनों और खाद्य तेलों के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले-जाने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा दें।

(5) वनस्पति को मूल्य-समर्थन के लिए, पहले इसे तैयार करने हेतु एक्सपैलर सरसों/रेपसीड तेल के इस्तेमाल की जो अनुमति दी गई थी, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, ताकि ये तेल सोधो खपत के लिए अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन

3988. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन से प्रभावित रहे और जिनका विकास विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नहीं हो सका ;

(ख) इन राज्यों को देश के अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) मुख्य रूप से राज्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है ;

(1) विशेष श्रेणी राज्य (असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा) जो आधार संरचना तथा संसाधन आधार से कमजोर हैं। (2) विशेष इतर श्रेणी राज्य, जिनका छठी योजना के शुरू होने से पहले प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम था। ये राज्य हैं-आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गई विकास कार्यनीति योजना अवधियों ने असमानताओं को कम करने के अनुरूप बनाई जाती हैं।

(ख) और (ग) असमानताओं को दूर करने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) राष्ट्रीय औसत से प्रति व्यक्ति कम आय वाले ऐसे पिछड़े राज्यों के पक्ष में अपनाये गए फारमूले के अनुसार, राज्यों को अपने योजना व्यय की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को संसाधनों का अन्तरण ;

(2) आठवें वित्त आयोग के फैसले (अवार्ड) के अनुसार जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में हैं तथा जिसमा आशय राजस्व अन्तराल को पूरा करने के अतिरिक्त, राज्यों के बीच असमानताओं को कम करना है, योजनाइतर संशाधनों का अन्तरण ;

(3) राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों जैसे पर्वतीय क्षेत्र, सूखाग्रवृत्त क्षेत्र और बाहुल्य वाले जनजातीय/क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराना ; और

(4) राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए निवेश राज सहायता और रियायती वित्त के रूप में विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था करना।

[अनुवाद]

भारतीय सेना को घटिया चाय की सप्लाई

3989. **श्री राम धन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम ने भारतीय सेना को घटिया चाय की सप्लाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) (क) जी, हां। भारतीय चाय व्यापार निगम से प्राप्त कुछ चाय घटिया पायी गयी।

(ख) इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और निगम के अफसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है।

मध्य प्रदेश को खाद्य तेल की सप्लाई

3990. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य की खाद्य तेल की कुल कितनी मांग थी;

(ख) उन तीन वर्षों में (वर्ष-वार) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य को खाद्य तेल की वास्तव में कितनी मांग सप्लाई की गई;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को की गई खाद्य तेल की सप्लाई उस राज्य की वास्तविक मांग की तुलना में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को सार्वजनिक वितरल प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल से खाद्य तेलों के आवंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ङ) तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) मध्य प्रदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों की पिछले तीन तेल वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान की गई मांग निम्न प्रकार है :—

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	मांग (मी. टनों में)
1983-84	60,000
1984-85	62,000
1985-86	62,000

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को किया गया आयातित खाद्य तेलों का आवंटन/उनके द्वारा उठाई गई मात्रा इस प्रकार है :—

तेल वर्ष	आवंटन	उठाई गई मात्रा
(नवम्बर-अक्तूबर)		
1983-84	40,000	20,463
1984-85	31,290	18,257
1985-86	14,200	7,303
	(अगस्त, 1986 तक)	(31-7-1986 तक)

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका अभिप्राय राज्य की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना नहीं होता, क्योंकि विदेशी मुद्रा की उपलब्धता संबंधी अड़चनों के कारण खाद्य तेलों का असीमित मात्रा में आयात नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) अगस्त, 1986 में मध्य प्रदेश को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन जुलाई, 1986 के 1500 मी.टन की तुलना में बढ़ाकर 3000 मी.टन कर दिया गया है।

खाद्यान्नों से नियंत्रण हटाना

3991. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन काफी मात्रा में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण जारी रखने के क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खाद्यान्नों से नियन्त्रण हटाने का है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रायय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पाँजा) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान 1480 से 1495 लाख मीटरी टन के बीच बीच के रेंज में खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) देश की खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे नियन्त्रणों और स्टाक सीमा, सचलन आदि पर लगे हुए प्रतिबन्धों को या तो हटा लिया गया है या उनमें ढील दे दी गई है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होगा, इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जाएगी।

मिदनापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

3992. **श्री सत्यागोपाल मिश्रा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने हेतु कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) पूर्वी विद्युत क्षेत्र, जिसमें शामिल राज्यों में पश्चिमी बंगाल भी है के बारे में स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति

3993. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण वर्ष 1985-86 के दौरान कितने व्यक्ति मारे गए तथा कितने गम्भीर रूप से घायल हुए;

(ख) इसी अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए तथा कितने गिरफ्तार किए गए; और

(ग) इन आतंकवादियों से बरामद हुए हथियारों तथा गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में चल रही सुपर बाजार की शाखाएं

3994. **श्री प्रो. चन्द्र भानु देवी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय सुपर बाजार की कितनी शाखाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितना घाटा हुआ अथवा उन्होंने कितना लाभ कमाया; और

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान सुपर बाजार की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) इस समय दिल्ली में सुपर बाजार की 102 शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार द्वारा इन शाखाओं के माध्यम से अर्जित किया गया निवल लाभ निम्न प्रकार है :—

1982-83	36.03 लाख रुपये (लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार)
1983-84	58.45 लाख रुपये (लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार)
1984-85	16.21 लाख रुपये (लेखों, जिनकी लेखा-परीक्षा होनी है, के अनुसार)

(ग) सातवीं योजना-अवधि के दौरान 80 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

"धूल प्रदूषण को रोकने के उपाय"

3995. श्री पी. कुलनदईवेलू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट कारखानों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के स्तरों की जांच के लिए नियुक्त कृतिक बल द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम रहे; और

(ख) धूल से प्रदूषण को रोकने के अब तक क्या उपाय किये गए हैं ?

पर्यावरण और वन संराज्य में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जिन 9 इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 2 इकाइयों के उत्सर्जन निर्धारित सीमा के भीतर पाये गए जबकि अन्य आवश्यक नियंत्रण उपायों की स्थापना की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) उद्योगों को दी गई समयावधि के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले धूल संग्रही लगाने के निदेश दिये गए हैं।

[हिन्दी]

वन अधिनियम के अधीन मंजूरी के लिए लम्बित मध्य प्रदेश की योजनाएं

3996. श्री के. एल. प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1986 की स्थिति अनुसार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन मध्य प्रदेश की कितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ लम्बित पड़ी हैं;

(ख) एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित और दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तेरह मामले।

(ख) केन्द्र सरकार के पास एक वर्ष से अधिक समय से कोई मामला लम्बित नहीं है। तथापि, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण 1985 में प्राप्त हुए 62 मामले और 1985 से पूर्व प्राप्त हुए 119 मामले बन्द समझे जा रहे हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान 29 मामले स्वीकृत किए।

ब्लाक स्तर पर योजना बनाया जाना

3997. श्री रामस्वरूप राम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभाव ग्रस्त गांवों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्लाक स्तर पर योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) सातवीं योजना में अपनाई गई नीति के अनुसार योजना का विकेन्द्रीकरण प्रावस्थाबद्ध तरीके से किया जाना है। योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के प्रथम चरण में राज्य स्तर से जिला स्तर तक आयोजना की जानी है जो कि एक सुविज्ञ और मान्यता प्राप्त प्रशासकीय इकाई है। अन्ततः विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का, विशेष रूप से गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, खण्ड स्तर तक विस्तार करना होगा। विकेन्द्रीकरण नीति, सातवीं योजना दस्तावेज, खण्ड दो के (अंग्रेजी) पृष्ठ 414-415 पैरा 21·20 से 21·29 में दी गई हैं।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर लाए गए पद सेवाएं

3998. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वर्ष-प्रतिवर्ष बहुत से पदों और सेवाओं को उनके क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की छूट पर कई बार टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन विभिन्न पदों और सेवाओं को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाला गया है; और

(ग) उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जब कभी किन्हीं पदों का संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे जाने का प्रस्ताव होता है तो सामान्यतः आयोग की टिप्पणियां प्राप्त कर ली जाती हैं। वैज्ञानिक पदों को छूट देने के लिए सरकार के एक प्रस्ताव के सन्दर्भ में आयोग ने हाल ही में ऐसी छूट दिए जाने के विरुद्ध अपनी टिप्पणियां दी हैं।

(ख) ऐसे पद तथा सेवाएं जिन्हें अब तक संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने की छूट प्राप्त है, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमयावली, 1958 में दिए गए हैं। छूट प्राप्त पदों और विभागों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पदों को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की छूट केवल तभी दी जाती है, जबकि प्रशासनिक अनिवार्यताएं और ऐसा करने के लिए पूर्ण औचित्य हो।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए पदों/सेवाओं की सूची : संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली, 1958 की अनुसूची

(1) ऐसे पद जिन पर नियुक्ति करने का प्राधिकार संविधान द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रपति को प्राप्त है।

(2) किसी बोर्ड, अधिकरण, आयोग, समिति अथवा किसी संविधि के उपबन्धों द्वारा या उसके अधीन सृजित किसी ऐसे ही अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के पद ।

(3) किसी बोर्ड, अधिकरण, आयोग, समिति या संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक के संकल्प के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन या निर्धारित मामलों पर अन्वेषण या जांच-पड़ताल प्रारम्भ करने या उन पर सरकार को सलाह देने के प्रयोजन से, सरकार के किसी संकल्प द्वारा स्थापित इसी प्रकार के अन्य किसी निकाय के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के पद ।

(4) विदेशों में स्थित राजनयिक कांउसलर तथा भारतीय मिशनों के अध्यक्षों के पद । (अर्थात् राजदूत, उच्चायुक्त, मंत्री, आयुक्त, कांउसलर-जनरल, प्रतिनिधि, एजेंट्स) ।

(5) उपर्युक्त मद संख्या (1) से (4) में उल्लिखित पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के साथ संबद्ध वैयक्तिक स्टाफ के पद ।

(6) लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के पद ।

(7) परमाणु ऊर्जा आयोग में या उसके अधीन सभी तकनीकी और प्रशासनिक पद ।

(8) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों, अतिरिक्त न्यायिक आयुक्तों, जिला न्यायाधीशों, सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के पद ।

(9) संघ राज्य क्षेत्रों में, किसी उच्च न्यायालय अथवा मद (8) में शामिल न्यायिक/आयुक्त की अदालत से भिन्न किसी अन्य न्यायिक/आयुक्त की अदालत के नियन्त्रणाधीन सभी सिविल और आपराधिक न्यायिक पद ।

(10) समूह 'ग' तथा 'घ' की सभी सेवाएं तथा पद, उन पदों को छोड़कर जिनकी भर्ती को शासित करने वाले संगत नियमों अथवा आदेशों में अन्यथा व्यवस्था न हो ।

(11) अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से सम्बन्धित पदों से भिन्न ऐसे पद जो उक्त सेवा अथवा पदों की भर्ती को शामिल करने वाले संगत भर्ती नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते ।

(12) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा वैयक्तिक स्टाफ के पद ।

(12 ए) विदेश मंत्रालय के अधीन, सरकारी आतिथ्य संगठन के पद ।

(13) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रपति अनुसंधान प्रोफेसर ।

(14) योजना आयोग में परामर्शदाताओं तथा मुख्य परामर्शदाता के पद ।

(15) भारत के महा सालिसीटर और भारत के अपर महासालिसीटर के निजी सचिव के पद ।

(16) आसूचना ब्यूरों में अनुभाग अधिकारियों के पदों से भिन्न समूह "ख" के अनुसचिवीय पद ।

(17) निम्नलिखित में अथवा के अधीन सभी तकनीकी और प्रशासनिक पद :

(क) अन्तरिक्ष विभाग;

(ख) मंत्रीमण्डल-कार्य विभाग के दिनांक पहली जून, 1972 के संख्या 83/1/72-सी. एफ. के भारत सरकार के संकल्प द्वारा गठित अन्तरिक्ष आयोग।

(18) निम्नलिखित में अथवा के अधीन सभी तकनीकी और प्रशासनिक पद :

(क) इलक्ट्रोनिकी विभाग;

(ख) मंत्री मण्डल-कार्य विभाग के दिनांक पहली फरवरी, 1971 के संख्या 26/7/70-ई. सी. के भारत सरकार के संकल्प द्वारा गठित इलैक्ट्रोनिकी आयोग।

(19) गोवा दमन और दीव की विधान सभा के अध्यक्ष के निजी सचिव और उपाध्यक्ष के निजी सचिव के पद।

(19 ए) रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी. आर. डी. ओ.) में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की भर्ती/पदोन्नति।

(19 बी) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अथवा के अधीन सभी समूह "क" और समूह "ख" के पद।

(20) ऐसी कोई सेवाएं अथवा पद अथवा पदों की श्रेणी जिसके बारे में आयोग ने इस आशय की सहमति दे रखी हो कि इसके लिए परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

सेवा संबंधित मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश

3999. **श्री राज कुमार राय** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम विभाग में प्रतिनियुक्ति सहायकों की जिस तारीख को उन्होंने प्रारम्भ में पैट्रोलियम विभाग में कार्यभार सम्भाला था उसी तारीख से, पारस्परिक वरीयता का निर्धारण करने के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिसके प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाही की जाएगी।

दिल्ली के बुलाई, '86' के दंगा पीड़ितों को दिया गया मुआवजा

4000. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 25,26 और 27 जुलाई 1986 को दिल्ली की हिंसक घटनाओं में कितने मूल्य की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी मृतकों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को अलग-अलग अब तक कितनी धनराशि का

मुआवजा दिया गया और उक्त घटनाओं के लिए उत्तरदायी अपराधियों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : 52, 50, 000/-रु. (लगभग) के मूल्य की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। मारे गये छः व्यक्तियों के निकट संबंधियों में प्रत्येक को रु. 20,000/-की दर से मुआवजा स्वीकृत किया गया है और 28 घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 10,000/-रु. की स्वीकृति दी गई है। अब तक 63 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं और मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है। इसके अतिरिक्त 642 निवारक गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

सुपर बाजार की शाखा द्वारा दूषित आटे की बिक्री

4001. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की कुछ शाखाएं से अपमिश्रित और दूषित आटा बेच रही हैं।

(ख) क्या सुपर बाजार की किसी शाखा से अपमिश्रत और दूषित आटा बेचे जाने के बारे में शिकायत की गई थी; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) इस विभाग के पास सुपर बाजार की शाखाओं द्वारा मिलावटी तथा दूषित आटा बेचे जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें अपनी किसी भी शाखा द्वारा मिलावटी तथा दूषित आटा बेचे जाने के बारे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की आयु

4002. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कार्यरत सिविलियन वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की आयु हाल ही में 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी संगठन में वैज्ञानिक के रूप में स्थायी रूप से कार्यरत सेकेन्डेड डिफेंस सर्विसेज" अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आदेश कब जारी किए जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां। यह इस शर्त पर कि वैज्ञानिक "ड" से नीचे के ग्रेडों में कार्यरत वैज्ञानिक, जिन पर परिवर्तन-

शील पूरक योजना लागू होती है, यदि उन ग्रेडों पर 5 वर्षों से अधिक समय तक रहते हैं तो वे 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर भाग (ख) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सेना अफसरों की सेवा शर्तें रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में कार्यरत सिविल अफसरों से भिन्न हैं ?

सुपर बाजार का कार्यचालन

4003. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है ;

(ख) इसका श्रेणी-वार मासिक मजूरी बिल कितना है ?

(ग) यदि हां, तो इसके कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान इसमें कितना कारोबार किया गया और कितना मुनाफा कमाया गया और यह वर्ष 1984-85 के कारोबार और मुनाफे की तुलना में कितना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इसमें आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नहीं है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) सुपर बाजार के अनुसार उसके प्रबंधक स्थापना व्यय पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह सजग हैं और इसके लिए वे अपनी स्थापना लागत पर लगातार नजर रखते हैं।

(घ) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई हैं।

विवरण I

सुपर बाजार का मासिक वेतन-बिल

क्र. सं.	विभाग/शाखा	राशि
1.	केन्द्रीय कार्यालय/अधिकारी	2,99,521.00 रु.
2.	लेखा एवं छोटी शाखाएं	5,81,602.00 रु.
3.	3 मुख्य बहु-विभागी भण्डार (कनाट सर्कस आई. एन. ए.,पटेल नगर)	7,74,453.00 रु.
	कुल :	16,55,576.00 रु.

विवरण II

बिक्री	आयकर का भुगतान करने के पश्चात निवल लाभ
(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
1984-85 4432	16.21 (गैर-लेखा परीक्षित)
1985-86 6635	इस वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत-बंगलादेश सीमा पर आवागमन

4004. **श्री सैयद शाहबुददीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में भारत बंगलादेश सीमा पर बड़े पैमाने पर लोगों का आवागमन हो रहा है और पशुओं सहित माल लाया-ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस आवागमन और माल का लाया-ले जाया जाना रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सरकार को बड़े पैमाने पर इस प्रकार के आवागमन की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक एककों द्वारा टी. वी. सैटों का निर्माण

4005. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किन्हीं बड़े औद्योगिक एककों ने देश में टी. वी. सैटों के निर्माण के लिए एकक स्थापित करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) एकाधिकार प्रतिबंधकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली चार कम्पनियों ने हाल ही में देश में दूरदर्शन विनिर्माण एकक स्थापित करने की रुचि दिखाई है। इसमें से निम्नलिखित दो कम्पनियों को रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए प्रत्येक को प्रतिवर्ष 50,000 सेट (आशय-पत्र जारी किए गए हैं :

(1) मेसर्स डालमिया सीनेन्ट्स (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली।

(2) मेसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बम्बई।

औद्योगिक लाइसेंस के लिए अन्य दो कम्पनियों के आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम

4006. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता राशि दी गई ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया ;

(ग) क्या कोई केन्द्रीय दल इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक राज्य में भेजा गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) किन राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और किन राज्यों ने नहीं प्राप्त किए है और इसके क्या कारण है ; और

(च) वर्ष 1986-87 के दौरान पूरे देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु क्या उपाय किये गए है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 20-सूत्री कार्यक्रम राज्यों की योजना का अनिवार्य अंग है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता खंड ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है और अलग योजनाओं कार्यक्रमों के लिए नहीं। इसलिए वर्ष 1985-86 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दी गई सहायता संबंधी सूचना उपलब्ध नही है। फिर भी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और बंधुआ मजदूर पुर्नावास जैसे कतिपय कार्यक्रमों के लिए, केन्द्र सरकार इन कार्यक्रमों के लिये राज्यों को अतिरिक्त निधि देती है। प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा दिये गये परिव्यय और उपर्युक्त 4 कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इन पर प्रत्याशित व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन और पश्चिम बंगाल का दौरा किया और राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।

(घ) इन चर्चाओं में राज्य सरकारों को उन मदों के अन्यर्गत कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी गई, जिनमें प्रगति सतोषजनक नहीं थी।

(ङ) विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्यों की उपलब्धि समान नहीं है। फिर भी, राज्यों के समग्र निष्पादन का क्रम बनाने के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार, वर्ष 1985-86 के दौरान पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य ने वार्षिक लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक हासिल किया। बाकी राज्यों का कार्य निष्पादन 90 प्रतिशत से कम था। राज्यों द्वारा बताये गए कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

भूमि अधिग्रहण की समस्या जिसमें वन भूमि शामिल है, निधि की कमी, निर्माण सामग्री की कमी, लंबी कार्यावधि वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त के लिये पुराने लाभ भोगियों को जानना, मौसमी फेरबदल, निरीक्षण कर्मचारियों की कमी, योजना तैयार करने और मंजूरी लेने में देर से कार्यवाही करना पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी, अपर्याप्त आधारी संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था।

(च) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी मुख्य मंत्रियों से उपयुक्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया है और उनसे यह भी कहा कि वे मंत्री जी को प्रगति के रास्ते में आने वाली अड़चनों की जानकारी दें ताकि केन्द्र सरकार मदद कर सके।

विवरण

परिव्यय और वास्तविक व्यय—1985-86

क्र.सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र	एकी. ग्रा. वि. का.		रा. ग्रा. रो. का.		ग्रा.भू. रो. गा. का.		बंधुआ मजदूर	
		परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1333.16	1333.19	2270.00	1889.50	4970.00	3630.01	40.00	50.00
2.	असम	688.60	467.42	498.00	472.73	1088.00	417.27	—	—
3.	बिहार	2624.20	2477.45	3274.00	2915.74	7149.20	3311.25	2.00	3.00
4.	गुजरात	798.55	845.97	740.00	940.00	1630.60	1416.93	0.50	0.50
5.	हरियाणा	220.62	372.00	196.00	186.98	439.20	397.55	1.00	11.00
6.	हिमाचल प्रदेश	155.32	215.44	138.00	126.23	301.60	231.29	—	—
7.	जम्मू और काश्मीर	274.89	286.29	170.00	137.73	366.20	119.00	—	—
8.	कर्नाटक	863.28	863.28	1080.00	1516.57	2356.40	2336.82	200.00	185.25
9.	केरल	670.66	669.94	1060.00	987.28	2301.40	1333.05	1.00	1.00
10.	मध्य प्रदेश	1881.40	1882.38	1676.00	1872.56	3687.80	2022.56	20.00	20.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. महाराष्ट्र	1528.93	1526.12	1826.00	3623.00	3973.00	2737.97	5.00	6.58
12. मणिपुर	63.21	77.60	25.00	46.11	55.20	2.98	—	—
13. मेघालय	85.46	48.72	34.00	21.71	71.60	46.23	—	—
14. नागालैंड	50.14	84.00	24.00	32.00	51.40	42.45	—	—
15. उड़ीसा	1428.20	1098.11	1036.00	753.79	2239.00	1080.06	100.00	150.00
16. पंजाब	265.53	457.19	316.00	312.46	704.00	583.30	—	—
17. राजस्थान	793.82	868.91	550.00	1300.00	1213.80	707.39	37.66	5.00
18. सिक्किम	10.40	13.02	18.00	18.00	40.80	49.18	—	—
19. तमिलनाडु	1388.43	1512.08	2050.00	1934.95	4438.80	4114.43	20.00	1.03
20. त्रिपुरा	82.88	82.88	76.00	73.16	164.80	103.81	—	—
21. उत्तर प्रदेश	3413.62	3440.51	3922.00	3765.27	8523.00	9928.44	100.00	57.15
22. पश्चिम बंगाल	1701.64	1500.29	1774.00	1545.30	3870.60	1572.29	—	—

कृषि के विकास के लिए राज्यों की सहायता

4007. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान कृषि के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े और आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन राज्यों को कितनी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) विभिन्न राज्यों को अपनी योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए आवंटित केन्द्रीय सहायता, ब्लाक ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है और इस प्रकार 1986-87 में कृषि के विकास के लिए विशिष्ट रूप से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) राज्यों को अपनी वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय 1986-87 के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है। उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनता टाइप रंगीन टेलिविजन

4008. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनता टाइप रंगीन दूरदर्शन सैटों और ट्यूबों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है, जैसाकि ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सेटों के मामले में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दूरदर्शन निर्माताओं को कोई निदेश जारी किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) न्यूनतम अनिवार्य विशिष्टियों के बगैर एक व्यावहारिक रंगीन टूनदर्शन सेट के रूप में एक जनता टाइप रंगीन दूरदर्शन सेट के उत्पादन करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई टी एण्ड टी) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम अपने "सामग्री प्रौद्योगिकी ब्रांड नाम" (एम टी बी) नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उनके द्वारा थोक मात्रा में खरीदी गई सामग्री की आपूर्ति करके इस प्रकार के रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन वाजिब लागत पर करने के लिए उद्योग को सहायता प्रदान कर रहा है।

यद्यपि रंगीन दूरदर्शन विनिर्माताओं को कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है, तथापि उपर्युक्त कार्यक्रम एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा ।

ग्रामीण विकास के लिए प्रशासकीय प्रबन्धों की पुनरीक्षा के लिए समिति

4009. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास हेतु वर्तमान प्रशासकीय प्रबन्धों की पुनरीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या है ;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(घ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ;

(ङ) यदि नहीं, तो समिति के कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है ; और

(च) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां ।

विवरण

समिति के कार्य

(1) वर्तमान संगठानात्मक व्यवस्थाओं और जारी ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और संरचनात्मक अतिव्याप्तियों को ढूंढना तथा उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सेवाओं को एकीकृत वितरण में समाविष्ट करना ।

(2) जिला तथा उस से नीचे के स्तर पर एक उचित प्रशासनिक व्यवस्था का सुझाव देना, जो इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विकेन्द्रीकृत योजना के लिए एक एकीकृत रूपरेखा प्रदान करेगा ।

(3) पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका तथा प्रस्तावित प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उन के सम्बन्ध का अध्ययन करना और इस सम्बन्ध में उचित सिफारिशें देना ।

(4) ग्रामीण विकास के लिए कुल वितरण तंत्र के भाग के रूप में प्रस्तावित संगठनात्मक व्यवस्थाओं और अन्य अभिकरणों, जैसे स्वयंसेवी संगठन, सहकारी और वित्तीय

संस्थाओं के बीच सम्बन्ध और कार्यकारी समपर्क के सम्बन्ध का परीक्षण करना तथा सिफारिशें देना।

(5) व्यवस्थाओं पर सुझाव देना, जो कि लक्ष्य दल के सदस्यों के लिए प्रभावशाली सहभागिता की भूमिका तथा उनके और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के बीच उचित सम्बन्धी को सुनिश्चित करेंगे।

एस्कोर्ट्स की तैरती शुष्क गोदी फ्लोटिंग ड्राई डाक खरीद

4010. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ सेना एस्कोर्ट्स की तैरती शुष्क गोदी खरीद रही है और यदि हां, तो किस मूल्य पर;

(ख) यह गोदी कहां पर स्थित होगी; और

(ग) इसे इसके प्रस्तावित स्थान तक ले जाने पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) नौसेना, एस्कोर्ट्स की तैरती शुष्क गोदी के प्रस्ताव सहित अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए तैरती शुष्क गोदी की खरीद के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है।

पौलीमैटेलिक नाड्यूल्स के खनन के लिए एक पृथक एजेन्सी

4011. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी भी स्तर पर हिन्द महासागर में पौलीमैटेलिक मैंगनीज नाड्यूल्स, जो 21वीं सदी में मैंगनीज, तांबे, निकल और कोबाल्ट के लिए मुख्य स्त्रोत होगा, के खनन के लिए कोई एजेन्सी स्थापित करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। सरकार ने हिन्द महासागर में पौलीमैटेलिक नाड्यूल्स के खनन के लिए एक पृथक एजेन्सी स्थापित करने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मैंगनीज पोलीमैटेलिक नाड्यूल्स के खनन के लिए एक पृथक एजेन्सी की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करना अभी समय पूर्व होगा। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के प्रारंभिक आयोग द्वारा भारत को एक विशेष स्थल आबंटित किए जाने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

कम लागत के अक्रिस्टलीय सिलिकान सौर से तेल का उत्पादन

4012. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अक्रिस्टलीय सिलिकान सौर सेल ऊर्जा का कम लागत पर उत्पादन वाणिज्यिक और उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग, 1983 से अक्रिस्टलीय (अमोरफस) के सिलिकन सौर सैलों के विकास के लिए एक समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा हैं। इस समय कार्यक्रम में सात (7) अनुसंधान संस्थाएं हैं। अब तक किए गए देशी प्रयत्नों ने इस प्रौद्योगिकी में एक अनुसंधान आधार तैयार किया है। और इससे प्रयोगशाला में 7.5 प्रतिशत दक्षता लघु क्षेत्र सेल का विकास हुआ है। सातवीं योजना के दौरान, सरकार ने इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। तदनुसार, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग अक्रिस्टलीय (अमोरफस) सिलिकान सौर सैलों एवं मौड्यूलों के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना कर रहा है। इस प्रकार की सुविधा से आशा की जाती है कि यह कम लागत की युक्तियां जो कि वाणिज्यिक रूप से तैयार की जा सकती हैं और जिनका प्रयोग विस्तृत पैमाने पर किया जा सकता है, के विकास के लिए अपना योगदान कर सकती हैं।

तिरुपति में वृक्ष काटने के लिए अनुमति

4013. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तिरुपति में श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय के लिए भवनों का निर्माण करने के लिए वृक्षों को काटने के लिये स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए मूल स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे के पेंशन भोगियों की कठिनाइयों की सुनवाई के लिए एक पृथक निकाय स्थापित करना

4014. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे के पेंशनभोगियों की कठिनाइयों की सुनवाई करने और

उनके बारे में मौके पर ही निर्णय के लिये एक पृथक निकाय स्थापित करने का विचार है; और और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, नहीं। रेलवे पेंशनरों की शिकायतों की सुनवाई करने और उनका मौके पर निर्णय के देने के लिए कोई अलग निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी दिनांक 1.8.86 से उत्तरी रेलवे के पेंशनरों के लिए प्रयोगात्मक उपाय के रूप में, पेंशन अदालतें स्थापित की गई थीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गेहूं की विवशपूर्ण बिक्री

4015. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की विवशपूर्ण बिक्री की कोई शिकायत आई है;

(ख) यदि हा, तो ये उन क्षेत्रों से सम्बधित हैं जो राज्य सरकार के संचालन या भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्गत आते है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास विहित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप गेहूं की मजबूरन बिक्री करने के बारे में कोई समाचार प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जांच आयोगों पर किया गया व्यय

4016. **डा. ए. के. पटेल** :
श्री सी. अंगा रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान तथा उसके पश्चात् किन परिस्थितियों में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत विभिन्न आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी;

(ख) प्रत्येक आयोग पर कितना व्यय किया गया;

(ग) प्रत्येक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लिया; और

(घ) आयोगों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नशीली औषधियों का आदी होना

4017. **श्री ए. के. पटेल :**
श्री सी. अंगा रेड्डी :
श्री अमिताभ बच्चन :

क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में युवकों के बीच नशीली औषधियों का दुरुपयोग किये जाने संबंधी स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी टिप्पणियां और सुझाव क्या हैं;

(ग) भारत में कितने लोग नशीशी औषधियों के आदी हैं; और

(घ) इस खतरे को रोकने और नशीली औषधियों के आदी व्यक्तियों के उपचार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगे) : (क) से (ग) देश के 4 महानगरों और 5 अन्य नगरों में छात्रों में व्याप्त नशीली औषधि सेवन संबंधी एक अध्ययन 1985 में शुरू किया गया। यह अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हुआ।

(घ) समाज के विभिन्न वर्गों में नशीली औषधियों के सेवन को रोकने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनी, प्रशासनिक, कल्याणकारी और प्रचार सम्बन्धी उपाय कर रही है।

आदिवासियों की भूमि सम्बन्धी समस्याएं

4018. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आदिवासियों की भूमि संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रो. राय बर्मन की अध्यक्षता में एक विशेष समिति स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उन पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि संबंधी समस्याओं जो आदिवासी क्षेत्र नहीं हैं, पर विचार करने के लिए इसे समिति के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा अथवा इसके लिए एक नई समिति नियुक्त की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में भूमि-जोत व्यवस्था के संबंध में डा. बी. के. राय बर्मन की अध्यक्षा में एक अध्ययन दल गठित किया है। अध्ययन दल से अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1986 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) इस अध्ययन दल के कार्य क्षेत्र का और विस्तार करने अथवा पहाड़ी क्षेत्रों, जो जनजातीय स्वरूप के नहीं हैं, की भूमि समस्याओं पर विचार करने के लिए एक नई समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है।

परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

4019. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान नई परियोजनाओं की तुलना में उन 134 परियोजनानों के कार्यान्वयन को कोई प्राथमिकता दी जाएगी जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए.बी.ए.गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सरकार उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब को कम करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर रही है जो अपने निर्धारित समय से पीछे रह गई है।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

4020. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों में डकैती, लूट, आगजनी, चोरी, हत्या और बलात्कार की कितनी घटाएं हुई हैं और ऐसी घटनाओं में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

"लोक व्यवस्था" विषय राज्य सूची में है। पुलिस एजेंसियों के तन्त्र के माध्यम से अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने सहित लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1986 के दौरान डकैती, लूटपाट, चोरी, हत्या और बलात्कार की घटनाओं की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	डकैती	लूटपाट	चोरी	हत्या	बलात्कार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य :							
1.	आन्ध्र प्रदेश	88	116	2,402	305	62	मार्च, 1986 तक
2.	असम	165	211	2,992	241	117	अप्रैल, 1986 तक
3.	बिहार	789	600	5,331	759	101	मार्च, 1986 तक
4.	गुजरात	21	69	1,666	70	11	जनवरी, 1986 तक
5.	हरियाणा	11	31	1,567	181	56	जून, 1986 तक
6.	हिमाचल प्रदेश	1	14	304	29	25	जून, 1986 तक
7.	जम्मू एवं काश्मीर	उ.	नहीं	उ.	नहीं	उ.	नहीं
8.	कर्नाटक	117	256	8,234	548	59	जून, 1986 तक
9.	केरल	9	44	979	237	51	मई, 1986 तक
10.	मध्य प्रदेश	114	978	16,348	1,104	676	मई, 1986 तक
11.	महाराष्ट्र	186	1,119	16,465	701	265	अप्रैल, 1986 तक

1 2	3	4	5	6	7	8
12. मणिपुर	22	25	470	29	5	जून, 1986 तक
13. मेघालय	12	16	171	49	7	मई, 1986 तक
14. नागालैंड	14	38	271	20	5	जून, 1986 तक
15. उड़ीसा	89	280	3,505	210	55	अप्रैल, 1986 तक
16. पंजाब	8	61	716	221	15	मार्च, 1986 तक
17. राजस्थान	30	582	6,298	537	300	जून, 1986 तक
18. सिक्किम	1	5	30	1	2	जून, 1980 तक
19. तमिलनाडु	24	130	7,442	448	64	अप्रैल, 1986 तक
20. त्रिपुरा	61	66	358	48	20	मई, 1986 तक
21. उत्तर प्रदेश	865	2,565	19,591	2,066	414	अप्रैल, 1986 तक
22. पश्चिम बंगाल	...	...	उपलब्ध नहीं	...	...	...
संघ राज्य क्षेत्र :						
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	45	8	—	मई, 1986 तक
24. अरुणाचल प्रदेश	6	9	70	13	1	अप्रैल, 1986 तक
25. चण्डीगढ़	—	3	270	5	2	मई, 1986 तक

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दादरा और नगर हवेली	1	3	27	5	—	जून, 1986 तक
27.	दिल्ली	11	102	5,958	131	54	जून, 1986 तक
28.	गोवा दमन और दीव	1	31	562	10	5	जून, 1986 तक
29.	लक्यद्वीप	—	—	1	—	—	जून, 1986 तक
30.	मिजोरम	—	9	108	17	19	जून, 1986 तक
31.	पांडिचेरी	2	6	342	8	2	जून, 1986 तक

टिप्पणी :—

1. (—) ऋण "शून्य" सूचना से लिए है :

2. मासिक अपराध की सांख्यिकी पर सूचना आधारित है और इसे औपचारिक माना जाए।

दिल्ली में अर्धसैनिक बलों का तैनात किया जाना

4021. **श्री अमल दत्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर 1984 से जून, 1986 तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में तैनात किये गए अर्धसैनिक बलों की कुल संख्या का महीनेवार, वर्गवार ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अक्तूबर, 1984 से जून, 1986 तक दिल्ली में अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती के बारे में सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

अक्तूबर, 1984 से जून, 1986 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में तैनात किए गए अर्द्ध-सैनिक बल

वर्ष तथा मास	के. रि. पु. ब. (कंपनियों में)	बी. एस. एफ. (कंपनियों में)	आई. टी. बी. पी. (कंपनियों में)
1984			
अक्तूबर	27	2	—
नवम्बर	55	3	—
दिसम्बर	44	—	—
1985			
जनवरी	44	—	3
फरवरी	36	—	3
मार्च	25	—	3
अप्रैल	28	—	3
मई	25	1	3
जून	35	—	3
जुलाई	29	—	3
अगस्त	40	—	3
सितम्बर	38	—	3
अक्तूबर	47	—	3
नवम्बर	41	3	3
दिसम्बर	41	—	3

1	2	3	4
1986			
जनवरी	40	—	3
फरवरी	46	7	3
मार्च	45	—	3
अप्रैल	38	1	3
मई	58	—	3
जून	45	—	3

वाहनों के विकास के सम्बन्ध में अनुसन्धान

4022. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने देश में जन साधारण के परिवहन के लिए वाहन के विकास का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो वाहन की मुख्य बात क्या है; और

(ग) डिजाइन और विकास के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अण्डमान और निकोबार में कृषकों को पट्टे देना

4023. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने अण्डमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में सभी कृषकों को पट्टे दे दिए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कृषकों को पट्टे देने का काम कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार विनियमन, 1966 में पट्टे जारी करने की व्यवस्था नहीं है।

रक्षा सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग-परीक्षा

4024. **श्री माणिक रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीद-

वारों में से कितने उम्मीदवारों को स्वास्थ्य परीक्षा में अयोग्य घोषित किया गया और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने उम्मीदवारों को पहली बार स्वास्थ्य परीक्षा में अयोग्य घोषित किया गया और उन्होंने और पुनर्विचार की अपील की और अपील करने पर कितनों को परीक्षा में पास किया गया, अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों और अपील करने पर पास किए गए उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए 1982 से 1985 के दौरान आरम्भ किए गये पाठ्यक्रमों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों और जिन्हें विशेष चिकित्सा बोर्डों तथा अपील चिकित्सा बोर्डों ने अयोग्य घोषित कर दिया था, उनके बारे में आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

चिकित्सा बोर्डों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण

रक्षा प्रशिक्षण संसाधनों में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग की रक्षा सेवा परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात् सेना चिकित्सा बोर्डों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों का विवरण

पाठ्यक्रम अवधि एवं वर्ष	चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजे गये उम्मीदवार	विशेष चिकित्सा बोर्डों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार	जिन उम्मीदवारों ने विशेष चिकित्सा बोर्डों के निर्णय के खिलाफ अपील चिकित्सा बोर्ड को अपील की।	अपील चिकित्सा बोर्डों द्वारा अयोग्य घोषित उम्मीदवार	अपील के बाद योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार	चिकित्सा बोर्डों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
			राष्ट्रीय रक्षा अकादमी			
जनवरी और जुलाई :						
1982	870	251	132	72	60	191
1983	826	306	136	67	69	237
1984	935	330	163	92	71	259
1985	866	292	135	71	64	228

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
			भारतीय मिलिटरी अकादमी			
जनवरी और जुलाई :						
1982	371	143	81	33	43	100
1983	446	142	86	42	44	98
1984	527	191	117	52	65	126
1985	401	119	50	26	24	95
			नौसेना अकादमी			
जनवरी और जुलाई :						
1982	90	33	33	22	11	22
1983	95	41	41	38	3	38
1984	99	30	30	24	6	24
1985	93	40	40	26	14	26
			वायुसेना अकादमी			
जनवरी और जुलाई :						
1982	57	20	4	2	2	18
1983	52	13	4	3	1	12
1984	56	19	3	3	—	19
1985	50	13	5	4	1	12
			अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास			
मई और अक्तूबर :						
1982	419	165	73	44	29	136
1983	293	80	36	20	16	64
1984	380	148	55	34	21	127
1985	335	104	62	42	20	84

खारे पानी को पीने योग्य बनाने संबंधी तकनीक का वाणिज्यिक उपयोग

4025. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए नई तकनीकों का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो क्या और उनसे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : महासागर विकास विभाग ने खारे पानी को पीने योग्य बनाने सम्बन्धी नई तकनीकों के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना के लिये केन्द्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान, भावनगर द्वारा उत्क्रमिक परासरण (रिवर्स आक्समासिस) की प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। खारे पानी को पेय जल में बदलने वाले दो संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन है। इनमें से एक संयंत्र तमिलनाडु में और दूसरा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इस संयन्त्र की क्षमता को बढ़ाकर 100,000 लीटर प्रतिदिन किया जा रहा है। वाणिज्यिक विलवणीकरण (डीसेलाइनेशन) के लिए अन्य प्रौद्योगिकियों में भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र द्वारा विकसित बहुआयामी कृत्रिम आसवन (फ्लैश डिस्टिलेशन) और रक्षा अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोधपुर द्वारा विकसित विद्युत-अपोहन (इलैक्ट्रोडाइलेसिस) शामिल हैं।

बिना लाइसेंस हथियारों और उनके निर्माताओं के विरुद्ध अभियान

4026. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादियों की अत्यन्त खतरनाक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को बिना लाइसेंस के हथियारों को जब्त करने और उनके गैर-कानूनी निर्माओं के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजाब, मिजोरम और मणिपुर के विशेष सन्दर्भ में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्)

(क) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई :

(1) हथियार बनाने के लिए लाइसेंस शुदा परिसरों की पर्याप्त रूप से जांच की जानी चाहिए। कच्चे माल का उपयोग, मशीनरी की संस्थापित क्षमता, विद्युत की खपत तथा लेखों का विवरण, यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या निर्माण लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक हो रहा है अथवा फर्म अवैध निर्माण कर रही है, के बारे में थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल पर प्रभावशाली आक्समिक जांच की जानी चाहिए।

(2) कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा लाइसेंसधारी विक्रेताओं की बार-बार आक्समिक जांच की जानी चाहिए। आक्समिक जांच को दैनिक सत्यापन का रूप नहीं देना चाहिए और इन्हें और कारगर बनाना चाहिए।

(3) शस्त्र तथा गोला-बारूद के अवैध निर्माण और बिक्री के सम्बन्ध मे आसूचना एकत्र करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना।

(ग) पंजाब, मणिपुर तथा मिजोरम सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने इस मामले में अपेक्षित कदम उठाए हैं।

योजना लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए समिति

4027. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना लक्ष्यों के बेहतर कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने इस बीच कोई सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिए गए सुझावों परामर्शदात्री स्वरूप के होंगे और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें उन पर पुनर्विचार करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किस प्रकार प्रभावी किया जायेगा ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसके अध्यक्ष श्री रतन टाटा हैं तथा जिसका उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी बड़े मसलों का समाधान करने में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मदद करना और खासकर मंत्रालय को (क) परियोजना कार्यान्वयन प्रणाली में सुधार और (ख) संगठनात्मक विकास के बारे में सलाह देना है।

(ख) सलाहकार परिषद ने अभी तक कोई सुझाव नहीं दिए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार

4028. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शीघ्र और कुशलतापूर्वक काम निपटा कर कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने की लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग ने सरकार को

प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी केन्द्र

4029. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और तकनीक केन्द्र खोलने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में कोई योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांडा) : (क) और (ख) इस समय ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण की योजना के अधीन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगी परिवारों के 18-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को, स्व-रोजगार के साहसिक कार्य को अपनाने के लिए और अधिक कुशलता प्राप्त कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे तदन्तर गरीबी की रेखा को पार करने के योग्य बन सकें। योजना के तहत, ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार प्रेरक किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण देने में समक्ष संस्थाओं को आधार भूत संरचनात्मक प्रशिक्षण के विकास के लिए अनुदान दिया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय संस्थाओं (कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को शत-प्रतिशत तथा अन्यों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान आधार (50 : 50) पर अनुदान दिया जाता है।

सातवीं योजना में, सम्पूर्ण जिले में प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए केन्द्रक संस्था के रूप में प्रत्येक जिले में संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्र के विकास की एक नई स्कीम की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार के केन्द्रों का विकास मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, पालिटेक्नीकों आदि के इर्द-गिर्द किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उक्त आयु वर्ग के युवकों को इसका लाभ मिले।

[अनुवाद]

सम्पत समिति प्रोत्साहन योजना

4030. **श्री बनवारी लाल पुरोहितल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सम्पत समिति प्रोत्साहन योजना में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांडा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोत्साहन योजना की समीक्षा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप द्वारा की जा रही है।

मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा प्लेट फार्मों के निर्माण कार्य का उप-ठेका दिया जाना

4031. श्री **वाई एस महाजन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव डाक लिमिटेड को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए कोई टेका दिया गया था;

(ख) क्या मझगांव डाक लिमिटेड निर्माण कार्य का महत्वपूर्ण भाग सेल्को शिपयार्ड प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर को उप ठेके पर दे रहा है जो पहले ही समाप्त हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1983 और 1984 में सुपुर्दगी के लिए निर्धारित ग्यारह प्लेट फार्म अभी तक पूरे नहीं हुए हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और भविष्य में इन विलम्बों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) उप ठेका देना किसी भी औद्योगिक कार्यकलाप का एक आवश्यक अंग है। उप ठेका उन्हीं मामलों में दिया जाता है जहां यह आवश्यक समझा जाए और लागत प्रभावी हो तथा उन मदों के लिए दिया जाता है जिनके लिए विशेष प्रकार के उपकरण एवं सेवाएं देश में अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। मैसर्स मझगांव डाक लिमिटेड ने मैसर्स सेल्को को केवल 550 मीट्रिक टन के 6 हैलीडस्कों के निर्माण कार्य के उप ठेके का आर्डर दिया जबकि कुल निर्माण कार्य लगभग 30,000 मैट्रिक टन के 11 प्लेटफार्मों के निर्माण से संबंधित था जिसे 1983-84 एवं 1984-85 के कार्य सत्र के दौरान सुपुर्द किया जाना था। आर्डर देते समय मैसर्स सेल्को "पान इलैक्ट्रिक कंपनी" नामक एक बड़े औद्योगिक समूह का सदस्य था। बाद में 1985 के अन्त तक मैसर्स सेल्को दिवालिया हो गई। मैसर्स मझगांव डाक लिमिटेड ने बैंक गारंटी भुनाने के पश्चात् 1986 के प्रारम्भ में मैसर्स सेल्को को दिया गया आर्डर रद्द कर दिया।

(ग) और (घ) 1983-84 एवं 1984-85 के कार्य सत्र के दौरान तैयार करके दिए जाने वाले 11 प्लेटफार्मों में से 7 प्लेटफार्म तैयार करके दिये जा चुके हैं। यद्यपि शेष प्लेटफार्मों को तैयार करके देने में कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन यह विलम्ब मैसर्स सेल्को को दिए गये हैलीडस्कों के आर्डर को देने से पूरा करने के कारण नहीं हुआ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत एवं समय अधिक न लगे या इसमें कमी की जा सके, सम्बन्धित ऐजेन्सियों के साथ विचार विमर्श करके सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता न दिया जाना

4032. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में कार्यरत कई विशेषज्ञ एजेंसियों को विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता न दिये जाने, जिसके फलस्वरूप इन एजेंसियों के काम-काज में भारी अड़चन पैदा हो गई थी, के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विकशित देशों से पर्याप्त वित्तीय सहायता मांग ली है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता अलग से किसी देश के लिए नहीं होती है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी निधि के लिए है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावित वित्तीयन प्रणाली के प्रति विकसित देशों की वित्तीय वचनबद्धता में कमी को देखकर सभी विकासशिल देश चिंतित हैं और भारत ने भी इन विकसित देशों का एक सदस्य होने के नाते अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

[हिन्दी]

मुजफ्फर नगर में चीनी मिल की स्थापना

4033. **श्री अख्तर हसन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में गन्ना प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है;

(ख) क्या मौजूदा चीनी मिलें गन्ने की पूरी मात्रा को उपयोग में लाने में असमर्थ हैं और परिणामस्वरूप यह बरबाद चला जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मुजफ्फर नगर में एक चीनी मिल स्थापित करने के विषय पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए.के. पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ऐसी 5 चीनी मिलें हैं जिनकी गन्ना पेरने की दैनिक स्थापित क्षमता 10865 मीटरी टन है। 150 दिन की सामान्य मौसम अवधि और 10865 मीटरी टन की दैनिक गन्ना पिराई क्षमता मानते हुए, इन मिलों द्वारा प्रति वर्ष पिराई के लिए अपेक्षित गन्ने की कुल मात्रा 16.3 लाख मीटरी टन बैठती है। इसके प्रति, इन फैक्ट्रियों ने 1984-85 और 1985-86 के मौसमों के दौरान क्रमश: केवल 13.83 और 13.54 लाख मीटरी टन गन्ने की पेराई की है। अत: इन फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का उपयोग न करने के कारण गन्ने की कोई मात्रा बेकार नहीं गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते

(ङ) वर्तमान चीनी मिलों को मौसम की सामान्य अवधि के दौरान गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति हो जाने के बाद ही मुजफ्फरनगर जिले में एक अन्य चीनी मिल लगाने का प्रश्न उठेगा।

[अनुवाद]

असमिया सीखने के लिए अल्पसंख्यकों को बाध्य किया जाना

4034. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि असम में अल्पसंख्यकों को असमिया सीखने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार के विचार से यह कदम असम समझौते की भावना के अनुरूप है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि कोई कदम उठाने का विचार है, तो वह क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड, असम ने 28 फरवरी, 1986 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसके तहत राज्य में सभी गैर-असमी माध्यम स्कूलों में सैकेन्डरी स्तर पर असमी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया गया है।

(ख) यह मामला इस प्रकार असम समझौते का भाग नहीं रहा है।

(ग) राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया है, जिसने कहा है कि कच्छार जिले और बारक घाटी और बोड़ो जनजातियों के आबादी वाले क्षेत्रों से किए गए विरोध को ध्यान में रखते हुए कोई मान्य फार्मूला निकालने के लिए अल्पसंख्यक और जातीय ग्रुपों, शिक्षा शास्त्रियों, साहित्य सभाओं के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास

4035. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य में उक्त प्रस्ताव का तेजी से कार्यान्वयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"कागज उद्योग द्वारा किए गए प्रदूषण को नियंत्रिण करने के उपाय"

4036. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :**
डा. (श्रीमती) टी. कल्पना देवी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कागज उद्योग द्वारा किये गए प्रदूषण के बारे में अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो परिस्थितिकीय सन्तुलन और स्वास्थ्य पर्यावरण बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसे उद्योगों द्वारा पैदा किये प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड को क्या दिशा निदेश निर्धारित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कागज उद्योगों द्वारा किये प्रदूषण के बारे में अनुमान लगाने के लिए पहले ही एक सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण के चरणबद्ध तरीके से नियंत्रण के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक और अवधि निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि के भीतर मानकों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए एक कृत्यक बल की भी स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में नशीली दवाओं का अवैध धंधा करने वालों की गिरफ्तारी

4037. **श्री अख्तर हसन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से 30 जून, 1986 की अवधि के दौरान दिल्ली में विभिन्न पुलिस थानों की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चरस, अफीम और स्मैक का अवैध धंधा करने वालों की संख्या क्या है;

(ख) किस पुलिस थाने में ऐसे सबसे अधिक मामले पकड़े गए हैं;

(ग) क्या चरण और स्मैक के नशे से प्रभावित अनेक लोग लोग गोल मार्किट क्षेत्र में घूमते हुए पाए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो नशीली दवाओं का अवैध धंधा करने वालों और इनका सेवन करने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। या उठाए जा रहे हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जनवरी, 1985 से 30

जून, 1986 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे 3187 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

(ख) पुलिस थाना पहाड़गंज, दिल्ली ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मणिपुर में पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांग्लेपाक की गतिविधियां

4038. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांग्लेपाक (पी. आर. ई. वी. ए. के.) की गतिविधियों की जानकारी है जिसने मणिपुर घाट में अपनी विद्रोही गतिविधियां बढ़ाने के लिये पुनः संगठित होना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी गतिविधियों को कुचलने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सरकार को प्रीपाक के दिसम्बर, 1985 के अन्त तक पुनः संगठित होने की रिपोर्टें मिली हैं । किन्तु इस विषय में हाल में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) मणिपुर की राज्य सरकार से प्रीपाक तत्वों के पुनः संगठित होने के प्रयासों को रोकने के लिए कदम उठाने के लिये कहा गया था । 18·10.1985 की अधिसूचना के तहत गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मेतैई संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी. एल. ए.), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांग्लेई पाक (प्रेपाक) कांग्लेई पाक कम्युनिष्ट पार्टी (के. सी. पी.) तथा उनके संबद्ध निकायों को "गैर कानूनी" घोषित कर दिया गया है । राज्य सरकारों से उग्रवादियों को गतिविधियों को रोकने के लिये आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1985 के उपबंधों का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकार को अर्ध-सैनिक बल भी सौंपे गये हैं । विद्रोह विरोधी उपाय करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान (10 अगस्त, 1986 तक) 15 प्रीपाक उग्रवादी गिरफ्तार किये गये थे ।

"दोषपूर्ण सिंचाई और खनन कार्यों के कारण अनुपयुक्त भूमि "

4039. **श्री आनन्द पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोषपूर्ण सिंचाई और खनन कार्यों के कारण भूमि को अनुपयुक्त होने से बचाने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार प्रति वर्ष कितनी भूमि बंजर हो जाती है; और

(घ) इस योजना के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4040. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिये कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आरक्षण की प्रतिशतता और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की प्रतिशतता की तुलना क्या है ;

(ग) यदि प्रतिशतता में राज्यों के साथ और राज्यों के बीच आपस में बहुत अधिक अन्तर है तो उस में एकरूपता लाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार हैं; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर "पिछड़े वर्गों" के लिये केन्द्रीय सरकार में कोई आरक्षण नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की नौकरी से तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस मामले में राज्यों के बीच एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, मई, 1985 में गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजा था कि राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये यथापूर्व स्थिति उस समय तक बनाई रखें जब तक आरक्षणों के प्रश्न पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति तैयार नहीं हो जाती।

समर्थ भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभा का उपयोग

4041. **श्री पी. एम. सईद** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समर्थ भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभा का उपयोग करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में योजना को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि सक्षम भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभा का विभिन्न कार्यकलापों/क्षेत्रों में इस प्रकार उपयोग किया जाए;

(i) सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि में उपयुक्त नौकरियों में पुन: नियुक्त करके, और

(ii) पुलिस, परा-सेनाओं, शांति एवं सुरक्षा सेनाओं से उन्हें नियुक्त करके।

यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिकों की नियुक्ति

4042. श्री अमल दत्त : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में 1983-84 और 1985 के दौरान तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये श्रेणी "ख" और श्रेणी "ग" के वैज्ञानिकों की कुल संख्या कितनी है तथा वे किन-किन राज्यों से हैं, और

(ख) तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये वैज्ञानिकों में से कितने वैज्ञानिकों को स्थायी बना दिया गया है और कितने वैज्ञानिकों को उनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद वास्तविक रूप से खपा लिया गया है ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है। ये भर्तियां अखिल भारतीय आधार पर की जाती हैं अत: वैज्ञानिक मूलत: किस राज्य के हैं इस बारे में आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष	तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	संख्या (2) में से नियमित नियुक्ति के लिए चुने गये	संख्या (3) में से वास्तविक रूप से नियमित आधार पर नियुक्त
1	2	3	4
वैज्ञानिक "ख"			
1983	82	53	52
1984	280	178	176
1985	100	61	60
1986 (31-7-86 तक)	13	10	10

1	2	3	4
वैज्ञानिक "ग"			
1983	3	2	2
1984	8	6	6
1985	7	5	5
1986 (31-7-86 तक)	—	—	—

भारी जल संयंत्रों का कार्यकरण

4043. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या लगभग सभी भारी जल संयंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और उनका उत्पादन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(ग) इन भारी जल-संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) भारी जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके उत्पादन में वृद्धि करने हेतु इन संयंत्रों के कार्यचालन में सुधार करने अथवा ऐसे कुछ और संयंत्र स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं। बड़ौदा, तूतीकोरिन और कौटा के भारी पानी संयंत्रों का कार्य-निष्पादन इस वर्ष की पहली तिमाही में काफी संतोषजनक रहा है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यद्यपि सभी संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, तथापि तलचर के मामले में संयंत्रों की मरम्मत करने और उसमें लगातार सुधार करने के बाद, उत्पादन इस बात पर निर्भर करेगा कि उर्वरक संयंत्र से सिंथेसिस गैस कितनी मात्रा में और कितने समय तक मिलती है।

(घ) मौजूदा संयंत्रों में हुआ उत्पादन परमाणु बिजली संबंधी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त रहेगा। आगे लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिये भारी पानी का विलगन उन तीन अन्य परियोजनाओं से सुनिश्चित हो जाएगा जिनका काम इस समय थाल, मानुगुरु और हजीरा में विभिन्न चरणों में चल रहा है।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण

4044. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकसित अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा बाढ़ के खतरे के बारे में समय पर भविष्यवाणी करना संभव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से बाढ़ के खतरे के होता है, जल विभाजक चित्रण की विधियों में सुधारबारे में बेहतर भविष्यवाणी की क्षमता में व्यापक सुधार हुआ है। विशेषकर, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुए विकासों में ऐसे कई तत्व हैं, जो कि बाढ़ों की बेहतर और अधिक समयोचित भविष्यवाणी में सहयोग प्रदान करते हैं। इनमें मौसम उपग्रहों से मौसम विज्ञानीय मेघ चित्रों को प्राप्त करना, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में वर्षा की भविष्य वाणी की परिशुद्धता में सुधार के लिये सुदूर संवेदन का उपयोग और नदियों में जल-स्तरों के बढ़ने के बारे में आंकड़े प्राप्त करने के लिए आंकड़ा संकलन प्लेटफार्मों का उपयोग करना, शामिल हैं। इसके आलावा, सुदूर संवेदन आंकड़े हिम-अवस्थाओं के बारे में तथा कुछ सीमा तक हिम गलन से जल-प्रवाह के योगदान के बारे में भी बेहतर दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। जबकि आंकड़ा संकलन प्लेटफार्मों से संबंधित प्रौद्योगिकियां प्रचालनात्मक चरण के अत्यन्त निकट पहुँच गयी हैं, लघु क्षेत्रों के बारे में वर्षा की अधिक सही भविष्यवाणी करना, जलविभाजक संबन्धी चित्रण, हिम-गलन से जल-प्रवाह इत्यादि से संबंधित परीक्षण अभी प्रायोगिक चरण में हैं। जब तक इन सभी तत्वों की विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत अच्छी तरह जांच नहीं होती है और समेकित माडल तैयार नहीं होते हैं, उस समय तक बाढ़ के खतरे के बारे में अत्यन्त सन्तोषप्रद भविष्यवाणी करना संभव नहीं होगा। फिर भी, उपर्युक्त स्त्रोतों से जो कुछ भी आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे कुछ सीमा तक संभावित बाढ़ों की भविष्यवाणी करना संभव है।

(ग) इन्सैट मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बिकी से प्राप्त आंकड़ों से, संयुक्त राज्य अमरीका के एन. ओ. ए. ए. उपग्रह आंकड़ों से, जिन्हें भारत में प्राप्त किया जा रहा है, और संयुक्त राज्य अमरीका के लैण्डसैट उपग्रह इत्यादि से प्राप्त सुदूर संवेदन आंकड़ों से कई प्रौद्योगिकीय तत्वों की जांच की जा रही है। भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आई. एम. डी.) इन्सैट-1 बी. से प्राप्त मेघ प्रतिबिम्बिकियों का उपयोग, चक्रवातों और अन्य उग्र मौसम प्रणालियों के परिणामस्वरूप होने वाली भारी वर्षा की अग्रिम भविष्यवाणी के लिए कर रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ चेतावनी जारी करने के लिए ये निवेश अत्यन्त उपयोगी हैं।

खाद्य तेलों की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करना

4045. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों को अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करने का है; जैसाकि दिनांक 29 मई, 1986 के बिजनिस स्टेण्डर्ड में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) खुदरा बाजार में बिकने वाले वनस्पति और रिफाइन्ड तेलों पर खाद्य तेलों की अधिकतम मूल्य सीमा का क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) देश में आम उपभोक्ताओं पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों का भार किस सीमा तक कम हो जाएगा; और

(ङ) वनस्पति और रिफाइन्ड तेलों के निर्माण के लिए निर्माताओं को खाद्य तेलों की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवथा की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोई अधिकतम सीमा निधारित नहीं की गई है, खुले बाजार में बेचे जाने वाले परिष्कृत तेलों के मूल्य देशीय तेल के मूल्यों तथा उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। आयातित खाद्य तेल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर वनस्पति उद्योग को आवंटित किए जाते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को वनस्पति घी उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सके। आयातित परिष्कृत खाद्य तेल तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाते हैं। निजी परिशोधनशालाओं को, खुले बाजार में बेचने हेतु सप्लाई नहीं किए जाते हैं।

(ङ) वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों को सप्लाई करने हेतु राज्य व्यापार निगम द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।

हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में "राजी" जनजाति को विलुप्त होने से बचने के उपाय

4046. **श्री हरीश रावत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले "राजी" परिवारों की संख्या का पता लगाया है और उनके संबंध में अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जनजति की कुल जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या इनकी जनसंख्या पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर कम होती जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो इस जनजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) 1978 और 1981 में उत्तर प्रदेश के हरिजन और समाज कल्याण निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार पिथौरागढ़ जिले में राजी आदिवासियों की संख्या 341 और 371 थी जिनमें क्रमश: 85 और 92 परिवार हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार पिथौरागढ़ जिलों में राजियों की जनसंख्या 226 थी। उपरोक्त प्रवृत्ति से उनकी जन संख्या में वृद्धि का पता चलता है। उत्तर प्रदेश के जिलों में 1971 की जनगणना के अनुसार राजी आदिबासियों की कुल जनसंख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 1981 की जनगणना के जनसंख्या सम्बन्धी आकड़े नहीं हैं। पिथौरागढ़ जिले में आदिम आदिवासी समूहों के रूप में राजियों के लिये विशेष कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

विवरण

राज्य/जिला	राजी आदिवासियों की जनसंख्या
उत्तर प्रदेश	1,918
देहरादून	44
पिथौरागढ़	226
नैनीताल	119
मुजफ्फरनगर	5
बिजनौर	4
आगरा	51
कानपुर	23
इलाहाबाद	117
खीर	—
गोण्डा	47
वाराणसी	4
चमौली	305
अल्मोड़ा	13
मुरादाबाद	348
बदायूं	9
रामपुर	286
बरेली	8

1	2
शाहजहांपुर	52
सहारनपुर	36
मेरठ	135
बुलन्दशहर	55
एटा	1
फतेहपुर	17
मिर्जापुर	13

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जातियों को शामिल करना

4047. **श्री हरीश रावत** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुठालिया, चोरा, गन्दर्व आंवल जातियों को शामिल करने की सिफारिश की गी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) और (ख) किसी जाति/ जनजाति/ समुदाय को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त टिप्पणियां जनहित में बताई नहीं जा सकती । फिर भी, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधद के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की मौजूदा सूची में और संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को देखते हुए संसद के अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है ।

सेना आयुध कोर में कार्यरत पैकरों के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (जे. सी. एम.) का निर्णय

4048. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा गठित विवाचक बोर्ड (जे. सी. एम.) ने रक्षा मंत्रालय के सेना आयुध कोरों में काम कर रहे पैकरों के बारे में 1 नवम्बर, 1985 को निर्णय दे दिया है,

(ख) इस निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है, और

इस निर्णय के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले पर अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है।

पांचवीं पीढ़ी के कम्प्यूटर का देश में उत्पादन

4049. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पीढ़ी के कम्प्यूटर के स्वदेशी-निर्माण के विकास में सहायता के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने कम्प्युटर इन्जीनियर के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियों/पांचवें सोपान की कम्प्यूटर प्रणालियों (के. बी. सी. एस/एफ. जी. सी. एस.) पर एक परियोजना चालू की है। इस परियोजना का उद्देश्य ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियों/पांचवें सोपान की कम्प्यूटर प्रणालियों (के. बी. सी. एस/एफ.जी. सी.एस.) के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन तथा ऐसी प्रणाली के प्रोटो टाइप के विकास के द्वारा विकास तथा विशेषज्ञता हासिल करना है तथा साथ ही इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बड़ी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत 6 प्रमुख केन्द्र तथा टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, बम्बई, राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग के साथ मिलकर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि पता लगाए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जा सके। जिन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जाएगा, उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे : कृत्रिम बुद्धि, पैटर्न की पहचान, कम्प्यूटर विजन, प्राकृतिक भाषा संसाधन, भाषण विश्लेषण, लौकिक भाषा, विशेषज्ञ प्रणालियाँ, कम्प्यूटर वास्तुकला।

विज्ञान की लोकप्रियता के संबंध में विचार-गोष्ठी

4050. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान की लोकप्रियता के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 19-20 जुलाई, 1986 को दिल्ली में एक विचार- गोष्ठी प्रायोजित की गई थी,

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) जी, हां। लोक विज्ञान

परिषद ने 19 से 20 जुलाई, 1986 तक दिल्ली में "विज्ञान लोकप्रियता की चुनौतियां" नामक विषय पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजना किया था। इस विचार गोष्ठी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) लोक विज्ञान परिषद, जो कि आयोजक थी, से सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु गेहूं के मूल्यों में कमी

4051. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किये जाने वाले गेहूं के मूल्यों में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किये जाने वाले चावल की कीमतें भी उसी प्रकार कम करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए बाजार में अधिक गेहूं और चावल देना

4052 **प्रो पी. जे. कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उचित दर दुकानों के माध्यम से बाजार में अधिक गेहूं और चावल देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे गेहूं और चावल का बाजार स्टाक खाली हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो स्टाक को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों/

संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से दोनों, गेहूं और चावल के आवंटनों को निम्नानुसार काफी उदार बना दिया गया है

(लाख मीटरी टनों में)

जनवरी से अगस्त तक के दौरान आवंटन

	1985	1986
चावल	47.17	63.53
गेहूं	53.54	61.31

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकारी एजेन्सियों के पास स्टाक की वर्तमान मात्रा बफर स्टाक रखने संबंधी नीति के अन्तर्गत आवश्यकताओं से अधिक है।

मोडिफाइड एरिया डेवलेपमेंट एप्रोच के प्रस्तावों को स्वीकृति देना

4053. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में उड़ीसा के मोडिफाइड एरिया डेवलेपमेंट एप्रोच के कितने मामले स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) सरकार का इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति देने का विचार है, और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए उड़ीसा में मोडिफाइड एरिया डेवलेपमेंट एप्रोच कार्यक्रम के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) उड़ीसा राज्य सरकार का मोडिफाइड एरिया डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट संबंधी कोई भी प्रस्ताव मत्रालय में स्वीकृति के लिए सम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1986-87 के लिए 181.94 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था।

उड़ीसा में ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार

4054. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता निधि से ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों को सहायता प्रदान की गई ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1986-87 के लिए विशेष सहायता के रूप में उड़ीसा के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कम्पोनेंट प्लान के लिए

633. 14 लाख रुपये और आदिवासी उप योजना के लिए 2048.67 लाख रुपये अनन्तिम रूप से आबंटित किए गए हैं। इस धनराशि में से राज्य सरकार ने ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत 260 लाख रुपये अनुसूचित जातियों के और 300 लाख रुपये अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासार्थ आबंटित किए हैं।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा के "ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम" के अन्तर्गत 10,520 अनुसूचित जाति के और 14,443 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता प्रदान की गई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी

4055. **श्री आर. एम. भोये** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में 1986-87 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समेकित विकास के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या उन्हें सरकार ने मंजूरी दे दी हैं।

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विशेष कम्पोनेंट प्लेन और आदिवासी उपयोजना को विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समेकित विकास की व्यवस्था है।

विशेष कम्पोनेंट प्लेन और आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत परिव्यय जैसे कि इन तीन राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए प्रस्तावित किया गया और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया वह इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

राज्य	विशेष कम्पोनेंट योजना परिव्यय		आदिवासी उपयोजना परिव्यय	
	प्रस्तावित	अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
1. राजस्थान	82.78	69.29	82.34	51.08
2. महाराष्ट्र	57.38	राज्य सरकार ने एस. सी. पी. परिव्यय बढ़ाने को कहा है।	104.67	राज्य सरकार ने पी.एस.पी. परिव्यय बढ़ाने को कहा है।
3. मध्य प्रदेश	76.66	76.66	225.35	225.35

इन्सैट-1 सी के लिए हासन स्थित मुख्य नियन्त्रण केन्द्र (मास्टर कन्ट्रोल फैसिलिटि) के लिए सुविधाएं

4056. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-1 सी. के लिए हासन स्थित मुख्य नियन्त्रण केन्द्र में भवन उपकरण और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) क्या उपग्रह छोड़े जाने से पहले भवन, उपकरण आदि तैयार हो जायेंगे; और

(ग) हासन में मुख्य नियन्त्रण केन्द्र के भवन के निर्माण के लिए 1986-87 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) 5.63 लाख रुपये।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

4057. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर :**

श्री चम्पन चामस :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैसा परमाणु विद्युत संयंत्र को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) इस परमाणु विद्युत संयंत्र पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यह संयंत्र कब तक चालू हो जाएगा; और

(घ) क्या सरकार उक्त संयंत्र को निश्चित समय से पहले पूरा कराने के लिए, अधिक धन उपलब्ध कराएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) ऐसा अनुमान है कि कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के दो यूनिटों की लागत 1984 के मूल्य स्तर पर लगभग छह सौ करोड़ रुपये बैठेगी।

(ख) स्थल की जांच के काम पर और ऐसे उपस्करों को, जिनके मिलने में लम्बा समय लगता है, पहले से प्राप्त करने के लिए अब तक लगभग उन्नीस करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) आशा है कि दोनों यूनिट सन् 1994 में चालू कर दिए जाएंगे।

(घ) परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

इण्डियन रेअर अर्थ से टिटेनियम डायोक्साइड

4058. **श्री एन. डेनिस** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या कन्याकुमारी जिले के मानवल कुरियनो स्थित इण्डियन रेअर अर्थ लिमिटेड कारखाने में परिष्कृत की गई इण्डियन रेअरअर्थ खनिज रेत का विदेशों में निर्यात करने के बजाय जहां इसे टिटेनियम डायोक्साइड और अन्य कीमती वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, एक कारखाना स्थापित कर इस खनिज रेत को टिटेनियम डायोक्साइड और अन्य तैयार माल का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : कन्याकुमारी जिले के मानवलाकुरिचि स्थित इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के खनिज पृथक्करण यूनिट के उत्पादों का उपयोग इस समय आन्तरिक संसाधन संयन्त्रों में टाइटेनियम डाइआक्साइड और अन्य परिष्कृत उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इन उत्पादों के उत्पादन की मात्रा देश में इनकी मांग पर निर्भर करती है।

तमिलनाडु में पिछड़े क्षेत्र

4059. **श्री एन डेनिस** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में किन स्थानों को पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा इन स्थानों का तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) उद्योग मन्त्रालय द्वारा अप्रैल, 1984 में प्रकाशित "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन" नामक पुस्तक के अनुसार, तमिलनाडु में निम्नलिखित क्षेत्रों को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है :

श्रेणी "क"

(उद्योग विहीन जिला, उप-क्षेत्रीय जिले) शून्य

श्रेणी "ख"

इसमें 33 तालुकों सहित क्षेत्र/ट्रैक्स हैं : 1. इसमें 12 तालुक (उप तालुकों सहित अर्थात् रामनाथपुरम्, मुदुकुलातुर, शिव गंगा, परमकुडी, त्रिरूदाडनी, करइकुडी तथा त्रिपायुर तालुक (रामनाथपुरम् जिले से) मैलूर तालुक (मदुरे जिले से) पुडुकोटई, थिरूमायम, अलमगुडी और कुलथुर तालुक (पुडुकोट जिले से)

क्षेत्र 2. इसमें 11 तालुक शामिल हैं अर्थात् धर्मपुरी, पालाकोडे, होसुर, डनकन्ही होकटाह, कृष्णगिरी, उतंकरई, हरूर (धर्मपुरा जिले से) त्रिरूपट्टूर, वनियमवादी, बेल्लौर, वल्लाजपेट (पूर्वी आर्कोट जिले से)

क्षेत्र 3 : इसमें 10 तालुक हैं, अर्थात् अरूपुकोटई, सातुर, वीरूधूनागर, श्रीविलिपथूर, राजपलायम, (रामनाथपुरम् जिले के वेस्ट रामनाथपुरम् से) त्रिरूमंगलम, उसीलमपट्टी, नीलकोथई, दीनदीगुल और वेदासन्दूर (मदुरै जिले से)

श्रेणी "ग"

धर्मपुरी (धर्मपुरी, पालाकोडे होसुर, डेकानीकोट्टाह, कृष्णागिरी, उथान्गरारै तथा हरूर तालुकों को छोड़कर) कन्याकुमारी, मदुरै (मेलूर, थिरूमंगलम्, उसिलपट्टी, नीलाकोथाई, डिंडीगुल तथा वेडासंडूर तालुकों को छोड़कर), उत्तरी आर्कोट (तिरूपथुर, वनियमवाड़ी, बेल्लूर बालाजापेट तालुकों को छोड़ कर) रामनाथपुरम् (रामनाथपुरम्, मैंडुकुलाथुर, शिवगंगा, परमकुडी, थिरूवदानी, करैकुडी, थिरूपथुर, अरूप्पक्कोटै, सैंतूर, विसधुनगर, श्रीविलीवथुर, रामनाथपुरम तालुकों को छोड़कर) दक्षिणी आर्कोट तंजावुर, तिरूचिरापल्ली, पड्डुकोट्टाई, (मड्डुकोट्टाई, थिरूमयम, आलमगुडी तथा कुलाथुर तालुकों को छोड़कर)

(ख) इन जिलों का तेजी से औद्योगीकरण करने के लिए अनेक प्रोत्साहन/रियायतें जैसे केन्द्रीय निवेश राज्य सहायता, परिवहन राज्य सहायता, आधार संरचनात्मक राज्य सहायता, रियायती वित्त, औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण में प्राथमिकता, किराया खरीद आधार पर लघु यूनिटों को मशीनों की पूर्ति करने की सुविधा, आयकर में छूट आदि दी गई हैं। श्रेणी "ख" में शामिल जिले 15 प्रतिशत की निवेश राज्य सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं जिसका अधिकतम 15 लाख रुपये है। श्रेणी "ग" के जिले 10 प्रतिशत निवेश राज्य सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रु. है। एन. आर. टी. पी./एफ. ई. आर. ए. कम्पनियों द्वारा स्थापित उद्योग श्रेणी "ग" जिलों में राज्य सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उपर्युक्त श्रेणी "ख" और "ग" में शामिल सभी जिलों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है। श्रेणी "ख" और "ग" के जिलों में जहां 3-3-1983 को निवेश का स्तर 30 करोड़ रु. से अधिक हो गया है, टाउन-शिपों के अलावा/तालुक/शहरी बस्ती/एक्सटेंशन आदि और राज्य सहायता अथवा रियायती वित्त प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। लेकिन, लघु उद्योगों को रियायती वित्त उपलब्ध होगा।

सातवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में संदेह

4060. **श्री एन. डेनिस :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
श्री एच. वी. पाटिल :
क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकनोमिक एण्ड साइन्टिफिक रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा हाल ही में लिये गए अध्ययन में सातवीं योजना के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है जब तक उत्पादकता में लगातार गिरावट जैसा कि बढ़ती हुई पूंजी उत्पादन के बढ़ने से पता चलता है, के रुख को बदल दिया जाता;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अध्ययन में की गई टिप्पणियों की जांच की है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) से (ग) आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान फाउन्डेशन, फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली—110001 ने "भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी—उत्पादन अनुपात" पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सातवीं योजना की संवृद्धि का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में निरन्तर गिरावट के कारण अधिकाधिक अतर्कसंगत होता जा रहा है, जैसा कि पूंजी-उत्पादन अनुपातों और वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपातों के ऊंचे दबाव से प्रतिबिम्बित होता है। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्पादन और तकनीकों के मौजूदा पैटर्न से उत्पादन होने वाले निवेश-उत्पादन संबंधों से वास्तविक उत्पादन के, प्रति यूनिट पूंजी-निवेश का बहुमुखी उपयोग हुआ है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि पूंजी-उत्पादन अनुपातों में 1950-51 से लेकर 1982-83 तक धीरे-धीरे वृद्धि होती रही। जबकि, वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपातों में 1950-51 से 1974-75 तक वृद्धि होती रही। बाद में इसमें 1982-83 तक गिरावट आई। अध्ययन में पूंजी-उत्पादन अनुपातों और वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपातों से अधिक होने के संभावित स्त्रोत, बड़ी परियोजनाओं का अधिक समय लगाकर धीमा कार्यान्वयन, वाणिज्यक आधार पर संयंत्र लगाने में कठिनाइयां, बीमार और जीर्ण-शीर्ण इकाइयों का उद्धार, अधिक राज सहायता, आधार संरचनात्मक कठिनाइयां आदि निर्धारित किये गए हैं।

योजना आयोग में 1970-80 के दशक में सरकारी और निजी क्षेत्रकों में वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपात के विश्लेषण और परिमाप से संबंधित कार्यकारी दल नियुक्त किया, जिसने 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपात (सरकारी और निजी क्षेत्रकों को मिलाकर) में कोई वृद्धि अथवा गिरावट दिखाई नहीं दी परन्तु सरकारी क्षेत्रक में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। इस प्रकार, अध्ययन में जो आशंका प्रकट की गई है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5 का वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपात छठी योजना में प्राप्त वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपात से थोड़ा-सा अधिक है परन्तु 5.5 के प्रवृत्ति मूल्य से कम है। सातवीं योजना की कार्यनीति का महत्वपूर्ण अंग कुशलता पर बल देकर कम मूल्य को पूरा कर लेने की आशा की जाती है।

टिटेनियम के कारखाने

4061. श्री एन. डेनिस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में टिटेनियम कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने टिटेनियम धातु का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्लांट की क्षमता 100 टन प्रति वर्ष है। इस समय रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन इस प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादन उद्योग की स्थापना के बारे में सम्भावनाओं का पता लगा रहा है। इस संबंध में किसी उचित स्थान या किसी उपयुक्त ऐजेंसी के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा को आयातित खाद्य तेल का आवंटन

4062. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जून, 1986 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों और संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 55,740 मीट्रिक टन आयातित खाद्य तेलों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मात्रा सामान्य कोटे के अतिरिक्त है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा को आवंटित आयातित खाद्य तेल की मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जून, 1986 में 55,740 मी.टन आयातित खाद्य तेलों का आवंटन किया गया था, जबकि मई, 1985 में 49.940 मी. टन मात्रा आवंटित की गई थी।

(ग) जून, 1986 में उड़ीसा को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन मई, 1986 के 700 मी.टन की तुलना में बढ़ाकर 1500 मी.टन कर दिया गया था। इसे अगस्त, 1986 में और बढ़ा कर 3000 मी. टन कर दिया गया है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय कम होने के कारण स्वतन्त्रता सेनानियों को हो रही कठिनाइयां

4063. **श्री नर सिंह सूर्यवंशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के समक्ष समय सीमा के संबंध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं/उपाय किये हैं क्योंकि यह समय सीमा फार्म/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, राज्य सरकारों से विशेषकर उन मामलों में जहां एक से अधिक राज्यों आदि के मामले अन्तर्ग्रस्त हों, जेल प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी योजना, 1972 और उदार स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980, दोनों के अंतर्गत पेंशन के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए लगभग डेढ़ वर्ष का समय दिया गया था। इन दो योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन-पत्र मांगते समय कोई निर्धारण नहीं किया गया था कि किसी विशेष आन्दोलन को मान्यता प्राप्त है अथवा मान्यता प्राप्त नहीं है।

पोर्ट ब्लेयर में निजी भूमि का अधिग्रहण

4064. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर शहर में सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना भू-क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया है और किन व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) क्या अधिग्रहीत भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था या इसे गैर-सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों को आवंटित किया गया; यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भू-स्वामियों को उचित मुआवजा दिया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निवियोनिक्स लेबोरेटरी की स्थापना

4065. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवियोनिक्स लेबोरेटरी की स्थापना में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केरल में स्थापित की जाएगी; और

(ग) इस परियोजना पर क्या लागत आएगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में एझीमाला नौसेना एकादमी

4066. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एझीमाला नौसेना एकादमी के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(ग) एकादमी कब तक कार्य करना शुरू कर देगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) लगभग 2500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और चारदीवारी का निर्माण कार्यचल रहा है।

(ख) लगभग 100 करोड़ रुपए।

(ग) सिविल कार्यों के शुरू होने की तारीख से लगभग छः वर्षों में अकादमी के शुरू हो जाने की सम्भावना है।

कोचीन नौसेना अड्डे में नैमित्तिक कामगार

4067. **प्रो. के. वी थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन नौसैनिक अड्डे में कितने नैमित्तिक कामगार काम कर रहे है; और

(ख) उन्हें स्थायी बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 540.

(ख) नियमित आधार पर काफी बड़ी संख्या में सिविलियन पद बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन इस समय पदों के सर्जन पर लगी रोक के कारण प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

4069. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) दक्षिणी विद्युत क्षेत्र, जिसमें शामिल राज्यों में केरल भी है, के बारे में स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

भारत में बिना वीजा ठहरने वाले पाकिस्तानी

4070. **श्री चम्पन थामस :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) भारत में उचित बीजा के बिना रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि हां, तो उचित बीजा के बिना भारत में रह रहे इन पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : 1986 के दौरान (30.6.86 तक) 91, 229 पाक-राष्ट्रिक भारत में आए और 84,115 भारत छोड़कर गए पाकिस्तानियों सहित विदेशियों का आना जाना एक सतत प्रक्रिया है। अत: बिना बीसा के रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की वास्तविक संख्या बताना कठिन है। जिन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को अवैध रूप से भारत में रहते हुए पाया जाता है उन सभी के विरुद्ध विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की जाती है।

नौसेना अभिकल्पन (डिजायन) निदेशालय का स्थानान्तरण

4071. **श्री चम्पन चामस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना अभिकल्पन निदेशालय का स्थानान्तरण किया जा रहा है,

(ख) क्या प्रस्तावित नए स्थान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति नहीं दी गई है, और

(ग) उक्त निदेशालय को किस जगह ले जाया जाएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ग) नौसेना अभिकल्प (डिजाइन) महानिदेशक के कार्यालय के लिए वैकल्पिक स्थायी आवास के मामले में विचार किया जा रहा है लेकिन यह कार्यालय किस स्थान पर ले जाया जाएगा इस पर अभी कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

20-सूत्री कार्यक्रम के संबंध में कार्य निष्पादन

4072. **श्री एस. जी घोलप :**
श्री प्रकाश वी. पाटिल :
श्री सोमनाथ रथ :

क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में सबसे आगे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका मूल्यांकन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के आधार पर किया गया था अथवा इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया था; और

(घ) क्या सरकार यह पता लगाने के लिए कि केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि का लाभ वास्तव में गरीबों को मिल रहा है, कार्य स्थल पर जाकर कोई नमूना जांच शुरू करेगी और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मूल्यांकन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर किया गया क्योंकि इस प्रयोजनार्थ केन्द्र में कोई स्वतंत्र प्राधिकरण नहीं है।

(घ) एकीकृत ग्रमीण विकास कार्यक्रम (ए. ग्र. वि. का.) के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता के मामले में अक्तूबर/नवम्बर, 1985 से साधारण आवर्ती आधार पर लाभ-भोगियों की समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आंकड़ों की तत्काल जांच के लिए राज्यों का दौरा करते हैं ताकि इसका लाभ जनता के गरीब वर्ग को वास्तव में पहुंच सके।

भगवानपुर-नन्दी-ग्राम परियोजना

4073. डा. फूलरेणु गुहा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवानपुर-नन्दी-ग्राम मास्टर प्लान के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है,

(ख) यदि हां तो ये निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निकासी साध्य के विषय होने के कारण परियोजना के लिये आवश्यक धनराशि पूर्णतः राज्य योजना से पूरी की जाती है। फिर भी, राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है जो अलग-अलग परियोजना के लिए नहीं दी जाती है। फिर भी, राज्य के बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निकासी कार्यक्रम के संबंध में सातवीं योजना के लिए अनुमोदित क्षेत्रकीय परिव्यय 105 करोड़ रु. का है, राज्य सरकार ने सातवीं योजना में भगवानपुर-नन्दी-ग्राम स्कीम के लिए 25 लाख रु. का प्रावधान दिया है और 1986-87 की वार्षिक योजना में कोई परिव्यय नहीं दिखाया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए (ख) और (ग) के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में वन रोपण

4074. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में ईंधन लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी और बांस की लकड़ी के वनरोपण के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : सातवीं योजना के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

"वनस्पति के स्रोतों और वन्य जीवन का संवर्धन"

4075. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राव वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वनस्पति स्रोतों के संरक्षण और वन्य जीवों के संवर्धन के लिये विभिन्न राज्यों में प्रकृति परियोजनाओं की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में स्थापित की गई प्रकृति-परियोजनाओं ने अत्यन्त उपयोगी वनस्पति के स्रोतों और दुर्लभ जीवों सहित वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कब और क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य) की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। वन्यजीव में पौधे और वन्यप्राणी दोनों शामिल हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक राज्य में 19 प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व सहित 3 राष्ट्रीय उद्यान और 16 अभयारण्य) है। इस अधिनियम के तहत पौधों के स्रोतों और दुर्लभ प्रजातियों सहित वन्यजीवों के परिरक्षण के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठायी गई हानियों के संबंध में आन्तरिक समिति

4076. **डा. ए. के. पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच के लिए एक आन्तरिक समिति नियुक्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सुधार करने के लिए की गई टिप्पणियों और सुझावों का ब्यौरा क्या है और 1986-87 में ऐसी हानियों को रोकने के लिए प्रत्येक सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) खाद्यान्नों की हानियों का हिसाब दो शीर्षों अर्थात् (1) भण्डारण, और (2) जहाज मार्ग सहित मार्गस्थ, के अन्तर्गत लगाया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई हानियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(माल लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	कुल खरीद जमा बिक्री	कुल हानि	कुल खरीद जमा बिक्री में हुई हानि की प्रतिशतता
1982-83	312.78	7.40	2.37
1983-84	319.00	6.74	2.11
1984-85	295.14	5.72	1.94

वर्ष 1985-86 तथा चालू वर्ष के लिए लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के परिचालन कार्यों में कार्य-कुशलता और किफायत लाने विषयक समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(1) संचलन को युक्तिसंगत बनाना और भाड़े की मात्रा में कमी लाना ।

(2) श्रमिक/कर्मचारियों की संख्या में कमी करना ।

(3) अलाभकर गोदामों और खरीद केन्द्रों को बन्द करना ।

(4) अपरिहार्य मार्गस्थ तथा भण्डारण हानियों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना ।

(5) चूकों के लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करना ।

(6) खाद्यान्नों के संचलन के दौरान मार्गरक्षियों की व्यवस्था करना ।

(7) डिपुओं पर अचानक छापे मारने के कार्य में तेजी लाना ।

(8) डिपुओं के लेखों को सरल बनाना ।

इन सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

मंत्रालयों/विभागों को कम्प्यूटर से जोड़ना

4077. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 22 जुलाई, 1986 के इण्डियन एक्सप्रेस में "मिनिस्ट्रीज टु बी लिंकड बाई कम्प्यूटर्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी मंत्रालयों/विभागों को कम्प्यूटरों से जोड़ने हेतु अब तक कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) इससे मत्रालयों/विभागों के कार्यनिष्पादन में किस हद तक तेजी आएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने सूचना प्रणालियों की व्यवस्था करने तथा उनका विकास करने में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की स्थापना की है। इसके अनुसरण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रतिष्ठापित करता है, अपेक्षित कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास करता है, आंकड़ा बैंकों का विकास तथा उनका अनुरक्षण करता है, आंकड़ों का कम्प्यूटर की सहायता से विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है तथा कम्प्यूटर और प्रणाली विश्लेषण पद्धतियों के क्षेत्र में सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने प्रथम चरण के दौरान दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी भवनों में 25 कम्प्यूटरों को प्रतिष्ठापित किया, जिन्हें नेटवर्क के रूम में बड़े पोषक कम्प्यूटर से जोड़ा गया। इसने केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए 150 से अधिक आंकड़ा बैंकों का विकास किया। दूसरे चरण में, इस 'निकनेट' नामक नेटवर्क का दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद स्थित सुपर/बड़े मेनेफ्रेम कम्प्यूटरों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस नेटवर्क के अन्तर्गत राज्यों की राजधानियों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में प्रतिष्ठापित मिनी/सुपर-मिनी कम्प्यूटर शामिल होंगे। इन कम्प्यूटरों को उपग्रह संचार प्रणालियों के जरिये जोड़ने का प्रस्ताव है। जिला स्तर पर लघु कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है। आरम्भत:, 100 जिलों में लघु कम्प्यूटरों को प्रतिष्ठापित किया जाएगा, जिन्हें सूक्ष्म स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। इसका समूचे देश में समान रूप से वितरण किया जाएगा। अन्य जिलों में लघु कम्प्यूटरों को आवश्यकतानुसार क्रमिक रूप से प्रतिष्ठापित किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर तथा राज्य स्तर के कम्प्यूटरों की प्रतिष्ठापना वर्ष 1986 के अन्त तक तथा जिला स्तर के कम्प्यूटरों की प्रतिष्ठापना वर्ष 1987 के अन्त तक की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) कम्प्यूटर नेटवर्क से मन्त्रालयों/विभागों को समय पर तथा शुद्ध रूप से सूचना का आदान-प्रदान करने में सुविधा मिलेगी। यह कम्प्यूटर नेटवर्क मंत्रालयों को अधिक तेजी से तथा शुद्ध रूप से सूचना/कार्य-निष्पादन की तुलना करने तथा उनमें ताल मेल बैठाने में सुविधा प्रदान करेगा। इससे कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखी जा सकेगी तथा खामियों का पता लग सकेगा। यह सरकार को विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं परिस्थितियों का कम लागत पर समाधान करने में सहायता प्रदान करेगा।

[हिंदी]

बिना वीजा के विदेशियों की गिरफ्तारी

4078. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छमाही के दौरान जम्मू और कश्मीर, गुजरात राजस्थान, पंजाब और केरल में, पृथक-पृथक वीजा न होने के कारण कितने गिरफ्तार किए गए;

(ख) इनमें से पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इनमें से कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को साम्प्रदायिक दंगों और हिंसक तथा नृशंस गतिविधियों में संलग्न पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम"

4079. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को वर्षिक वृक्षा रोपण कार्यक्रम के संबंध में आयोजना आयोग द्वारा नियुक्त "ईंधन संबंधी अध्ययन दल" की कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्रति वर्ष क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) और (ख) जी, हां 1 मार्च, 1982 में योजना आयोग द्वारा विमोचित की गई जलावन की लकड़ी के अध्ययन संबंधी समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि मुख्य कृषि-वानिकी फार्मिंग पद्धित के रूप में जलावन की लकड़ी के फार्मिंग का विकास करके जलावन की लकड़ी की प्रक्षिप्त जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले दस वर्षों के दौरान जलावन की लकड़ी के पौधरोपण के वार्षिक कार्यक्रम को बढ़ाकर 1.5 मीलियन हेक्टेयर तक लाया जाए।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण में जलावन की लकड़ी के वृक्षों का रोपण एक मुख्य घटक है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1983-84 से 1985-86 तक के दौरान उपलब्धियों (फार्म वानिकी घटक के अन्तर्गत बाल पोधों के वितरण को शामिल करके) के ब्यौरे निम्नलिखित हैं।

वर्ष	कुल वनरोपण		फार्म वानिकी	
	बाल पौधे	*मिलियन हेक्टेयर में	वितरित किए गए बाल पौधे लाखों में	*क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर के बराबर
1983-84	24177	1.21	11860	0.59
1984-85	26366	1.32	12757	0.64
1985-86	30201	1.51	13913	0.69

* एक हेक्टेयर के लिए 2000 बाल पौधों को अभिप्रायात्मक रूप में माना गया है।

मिलिटरी फायरिंग रेंज के निकट के क्षेत्रों से बम के खाली खोलों का संग्रह करना

4080. **श्री शांति धारीवाल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिटरी फाइरिंग रेंज के निकट के क्षेत्रों से बम के खाली खोल एकत्र करने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है,

(ख) क्या बच्चों द्वारा इन खोलों को एकत्र किए जाने की घटनाएं कई बार प्रकाश में आई हैं,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन से हुई कितनी दुर्घटनाओं की जानकारी आई है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश सिंह) : (क) से (घ) चांदमारी अभ्यास के दौरान लक्ष्य क्षेत्र में फटे बम के खोल से धातु के छोटे-छोटे टुकड़े निकलते हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में बिखर जाते हैं। थल सेना द्वारा इनको एकत्रित करने का काम लाभप्रद नहीं समझा गया है। लेकिन जहां तक संभव होता है बिना फटे बम हथगोलों का पता लगाया जाता है एवं उनका विस्फोट कर दिया जाता है।

ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जब कि बच्चे अवैध रूप से धातु के टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए चांदमारी रेंज क्षेत्र में चले जाते हैं। जब वे बिना फटे हुए बमों एवं हथगोलों को एकत्रित करते हैं तो कभी-कभी दुर्घटनाएं अवश्य हो जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 23 दुर्घटनाओं की सूचना मिली जिनमें बच्चों सहित सिविलियन लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए।

चांदमारी के दौरान इस रेंज क्षेत्र में बच्चों सहित कोई सिविलियन प्रवेश न कर पाएं इसके लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं। लेकिन यह रेंज क्षेत्र काफी विस्तृत होते हैं अतः चांदमारी कम खोले के पश्चात् सिविलियनों का प्रवेश रोकना सदैव संभव नहीं होता।

पाकिस्तान से हिन्दुओं का निष्क्रमण

4081. **श्री शांति धारीवाल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान से निष्क्रांत हिन्दु भारी संख्या में राजस्थान सीमा से भारत आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं तथा इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) हाल में राजस्थान सीमा से भारत में भारी संख्या में हिन्दुओं के आने का कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

"बिहार में वन-रोपण योजनाएं"

4082. **श्री रामबहादुर सिंह :**

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वनरोपण के बारे में कोई योजनाएं अथवा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बिहार में कितने क्षेत्र में वन-रोपण कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

वनरोपण राज्य का विषय है, वानिकी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना परिव्यय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत आवंटन का प्रयोग करके वनरोपण की स्कीमों/योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार पूर्णरूपेण सक्षम है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बिहार सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,81,800 हेक्टेयर परती भूमि वनरोपण और 6040 कि. मी. पट्टी पर पौधरोपण का प्रस्ताव है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है

किस्म	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1. वनरोपण स्कीमों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत निम्नीकृत वन भूमि और ग्रामीण सामुदायिक भूमि	99,000
2. निजी भूमि, कृषि वानिकी के माध्यम से	1,60,300
3. सरकारी परती भूमि	22,500
4. नहरों, सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारों की पट्टियों पर पौधरोपण।	6,040 कि. मी.

चांदमारी अभ्यास स्थल को गुजरात से कच्छ की खाड़ी ले जाना

4083. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गुजरात में तिकर के पास स्थित चांदमारी अभ्यास स्थल को आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर काफी दूर कच्छ की खाड़ी में ले जाने का है ताकि कोई दु:खद दुर्घटना न होने पाए ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) फील्ड फायरिंग रेंज को तिकर के नजदीक ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में 20-सूत्री कार्यक्रम

4084. श्री एच. वी. पाटिल :

श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में कोई अध्ययन करवाय है;

(ख) यदि हां, तो क्या 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर्नाटक में सन्तोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए कर्नाटक सरकार को लिखा है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री ने इन मदों का उल्लेख करते हुए सभी राज्यों, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है, के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है, जिनके अन्तर्गत राज्यों का कार्य निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है, और उक्त पत्र में उन्हें उन मदों के संबंध में अपने कार्य निष्पादन में तेजी लाने की सलाह दी है।

सातवीं योजना में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए विशेष योजना

4085. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री देश में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के बारे में 7 मार्च 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में नए बिक्री केन्द्र खोलने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों और दिल्ली के अलावा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष सहायता उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इन राज्यों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर परियोजनाओं पर खुदरा

दिल्ली केन्द्र स्थापित करने के लिए विशेष सहायता दी जाती है। ऐसी सहायता के लिए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई सम्भाव्य परियोजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, 1984-85 के दौरान नागालैण्ड में राज्य परिसंघ की पुनर्स्थापना हेतु इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) जी हां। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता दी गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर केन्द्रीय नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वे सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का लाभ उठाएं :

"तमिलनाडु में वन काटने की मंजूरी के कारण लम्बित परियोजनाएं"

4086. श्री पी. कुलनवईवेलू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु में बांध और सड़कों के निर्माण के लिए वन काटने के प्रस्ताव मंजूरी हेतु प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या वन काटने के लिए मंजूरी देने में विलम्ब होने के कारण अनेक परियोजनायें समय पर क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं; और

(ग) इनमें अनावश्यक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज संहजीराव पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्लोर मिल उद्योग में मन्दी

4087. श्री पी. कुलनवईवेलू : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लोर मिल उद्योग मन्दी में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रेड "ए" अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के संकाय सदस्यों के वेतन

4088. श्री आनन्द सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने विभिन्न मन्त्रालयों को ग्रेड "ए" और उससे ऊपर के

अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के संकाय सदस्यों के कुल वेतन में वृद्धि करने के अनुदेश दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालयों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) प्रधान मंत्री के कहने पर इस मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को, उनके नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। इस संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 7-2-86 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12017/2/86 प्रशिक्षण (टी. एन. पी.) की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 3217/86**]

(ख) इस मंत्रालय द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के सम्बन्ध में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अधीन, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर की गई कार्रवाई से इस मंत्रालय को अवगत कराया जाना होता है। अभी तक, मंत्रालय को उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में, डाक विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश की सूचना प्राप्त हुई है।

हिन्द महासागर में विद्यमान मैंगनीज पिण्डों के भंडार का अनुमान लगाना

4089. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में विद्यमान मैंगनीज-पिण्डों के भण्डार का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम अनुमान के अनुसार मैंगनीज-पिण्डों का वर्तमान भण्डार कितने हैं;

(ग) क्या सरकार हिन्द महासागर में स्थित इन मैंगनीज-पिण्डों की खोज के लिए आधुनिक खनन प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हिन्द महासागर में मैंगनीज पिण्डों का वर्तमान भण्डार 1.5 शंख (0.15×1018) टन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) हिन्द महासागर में मैंगनीज पिण्डों की खोज के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का पहले ही प्रयोग किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के प्रारंभिक आयोग द्वारा भारत को एक विशेष खान स्थल आवंटित किए जाने के बाद वर्तमान खनन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

सीमा के साथ-साथ सुरक्षा पट्टी

4090. **डा. बी. एल. शेलेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण भारत-पाकिस्तान थल सीमा पर और पूर्वोत्तर सीमा पर भी सुरक्षा पट्टी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या इस पट्टी में चौकसी के लिए केवल केन्द्रीय बलों के जवान तैनात किये जायेंगे; और

(घ) इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) भारत-पाक थल सीमा का मामला विचाराधीन है ।

कम्प्यूटरों का विकास

4091. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कम्प्यूटरों के प्रयोग और विकास के संबंध में कोई कदम उठाये हैं;

(ख) क्या कम्प्यूटर एप्लीकेशन सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में स्थापित किये गए कम्प्यूटर एप्लीकेशन सेंटर द्वारा आरंभ किये गए विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां, सरकार ने विभिन्न राज्यों में कम्प्यूटरों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा ही उड़ीसा में कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र ने कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के क्षेत्र में सरकार तथा अन्य संगठनों के लिए, अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं । यह केन्द्र राज्य सरकार को उन क्षेत्रों का पता लगाने की दृष्टि से भी सहायता प्रदान कर रहा है, जहां कम्प्यूटरीकरण से अधिकाधिक लाभ होंगे । इस केन्द्र ने निर्यात करने के लिए साफ्टवेयर का विकास करने के भी कार्यकलाप शुरू किए हैं । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने भुवनेश्वर में अपने पूर्वी क्षेत्रीय कक्ष की भी स्थापना की है तथा राज्यों के लिए सूचना प्रणालियों के विकास का कार्य शुरू किया है।

तट रक्षा व्यवस्था के लिए आधुनिक विमान खरीदना

4092. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी रोकने में अधिकारियों की सहायता करने के लिए तट रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तट रक्षा व्यवस्था के लिए नये आधुनिक और बेहतरीन विमान खरीदने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गए हैं; और

(ग) तट रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा उसके विस्तार करने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तट रक्षक संगठन के लिए हाल ही में अत्याधुनिक एवं नये विमान खरीदे गए हैं। उसके हवाई सर्वेक्षण प्रयासों को और मजबूत बनाने के लिए इसके लिए और अधिक आधुनिक विमान खरीदे जा रहे हैं।

(ग) ऊपर (ख) के अतिरिक्त इस संगठन के बल स्तर को बढ़ाने के लिए इसमें नई/आधुनिक पद्धत्तियों से युक्त नये जहाजों/नौकाओं को शामिल किया जा रहा है। भारत के तट के साथ-साथ अतिरिक्त जिला मुख्यालय, स्टेशन, एयर इन्कलेव एवं एयर स्टेशनों की स्थापना करके भी तट रक्षक संगठन को बढ़ाया जा रहा है।

समेकित चीनी परियोजनाओं के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया

4093. **डा. बी. एल. शैलेज** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय वैकल्पिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है जिससे देश में समेकित चीनी परियोजकाएं स्थापित की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो समेकित चीनी संयंत्रों को बढ़ावा देने की प्रस्तावित योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और कौन-से विभिन्न क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मंत्रालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4094. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग प्रति वर्ष हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है;

(ख) क्या उस कार्यक्रम के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों को इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कम से कम 10 कार्यालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष इन कार्यालयों का निरीक्षण करना होता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक मंत्रालय द्वारा कितने कार्यालयों का निरीक्षण किया गया; और

(घ) क्या किसी मंत्रालय/विभाग ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार के सारे मंत्रालयों/विभागों को जारी कर दिया गया है, निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के नये प्रोफार्मा द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अपने कार्यालय के निरीक्षण से संबंधित सूचना राजभाषा विभाग को भेजा जाना शुरू किया जाएगा जहां उसकी समीक्षा की जाएगी। पहले ऐसी सूचना राजभाषा विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती थी।

[अनुवाद]

लेखन सामग्री में सरकारी चिन्ह का प्रयोग

4095. **श्री दिनेश सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी चिन्ह का प्रयोग किए जाने के बारे में कोई नियम हैं;

(ख) क्या लेखन सामग्री में सरकारी चिन्ह का प्रयोग करने के लिए उसके डिजाइन, स्थिति और रंग भी निर्धारित किये गए हैं; और

(ग) इन नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-सी ऐजेंसी है ?

गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह : (क) सरकारी चिन्ह के प्रयोग के बारे में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश जारी किये गए हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) किसी व्यापार, व्यवसाय, पेशा अथवा वृत्ति अथवा किसी पेटेन्ट के टाइटल अथवा किसी ट्रेड मार्क अथवा किसी डिजाइन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना सरकारी चिन्ह का प्रयोग करना चिन्ह और नाम (दुरुपयोग रोकना) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत एक अपराध है।

सुपर बाजार को लाभ घाटा

4096. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार का ऊपरी व्यय केन्द्रीय भण्डार की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार के ऊपरी व्यय का शीर्ष-वार ब्योरा क्या है और इन तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष हुई बिक्री और उससे अर्जित लाभ अलग-अलग कितना था; और

(ग) सुपर बाजार के कार्यकरण को चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) सुपर बाजार का ऊपरी व्यय, केन्द्रीय भण्डार से तुलना करने पर थोड़ा सा अधिक है, परन्तु बहुत अधिक नहीं, जैसा कि संलग्न विवरण I से देखा जा सकता है।

(ख) विवरण II संलग्न है, जिसमें सुपर बाजार की बिक्री, ऊपरी व्यय तथा अर्जित किए गये लाभ का ब्योरा दिखाया गया है।

(ग) सुपर बाजार की शाखाएं खोलकर अपना विस्तार करने का एक नियमित कार्यक्रम है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में सुपर बाजार की नियमित शाखा नहीं हैं वहां सेवाएं प्रदान करने के लिए यह 73 चलती-फिरती वैनें, जिसमें फल तथा सब्जियों की वैन शामिल हैं, चलाता है। जहां कहीं सम्भव हैं, अधिक से अधिक शाखाओं में स्वय-सेवा-प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसने अपनी क्रय नीति को सुप्रवाही बनाया है, जिसके अनुसार यह विनिर्माताओं से सीधी खरीदारी सर्वोत्तम शर्तों पर कर रहा है। इसने कर्मचारियों की सेवा तथा आचरण सम्बन्धी नियमों को संशोधित करके अपनी कार्मिक नीति को भी सुप्रवाही बनाया है, ताकि अधिक कुशलता सुनिश्चित की जा सके और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके। इसने शाखाओं के नियमित निरीक्षण की एक प्रणाली आरम्भ की है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में तथा "स्टाक न होने" की घटनाओं पर नजर रखी जा सके। इन सभी उपायों से कुल बिक्री में वृद्धि हुई है, जो 1983-84 में 39.09 करोड़ रुपये, 1984.85 में 44.32 करोड़ रुपये तथा 1985-86 में 66.35 करोड़ रुपये रही है।

विवरण I

लाख रुपयों में

	1981-82		1982-83		1983-84	
	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार
बिक्री	2340.92	444.00	2826.07	617.38	3909.09	946.54
कुल आय	214.69 (9.17)	61.04 (13.75)	255.71 (9·05)	61.04 (9.89)	337.13 (8.62)	87.75 (9.27)

1	2	3	4	5	6	7
कुल व्यय	195 50	41.77	2 9.68	41.77	278.68	56.22
	(8.35)	(9.41)	(7.77)	(6.77)	(7.13)	(5.94)
निवल आय	19.19	19.27	36.03	19.57	58.45	30.52
	(0.82)	(4.34)	(9.28)	(3.12)	(1.50)	(3.33)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिखाए गये आंकड़े बिक्री का प्रतिशत है।

विवरण II

लेखा परीक्षित आंकड़े

(लाख रुपयों में)

	1981-82	1982-83	1983-84
बिक्री	2340.92	2826.07	3909.09
सकल लाभ	169.72	205.24	287.95
विविध पावतियां	44.97	50.47	49.18
कुल	214.69	255.71	337.13
कुल व्यय	195.50	219.68	278.68
(क) प्रकाशन	112.67	130.89	162.61
(ख) किराया	16.18	17.71	17.56
(ग) ब्याज	23.19	15.43	14.54
(घ) अन्य	43.46	55.65	83.97
निवल लाभ	19.19	36.03	58.45

बी. सी. आर./बी. सी. पी. के निर्माण के लिए लाइसेंस

4097. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बी. सी. आर./बी. सी. पी. के निर्माताओं को लाइसेंस जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन आवेदकों के नाम, उनकी क्षमता, यूनिटों का स्थान और उनके विदेशी सहयोगकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) वी. सी. आर./वी. सी. पी. के विनिर्माण के लिए सरकार ने इच्छुक उद्यमकर्ताओं से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए थे। सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

दिल्ली में सक्रिय सेनायें

4098. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में सक्रिय विभिन्न सेनाओं की अनुमानित संख्या कितनी है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सेनाओं में से कोई सेना अथवा उसके सदस्य किसी भी प्रकार के दंगों अथवा सामाजिक हिंसा में अन्तर्ग्रस्त रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन सेनाओं पर अथवा कम से कम उसके सदस्यों द्वारा घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली पुलिस के ध्यान में निम्नलिखित सेनाएं आई हैं :

सेना का नाम	अनुमानित संख्या
1. राष्ट्रीय हिन्दू शिव सेना	500
2. हिन्दू शिव सेना	200
3. आदम सेना	3,000

(ख) दंगे के एक मामले में इनमें से एक सेना के कुछ सदस्य अन्तर्ग्रस्त थे।

(ग) कार्यवाही ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर निर्भर होगी।

वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया को युक्ति मूलक बनाना

4099. **डा. वी. एल. शैलेश** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटे तौर पर रूपरेखा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में भर्ती केन्द्र

4100. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान बिहार से कितने जवान भर्ती किए गये;

(ख) बिहार में स्थायी भर्ती केन्द्र कहां कहां स्थित हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती दलों ने बिहार में अन्य किन-किन स्थानों का दौरा किया तथा ऐसे प्रत्येक स्थान पर कितने लोगों ने आवेदन दिये और कितने लोगों को भर्ती किया गया ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) इस संबंध में सूचना प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

(ख) बिहार के दानापुर, मुजफ्फरपुर, रांची, गया और कटिहार में पांच भर्ती केन्द्र हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती दलों ने जिन स्थानों का दौरा किया उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह बताना जनहित में नहीं होगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने लोग भर्ती किये गये।

विवरण

शाखा भर्ती कार्यालय का नाम।	जिन स्थानों का दौरा किया गया।
भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) दानापुर	गया, भागलपुर, मुकामा, गोपाल गंज, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, वैशाली, सीवान, सारन।
शाखा भर्ती कार्यालय रांची	गुमला, पलामू, सिंहभूम, लोहरदागा, धनबाद, गिरडीह, हजारीबाग।
शाखा भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर	पूर्वी चम्पारन, बेगूसराय, सहरसा, गोपालगंज, पश्चिमी चम्पानर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान, छपरा. समस्तीपुर।
शाखा भर्ती कार्यालय गया	रोहतास, पलामू, नवादा, गया, औरंगाबाद, नालंदा।
शाखा भर्ती कार्यालय कटिहार	दुमका, गड्डा, मुंगेर, देवगढ़, खगरिया, माधोपुर, सहरसा, खगरिया, देवगढ़, दुमका, गड्डा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज, सहरसा, माधोपुर, बेगूसराय, सहरसा, देवघर साहिबगंज।

अरुणाचल प्रदेश, गोआ और पांडिचेरी को राज्य का दर्जा

4101. प्रो. नारायण चन्द पराशर
श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, गोआ और पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांगों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन मामलों पर क्या निर्णय किया; और

(ग) यदि नहीं, तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिये जाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुये कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इन संघ शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। इन पर समस्त परिस्थितियों और अन्य सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुये विचार किया जाता है।

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा एल. टी. सी. का दुरुपयोग

4102. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम के 5500 से भी अधिक कर्मचारियों ने झूठे वाउचर (दस्तावेज) प्रस्तुत करके एल. टी. सी. योजना के अन्तर्गत 1.5 करोड़ रुपया लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि निगम ने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके इस तरह ली गई धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस करने की उन्हें अनुमति दी है; और

(ग) क्या ये रियायतें वर्तमान एल. टी. सी. की राशि के मामले में ही लागू होगी अथवा पिछले वर्षों में ली गई धनराशि जो बाद में नियमित कर दी गई थी, पर भी लागू होंगी ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) वर्तमान अग्रिम राशियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

असम में लोगों को निकालने का अभियान

4103. श्री अब्दुल हमीद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में अल्पसंख्यक समुदाय के भारतीय नागरिकों को वहां से वैकल्पिक प्रबंध किये बिना निकाले जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को असम में विभिन्न संगठनों से लोगों को गैर कानूनी और मनमाने ढंग से निकाले जाने के अभियान के संबंध में असम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने लोगों को निकाले जाने और उनके लिए वैकल्पिक प्रबंध किये जाने के मामले को असम सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) असम में अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें असम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियानों की शिकायतें हैं। राज्य सरकार, जिसके साथ मामला उठाया गया था, ने कहा है कि असम समझौते के सम्बन्धित खण्डों के अनुसार जनजाति क्षेत्रों और ब्लाकों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है और अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वालों को चाहे वे किसी जाति या समुदाय के हों, वर्तमान कानूनों के अनुसार हटाया जा रहा है। तथापि राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वे ऐसी नीति तैयार करें जो समाज के सभी वर्गों के लिए उचित, उपयुक्त और न्यायापूर्ण हो। [हिन्दी]

दिल्ली में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए परिवारों की संख्या

4104. **श्री कुंवर राम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के आरम्भ में दिल्ली में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) छठी योजना में उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ग) इनमें से कितने परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है; और

(घ) शेष परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में केवल दिल्ली के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण के 32वें दौर के आधार पर वर्ष 1977-78 में दिल्ली में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 9.7 लाख थी।

(ख) इसके अलावा, अन्य विकास कार्यक्रम दिल्ली सहित भारत वर्ष में गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करने वाले अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे थे जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर. एल. ई. जी. पी.) इनका उद्देश्य ग्रामीण गरीब लोगों को गरीबी की रेखा को पार करने में सहायता देना है। छठी योजना के दौरान दिल्ली में इन कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे बताई गई हैं :—

कार्यक्रम	इकाई	छठी योजना (1980-85)	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सहायता प्राप्त परिवारों की सं·	1500	16845
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	सृजित लाख श्रम रोजगार दिवस	0.90	0.40
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	0.79	0.20

(ग) छठी योजना के अन्त में केवल दिल्ली के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन द्वारा परिवार उपभोग व्यय के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण के 32वें दौर के आधार पर, वर्ष 1983-84 में दिल्ली में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 7·7 लाख थी। इस प्रकार 1977-78 और 1983-84 के बीच दिल्ली में 2 लाख व्यक्तियों ने गरीबी की रेखा पार की।

(घ) इसके अलावा, समग्र विकास कार्यनीति, छठी योजना में कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेज गति से जारी रखा जा रहा है। सातवीं योजना में इन कार्यक्रमों के लिए कुल मिलाकर राज्यवार कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। परन्तु संबंधित वार्षिक योजनाओं के लिए वार्षिक लक्ष्य ही निर्धारित किये गए हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, सातवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात 1985-86 और 1986-87 में लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे बताई गई हैं :—

कार्यक्रम	इकाई	1985-86		1986-87	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	1293	1882	5100	161 (8-7-86 तक)
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	सृजित लाख रोजगार दिवस	0.60	0,28	0.28	0.09 (जून, 86 तक)
3. राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	0.58	0.32	0.24	0.08 (जून, 86 तक)

बिहार में आयुध कारखाना

4105. श्री जी. एल. डोगरा :
श्री पी. नामग्याल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बारियार्ची मोर, बिहार में एक आयुध कारखाना स्थापित करने का विचार है ताकि इस क्षेत्र में बेरोजगारी और गरीबी दूर की जा सके और इस क्षेत्र का विकास किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब स्थापित किया जायेगा ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) एक आयुध निर्माणी स्थापित करने की संभावना को लेकर बिहार सहित कुछ राज्य सरकारों से उपयुक्त स्थानों के प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया था। बिहार सरकार ने कुछ स्थानों की पेशकश की है जिनमें हजारीबाग जिले में मारकचों भी शामिल है। निर्धारित पद्धति के अनुसार अन्य स्थानों के साथ-साथ इन स्थानों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

टाटा कैंसर संस्थान से रोगियों को छुट्टी देना

4106. श्री जनक राज गुप्त : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में टाटा कैंसर संस्थान से कुछ कैंसर रोगियों को छुट्टी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं; और

(ग) इन रोगियों के उपचार के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) टाटा स्मारक केन्द्र एक राष्ट्रीय केन्द्र है जिसका काम अनुसंधान करना, लोगों को प्रशिक्षित करना और कैंसर के रोगियों की व्यापक देखभाल करना है। यहां सामान्य रूप से प्रतिदिन रोगियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता है और छुट्टी दी जाती है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखने पर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वी क्षेत्र में उत्तराखंडी आन्दोलन

4107. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार को लेकर एक भिन्न एकक बनाने के संबंध में कोई उत्तरा खंडी आन्दोलन पनप रहा है;

(ख) यदि हां, तो आन्दोलन का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तरा खण्ड दल पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर पृथक कमलापुर राज्य की मांग और कमतापुरी भाषा को मान्यता देने की भी मांग कर रहा है । उत्तराखण्ड दल की मांग मुख्यत: कूच-राजबंशी समुदाय के उत्थान के लिए है और उनके लिए कुछ सामाजिक-आर्थिक लाभों को चाहता है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मामले से अवगत है ।

गैर कानूनी उत्प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधन

4108. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कानूनी उत्प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित अधिकरणों के गठन में न्यायाधीशों की संख्या को 3 से घटाकर । करके परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या असम सरकार इस न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों के साथ असम से बाहर से नियुक्त किए गए थे,किए गए करार का नवीकरण नहीं कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) असम समझौते के अनुसरण में, असम राज्य सरकार ने गैर-कानूनी उत्प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983,जिसमें प्रत्येक अधिकरण में न्यायधीशों की संख्या 3 से कम करके 1 करने का प्रस्ताव शामिल है, मैं कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार असम सरकार ने बाहर के न्यायाधीशों का कार्य अवधि समाप्त होने पर संविदाओं का नवीनीकरण नहीं किया है ।

(घ) मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है ।

निराश्रित बच्चों की देखभाल

4109. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मानसिक रूप से अल्पविकसित बच्चों की देखभाल के लिये कोई गैर-सरकारी आवास गृह नहीं है,

(ख) क्या किसी मानसिक रूप से अल्पविकसित बच्चे को किसी सु-स्थापित संस्था की विशेष देखभाल में रखने से बच्चे और माता-पिता दोनों को समान सहायता मिलती है,

(ग) क्या सरकार का माता-पिता को उचित मार्गदर्शन देने हेतु मनोवैज्ञानिकों

मनश्चिकित्सों स्नायु—चिकित्सकों और सर्जनों का सहयोग लेने और उनके लाभ के लिए कार्यशालायें आयोजित करने का विचार है,

(घ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे संस्थान निराश्रित बच्चों के लिए एक तरह शरण स्थल है, क्योंकि उसमें पारिवारिक वातावरण नहीं रहता है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। दिल्ली में कुछ स्वैच्छिक संगठन मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये आवास गृह चला रहे हैं।

(ख) सु-स्थापित संस्थाएं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए उपयोगी तो हैं पर वे माता पिता का स्थान नहीं ले सकतीं।

(ग) सरकारी संस्थाओं में कुल मिलाकर ऐसा सहयोग उपलब्ध है। सु-संगठित निजी संस्थाओं में भी ऐसा बहुआयामी स्टाफ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में चीनी की क्षति

4110. **श्री डी. बी. पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई, 1986 को कलमबोली, तहसील पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के सामने बारिश होने के कारण लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य की चीनी को क्षति पहुचो है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के उपाय"

4111. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए नगरों/शहरों के आस-पास कुछ उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कोई उद्योग स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन उद्योगों को और प्रदूषण रोकने के लिए क्या अनुदेश जारी किये गए हैं जो घनी आबादी के बीच पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) नगरों/शहरों में तथा उनके चारों ओर प्रदूषक उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है।

(ख) जी हां। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निम्नलिखित सम्मलित हैं :—

—औद्योगिक स्थल निर्धारण मापदण्ड; और

—वायु एवं जल प्रदूषण के लिए निवारक एवं नियंत्रण उपाय।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए इन उद्योगों को आवश्यक प्रदूषण-रोधी उपाय स्थापित करने होते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों द्वारा चावल उठाना

4112. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों द्वारा वर्ष 1984-85 और 1985-86 में कितना औसत चावल उठाया गया है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान सबसे अधिक चावल उठाने वाले पहले तीन राज्य कौन से हैं और उस अवधि के दौरान सबसे कम चावल उठाने वाले तीन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुछ राज्यों द्वारा कम चावल उठाये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किये गए हैं, यदि हां, तो प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1984-85 के दौरान प्रतिमास 4.49 लाख मीटरी टन और 1985-86 के दौरान प्रतिमास 5.04 लाख मीटरी टन चावल का औसत उठान किया गया था।

(ख) जिन तीन राज्यों ने 1985-86 के दौरान चावल का अधिकतम उठान किया था, उनके नाम हैं—केरल, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तथा जिन्होंने निम्नतम उठान किया था, उनके नाम हैं—दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप और पंजाब।

(ग) राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता और उसके क्षेत्र, राज्य

सरकार के पास पहले से उपलब्ध स्टाक, खुले बजार में उपलब्धता आदि जैसे कई एक तथ्यों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा चावल का उठान निर्भर करता है।

सिलिकन प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण

41 3. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1985 में, सरकार को ये रिपोर्टें मिली थीं कि भारतीय सिलिकन को, अनेक प्रयोगशालाओं द्वारा जिसमें एक अमेरिकी प्रयोगशाला भी शामिल है, अत्यन्त उच्च कोटि अर्थात् इलेक्ट्रानिक श्रेणी का सिलिकन प्रमाणित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं जिसने सरकार को सिलिकन प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के लिए अमेरिकी कम्पनी हेमलाक को फरवरी, 1986 में 16,75,000 अमेरिकी डालर का भुगतान करने पर मजबूर किया;

(ग) इसका इसी कम्पनी को पहले 6,70,000 अमेरिकी डालर के भुगतान का औचित्य क्या है, इस तथ्य के बावजूद कि उच्च श्रेणी के भारतीय सिलिकन के नमूने देश में ही उपलब्ध थे;

(घ) इन भुगतानों द्वारा उच्च श्रेणी के सिलिकन के उत्पादन को किस प्रकार लाभ पहुँचा है; और

(ङ) भुगतान संबंधी निर्णय कब और किस स्तर पर लिए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) से (ग) नवम्बर, 1984 से जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने इलेक्ट्रानिकी विभाग को मेत्तूर केमिकल्स द्वारा उनके प्रायोगिक रिएक्टर से उपलब्ध कराये गए पालिसिलिकन पर विभिन्न प्रयोगशालाओं, जिसमें अमेरिका की एक प्रयोगशाला भी शामिल है, द्वारा किये गए परीक्षणों की रिपोर्टों की प्रतियां प्रेषित की थी। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि सामग्री प्रकाशवोल्टीय (फोटोवोल्टेइक) तथा कुछ इलेक्ट्रानिक युक्तियों के लिए उपयुक्त हो सकती है। इन रिपोर्टों को और साथ ही विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की रिपोर्टों, जिन्होंने सिलिकन प्रायोगिक सयंत्र का स्वयं निरीक्षण किया था, को ध्यान में रखते हुए सरकार को मेत्तूर केमिकल्स के सिलिकन विषयक कार्यकलापों की स्थिति के बारे में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने जो निर्णय लिया था और जिसकी सूचना दिनांक 14 मार्च, 1985 को राज्य सभा में दी गई थी, वह इस प्रकार है :—

> "स्वदेश में विकसित प्रक्रियाओं की तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता तथा किफायती लागत विषयक मुद्दों की वर्तमान स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स हेमलाक सेमीकण्डक्टर्स कारपोरेशन के साथ सौदा करने का निर्णय किया है। साथ ही साथ, स्वदेशी प्रक्रिया का व्यावसायिक स्तर पर विकास करने के प्रयासों के लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी। राष्ट्रीय

सिलिकन सुविधा के लिए पूंजी निवेश के संदर्भ में निर्णय मेत्तूर केमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे 25 टी. पी. ए. के उत्पादन एकक से प्राप्त होने वाले परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाएगा"।

संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स हेमलाक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन के साथ किये गए करार के अनुसार तकनीकी जानकारी का शुल्क 67 लाख अमरीकी डालर है। मार्च, 1985 में करार को रिकार्ड करते समय तकनीकी जानकारी शुल्क के 10 प्रतिशत भाग अर्थात् 6,70,000 अमरीकी डालर का भुगतान किया गया। फरवरी, 1986 में प्रक्रिया पैकेज के प्राप्त होने पर तकनीकी जानकारी शुल्क के 25 प्रतिशत भाग अर्थात् 1,675,000 अमरीकी डालर का भुगतान किया गया।

मेठकेम सिलिकन लि. ने अपने उत्पादन संयंत्र को स्थापित कर लिया है और यह सूचित किया है कि वह जून, 1986 से नियमित रूप से अपना प्रचालन कार्य कर रहा है। नियमित प्रचालन-कार्य के दौरान इस संयंत्र से प्राप्त होने वाले उत्पाद का इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा कि इसे युक्तियों के विनिर्माताओं द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा अथवा नहीं। जैसा कि दिनांक 13 मार्च, 1986 को संसद में सूचित किया गया है, उसके बाद मेटकेम सिलिकन द्वारा स्वदेश में विकसित प्रक्रिया की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत की किफायतशारी दृष्टि से जांच की जाएगी।

(घ) इन भुगतानों को करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिकी विभाग ने प्रतिवर्ष 100/200 टन परा उच्च शुद्धता के पालिसिलिकन के विनिर्माण के लिए एक औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया संबंधी तकनीकी जानकारी तथा मूलभूत इन्जीनियरी अभिलेख प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें धातुकर्मीय ड्रेड सिलिकन की मूलभूत कच्ची-सामग्री, हाइड्रोजन तथा क्लोराइन से लेकर विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल है। अधिक महत्वपूर्ण सामरिक एवं संवेदनशील सामग्री पर और आगे कार्य करने के लिए और अधिक औद्योगिक विकास के लिए यह जानकारी भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(ङ) तकनीकी करार के अनुसार हेमलाक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन को भुगतान करने का निर्णय फरवरी, 1985 में समुचित स्तर पर लिया गया था।

विशेष केन्द्रीय सहायता की खर्च न की गई धनराशि

4114. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई कितनी धनराशि व्यय नहीं की गई; और

(ख) क्या जारी की गई धनराशि के बारे में वास्तविक जांच की गई थी ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमों के लिए 6656.37 लाख रुपए की विशेष

केन्द्रीय सहायता के नियतन में से राज्य सरकार ने 6601.24 लाख रुपए की अनन्तिम व्यय की सूचना दी है।

(ख) राज्य सरकार ने महालेखाकार द्वारा अंकित व्यय संबंधी आंकड़े नहीं भेजे हैं।

जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश किया जाना

4115. **श्री राम धन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच वर्षों के दौरान जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त किन-किन आयोगों ने मूल रूप से निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है;

(ख) कितने आयोगों को तीन साल से अधिक समय के लिए चालू रखा गया; और

(ग) वे अपना काम कब तक पूरा करेंगे ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का न उठाया जाना

4.16. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण के लिए उन्हें आवंटित किये गए खाद्यान्नों को नहीं उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने आवंटित खाद्यान्नों की पूरी मात्रा नहीं उठाई है और उन्होंने उक्त खाद्यान्नों को न उठाए जाने के क्या कारण बताए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के उठाए जाने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के न उठाए जाने से जन-सामान्य के दैनिक जीवन पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जनवरी, 1986 से जून, 1986 तक की अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का किया गया कुल उठान उन्हें आवंटित की गई मात्राओं का लगभग 56 प्रतिशत बैठता है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, आन्ध्र प्रदेश तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर, विभिन्नराज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में उठान उन्हें किये गए आवंटनों से कम था। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उन्हें आवंटित की गई पूरी मात्रा को न उठाने के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है।

(ग) जी हां, केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किये गए आवंटन

उसके पिछले मास की 25 तारीख से लगभग 45 दिनों के लिए आवंटन के मास के आगामी मास की 10 तारीख तक वैध होते हैं।

(घ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सामान्यतया उनकी अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप उठान किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन केवल खुले बाजार की उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं।

खाद्य तेल का उत्पादन

4117. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :**

श्री के. कुन्जम्बु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में खाद्य तेल की अनुमानित मांग की तुलना में इसके उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या भारत द्वारा 1000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या इतनी बड़ी मात्रा में आयात किया जाना हमारी विदेशी मुद्रा के रक्षित कोष पर एक भारी बोझ है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्य तिलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है और इस वर्ष का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा तेल वर्ष 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 148 लाख मीटरी टन नियत किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर 1986-87 के दौरान खाद्य तेलों का उत्पादन 41.30 लाख मीटरी टन आकलित किया गया है।

(ख) और (ग) चालू तेल वर्ष के दौरान 30 जून, 1986 (8 महीने) तक लगभग 234.10 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया गया है।

(घ) 1984-85 से 17 राज्यों के संभावना वाले जिलों में तिलहनों के विकास के लिए एकराष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चल रही है। इस परियोजना को सातवीं योजना की सारी अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है और सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) के लिए 180 लाख मीटरी टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है। राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सहायता दी जाती है, ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर तिलहनों को खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तिलहन उत्पादन के बारे में एक प्रौद्योगिकी मिशन भी स्थापित किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्रों में सप्ताह में 5-द्विसीय प्रणाली

4118. **श्री मुल्ला पल्ली रामचंद्रन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच द्विसीय प्रणाली शुरू की है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सभी संघ शासित क्षेत्रों में सप्ताह में पांच द्विसीय प्रणाली लागू की गई है।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण चीनी मिलें

4119. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कितनी रुग्ण चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया तथा उनमें से बस्ती जिले में कौन-कौन सी रुग्ण मिलें हैं;

(ख) क्या मिलों की हालत सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के पश्चात् और अधिक बिगड़ी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मिलों की हालत और बिगड़ने के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की किसी भी रुग्ण चीनी मिल का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

होशियारपुर छावनी योजना के अन्तर्गत खाली कराये गये गांव का पुनर्वास

4120. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होशियारपुर छावनी योजना के अन्तर्गत कुल कितने और कौन-कौन से गांव खाली कराये जाने का प्रस्ताव है और उन्हें दिये जाने वाले मुआवजे और उनके पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके होशियार पुर में मिलिटरी स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इस समय अपेक्षित ब्यौरे देना संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर में राष्ट्र विरोधी ताकत

4121. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हैं और वे पृथक राज्यों की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में उग्रवादी दलों नामत: त्रिपुरा नेशनल वालियटियर्स, नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैंड और मतैई उग्रवादी दल अलगाववादी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त रहे है।

बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में एक अलग झारखण्ड राज्य बनाने के लिए विघटनकारी और विखण्डनजात मांगें की जा रही हैं। कोलहन रक्षा संघ द्वारा एक स्वतन्त्र कोलहन राज्य की भी मांग की गई थी । पश्चिमी बंगाल में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा गोरखालैंड बनाने के लिए दार्जिलिंग क्षेत्र में एक आन्दोलन शुरू किया गया है। सरकार संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

आंतकवाद का मुकाबला करने हेतु नई नीति

4122. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से पंजाब में पर्याप्त आंतकवाद का मुकाबला करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने नई नीति तैयार करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई नीति से देश में नागरिकों में विश्वास की भावना किस हद तक पैदा होगी ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने आंतकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में कानून अधिनियमित करना, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कानूनी कार्यवाही करने तथा आसूचना तन्त्र को सुचारु बनाने, पंजाब तथा अन्य राज्यों और सीमाओं पर पुलिस प्रबंधों को सुदृढ़ करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने और राज्य सरकारों को अर्ध सैनिक बलों की सहायता प्रदान करने जैसे प्रशासनिक उपाय करना शामिल हैं। आंतकवाद को रोकने और उसको समाप्त करने के प्रयासो में सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

भारत के नेपाली भाषी लोगों को भारतीय आदिवासी गोरखा कहा जाना

4123. **श्री आनंद पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाली भाषी लोगों को, जो जन्मजात भारतीय नागरिक हैं, भारतीय अधिवासी गोरखा कहा जाता है और तदनुसार रिकार्ड बनाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :(क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान्। तथापि सरकार

के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, भर्ती के प्रयोजन के लिए, नेपाली गोरखाओं के मध्य अन्तर को स्पष्ट करने के लिए जिन्हें भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। उन्हें भूतपूर्व नेपाल और जिन्हें भारत से भर्ती किया जाता है, भारत में रहने वाले गोरखाओं को भारतीय अधिवास के गोरखा कहा जाता है।

साम्प्रदायिक दंगों संबंधी जगमोहन रेड्डी आयोग की सिफारिश

4124. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1969 के दंगों के पश्चात नियुक्त किए गए जगमोहन रेड्डी आयोग ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को क्या कदम उठाने के लिए कहा है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जगमोहन रेड्डी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रयिक सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली और पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना, राजनैतिक दलों, धार्मिक नेताओं और समाचार पत्रों द्वारा स्वतः धर्म-निरपेक्ष आचार संहिता को अपनाना, साम्प्रदायिक दंगों के लिए प्रोन्नत क्षेत्रों में दण्डात्मक कर लगाना, दंगों के दौरान विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयत्नों का समन्वय करने के लिए और प्रशासनिक, पुलिस और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाने के लिए दंगा आयुक्तों की नियुक्ति करना ताकि उन्हें दंगों की स्थिति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी तंत्र बनाया जा सके।

(ग) इस आयोग और इसी प्रकार के अन्य आयोगों और राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों को उपयुक्त उपाय करने के लिए लिखा गया था। तथापि साम्प्रदायिक हिंसा को प्रभावकारी ढंग से नियन्त्रित करने के लिए 1980 में विस्तृत दिशा-निर्देश बनाए गए थे और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इन्हें अपनाने के लिए परिचालित किया गया था। सरकार द्वारा आगे इस प्रकार से हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा और संशोधन किया गया और 1985 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पुनः परिचालित किया गया।

गंगा सागर और सिंधु सागर में द्वीपों का विकास

4125. **श्री जंगा रेड्डी**

डा. ए. के. पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा सागर और सिन्धु सागर में क्रमशः किरने द्वीप हैं जहां कोई नहीं रहता है;

(ख) क्या सरकार इन द्वीपों की रक्षा, सुरक्षा तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) से (घ) : गंगा सागर पर यात्रिक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे गंगा सागर पर यात्रिक के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएंगे। भारतीय यात्री आवास विकास समिति को यात्रिक के निर्माण के लिए कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।

गंगा सागर तथा सिंधु सागर में द्वीप-क्षेत्रों की रक्षा के लिए रक्षा योजनाएं तैयार करते समय सुरक्षा प्रबन्धों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार की रक्षा योजनाओं के ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

उन्नत किस्म के हल्के हैलिकाप्टर का निर्माण

4126. **प्रो. जी. जे. कुरियन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन्नत किस्म के हल्के हैलीकाप्टर का निर्माण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) इसे सेना के बेड़े में किस तारीख तक शामिल किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने उन्नत किस्म के हल्के हैलीकाप्टर के डिजाइन एवं विकास के लिए 1982-83 के मूल्य स्तर पर कुल 94.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक परियोजना शुरू की है। 1990 के दशक के प्रारम्भ में हैलीकाप्टर का उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है। इस परियोजना के बारे में आगे ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में जन-प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा गार्ड

4127. **श्री मूलचंद डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने जन-प्रतिनिधि रहते हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर नहीं हैं पर जब से पंजाब में आतंकवाद फैला है और निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं शुरू हुई हैं तब से उनके लिए हर समय सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए हैं;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना व्यय किया गया है और जन-प्रतिनिधियों को कब से सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गये हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात का पता लगाएगी कि बारह के कितने जन-प्रतिनिधियों को अपनी प्राण रक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों की सेवाओं की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ व्यक्ति सुरक्षा गार्डों का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 62।

(ख) सुरक्षा गार्डों के वेतन तथा भत्तों पर व्यय लगभग 578180 रु. प्रतिमाह है।

(ग) इन जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए आसूचना ब्यूरों से परामर्श करके नियमित पुनरीक्षाएं की जाती हैं।

(घ) ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों में नैमित्तिक श्रमिकों को मजदूरी

4128. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी**
श्री बसुदेव आचार्य

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी सरकारी कर्यालय और उपक्रम नैमित्तिक श्रमिकों को दैनिक मजूरी की दरों पर नियुक्त करती है जो कि मजूदरी बोर्ड पंचाट की वेतन दर से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निदेशों के अनुसरण में उन्हें समान वेतन देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का उनकी सेवाओं को छः माह बाद नियमित करने का विचार है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) दैनिक मजदूरी पर नैमित्तिक कर्मचारियों को बहुत से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्त किया जाता है। दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में अकुशल नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दरें श्रम मन्त्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये किसी मजदूरी बोर्ड पंचाट (वेजेज बोर्ड एवार्ड) के अध्यधीन नहीं है। दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर नैमित्तिक कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी की दरें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अधीन निर्धारित की जाती है।

(ख) से (घ) श्री सुरेन्द्र सिंह तथा अन्य द्वारा इन्जीनियर इन चीफ केन्द्रीय लोक

निर्माण विभाग तथा अन्य के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 17-1-86 को दिये गये निर्णय के प्रभावों की सरकार जांच कर रही है।

खाद्यान्नों का आयात और निर्यात

4129. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1984-85 और 1986 के दौरान खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वस्तु का कितनी मात्रा में आयात किया गया था;

(ग) क्या इन वस्तुओं का आयात भारतीय खाद्यान्नों अथवा अन्य भारतीय वस्तुओं के पारस्परिक निर्यात के आधार पर किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार खाद्यान्नों की अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए निर्यात में गति लाने के लिए अधिक कारगर उपाय करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो खाद्यान्नों की प्रत्येक फसल के सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) 1984 में 3.50 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने का ठेका किया गया था। तथापि, 1985 और 1986 के दौरान अब तक गेहूं अथवा चावल का कोई आयात नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) पर किया जाता है। सरकार ने सीमित मात्रा में गेहूं और गेहूं के उत्पादों तथा गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की भी इजाजत दी है। नेपाल को 30,000 मीटरी टन, जोरडन को 50,000 मीटरी टन और डी. पी. आर. कोरिया को 1,10,000 मीटरी टन गेहूं को बिक्री करने के करार किए गए हैं।

निर्माण इकाइयों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा

4130. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण इकाइयों, विशेषकर उन निर्माण इकाइयों के लिए जो खतरनाक

रसायनों और संसाधनों का निर्माण करती हैं, यह अनिवार्य किए जाने का विचार है कि वे भोपाल गैस दुर्घटना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने हेतु लोक दायित्व बीमा पालिसियां लें, जिस प्रकार वाहनों के मामले में तृतीय पक्षकार बीमा होता है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कर्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रेगिस्तान की समस्या को हल करने के लिए मास्टर योजना

4131. **श्री शांति धारीवाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेगिस्तान की समस्या को हल करने के बारे में स्वीकृति देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कोई लम्बी अवधि की मास्टर योजना प्राप्त हुई है जिस पर 560 करोड़ रुपये की परिव्यय का अनुमान है।

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि वह रेगिस्तान की समस्या को हल करने के लिए उतनी ही केन्द्रीय सहायता दे जितनी कि पर्वतीय क्षेत्रों को विकास कार्यक्रमों के लिए दी गई है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्य वाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) छठी योजना के दौरान मरूभूमि विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम थी जिसमें केन्द्र और राज्य की सहभागिता 50 : 50 थी। राजस्थान सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (प. क्षे. वि. का.) के पैटर्न पर केन्द्रीय सहायता अर्थात् 90 प्रतिशत अनुदान तथा राज्य में मरूभूमि विकास के लिए 10 प्रतिशत ऋण का सुझाव दिया था। इसके मुकाबले, मरूभूमि विकास के लिए छठी योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को सातवीं योजना के दौरान एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार के 560.21 करोड़ रु. के प्रस्ताव में बड़े तथा मझोले उद्योगों की स्थापना जैसी मदों को और कतिपय क्षेत्र जो कि इस समय मरूभूमि विकास कार्यक्रम का एक अंग नहीं है, शामिल किया गया है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि मरूभूमि विकास कार्यक्रम

की मुख्यकलाप मरूक्षेत्र के पशुओं और लोगों की जल-पूर्ति आवश्यकता की पूर्ति हेतु नलकूपों व पम्पों को बिजली से चलाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे आनुषांगिक कार्यकलापों के अतिरिक्त सेन्ड ड्यून रेत के टीले स्टेबिलाइजेशन, शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन, भू-जल स्रोतों के निर्माण तक सीमित होनी चाहिए। राजस्थान को सातवीं योजनाके दौरान कार्यक्रम के अधीन कुल 245 करोड़ रु. के आबंटन में से मरूभूमि विकास के लिए 190 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि आबंटिक करने की सम्भावना है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपभोक्ता भंडार, पोर्ट ब्लेयर को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को सहायता

4132. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो उपभोक्ता भण्डार पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिए कुल कितनी राशि मांगी गई और कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को आपूर्ति करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इस कार्य के लिए अपनी निधियों से सहकारी समितियों को ग्रामीण उपभोक्ता कार्य शुरू करने के लिए सहायता देता है। केन्द्रीय सरकार/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपभोक्ता भण्डार, पोर्ट ब्लेयर. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को दी गई सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दि कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स, पोर्ट ब्लेयर द्वारा मांगी गई तथा भारत सरकार व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उसे मंजूर की गई सहायता का ब्यौरा देने वाला विवरण

योजना का नाम	वर्ष	मंजूर की गई राशि (लाख रुपये में)	प्रयोजन
1. शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1973-74	10.00	कार्यकारी पूंजी ऋण
	1974-75	0.84	अंश पूंजी ऋण
2. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा	(क) 1980-81 1981-82	5.60	ढुलाई वाहन खरीदने तथा गोदामों का निर्माण करने हेतु।
प्रायोजित योजना	(ख) 1986-87 (मांगी गयी 15.73 लाख रु. की राशि की तुलना में)	11.46	दुकानों एवं गोदामों का निर्माण करने हेतु।
	(ग) 1986-87	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सूचित किया है कि स्टोर द्वारा मछली पकड़ने के दो ट्रालरों को भारवाही समुद्री जहाजों में बदलने हेतु मांगी गई कुल 27.806 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।	

"इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव द्वारा परियोजना का प्रस्ताव"

4133. श्री के. वी. शंकर गौडा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव द्वारा दस राज्यों में वनरोपण से संबंधित एक सात वर्षीय परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और यह प्रस्ताव सम्भवत: कब लागू किया जायेगा; और

(घ) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना प्रस्ताव के मुख्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) परियोजना प्रस्ताव में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों को अन्तिम रूप से अभिनिर्धारित किया गया है। राज्यों का अन्तिम रूप से चयन विस्तृत तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनों के बाद किया जाएगा।

(घ) परियोजना की भौतिक और वित्तीय व्यहार्यता की जांच की जा रही है।

विवरण

1. परियोजना के उद्देश्य :

परियोजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में 5 हजार हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण करके इमारती/जलावन की लकड़ी के उत्पादन का विस्तार करना। इस प्रकार परियोजना में 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण की जानी है। प्रत्येक परियोजना स्थल (5000 हेक्टेयर) को 7 ब्लाकों में बांटा जाएगा। प्रत्येक ब्लाक में 715 हेक्टेयर भूमि होगी। इस किस्म के एक ब्लाक में प्रत्येक वर्ष पौधरोपण किया जाएगा, इस प्रकार 7 साल में 5000 हेक्टेयर में पौधरोपण पूरा होगा। 70 : 30 (3500/1500 हेक्टेयर) के अनुपात में जलावन/इमारती लकड़ी के पौधरोपण करने का प्रस्ताव है।

2. परियोजना अवधि :

परियोजना अवधि 7 साल के लिए है जलावन/इमारती लकड़ी के उत्पादन की 8वें साल में शुरू होने की संभावना है।

3. **कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण :**

प्रत्येक राज्य में आइ. एफ. एफ. सी. ओ. (इफको) फार्म वानिकी सहकारी समितियां आयोजित की जाएंगी। लाभान्वित होने वाले किसान सदस्य अपनी भूमि पर पौधरोपण करेंगे।

4. **क्षेत्र का चुनाव :**

मापदण्ड ये होंगे (क) फार्म वानिकी को विकसित करने की क्षमता (ख) शुष्क भूमि तथा अन्य गैर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, अधिमानतः आदिवासी पट्टी में, जहां कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सके और (ग) जहां स्थानीय नेतागण कृषि वानिकी के लिए सहकारी प्रयास को मानने वाले होंगे।

5. **कार्यपद्धति :**

आई. एफ. एफ. सी. ओ. (इफको) के मुख्यालय में अभ्यन्तर सैल 10 परियोजना स्थलों में से प्रत्येक में एक "परियोजना दल" चुनेगा। इस दल का मुखिया "परियोजना कार्यकारी" होगा और यह दल सात वर्षों की अवधि में 65 से 85 सहकारी समितियों के रूप में वनरोपण के कार्य का समन्वय करेगा। गठित 200 से 250 गांवों की 5000 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष इस प्रकार का 10 से 12 समितियां गठित की जाएंगी। प्रत्येक सहकारी समिति की सहायता एक ग्रामीण मार्गदर्शक, करेगा जो उसी समुदाय से चुना जाएगा और उसको 300 से 400 रुपए प्रति-माह तक का मानदेय दिया जाएगा। परियोजना दल में 3-4 विस्तार अधिकारी" भी होंगे जिनमें से प्रत्येक अधिकारी 3 ग्रामीण मार्गदर्शकों की सहायता करेगा। विस्तार अधिकारी और ग्रामीण मार्गदर्शक मिलकर सक्रिय रूप से समिति की गतिविधियों का समन्वय करेंगे।

6. **उत्पादन अनुमान :**

8वें से 15वें वर्ष तक के सालाना उत्पादन अनुमान नीचे गए हैं :—

जलावन की लकड़ी	20,000 मीट्रिक टन
इमारती लकड़ी	8,500 मीट्रिक टन
चारा	15,000 मीट्रिक टन

7. **वित्तीय अनुमान :**

अनन्तिम परियोजना परिव्यय 45.30 करोड़ रुपए हैं : आई. एफ. एफ. सी. ओ. (इफको) के अनुसार, वित्तीय संसाधनों को भारत सरकार और आई. एफ· एफ· सी. ओ· (इफको) की हिस्सेदारी, 20 प्रतिशत सरकारी आर्थिक सहायता और वित्त देने वाली संस्थाओं के दीर्घावधि ऋणों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई वचन नहीं दिया गया है। परियोजना प्रस्ताव की वित्तीय तथा भौतिक व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

8. **वित्तीय प्रतिफल :**

प्रत्येक परियोजना स्थल में 715 हेक्टेयर का पहला ब्लाक पौधरोपण के 7 वर्ष बाद

परिपक्व होता है। अनुमान है कि जलावन की लकड़ी और इमारती लकड़ी की उपज 60 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर की दर से होगी। जलावन की लकड़ी की कीमत 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन और इमारती लकड़ी की 700 रुपए प्रति मीट्रिक टन आंकी गई है। इस प्रकार प्रति ब्लाक उपलब्धि 180 लाख रुपए होने का अनुमान है। चूंकि प्रतिवर्ष एक ब्लाक परिपक्व होगा, अत: 8 वें वर्ष के आगे 180 लाख रुपए की यह उपलब्धि प्रति वर्ष होने की उम्मीद है। यह माना जाता हैं कि जिस ब्लाक से वृक्ष काट लिए जाए उनमें कटाई के शीघ्र बाद पुन: पौधरोपण किया जाएगा। यह माना जाता है कि इन ब्लाकों में पुन: पौधरोपण और उनके रख-रखाव की लागत को कटाई किए गए ब्लाकों से अर्जित आय में से पूरा किया जाएगा। 8वें वर्ष से आगे इन लागतों को पूरा करने के बाद प्रति परियोजना स्थल से लाभ लगभग 100-150 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा।

9. वित्तीय सूचक :

यह हिसाब लगाया गया है कि आंतरिक प्रतिफलन की दर 14 प्रतिशत होगी और 5000 हेक्टेयर के प्रत्येक परियोजना स्थल का 90 प्रतिशत की दर से परिकलित (पूंजी की लागत) शुद्ध वर्तमान मूल्य 42.29 लाख रुपये है। आय सर्जन के वर्ष से (8वें वर्ष से) 4 वर्ष के भीतर (11वें वर्ष तक) निवेश वापस हो जाएगा। 15 वें वर्ष तक कुल 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ब्याज एवं ऋण की अदायगी के उपरांत संचित लाभ 346·7 लाख रुपये या 3,467 लाख रुपए प्रति परियोजना स्थल होगा।

10. आय का वितरण :

शुद्ध नकद आय (ब्याज और ऋण की अदायगी के बाद लाभ) को 6 प्रतिशत की दर से अन्शधारियों को बाटा जाएगा और शेष राशि को सुरक्षित कमाई के रूप में रखा जाएगा।

पुराने और घटिया शुष्क सैलों की बिक्री

4134· **प्रो. रामकृष्ण मोरे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि निर्माताओं द्वारा न केवल घटिया "ड्राई सैलों" बल्कि पुराने सैलों को बिक्री करके क्योंकि इन पर निर्माण की तिथि अंकित नहीं होती है, उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि इस विषय पर सरकार के एक से अधिक विभागों/अभिकरणों द्वारा कार्यवाही की जाती है, अत: उपभोक्ताओं को उपयुक्त संरक्षण प्रदान करने के लिए इस सारे मामले पर विचार करने हेतु मंत्री स्तर पर एक अन्त: मंत्रालयीन बैठक बुलाई गयी है।

विशेष राजसहायता दर पर चावल की सप्लाई करने के लिए व्यक्तियों का चयन

4135. श्री सी. अंगा रेड्डी :

डा. ए. के. पटेल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष राजसहायता प्राप्त दर पर चावल और गेहूं सप्लाई करने के लिए व्यक्तियों का चयन किया जाता है और प्रत्येक परिवार की गरीबी के स्तर को ध्यान में रखते हुये सहायता की राशि किस प्रकार निर्धारित की जाती है ;

(ख) यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि दूरदराज पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं, इससे वंचित न रहें; और

(ग) ग्राहकों के लिये चावल और गेहूँ की राजसहायता प्राप्त दरें क्या हैं जो वे सामान्य दरों की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के आदिवासी-बहुल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रह रही समस्त आबादी को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर चावल और गेहूं की सप्लाई करने की योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों में खुदरा वितरण करने की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा की जाती है।

(ग) इस योजना के तहत लाभभोगियों को गेहूं 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर और साधारण चावल 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर सप्लाई करना अपेक्षित होता है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों के सामान्य खुदरा मूल्यों का निर्धारण गेहूँ के मामले में 1.90 रुपये प्रति किलोग्राम और साधारण चावल के मामले में 2.31 रुपये प्रति किलोग्राम के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

12.30 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, की धारा 18 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1986, जो 26 जुलाई, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 548 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1986, जो 2 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 569 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल. टी. 3042/86]

भारतीय साधारण बीमा निगम बम्बई, युनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास आदि के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष की कार्यकरण समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

(एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, बंबई, के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखीं गयीं। देखिये संख्या एल. टी. 3043/86]

(2) (एक) युनाइटिड इन्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास, के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी एक विवरण।

(दो) युनाइटिड इन्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास, के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखीं गयीं। देखिये संख्या एल. टी. 3044/86]

(3) (एक) ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी एक विवरण।

(दो) ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखीं गयीं। देखिये संख्या एल. टी. 3045/86]

(4) (एक) न्यू इन्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1985 को

समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यू इन्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 3046/86]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, व्यवस्था के एक प्रश्न पर। महोदय, आज समाचार पत्रों के कर्मकार हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप कुछ और दे सकते हैं··· आप नियम 377 के अन्तर्गत आ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने 377 की भी अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप आज दे सकते थे। हम कल इसकी अनुमति देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह आज उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दे दूँगा।

श्री बसुदेव आचार्य : हड़ताल आज है।

अध्यक्ष महोदय : कल मैं आपको अनुमति दूँगा।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूँ···(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (इडुक्की) : मेरे चुनाव क्षेत्र में 11 व्यक्ति मर गए···

अध्यक्ष महोदय : दंडवते जी एक मिनट।

प्रो. मधु दंडवते : इस सदन के कार्यचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था का एक प्रश्न। मैंने देखा कि 3 अगस्त के टाइम्स आफ इन्डिया ने इस बात की घोषणा की कि··· के आधार पर मन्त्री मण्डल का एक मन्त्री ··

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे एक प्रस्ताव दिया है जिस पर मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है। आप ने मुझे यही दिया है। इस समय मैंने इसे टिप्पणी के लिए आगे भेज दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय क्या आप जानते हैं कि मैं कौन सा मुद्दा उठा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने पहले ही ऐसा किया है। आपको कारण मालूम है, प्रोफेसर जो कुछ मुझे करना है वह मैं करूँगा।

प्रो. मधु दंडवते : आप सदन में प्रक्रिया संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति मत दीजिए। कृपया मुझे अपना विनिर्णय बता दीजिए। मैंने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय है कि मैंने पहले ही कार्यवाही की है; मैंने लिखा है और मैंने तथ्यों की मांग की है।

प्रो. मधु दंडवते : क्या मैं यह समझ लूं कि आप ने मामला विचाराधीन रखा है।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह तो ऐसे ही हो सकता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, उन्होंने शून्यकाल को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया है। हम भी सदस्य हैं···

प्रो. मधु दंडवते : मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई शून्य काल नहीं है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : सदन को यह मालूम होना चाहिए. कि भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण केरल में 45 व्यक्ति और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 व्यक्ति मर गए हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं ?

प्रो मधु दंडवते : महोदय, मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दे दिया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दे दीजिए। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए मत, प्रो. कुरियन। मैं आपकी बात सुनूंगा। पहले मुझे कुछ कहने दीजिए···

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, मैं पहले ही आपसे सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि बाढ आई है और 40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और आप यह प्रश्न उठाना चाहते हैं। आप यह मुझे दे दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो पी. जे. कुरियन : कृपया सरकार से शीघ्र सहायता भेजने को कहिए और यहां चर्चा भी होनी चाहिए।

श्री शांता राम नायक (पणजी) : उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के परिणाम-स्वरूप, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर राष्ट्रीय-गीत गाने से इनकार कर सकता है। अतः कानून में संशोधन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, क्या आप सरकार को सहायता भेजने के लिए निदेश देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी मैं उचित समझूंगा वह मैं कर दूंगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : केरल के किसान संकट में पड़े हुये हैं। 9 हजार बाढ़ग्रस्त हैं। 45 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने पहले भी किया है। आप भी दे दीजिए। हम विचार-विमर्श करेंगे, मैंने पहले भी एक बार किया है। किन्तु मुझे इस संबंध में कोई संशय नहीं है। मैं यह बाद में भी कर सकता हूं। मैं सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ करने के लिए कहूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : मैंने भी सूचना दी है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ...।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप मुझे कोई और प्रस्ताव दे दीजिए। तब मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने पहले ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : दिल्ली में, समाचार पत्रों के कर्मकार हड़ताल कर रहे हैं.....।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही नियम 377 के अन्तर्गत अनुमति दे दी है। आपको इसे देने जरूरत नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अधिकारियों की अकुशलता के कारण स्वतन्त्रता संग्रामियों के सहस्रों मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं। सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्रीमती शीला दीक्षित।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र–(जारी)

(अनुवाद)

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान विभिन्न आश्वासनों, वायदों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार

द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) विवरण संख्या 13, तेरहवां सत्र, 1983
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3047/86]
(2) विवरण संख्या 16, चौदहवां सत्र. 1984
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.. 3048/86]
} सातवीं लोक सभा

(3) विवरण संख्या 10 दूसरा सत्र, 1985
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3049/86]
(4) विवरण संख्या 7, तीसरा सत्र, 1985
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी 3050/86]
(5) विवरण संख्या 6, चौथा सत्र, 1985
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3051/86]
(6) विवरण संख्या 3, पांचवां सत्र, 1986
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3052/86]
} आठवीं लोक सभा

12.36 म. प.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन अथवा उससे सहायता प्राप्त चिकित्सा कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में 42वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण।

(दो) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और (दो) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में 43वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण।

(तीन) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नियोजन और उनके लिए आरक्षण के बारे में 49वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय एक और दो में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण।

(चार) रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नियोजन और उनके लिए आरक्षण के बारे में 59वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण।

(पांच) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजतियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं के बारे में पहला प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय एक, दो और अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण।

(छः) सहकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय एक और दो में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण।

12.37 म. प.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 5 अगस्त, 1986 को हुई बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

12.38 म. प.

लोक लेखा समिति

55वां और 56वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई. अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

1. सीमा शुल्क प्राप्तियां—गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क लगाया जाना—ऊनी रद्दी अथवा ऊन सम्बन्धी पचपनवां प्रतिवेदन ।

2. लाख की अधिप्राप्ति में हानि सम्बन्धी छप्पनवां प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.38 म. प.

यमुनापार के क्षेत्रों में सहकारी आवास समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भू-खण्डों के सम्बन्ध में विकास न्यूनता शुल्क लगाये जाने के बारे में याचिका

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : मैं यमुनापार के क्षेत्रों में सहकारी आवास समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भू-खण्डों के बारे में विकास

न्यूनता शुल्क लगाने के सम्बन्ध में श्री के. एल. चुग तथा दिल्ली के अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

12.39 म. प.

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

बैंकों द्वारा रिलाएन्स तथा अन्य उद्योगों को उनके अपने शेयरों/डिबेंचरों की प्रतिभूति पर भारी मात्रा में दिए गए ऋणों से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय मैं वित्तमन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर बिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"बैंकों द्वारा रिलाएन्स तथा अन्य उद्योगों को उनके अपने शेयरों/डिबेंचरों की प्रतिभूति पर भारी मात्रा में दिये गये ऋणों से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय मेरा एक निवेदन है···

अध्यक्ष महोदय : निवेदन की अनुमति नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हम उस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न ही नहीं हैं। जिसकी अनुमति दी गई है वह ठीक हैं। इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए कोई दूसरे नियम नहीं हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैंने इसे लिख लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं हैं। सदस्य महोदय जो कुछ भी कह रहे हैं वह असंगत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैंने इसे लिख लिया है, अन्यथा मैंने ऐसा नहीं किया होता।

मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी उन कई कम्पनियों के खातों की तुरन्त जांच

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की थी जिन्होंने इस कम्पनी के शेयरों/डिबेंचरों के बदले बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 24 जुलाई, 1986 को सभा पटल पर रख दी गई थी। प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 36 के साथ पठित धारा 35 और 35क तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों और भारतीय रिजर्व बैंक में निहित अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 जुलाई, 1986 को एक समिति का गठन किया है, जिसके विचारणीय विषय ये हैं :

(i) वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों/डिबेंचरों की प्रतिभूति के बदले दिये गए उक्त अग्रिमों से संबंधित परिस्थितियों की जांच करना।

(ii) यह तय करना कि क्या उपर्युक्त अग्रिम मंजूर करते समय बैंकों या किसी बैंक ने सामान्य बैंकिंग पद्धति और प्रक्रिया के अनुरूप कार्य किया है या नहीं और विशेष रूप से शेयरों/डिबेंचरों की प्रतिभूति के बदले दिये गए अग्रिमों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदेशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया है या नहीं।

(iii) यह तय करना कि क्या ऋण मंजूर करने वाले सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उक्त अग्रिम उन्हें दी गई शक्तियों के अन्तर्गत मंजूर किये गए थे या नहीं और क्या ऐसे अग्रिमों के मामले में कोई अनियमितताएं अथवा कोई अनौचित्य था या नहीं।

(iv) व्यापार और उद्योग सहित बैंकिंग प्रणाली के हितों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार करना कि क्या शेयरों/डिबेंचरों के बदले बैंक अग्रिमों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन या परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(v) समिति को सौंपे जाने वाले ऐसे किसी सम्बद्ध मामले पर विचार करना।

समिति से दो महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

डा. चिन्ता मोहन : महोदय मुझे बहुत खुशी है कि बैंक संबंधी मामलों की देखभाल करने के लिए हमारे पास एक बहुत ईमानदार एवं गतिशील मंत्री महोदय हैं। परन्तु गलत आर्थिक निर्देशों एवं अवांछनीय तथा गलत आर्थिक नीतियों के कारण हमारा देश बहुत पिछड़ रहा है। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के साथ की जा रही अनियमितताओं को हम प्रतिदिन देख सकते हैं।

मैं यहां न तो रिलायन्स समर्थक के रूप में आया हूं और न रिलायन्स विरोधी व्यक्ति के रूप में यहां आया हूं। मैं यहां इस बात पर विस्तार से चर्चा करने आया हूं कि सरकार विशेष तौर पर इन उद्योगपतियों के लिए क्या कर रही है। मुझे यह प्रतीत होता है कि रिलायन्स केवल 1980 में अस्तित्व में आई है।

जब मैं इस पर दृष्टिगोचर करता हूं, 1980 से पहले यह केवल एक साधारण सी कंपनी थी जिसमें अधिक पूंजी नहीं लगी हुई थी। जब मैं पीछे निगाह डालता हूँ तो ज्ञात होता है कि 1970 में इस उद्योग में 6.2 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। वर्ष 1984-85 में यह बढ़कर 57.41 करोड़ रुपए हो गई। जब मैं कुल ऋण पर निगाह डालता हूं, तो चालू पूंजी तथा शेयर पूंजी, वर्ष 1976-77 में 33 करोड़ रुपये थी। पर अब यह लगभग 735.68 करोड़ रुपये है।

जहां तक बिक्री की बात है, बहुत प्रशंसनीय बात है कि इस कम्पनी के चेयरमैन ने देश में तथा देश के बाहर भी काफी बिक्री की है। वर्ष 1976 में पिछली बिक्री लगभग 67 करोड़ रुपये थी तथा आज यह 10 गुना बढ़ गई है और 605 करोड़ रुपये है।

करों के बारे में बाहर लोग यह कहते हैं कि उन्होंने बहुत अधिक कर दिये हैं। अपनी विवेकपूर्ण कर व्यवस्था से तथा सुविचारित व्यवस्था से वे शून्य कराधान की अवस्था पर आ गए हैं। वर्ष 1985 में उन्होंने लगभग 20 50 करोड़ रुपये दिये हैं तथा लगभग 1.29 लाख रुपये बिक्री कर दिया। जब आप 1980 में रिलायन्स के मामलों पर नजर डालते हैं, उन्होंने ऋण पत्रों में मांग तथा उन्होंने अपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों में, सीरीज एक, दो, तीन, चार, पांच तय की हैं। उन्होंने लगभग 71 करोड़ रुपये जुटाये तथा परिवर्तनीय ऋणपत्रों से 15 करोड़ रुपये। यदि आप 9×4 में इन पर नजर डालते हैं, मैं नहीं जानता कि सरकार ने किस तरह—मुझे नही मालूम कि किन वित्त मंत्री महोदय ने अनुमति दी, परन्तु मेरे विचार में कांग्रेस सरकार थी—उन्हें अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को इक्विटी शेयरों में बदलने की अनुमति दी है।

वर्ष 1984 में, जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं, रिलायन्स कम्पनी को दो आशय पत्र दिये गए थे। उस समय उद्योग मंत्री ने जो कभी आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री हुआ करते थे, पेट्रो-रसायन इकाइयां अर्थात् पी. टी. ए. तथा एम. ई. जी. तैयार करने के लिए दो आशय पत्र दिए। ये दो पेट्रो-रसायन इकाइयां शुरू होने वाली हैं। श्री वेंकटरमन, सचिव ने पत्र को इस शर्त के साथ सिफारिश की है कि यह कम्पनी विशेष देश में संस्थागत वित्त न बनाये। उसी समय उन्होंने यह कहते हुये कि उन्हें सार्वजनिक शेयर तथा एन. आर. आई. तथा देश के बाहर से कुछ ऋण लेने की कोशिश करनी चाहिए, किसी नियम की शर्त लगा दी। मार्च, 1985 में अम्बानी ने एक वक्तव्य दिया कि वह सार्वजनिक शेयरों एन. आर. आई. के ऋणों तथा विदेशी बैंक ऋणों से 670 करोड़ रुपये को जुटाना। इसके बाद इस चतुर अम्बानी ने, जो एक बड़े उद्योग-पति है, लगभग 70 कम्पनियां बना लीं। देश में उद्योगपति अब ऐसा ही कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17 बैंकों ने प्रतिभूतियों पर ऋण दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए ऋण—इक्विटी अनुपात 2 : 1 होना चाहिए परन्तु इस कम्पनी ने अपने प्रभाव तथा अधिकारियों की मिलीभगत से 16 राष्ट्रीयकृत बैंकों से 108 करोड़ रुपये का ऋण लिया। मैं बैंकों का विवरण दूंगा। बैंक आफ बड़ौदा ने 25 करोड़ रुपये दिये। केनरा बैंक ने लगभग 12.2 करोड़ रुपये दिए। बैंक आफ इण्डिया ने 9.7 करोड़ रुपये दिए हैं। कुछ विदेशी बैंकों ने भी ऋण दिए हैं। इस तरह वह बैंकों से 111 करोड़ रुपये लेने में सफल रहा। एन. आर. आई. से वह 158 करोड़ रुपये लेने में सफल रहा। कुल मिलाकर उसने 270 करोड़ रुपये अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के रूप में लिए तथा

10 करोड़ रुपये इक्विटी शेयरों के रूप में लिए। मुझे नहीं मालूम कि कुछ समय के बाद क्या हुआ। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने यह निर्देश दिया है कि बैंकों को असामाजिक कम्पनियां, अनुत्पादक कम्पनियों तथा सट्टे वाली कम्पनियों को भी और ऋण नहीं देना चाहिए। इस निर्देश के बाद भी बैंक आफ इण्डिया के उप-महा-प्रबन्धक ने अहमदाबाद के आसपास से विभिन्न शाखाओं से लगभग 50 लाख रुपए एकत्र करके इस उद्योग विशेष को लगभग 5 करोड़ रुपए दिए।

इसी तरह केनरा बैंक के श्री पाई ने 755 लाख रुपए का ऋण दिया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने श्री पाई को पदोन्नति क्यों दी, श्री पाई केनरा बैंक में उप-महाप्रबन्धक थे, लेकिन उन्हें इस ऋण को स्वीकृत करने के पश्चात् महाप्रबन्धक बना दिया गया। क्या बैंकिंग क्षेत्र वास्तव में इस देश के निर्धन लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है ? जैसे कि आमतौर पर होता है इस देश में उद्योगपति विभिन्न कम्पनियों के नाम पर भारी मात्रा में धन इकट्ठा कर रहे हैं और वास्तव में जनता का धन लूट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें। आपने काफी समय ले लिया है।

डा. चिन्तामोहन : अन्त में मैं जानना चाहूंगा कि विभिन्न बैंकों ने ऋणों की जो स्वीकृति दी थी वह नियमित थी या अनियमित रिलायन्स कंपनियों को स्वीकृत किए गये ऋण के संबंध में वस्तु स्थिति क्या है ? इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री क्या कर रहे हैं ? इसमें कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं मंत्रियों के शेयर हैं ? आपने हाल ही में रिजर्व बैंक के तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की है। इन तीन व्यक्तियों में से कितनों के इसमें शेयर हैं ? इसमें भारत से बाहर के कितने लोग शामिल हैं ? कितने उच्च अधिकारी भारत से बाहर के बैंकों में अनिवासी भारतीयों के रूप में धन रख रहे हैं ? इन सब बातों से ही काले धन की उत्पत्ति होती है। दूसरी कंपनियों जैसे बोम्बे ड्राइंग·· **।

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा। मैंने पहले ही आपको 15 मिनट दे दिए हैं। अब श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि तथा कथित ऋण मेला मंत्री उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हैं। आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय बैंकों द्वारा रिलायन्स तथा अन्य उद्योगों को उनके अपने शेयरों डिबेंचरों की प्रतिभूति पर भारी मात्रा में दिए गए ऋणों से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में है।

सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि जिस तरह से हमारी वित्तीय संस्थाएं और बैंक बड़े औद्योगिक घरानों को ऋण दे रहे हैं उस पर मुझे आपत्ति है। इन लोगों को ऋण देने में मध्यम दर्जे के लोगों को ऋण देने में और निर्धन लोगों; बेरोजगार तथा अन्य लोगों को ऋण देने में बहुत भेद-भाव बरता जाता है। यही मेरी आपत्तियों का आधार है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न यह है कि रिलायन्स ने अपने शेयरों और डिबेंचरों पर जो ऋण लिया अगर वह गैर कानूनी था तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी। आरोप यह है कि उन्होंने इस धन का उपयोग अपने स्वयं के शेयर तथा डिबेंच को खरीदने के लिए या सट्टेबाजी के लिए किया। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में कतिपय रहस्योद्घाटन किए हैं; निस्संदेह वे अन्तिम रिपोर्ट के अध्यधीन हैं और उसके बाद ही हम अपने नतीजे निकाल सकते हैं।

मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि क्या रिलायन्स को अपने शेयरों तथा डिबेंचरों को खरीदने के लिए ही उसकी विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से ऋण दिया गया था। जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के विरुद्ध है। इसके लिए एक समयबद्ध जांच की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : वह समयबद्ध है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे यही बात दोहरा रहे हैं कि उन्हें अपनी रिपोर्ट समय पर देनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की देरी फिर से माहौल को खराब करेगी और न केवल उद्योग को अपितु सरकार तथा सरकारी संस्थाओं को बदनाम करेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यह आरोप मई के मध्य में लगाया गया था और पहले ही इतना समय गुजर चुका है। अन्तरिम रिपोर्ट पुनः अन्तिम रिपोर्ट के अध्यधीन है। लगाए गए आरोपों से दूसरी बात जो मेरे जहन में आती है वह यह है कि उन्होंने ऋण लेने के लिए कई झूठी कंपनियां को शुरू किया। मैं उस प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूंगा जिसके जरिये सरकार निवेश करने वाली कम्पनियों के पूर्ववृत्त की जांच करती है। क्या रिलायन्स ने इन कम्पनियों को शुरू किया है और क्या उनके पूर्ववृत्त की जांच किए बगैर उन्हें ऋण दिया गया।

अब हम रिलायन्स के बारे में जानते हैं। परन्तु सभी बड़े व्यापारिक घराने वही सब कर रहे हैं। महोदय यह सब कैसे हो रहा है ? बाम्बे डाईंग कम्पनी लिमिटेड की इस तरह निवेश करने वाली 55 कम्पनियां हैं और लगभग सभी का एक ही पता है अर्थात एक ही मूल पता है। ओरके की 16 हैं, वी. आई. पी. समूह की 12, मफतलाल की 26 और गोयनका की 12 हैं। यहां तक कि बिड़ला की भी हैं टाटा की भी हैं। वे भी बैंकों से ऋण लेते हैं। टाटा ने नागपुर में 'इम्प्रेस मिल' बन्द कर दी है। 5000 करोड़ रुपयों से अधिक धन बीमार इकाईयों के कारण रुका पड़ा है। यह सब जानते हैं कि ये बीमार इकाईयां इन बड़े घरानों की सहायक कम्पनियां हैं। वे यह कहकर धन लेते हैं कि वे इन बीमार उद्योगों को पुनः जीवित करने जा रहे हैं परन्तु धन को किसी और क्षेत्र में लगा लेते हैं ; और उन उद्योगों को लगातार बीमार बने रहने देते हैं। इसमें बैंक भी कम्पनियों के साथ शामिल हैं, वे हमारे इस अमूल्य धन को बड़े व्यापारिक घरानों को दे देते हैं।

जुलाई, 1986 के भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख में वित्तीय और निवेश कम्पनियों का वर्ष 1982-83 का कार्य निष्पादन दिखाया गया है। 307 कम्पनियों का एक अध्ययन किया गया है, जिनमें से 38 शेयर का व्यापार करने वाली कम्पनियां हैं। उन्हें बैंक ऋण मिला है तथा उनकी घोषित व्यापार शेयर व्यापार दी है। जब उन्हें ऋण मिलता है वे

इससे शेयर खरीदते हैं। यह बात जानते हुए भी सरकार इसकी अनुमति कैसे देती है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन मूल घरानों द्वारा ऐसी कम्पनियां शुरू करने पर रोक लगाने जा रहे हैं। आपको इन पर रोक लगानी चाहिए। उन्हें इस प्रकार के निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

अब हम रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें। बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा चुका है और इसके बारे में बहुत कुछ समाचार पत्रों में छप चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें इसके पहले बड़े-बड़े कितने ऋण दिए गए हैं ? और उनका ऋण अदायगी का क्या रिकार्ड रहा है ? क्या वे नियत कार्यक्रम का पालन करते रहे हैं ? यदि नहीं तो यह जानते हुये भी आपने कार्यवाही क्यों नहीं की या उन्हें दुबारा इस प्रकार के बड़े ऋणों को देने से पहले आपने उनकी उचित जांच क्यों नहीं की यह एक और मुद्दा है जिसका मन्त्री महोदय को स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए।

जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का सम्बन्ध है यह रिलायन्स पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी की सरकार पर बैंक अधिकारियों पर और प्रबन्धक मंडल पर लागू होती है लगभग उन सभी कम्पनियों की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जिन्होंने रिलायन्स की ओर से ऋणों के लिए आवेदन दिया है कहा गया है कि वे सूत कपड़ों शेयरों और प्रतिभूतियों का व्यापार कर रहे है।" ऋण लेने का उद्देश्य सामान्यत: कार्य पूंजी के लिए, या शेयर खरीदने के लिए या रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर तथा डिबेंचर खरीदना बताया गया है। केनरा बैंक के मामले में यद्यपि ऋण के आवेदन में उद्देश्य कार्य पूंजी बताया गया है लेकिन बैंक ने यह रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेस के डिबेंचर खरीदने के उद्देश्य से स्वीकृत किये थे। यह कैसे किया गया ? इन कम्पनियों ने कार्य पूंजी के लिए आवेदन दिया था। परन्तु जब ऋण स्वीकृत हुए तो स्थिति बदल गई तथा वह शेयर खरीदने के लिए दिये गये। किसके साथ कौन मिला हुआ है ? उचित रूप से बताया जाना चाहिए ?

अब हम देखें कि अन्तरिम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष लिए गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धातों में उल्लेख किया गया है कि शेयरों पर दिए गए ऋण का प्रयोग उत्पादन के उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिए तथा उन बैंकों ने इनका अनुपालन नहीं किया है जिन्होंने रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी कम्पनियों को एक बड़ी राशि ऋण के रूप में दी है, इसकी जांच की जानी है।

मैं एक बात जानना चाहता हूं। हमारे प्रस्ताव में अन्य उद्योगों का उल्लेख है। मैं मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वे कतिपय बड़े घरानों को देखें तथा इनके वित्तीय मामलों की जांच के लिये एक आयोग नियुक्त करें। वे जनता के धन का क्या कर रहें हैं ? वे हमारे लोगों का धन हड़प रहे हैं और उनकी सहायता कौन कर रहा है ? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बोम्बे डाईंग एवं रिलायन्स कम्पनियों में पहले अच्छे भाइयों के से सम्बन्ध थे परन्तु अब वे एक दूसरे का गला काटने में लगे हैं।

1.00 म. प

अध्यक्ष महोदय : अब वे भाई हैं तथा एक दूसरे का गला काटने में लगे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह ऐसा ही लगता है यद्यपि एक कहावत के अनुसार कौवा कौवे का मांस नहीं खाता है परन्तु ये पूंजीवादी ऐसा कर लेते हैं। हमें सब बातों की ओर सबकी जांच करनी होगी अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि कुछ समय पहले बोम्बे डाइन्ग की **पी. टी. फाइव स्टेट इनवेस्टमेन्ट कम्पनी** ने 25 करोड रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा इंडोनेशिया में लगाने के लिये उधार ली थी और फिर यह बीमार पड़ गयी तथा सारा धन डूब गया। यह ऋण भारतीय ओवरसीज बैंक एवं सिंडिकेट बैंक से मिला, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि बोम्बे डाईंग ने 8 करोड़ रुपये मूल्य के अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी किये तथा जो 28 जून को समाप्त हुआ तथा इसके द्वारा डिबेंचरों के पूर्ववर्ती निर्गम के समय मोरटगेट कवर और इन डिबेंचरों पर ब्याज दे सकने के लिए पर्याप्त लाभ बनाये रखने आदि के सम्बन्ध में नियत खण्ड का उल्लंन किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नूसली वाडिया एण्ड सन्स ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से 6.07 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया (यूनियन बैंक और स्टेट बैंक के सहायक बैंक) नूसली वाडिया ने इस ऋण का काफी भाग बोम्बे डाइंग तथा अन्य छ. कम्पनियों के शेयर में लगा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार मामले की जांच करेगी क्या यह भी सच है कि बोम्बे डाइंग लिमिटेड कम्पनी पूरी तरह से नूसली वाडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के द्वारा नियंत्रित है, जिसके अंशधारी पूरी तरह से विदेशी हैं तथा उसमें सबसे अधिक शेयर नेपाल स्थित कम्पनियों ( ) विश्व व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (2) लेख किरण इन्वेस्टमेंट कनसंन प्राइवेट लिमिटेड के हैं। ये लेख किरण आदि सब कौन है मंत्री जी हमें यह बताने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी आप एक अच्छे लेखाकार हो गए हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नूसली वाडिया को जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, बोम्बे डाइन्ग के समस्त निर्यात व्यापार को चलाने की अनुमति किस तरह दी जा रही है ? इससे जाहिर होता है कि इन औद्योगिक घरानों के आपस के अन्दरूनी झगड़े देश में व्यापार के माहौल को खराब कर रहे हैं—और सरकार उनका साथ देकर हमारी अर्थव्यवस्था के पतन में सहायता कर रही है। इसलिए इन घरानों के तौर तरीकों की पूरी जांच कराये जाने की बहुत आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, मुझे एक बात का पता चला है। एक चौधरी होने के नाते, मैं सोचता था कि आप गणित तथा अर्थशास्त्र में अवश्य कमजोर होगे परन्तु आपको इनका अच्छा ज्ञान है।

श्री जैनुल बशर अब आप बोलें।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं अर्थमैटिक्स और इकोनोमिक्स में बहुत कमजोर हूँ।

एक माननीय सदस्य : कौन, आप ?

श्री जैनुल बशर : जी।

मेरा दिमाग इस मामले में बहुत खुला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : दिमाग तो हमेशा ही खुला रखना चाहिए।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष जी, इसमें दो चीजें सामने आई हैं। बहुत से समाचार-पत्रों में और पत्रिकाओं में रिलान्स की गड़बड़ी के संबंध में समाचार निकले हैं। समाचार-पत्रों ने पब्लिक इन्टरैस्ट में जो उन्होंने गड़बड़ी की है, जो गलती की है, जो इर्रेगुलेरिटीज है, उनको जनता के सामने लाए। यह अच्छी बात है और रिजर्व बैंक ने एक कमेटी बना दी, जैसा कि स्टेटमेंट में आया है। वह कमेटी उसके विभिन्न पहलुओं की जांच भी कर रही है। लेकिन एक दूसरी शंका भी हमारे दिमाग में उठती है कि कहीं ऐसा नहीं है कि यह बड़े कारपोरेट घरानों का झगड़ा हो। रिलायन्स इन्डस्ट्री, जिसने अगर कुछ चमत्कारिक तरक्की की है, इन्डस्ट्रीज और बीजनैस के क्षेत्र में उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए डैलीबरेटली कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है कि उसको आगे नुकसान पहुंचाया जाए।

अध्यक्ष जी, पैंटरिएट अखबार जो कि बिग-बीजनैस का दोस्त नहीं कहा जा सकता है, उसकी एक बात मैं कोट करना चाहता हूं :—

[अनुवाद]

"यह लगता है कि संदिग्ध व्यक्तियों की खोज के वर्तमान अभियान का मुख्य उद्देश्य रिलायन्स के बारे में फैसला करने वालों में, अधिकारी वर्ग में, बैंकों में तथा जनता में संदेह, अविश्वास तथा द्वेष का माहौल पैदा करना है, ताकि रिलायन्स जनता से धन जुटाने में नाकाम हो जाये, इसकी चालू परियोजनायें धरी रह जाए और नई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब हो जाए या वे सभी कम्पनियां बन्द ही जायें। इसका उद्देश्य कम्पनी को पूरी तरह से अपंग बनाना प्रतीत होता है।"

[हिन्दी]

यह इस अखबार में दिया हुआ है और यह ऐसा अखबार है, जिसको बिग बिजनैस का दोस्त नहीं कहा जा सकता। इस शंका को भी निर्मूल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, जांच तो आप कर रहे हैं और जांच करनी चाहिए : वह एस्पेक्ट भी हमारे सामने है और यह जो दूसरा एस्पेक्ट है, यह भी हमारे सामने है। रिलायन्स का 10 साल पहले 91 लाख रुपये का सैल्स टर्नओवर था और 1985 में यह 711 करोड़ हो गया। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह चमत्कारिक तरक्की उसने की है। ऐसा होने पर आप जान बूझकर इस प्रकार की कार्यवाही की गई है, तो रिलायन्स को जो नुकसान होना है, वह होगा ही और जांच-पड़ताल में और इन्वेस्टीगेशन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गलत तरीके से अगर करना पड़ेगा, तो यह तो करना ही पड़ेगा लेकिन जो 38 हजार से ज्यादा डिपोजीटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन पर क्या बीतेगी, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। आज समाचार-पत्रों में इन खबरों के आने से रिलायन्स के शेयर्स मार्केट में बराबर गिरते जा रहे हैं और शेयर होल्डर्स में एक पैनिक फैला हुआ है। उनके हित का भी हमको ध्यान रखना है और वहां जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके हित का भी ध्यान रखना है और इन लोगों के हितों को हमको नहीं छोड़ना है। उनमें एक

पैनिक फैला हुआ है। रिलायन्स के शेयर्स के भाव बराबर गिरते जा रहे हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि उनका इन्ट्रेस्ट न खत्म हो। जांच चल रही है, चले लेकिन बार-बार जो इसके बारे में आ रहा है, वह नहीं होना चाहिए। अगर सही मंशा होती, तो एक दो बार आ जाता। बार-बार यह कहा जा रहा है कि रिलायन्स स्मगलिंग कर रहा है, फ्राड कर रहा है और चीटिंग कर रहा है। इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे जो डिपोजिटर्स हैं, जो शेयर-होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें पैनिक फैला हुआ है, उनका मनोबल गिर रहा है।

अध्यक्ष जी, जो कुछ भी हो, रिलायन्स ने एक नई स्ट्रेटजी जरूर अपनाई है। उसने मार्केट से मिडिल क्लास के लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। पहले जैसे बड़े घराने के लोग किया करते थे कि सरकारी बैंकों से सरकारी रुपया लेकर वे अपनी बड़ी-बड़ी एम्पायर बनाया करते थे, रिलायन्स ने ऐसा नहीं किया और रिलायन्स को इसका क्रेडिट है और मैं उसकी इस बात में सराहना करूंगा कि उसने मिडिल क्लास के जो लोग पूंजी लगाना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे उससे पैसा इकट्ठा किया और इससे रिलायन्स को भी फायदा हुआ, रिलायन्स बढ़ा और लोगों को भी काफी डिवीडेंड मिले हैं, काफी उनको मुनाफा मिला है, काफी उनको पैसा मिला है। ··(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : क्या बात आप कर रहे हैं रेड्डी साहब। अध्यक्ष जी, यह हमारे समय में नहीं जुड़ना चाहिए।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं। जैसा कि हमारे दोस्त श्री सैफुद्दीन चौधरी ने इशारा किया, अगर रिलायन्स ने गलती की है, तो अकेले रिलायन्स ने गलती नहीं की है, इस देश में जितने भी बड़े घराने हैं, उन्होंने भी गलती की है। जैसा कि बताया गया कि जो पैरेन्ट कम्पनीज हैं, उन्हीं के दफ्तर में, जो बहुत सी दूसरी कम्पनीज हैं, सबके पते लिखे हुए हैं और सब उसी एड्रेस पर हैं और उनको भी बैंक लोन मिला है। उसी तरह से शेयर्स को, डिबेंचर्स को गिरवी रखकर दूसरे लोगों को लोन मिला है, जिस प्रकार से रिलायन्स को मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आपका ख्याल है कि इसमें सभी नंगे हैं।

श्री जैनुल बशर : बाम्बे डाइन्ग जो है, उसकी बहुत सारी इरेंगूलेरिटीज हमारे सामने आई हैं। वे इस प्रकार हैं :

[अनुवाद]

'1. इस्तेमाल किये गए डी. एम. टी. संयंत्र के लिए अधिक रकम का बीजक बनाना।

2. 1.12 करोड़ रुपये के निगम कर को अदा नहीं किया गया (फिर भी सरकार ने अपरिवर्तनीय ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दे दी)।

3. वाडिया और सिन्धिया की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी "नावोसनी वाडिया एण्ड सन्स" का बम्बे डाईन्ग पर पूर्ण नियंत्रण था और उन्होंने लगभग 33,000 शेयरधारियों को उन्हें देय लाभ से वंचित कर दिया।

4. पिछले ऋ-पत्रों को जारी करने की शर्तों का उल्लंघन, बाम्बे डाईंग कम्पनी ने 8 करोड़ रुपये के अपरिवर्तनीय ऋण-पत्र जारी कर दिए जिन शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया वे इस प्रकार हैं :—

(1) गिरवी रखकर

(2) पर्याप्त लाभ को बनाए रखना, और

(3) ऋण-पत्रों का ब्याज अदा करने के लिए आवश्यक राशि रखना।

5, सितम्बर, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते में हेरफेर। बाम्बे डाईंग ने सरकार को लिखा था कि व्यापारिक उत्पादन अप्रैल, 1985 में आरंभ हुआ, परन्तु "बैलेन्स सीट" को अन्य प्रकार से दिखाया गया और इस प्रकार सरकार, जनता व शेयरधारियों को धोखा दिया गया। बाम्बे डाईन्ग ने 26 करोड़ रुपये के पूंजी राजस्व का लाभ उठाकर, बिना कोई परिसम्पत्ति जोड़े डी. एम. टी. संयत्र में भारी वृद्धि कर ली है। इसके बाद बाम्बे डाईन्ग ने इन बढ़ी हुई परिसम्पत्तियों पर ऋण प्राप्त कर लिया है।

निदेश करने वाली तथा व्यापारिक कम्पनियों ने नेपाल से होकर बाम्बे डाईंग का धन बाहर भेज देती है।"

[हिन्दी]

इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सबके खिलाफ होनी चाहिए।

श्री जैनुल बशर : अब मैं आधे मिनट में कुछ सवाल करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी कीजिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे।

श्री जैनुल बशर : क्या रिलायंस मैनेजमेंट कम्पनियों और दूसरी कम्पनियों का शेयरों और डिबेंचर्स को गिरवी रखकर कर्ज लेना गैर कानूनी था ? क्या इस तरह से कर्ज खाली रिलायंस मैनेजमेंट की ही कम्पनियों ने लिया है या और कंपनियों ने भी लिया है। इण्डियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 1101.83 करोड़ रुपये के कर्जों का जिक्र है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें सरकार का 59.26 करोड़ रुपए कर्ज दिखाया गया है, इन दोनों में से कौन-सा ब्यौरा सही है ? क्या इण्डियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 16 बैंकों के नाम दिए गए थे और उनके सामने दर्ज रकम सही थी ? इण्डियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा

गया था कि रिलायंस की इन कम्पनियों ने ये कर्ज अपनी ही कंपनी के एफ. डीरीज डिबेंचर हासिल करने के लिए थे, क्या यह बात सही है ? रिलायंस के अलावा बाम्बे डाईंग और दूसरी कंपनियों की इन्वैस्टमेंट कंपनियों ने बैंकों को शेयरों और डिबेंचरों को गिरवी रखकर कितने-कितने कर्ज लिए हैं ?

[अनुवाद]

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैंने मानवीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों व प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना है। इस विषय पर वित्त मन्त्री द्वारा बहुत सारी सूचना देने और लोक सभा व राज्य सभा में प्रश्न उठाने के बावजूद इन सभी मामलों में बहुत सी भ्रान्तियां हैं। इसके विस्तार में जाते हुये मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं कुछ संगत प्रश्न पूछना चाहूंगा। परन्तु ऐसा करने से पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसा मैं सदन में प्राय: कहता रहा हूं कि यह सब सरकार की पिछले दो वर्षों में अपनाई गई उदार नीतियों के कारण हुआ है। बड़े बाजारों का बड़े व्यापारियों द्वारा लाभ उठाया गया और अब यह सिद्ध हो चुका है कि बैंकों और लोगों के पास उपलब्ध फालतू पैसा कुछ अनुत्पादक कार्यों में लगाया था। यह मेरा आरोप है। इस कम्पनी और अन्य कपनियों को ऐसा मामले यह सिद्ध करता है कि जिस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है वह उचित दिशा नहीं है और इस प्रकार से धन के अपव्यय के लिए उतार-चढ़ाव का बाजार उत्तरदायी था। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से एक उच्च-शक्ति वाली समिति गठित करने के लिए कहा है और उन्हीं सभी पहलुओं का अध्ययन वह उच्च-शक्ति प्राप्त समिति करने जा रही है जिनके सम्बन्ध में यहां प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समिति इस बात की जांच कर रही है कि क्या रिलायन्स उद्योग लिमिटेड ने शेयर व ऋण-पत्र खरीदने के लिए 59 करोड़ रुपये का ऋण लिया है अथवा क्या ऋण अन्य उत्पादक कार्यों के लिए लिया गया था। यदि उन्होंने शेयर व ऋणपत्र खरीदने के लिए ऋण लिया है तो यह बहुत आपत्तिजनक बात है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। परन्तु मान लीजिए यदि ऐसी बात नहीं है तो शेयरधारी को हानि नहीं होनी चाहिए। मेरे मित्र श्री जैनुल बशर ने ठीक ही कहा है कि वास्तविक शिकार तो शेयरधारी और ऋणपत्र धारी हैं। उनके शेयरों की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। यह बात भी हो सकती है कि उन्हें बहुत हानि उठानी पड़े क्योंकि शेयरों की मजबूरन बिक्री भी की जा सकती है। मुझे खुशी है कि बम्बई स्टाक एक्सचैंज ने शेयरों की आगे बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों के पास शेयर व ऋणपत्र हैं उन्हें हानि उठानी पड़ रही है। इस कार्य में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। जो जांच समिति बनाई गई है उसे 15 सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। उसे दो महीने का समय दिया गया है। उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 महीने से अधिक नहीं लगाना चाहिए। इस समय कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस मामले में समय में कोई वृद्धि की जाए।

दूसरे, जो ऋण लिया गया है उसका दुरुपयोग किया गया है। रिलायंस कंपनी द्वारा इसे हडपा गया है। वर्तमान स्थिति क्या है ? आज की तारीख तक 59 करोड़ रुपये में से कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है ? कितने ऋण का कंपनी द्वारा भुगतान किया गया है ?

यदि नहीं, तो उसका क्या हुआ है ? यदि यह सिद्ध हो जाता है कि जिस कार्य के लिए ऋण दिया गया था उस कार्य के लिए ऋण का प्रयोग नहीं किया गया और ऋण के उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया तो क्या सरकार ऋण को वापिस लेगी ?

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी ? क्या भारत सरकार एक अन्य समिति का गठन करने जा रही हैं अथवा क्या वर्तमान समिति इस बात की जांच करेगी कि अन्य कंपनियों को, जो इसी प्रकार की या इससे भी खराब गतिविधियों में रत हैं, प्रकाश में लाया जायेगा ? क्या आप इस बात की जांच कर रहे हैं ?

जब वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम यहां निरर्थक कार्यों के लिए नहीं हैं ऐसी बात नहीं हैं। इस प्रकार के कार्यों में लिप्त अन्य कंपनियों के विरुद्ध भी मैं एक शिकायत दे चुका हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि उस शिकायत पर क्या कार्यवाही हो रही है और मैं कोई बहाना नहीं चाहता, क्योंकि आप सदैव यह कह सकते हैं—यह सब समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और जो कुछ भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है हम उसकी जानकारी नहीं रखते। परन्तु यह मुख्य बात है जिससे सभी बातें आरम्भ हुई हैं। संसद सदस्यों के पास काफी जानकारी उपलब्ध हैं। प्रत्येक सदस्य को काफी सामग्री मिल रही है। प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिदिन सभी प्रकार की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए यह देखना व मालूम करना बहुत कठिन है कि क्या ठीक है और क्या गलत है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए विख्यात हैं। मुझे आशा है कि वह न्याय करेंगे और हमें यह बताएगे कि क्या सच है और क्या नहीं।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रिलायन्स व अन्य उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का स्पष्ट उल्लेख मन्त्री महोदय ने रिलायन्स कंपनी की सहायता की है। अपने उत्तर में भी उन्होंने केवल रिलायन्स कंपनी का उल्लेख किया है अन्य उद्योगों का नहीं। अन्य उद्योगों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। इसका क्या कारण है ? क्या मन्त्री महोदय का एक विशेष उद्योग समूह के साथ यहां रवैया अपनाना चाहते हैं। क्या यह उचित है ?

'इण्डियन एक्सप्रेस' व फाइनेन्स एक्सप्रेस' में छपी खबरों के आधार पर मन्त्रालय ने जांच समिति का गठन किया है। ऐसा करना कोई गलत कार्य नहीं है। सरकारी तन्त्र क्या कर रहा है ? क्या वह सो रहा है ? जब दैनिक समाचार-पत्र समाचार छापते हैं, केवल तभी सरकार की आंख खुलती है। इससे पहले वह कुछ कार्य नहीं करते और मामले की जांच नहीं करती। खबर छापने के बाद सरकार एक समिति नियुक्त करती है और अन्य सभी प्रकार के कार्य करती हैं। मैं मन्त्री महोदय से इस पहलू पर भी विचार करने का अनुरोध करूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि रिलायन्स व अन्य उद्योगों को उनके अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम ऋण प्रदान किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या शेयरों और ऋणपत्रों की जमानत पर ऋण देने की व्यवस्था केवल रिलायन्स प्रबन्ध कम्पनियों पर कृपा करने के लिए

की गई थी। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि शेयरों व ऋणपत्रों की जमानत पर अन्य बड़ी फर्मों व कंपनियों को भी ऋण नहीं मिल रहा है ? यदि रिलायन्स को ऋण दिया जा रहा है तो क्या यह सामान्य पद्धति है ? क्या विभिन्न फर्मों और कम्पनियों, जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सीमा में आती है के मामले में भी ऐसा होता है अथवा नहीं ? महोदय, 26 तारीख भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने सभी अनुसूचित बैंकों को एक परिपत्र जारी किया था। इसमें लिखा है :

> "हमारे सामने हाल में बहुत से ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें बैंकों ने बहुत सी कंपनियों व फर्मों को शेयर और ऋणपत्र खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाएं देने की मन्जूरी दी है।"

महोदय, वह कहते हैं कि हमारे सामने बहुत से उदाहरण आए हैं। केवल रिलायन्स का ही नहीं परन्तु बहुत से उदाहरण सरकार के ध्यान में भी लाये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर यह बात कहते हैं। परन्तु मंत्री महोदय द्वारा इनमें से किसी भी फर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। विशेष रूप से रिलायन्स पर कृपा करने के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है; परन्तु यदि वे गलती पर हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही कीजिए। आपको इस बात की जांच करनी है कि क्या वे गलती पर हैं अथवा नहीं। आपको इसकी जांच करनी है। यह रिलायन्स की घटना हिमशैल का एक सिरा है। ऐसी तो बहुत सी घटनाएं हैं बैंकों के प्रशासन में कुछ खराबी है। और इसी लिए सारे मामले की जांच के लिए सदन की एक समिति नियुक्त क्यों न की जाए ? सार्वजनिक क्षेत्र के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए सभी धोखाधड़ी के मामलों की जांच उसे करने दीजिए। उसे इस बात की जांच करनी चाहिए कि राष्ट्र को करोड़ों रुपये का धोखा देने में अधिकारीगण और निजी फर्मों के प्रबन्धकों की कैसी सांठगांठ है। मामले की जांच के लिए सदन की एक समिति गठित की जानी चाहिए। अन्यथा सारे भार को स्वयं वहन करना उनके लिए कठिन कार्य है। मैं मंत्री महोदय को एक बात बताना चाहता हूँ। बाम्बे डाईन्ग, आदि के विरुद्ध बहुत सी बातें बहुत सी विख्यात साप्ताहिक पत्रिकाओं में छपी थी, यह बात केवल रिलायन्स के सम्बन्ध के ही नहीं है। मुझे रिलायन्स का पक्ष नहीं लेना है। परन्तु मैं यह कहता हूँ कि बाम्बे डाईन्ग के संबंध में मंत्री महोदय ने एक भी शब्द क्यों नहीं कहा है। क्या ऐसा इस कारण है कि किसी केन्द्रीय मन्त्री को बांबे डाईन्ग से वित्तीय व व्यापारिक लाभ हैं जैसा कि साप्ताहिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है ? उनके समाचार-पत्रों में केन्द्र सरकार के एक मंत्री पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। वह बांबे डाईन्ग से सम्बन्धित हैं जो कि उनकी छत्रछाया में हैं। मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए जब बांबे डाईन्ग में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस मामले में भी इसी प्रकार सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

महोदय, प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 100 संसद सदस्यों ने रिलायन्स कम्पनी जिसने 100 करोड़ रुपया निकाल लिया है के मामलों की जांच करने के लिए प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया है। उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मामले की छानबीन करने के लिए कोई जांच

बैठायी गयी है ? आप इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपको भी ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ? यह कहा गया है कि रिलायन्स कम्पनी के विरुद्ध आयात नीति के पी. टी. ए. के आयात पर शुल्क बढ़ाए जाने के समाचार को सार्वजनिक बताने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की व्यवस्था की गई हैं। यदि ऐसा है तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ ? क्या उस रिपोर्ट को सभापटल पर रखा जायेगा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऋण वापस ले लिया जाना चहिए यदि वह उस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता जिसके लिए उसे दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई घटना (ऋण की वापसी) आपकी जानकारी में आयी है। यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में ऋण वापस लेने की क्या कोई कार्यवाही की गयी है। आर. आई. एल. रिलायन्स इन्डिया लि. के अध्यक्ष का कहना है कि एक सीरीज के कोई भी ऋणपत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से उनके परिवार के पास नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है ? आप स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करते ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठायी गयी सभी बातों का उत्तर दें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्रीमान, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उनके समक्ष उपस्थित होने का तथा संसद लोक सभा तथा राज्यसभा दोनों में अपनी कटी गई बातों को पूरा करने का अवसर प्रदान किया।

श्रीमान आप इस तथ्य से अवगत हैं कि इसका उत्तर इस सदन में भी दिया गया है। यह तारांकित प्रश्न 26 है। उत्तर विस्तार में दिया गया था। माननीय सदस्य श्री रेड्डी ने कहा है कि इससे बहुत अधिक भ्रांति उत्पन्न हो गयी है और हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए। माननीय सदस्य डा. चिन्ता मोहन तथा श्री जैनुल बशर ने भी अपने प्रारंभिक मामलों में इसे स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तथा सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए और हमें सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये। यहां सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम संसद से कोई बात छुपाने नहीं जा रहे हैं और न तो किसी का समर्थन करेंगे और न किसी के साथ बदले की भावना से कार्यवाही करेंगे। जब इन सभी पहलुओं पर विचार करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति नियुक्त कर दी गई है जो न केवल आज उठाये गये हैं बल्कि पहले भी प्रेस में तथा अन्य स्थानों में सार्थकता के साथ उठाये गये हैं तो इन सभी बातों की छानबीन की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गयी है।

एक माननीय सदस्य : यह क्या रिलायन्स के लिए या··· ··

श्री जनार्दन पुजारी : मैं सभी पहलुओं पर आऊंगा। कृपया थोड़ी देर के लिये मेरी बात सुनिये (व्यवधान)। श्रीमान, जहां तक रिलायन्स का संबंध हैं एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त कर दी गयी है ; हम इसकी रिपार्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी हम उचित कार्यवाही करेंगे। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है तो हम निश्चय ही ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे यदि कोई उल्लंघन नहीं किया गया हो और वे निर्दोष हैं तो हम उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अपराधी लोगों को बख्शा नहीं

जायेगा। सरकार का यही विचार है। यह बात बिल्कुल साफ कर दी गयी है। (व्यवधान)। महोदय, यहां जैसाकि माननीय सदस्य-गण चाहते हैं, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का न्याय ··

अध्यक्ष महोदय : मैं वे अन्य कंपनियों के बारे में भी जानना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार चिन्ता क्यों होनी चाहिए ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : जब एक बार कमेटी नियुक्त की गयी है तो उस कमेटी को कहा जाये।·· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात एक बार कह दी गयी है, फिर आप सब बारी बारी क्यों बोल रहे हैं ?

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मदद के लिये कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप बचाव क्यों कर रहे है···

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये हम किसी का भी बचाव नहीं कर रहे हैं (व्यवधान) महोदय, हम पहले उनकी चिन्ता पर विचार करेंगे कि हम इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। हम किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जिसने इसका उल्लंघन किया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में ला रहा हूं कि हम केवल प्रेस की रिपोर्टों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर रहे हैं; यदि सदस्यों के पास कोई सामग्री हो तो उसे हम तक पहुँचा सकते हैं। यदि विशेष प्रकरण मेरे सामने लाये जायेंगे हम उनकी जांच का आदेश दे देंगे। हम किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे यदि वह अपराधी पाया जाता है। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे हमारे पास कोई सामग्री भेजेंगे हम निश्चय ही जांच का आदेश दे देंगे और इसका अवलोकन करेंगे।

श्री भटटम श्रीराम मूर्ति : आप सदन की एक समिति क्यों नहीं गठित करते ?

श्री जनार्दन पुजारी : हम इसका गठन नहीं कर रहे हैं। जहां तक उल्लंघनों और अन्य बातों का संबन्ध है, माननीय सदस्य सुविज्ञ पुरुष हैं, हमें रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को उसके अधिकारों से पृथक नहीं करना है। हम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सत्ता में विश्वास रखें। जब वह अपना प्रतिवेदन देगी जब वह अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी यदि उसमें किसी पर कार्यवाही की जरूरत होगी हम निश्चित ही उस पर कार्यवाही करेंगे। उसी समय यदि किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जायेगा यदि अपराध की मात्रा पायी जायेगी तो हम जरूरत के अनुसार इसे सी. बी. आई. तथा पुलिस को भी सौंप देंगे।

श्री जैनुल बशर : मैंने बोम्बे डाइंग के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्रदान की है। वह इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है कि वह उस पर कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विष्णु जी, आपको अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैनुल बशर जी, कह वह ही चुके हैं कि वह अपराधी पाये गये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवही करेंगे। वह यह पहले ही कह चुके हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : कार्यवाही करने के संबंध में माननीय सदस्य गण जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

श्री जैनुल बशर : मैंने पहले ही प्रदान कर दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया उत्तेजित मत होइये। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिये कि सरकार किसी भी अपराधी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के पीछे हट गयी है।

1.33 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

सरकार की कार्यवाही बहुत स्पस्ट है। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं हम अकर्मण्यता के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम अक्षमता के विरुद्ध लड़ रहे हैं। आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि हम किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं ले रहे हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ बदले की भावना आधार पर पकड़ा नहीं जायेगा। यह आश्वासन मैं प्रदान कर रहा हूँ। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। दत्ता सामंत आप क्यों खड़े हैं ? मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : आपकी अनुमति से मैं चहना चाहूंगा कि पहले वाले वक्ता ने कुछ आरोप लगाये हैं तो एक मंत्री की मदद से ऋण दिए गये हैं। मैं इस आरोप का खन्डन करता हूँ। माननीय सदस्य ने प्रारंभ में स्वयं कहा है कि वित्त मंत्रालय के मंत्रियों में कितनी सत्यनिष्ठा हैं। अतः मैं इस आरोप का खन्डन करता हूं जो लगाया गया है।

जहां तक बोम्बे डाईंग तथा अन्य चीजों का संबंध है मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस आधार पर कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

डा. चिन्ता मोहन : क्या सरकार द्वारा नियुक्त इस समिति के किसी भी सदस्य ने इनमें से किसी कम्पनी का शेयर प्राप्त किया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : यदि आप विचारार्थ विषय का अध्ययन करें तो यह बात बहुत स्पष्ट है। यह कहा गया है कि मंत्रियों सहित किसी के अनौचित्य विचार किया जायेगा। आप चिन्ता करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने एक संगत प्रश्न सहित अनेक प्रश्न पूछे हैं जो रिलायन्स के संबंध में प्रेस में छपा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह जांच करेंगे। जांच शुरू होने जा रही है। उन्होंने समिति का गठन कर लिया है। वह जांच करेगी। उन्होंने कहा है कि वह कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

1.35 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 12 अगस्त, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 12 अगस्त, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.35½ म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

[एक] तमिलनाडु के कन्या कुमारी के जिले में दूरदर्शन केन्द्र दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्री एन. डेनिस (नागर कोइल) : कन्याकुमारी जिले के लोगों को टेलीविजन सुविधा प्रदान करना इस क्षेत्र के लोगों की काफी लम्बे समय से इच्छा रही है। इस भाग को छोड़ दिया गया है और टेलीविजन की सुविधा नहीं प्रदान की गई है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए लोग काफी समय से अभ्यावेदन देते रहे हैं। त्रिवेन्द्रम में टी. वी. स्टेशन के चालू हो जाने से कन्याकुमारी जिले की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहां से न तो इसको देखा जा सकता है, उल्टे त्रिवेन्द्रम टी. वी. स्टेशन के कार्यक्रम मुख्यतः मलयालम में होते हैं। उन्हें मलयालम के लोगों की रुचि के अनुकूल बनाया जाता है। अगला विकल्प यह होगा कि उन्हें श्री लंका के तमिल कार्यक्रम देखने पड़ेंगे जो हमारे देश के लोगों के लिए रुचिकर नहीं हैं। वे भी साफ दिखाई नहीं देते।

अतः सरकार तमिलनाडु कन्याकुमारी जिले में एक टेलीविजन स्टेशन या रिले स्टेशन स्थापित करने के लिए शीघ्र आदेश देने की कृपा करें।

[हिन्दी]

(दो) बिहार में एक रेलवे जोनल कार्यालय खोलने की मांग

श्री अब्दुल गफूर (बक्सिया) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में रेलवे के नौ जोन हैं और हर जोन एक जनरल मैनेजर के अन्तर्गत रखा गया है। बिहार में रेलवे का एक जोन बनाने की बात कोई दस वर्षों से चल रही है परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक रेलवे यातायात का सम्बन्ध है, बिहार अपनी जनसंख्या एवं प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से अपना एक अलग ही महत्व रखता है। बिहार में रेलवे जोनल आफिस नहीं होने से उस क्षेत्र के रेलवे यातायात का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। रेलवे कर्मचारियों को प्रशासनिक दिक्कतें भी महसूस करनी पड़ती हैं, जोकि जोनल आफिस बनने से दूर हो जायेंगी। पटना के पास ही दानापुर में रेलवे जोनल आफिस बनाया जा सकता है जहां रेलवे का डी. आर. एम. मुख्यालय काफी समय से है। या बरौनी गठहरा में रेलवे की काफी जमीन है तथा एशिया का सबसे बड़ा माल-यार्ड है। उत्तरी बिहार का सबसे उपयुक्त स्थान रेलवे जोनल कार्यालय के लिए बरौनी ही हो सकता है।

अतः रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव पर बारीकी से विचार कर जोनल आफिस बनाने की शीघ्र मंजूरी दें।

(तीन) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हरिजनों और आदिवासियों को पट्टे पर बंजर भूमि आवंटित करने की मांग

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के विजयपुर व करहाल विकास खंड पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर वृक्षारोपण नहीं कराया है। इससे इस क्षेत्र की आबो हवा भी दूषित है। यहां पर ज्यादातर हरिजन व आदिवासी लोग रहते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जितनी पड़ती जमीन है वह हरिजन आदिवासियों को पट्टे पर दी जावे और उस जमीन पर वृक्षारोपण हेतु पौध दी जावे जैसे सागौन, आम, शीशम, काजू, शहतूत की पौध दी जाये, ताकि गरीब लोगों का स्तर ऊंचा हो सके।

[अनुवाद]

(चार) वेतन आयोग का प्रतिवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात् यदि सरकारी आवास के मानक किरायों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है उसे छोड़ देने की मांग।

(श्री महेन्द्र सिंह गुना) : कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित ये खबरें कि चतुर्थ वेतन आयोग के प्रतिवेदन के स्वीकृत किए जाने के पश्चात् सरकार सरकारी कर्मचारियों के मकानों के मानक किराये में वृद्धि करने के बाद में विचार कर रही है, व्यापक चिन्ता का विषय बन रही हैं। वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का जो कुछ भी वायदा किया है किराये में यह प्रस्तावित वृद्धि उसे छीन लेगी। ऐसे किसी भी प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण ढंग से विरोध किया जायेगा। इसलिए सरकार को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए।

[हिन्दी]

(पांच) मथुरा और वृन्दावन की सांस्कृतिक विरासत के विकास और संरक्षण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने के पश्चात् पुरातत्व विभाग और अन्य विभागों के परामर्श से एक योजना तैयार करने की मांग

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य का विषय है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और महान तीर्थ मथुरा व वृन्दावन की उपेक्षा की जा रही है। जहां दूध दही की नदियां बहा करती थीं, वहां आज पीने के पानी का भी महान अभाव हो गया है। मथुरा वृन्दावन की कुन्ज गलियों में जहां भगवान राधा-कृष्ण की युगल जोड़ी रास लीलायें सजाया करती थीं, आज दुर्भाग्यवश मल-मूत्र और गन्दगी संजोह रही हैं। पवित्र यमुना जल जो भगवान राधा-कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श चरणामृत, उनके पावन पवित्र शरीर की अद्वितीय गन्द का अनादिकाल से स्मरण दिलाता है, आज एक दुर्गन्धयुक्त गन्दे नाले का रूप ले रहा है।

भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विश्व के कौने-कौने से लाखों लोग प्रतिवर्ष वृन्दावन आते हैं, किन्तु वृजधाम के परिक्रमा मार्गों को दुर्दशा प्राचीन तीर्थ स्थलों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देख

कर लाखों-लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को अपार वेदना होती है। उनके धर्म के प्रति आस्था को महान ठेस पहुंच रही है।

मैं अन्त में सुझाव रखूंगा कि मथुरा वृन्दावन की संस्कृति, संगीत, वन-सम्पदा, परिक्रमा मार्ग एवं यमुना के स्वरूप को सुरक्षित रखने हेतु पुरातत्व पर्यावरण, वन, पर्यटन एवं सिंचाई विभागों द्वारा विचार-विमर्श कर संबंधित विस्तृत योजना उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन कर सरकार तैयार करे।

[अनुवाद]

(छ) दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने और नीलांचल एक्सप्रेस की समय- सारणी को युक्तिसंगत बनाने की मांग

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस आजकल एक सुपर-फास्ट गाड़ी के रूप में चल रही है और इसका समय पुरानी समय सारणी के अनुसार है। किंतु इसे दिल्ली से पुरी हर रोज आना जाना चाहिए, ताकि यात्रा सुविधाजनक तथा जल्दी हो सके। भुवनेश्वर राज्य की राजधानी है। इसको राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के साथ संचार सम्पर्क की तुरन्त आवश्यकता है।इसलिए मैं माननीय परिवहन मंत्री से पुरी एक्सप्रेस के दिल्ली से पुरी प्रतिदिन आने जाने की व्यवस्था शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूं और इसके आने-जाने के समय में दो से तीन घन्टे की कमी करने पर भी विचार किया जाये, ताकि इससे और अधिक आसान यातायात की व्यवस्था हो सके।

नीलांचल और उत्कल एक्सप्रेस की समय सारणी में असाधारण वृद्धि की गयी है। उत्कल एक्सप्रेस पश्चिमी उड़ीसा से होकर जाती है तथा इस राज्य के 5 जिलों को यात्रा सुविधा प्रदान करती है। किन्तु समय सारणी में वृद्धि के कारण आजकल इस रेलगाड़ी में यात्रा करना बहुत असुविधाजनक है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह पहले की सामान्य समय सारणी को पुनः लागू करें तथा यात्रा को सुगम बनायें, ताकि दिल्ली तथा पुरी के बीच यात्रा इतनी कष्टदायक न हो।

नीलांचल एक्सप्रेस की दिल्ली से पुरी तथा पुरी से दिल्ली के बीच आने जाने की समय सारणी को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता हैं।

(सात) ताम्बरम चिंगलपेट के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यता

डा. एस. जगतरक्षकन (चेंगलपट्ट) : यह बड़े दुःख की बात है कि ताम्बरम चेंगलपेट दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूर्णतया ठप्प है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो क्या है। इस परियोजना के लिए प्रारंभ में सिर्फ एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 3.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी थी और शुरू में इस योजना को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का विचार था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि धन की कमी के कारण परियोजना के कार्य को स्थगित कर दिया गया है

और जिले तथा समूचे राज्य की जनता बहुत उत्तेजित और असंतुष्ट है। इस महत्वपूर्ण लाइन पर रेलगाड़ियां तेजी से चलाने के लिए दोहरी लाइन बिछाने के कार्य को तुरन्त हाथ में लेना होगा जो हजारों कर्मचारियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए पर्याप्त धन शीघ्र आबंटित करने की आवश्यकता है ताकि ताम्बरम चेंगलपेट दोहरी लाईन बिछाने के महत्वपूर्ण कार्य को शुरू किया जा सके तथा इसे अविलम्ब पूरा किया जा सके।

(आठ) भर्ती पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग ताकि अवाड़ी स्थित आयुध वस्त्र कारखाने की पोशाक निर्माण इकाई को चालू किया जा सके

डा. ए. कलानिधि (मद्रास मध्य) : श्रीमान, तमिलनाडु मद्रास में अवाडी में स्थित आयुध वस्त्र कारखाना सैनिकों के लिए वस्त्रों (पैंट, कमीज, इत्यादि) का निर्माण कर रहा है। इस कारखाने के श्रमिक बिना कोई हड़ताल आदि किये बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जब वह रक्षा मंत्री थे, ने सैनिकों के लिए बनियान बनाने की एक पोशाक इकाई की स्वीकृति दी थी। अब सामान आ गया है। मशीनें खरीदी गयी हैं किन्तु वे ऐसी ही पड़ी हैं। भर्ती पर प्रतिबंध को देखते हुए आवश्यक कर्मकारों के लिए स्वीकृति नही दी गयी है। जब तक इस प्रतिबंध को हटा नहीं दिया जाता तब तक इस बनियान कारखाने के चालू होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त मुझे पता चला है कि 20 करोड़ का सामान निजी पार्टियों को ठेका देकर बाहर करवाया गया है जबकि शाहजहांपुर कानपुर और ओ. सी. एफ. अवाड़ी में स्थित कारखाने इस कार्य को उचित समय में पूरा करने के लिए सक्षम थे। इससे शाहजहांपुर, कानपुर और अवाडी, मद्रास के कारखानों के श्रमिकों में काफी संदेह पैदा हो गया है। इसलिये मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निजी ठेके देने की व्यवस्था को बन्द करने के लिये तुरंत हस्तक्षेप करें और कम से कम 'चालू परियोजनाओं' के सम्बन्ध में भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध को भी हटायें ताकि पर्याप्त कर्मचारियों की समुचित मजूरी देते हुये ओ. सी. एफ अवाड़ी मद्रास पोशाक परियोजना को चालू, किया जा सके।

(नौ) चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाएं खोलने की मांग

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंक आफ महाराष्ट्र 19 मुख्य राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। राष्ट्रीयकरण के तुरंत बाद सभी मुख्य वाणिज्यिक बैंकों ने विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किया और विभिन्न राज्यों में अपनी शाखाएं खोलीं। उड़ीसा में, बैंक आफ महाराष्ट्र को छोड़कर सभी 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाएं खोल रखी है।

उड़ीसा से इस बैंक में लगभग 150 अधिकारी कार्य कर रहे हैं और सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान उनको अपने ही राज्य में तैयात करने से वंचित किया गया है जहां वे बैंक को और अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ तथा कम बैंकों वाला राज्य है जहां इस बैंक को अपने राष्ट्रीयकृत दर्जे की बनाये रखने के लिए विकासात्मक कार्य में भाग लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इस बैंक के ग्राहक जिनके उड़ीसा के साथ व्यावसायिक संबंध हैं, अन

के भेजने तथा दूसरी बैंकिंग सेवाओं के लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उनके व्यवसाय में बाधा पड़ती है। यह ग्राहक सेवा तथा इसे बैंक के लाभ पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और दूसरे शहरों जैसे कटक पूरी राउरकेला संबलपुर और बरहामपुर में कुछ शाखाओं के खोलने से बैंक का राष्ट्रीय स्तर पर निस्सन्देह विस्तार होगा तथा बैंक की सहायक ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार होगा। इस बैंक का कलकत्ता में पहले से ही एक डिविजन कार्यालय होने की वजह से उड़ीसा में खोली जाने वाली शाखाओं के नियंत्रण की ऐसी कोई समस्या नहीं होगी।

इसलिए, मैं भारत सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाएं खोलने का अनुरोध करता हूं।

1.47 म. प.

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पर और विचार करेगा।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी अपना भाषण जारी रखें।

श्री ई. अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : श्रीमान, सातवीं योजना में किए गए आबंटनों में खनिज विकास का राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए महत्व को उचित रूप से परिलक्षित नहीं किया गया है। खनिज और इनका विकास उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत तत्व हैं। सातवीं योजना में उद्योग और खनिज क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 3785.88 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि इसमें कितनी धनराशि खनिज विकास के लिये आबंटित की जा रही है।

हमने वर्ष 1957 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम लागू किया था। यह अधिनियम काफी वर्षों से प्रभावी है और इसके कार्यान्वयन और संचालन में कुछ कठिनाइयों तथा कमियां को देखा गया है। हमें आशा है कि वर्तमान संशोधन विधेयक इस अधिनियमके कार्यान्वयन में महसूस की गयी सभी कमियों और विवादों को स्पष्ट करेगा।

हाल ही में जो महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न हुआ है वह यह है जिन राज्यों में खनिजों का विपुल भंडार है वे उनसे होने वाली आय और अधिक हिस्सा मांग रहे हैं निस्सन्देह यह मांग स्वाभाविक है कि उन्हें खनिजों से अधिक संसाधन प्राप्त करने की अभिलाषा रखनी चाहिए। इसलिए वे रायल्टी की दरों में संशोधन करने के लिए जोर देते रहे हैं। नवम्बर, 1984 में इन

रायल्टियों पर रिपोर्ट देने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। दुर्भाग्य से हम अध्ययन दल की रिपोर्ट पढ़ने को नहीं मिली है, क्योंकि इसे सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। यह चाहे कुछ भी हो यह महसूस किया गया था कि रायल्टी की सूची में संशोधन करना आवश्यक है, जिससे वे राज्य जो इन खनिजों से राजस्व प्राप्त करने के इच्छुक हैं, सन्तुष्ट होंगे चूंकि रायलटी की दर में संशोधन करने में देरी हुई है। इसलिए कुछ राज्यों ने खनिज अधिकारों पर कर शीर्षक के अधीन खनिजों पर कर लगाने का मार्ग अपनाया जिसका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो में मद 50 में है। कुछ राज्य इस मद के अन्तर्गत कर लगा रहे हैं जो इस प्रकार है :

संसद से विधि द्वारा खनिज विकास के संबंध में लगायी गयी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज अधिकार पर कर सूची दो अर्थात राज्य सूची में मद 23 के अनुसार :

> "संघ के नियंत्रणाधीन विनियमन और विकास के संबन्ध में सूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिजों का विकास"

खान तथा खनिज विकास अधिनियम के पारित होने के पश्चात् राज्यों को सातवीं अनुसूची की सूची II के मद 23 के अन्तर्गत कोई कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। 1964 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा स्थानीय अधिनियम रद्द किया था जिसमें खनिजों पर उपकर लगाया गया था क्यों कि इसने निर्णय दिया कि खनिज विकास का समूचा क्षेत्र केन्द्र सरकार ने अपनी शक्तियों के अन्तर्गत ले लिया है। अब राज्य यह देख रहे हैं कि सूची II के मद 23 के आधार पर उनके लिए किसी प्रकार का उपकर लगाना संभव नहीं है और अब वे कर लगाने के लिए मद 50 का सहारा ले रहे हैं। कुछ राज्य इस आधार पर कर लगा रहे हैं। मद 50 के साथ एक परन्तुक लगाया गया है जिसके अनुसार राज्यों को ये शक्तियां संसद द्वारा कानून के तहत किन्हीं सीमाओं के अध्यधीन मिली है। अब जहाँ भी विवाद है वहां संसद को इसे सुलझाने की जरुरत है।

रायल्टी का सिद्धान्त इसलिए लागू किया गया था जिससे समस्त राज्यों में खनिज विकास के सम्बन्ध में एकरूपता हो। यदि राज्यों को अपने खनिजों पर अपने कर लगाने दिये जाते हैं तो इससे निश्चित ही अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और सारे राष्ट्र में एकरूपता नहीं होगी। यदि कोई विशेष राज्य खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति के अन्तर्गत किसी एक विशेष मद पर कर लगाता है तो निश्चित ही कोई एकरुपता नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर लगायेगा। यदि कोई विशिष्ट खनिज किसी विशिष्ट राज्य में पाया जाता है लेकिन उद्योग दूसरे राज्य में स्थित है तो हो सकता है वह राज्य इस बात की परवाह न करे कि वह उद्योग जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यह उस राज्य से पाये जाने वाले खनिज पर कर लगा सकता है। इसलिए एकरुपता की दृष्टि से इन रायल्टी दरों में संशोधन किया जाना चाहिए। यह बात भी स्पष्ट की जाये कि वह रायल्टी की दरों में कब संशोधन करने जा रही है। संघ सरकार को भी एक स्पष्ट रुख अपनाना है कि क्या राज्यों को सूची II की मन्द 50 के आधार पर स्वतंत्र रुप से तथा व्यक्तिगत रूप से कर लगाने का अधिकार है। अब महोदय, खनिज के संबंध में ये अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं हैं। यह तर्क

दिया गया है कि कतिपय खान पटटाधारियों ने राज्यों के कर लगाने के अधिकार को चुनौती दी है क्योंकि उनका तर्क है कि रायल्टी को लागू करने और खान तथा खनिज विकास अधिनियम के पारित हो जाने से प्रत्येक राज्य के कर लगाने के अधिकार छिन गये हैं।

अब ये मामले विवादास्पद बन गये हैं कि क्या इन राज्यों को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है या नहीं। यह विषय न्यायालय के समक्ष लम्बित है। इस विवाद को केन्द्र सरकार द्वारा सुलझाया जाना है। केन्द्र सरकार का क्या रुख है ? क्या केन्द्र सरकार की यह राय है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह रायल्टी का निर्धारण करती है तथा उसकी दरों में संशोधन करती है, प्रत्येक राज्य भी खनिजों पर स्वतन्त्र रूप से कर लगा सकता है। यदि उसका यह रुख है, तो इसे स्पष्ट किया जाये। अन्यथा यदि केन्द्र सरकार इस पहलू पर अपना रुख साफ नहीं करती, तब तक राज्य अपने यहां उपलब्ध खनिजों पर कर लगाते रहेंगे। मेरा अपना सुझाव है कि इसमें एक सूचना नहीं होगी, क्योंकि यदि प्रत्येक राज्य को खनिजों पर अपने कर लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो एक समान रायल्टी लगाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। खनिज अधिकार का मतलब वह अधिकार है जो राज्यों के पास नहीं है बल्कि राज्यों के अलावा व्यक्तियों के पास है। दुर्भाग्य से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और राज्य रायल्टी के आधार पर अब कर लगा रहे हैं। जब यह मद 1950 में लागू किया था, उस समय भाग 'ख' राज्य थे, जमींदार, जागीरदार तथा लम्बरदार थे जिनको खनिज अधिकार प्राप्त थे। इस मद पर कर उन नागरिकों द्वारा लगाया जाता था जिन्हें स्वतन्त्र रूप से खनिज अधिकार प्राप्त थे। अब यह एक कालदोष है कि किसी के पास खनिज अधिकार नहीं है। किसी भी नागरिक को खनिज अधिकार प्राप्त नहीं है। खनिज अधिकार राज्यों में निहित है। सभी राज्यों में, खनिज अधिकार राज्यों के पास होते हैं। इसलिए राज्यों का प्रश्न···

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि गोवा में लौहा अयस्क की खानों में खनिज अधिकारों के बारे में उनके क्या विचार हैं।

2.00 म. प.

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : वास्तव में, जहां तक इन खनिज अधिकारों का सम्बन्ध है अब तक स्वत्व का दस्तावेज, जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, साफ तौर पर यह नहीं कहता कि ये खनिज अधिकार उनके हैं तब तक राज्यों को यह अधिकार है कि वह इन अधिकारों को प्रदान करे। व्यक्तियों को खनिज अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। यदि मद 15 केवल व्यक्तियों तक सीमित है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, इसके बावजूद राज्यों को ये खनिज अधिकार प्राप्त हैं, यह रायल्टी के आधार पर खान मालिकों पर कर लगा रहा है। ऐसे बहुत कम मामले हैं, विशेष मामले हैं, जहां व्यक्तिगत नागरिकों को खनिज अधिकार प्राप्त हैं वे महत्वहीन भी हैं। इसलिए यह स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि निर्धारित की गई रायल्टी खनिज अधिकारों में भी शामिल समझी जाएगी अथवा रायल्टी की अनुसूची में एक परन्तुक जोड़ा जायेगा कि किसी भी राज्य को उन खानों पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं होगा, जिन पर राज्य का स्वामित्व है, एक व्यक्ति का नहीं। इससे विवाद की स्थिति समाप्त हो जाएगी। तब यह मुश्किल कुछ राज्यों में होगी, उनको खनिज अधिकार प्रभावित होंगे। यह

एक महत्वपूर्ण विवाद है जिसे मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं कि वह इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व समाप्त करें। महोदय, मेरा अगला सुझाव है कि केन्द्र सरकार इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रही है।
2,00 म. प.

अधिकांश राज्य, जो खनन पट्टे स्वीकार कर रहे या अस्वीकार कर रहे हैं, स्पष्ट आदेश नहीं दे रहे हैं केन्द्र सरकार कह रही है कि अस्वीकृत समझे गए मामलों, अस्पष्ट आदेशों का पुनरीक्षण किया जाता है। पुनरीक्षण के पश्चात् भी केन्द्र सरकार स्पष्ट आदेश नहीं दे रही है।
2.01 म. प.

[श्रीमती वसंव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

इसलिए नियमों के बनाने के लिए कम से कम यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार स्पष्ट करे कि राज्यों के लिए स्पष्ट आदेश देना आवश्यक है और अस्वीकृति जैसी कोई बात नहीं है। कृपया आप एक समय सीमा दे दें जिसके अन्तर्गत वे स्पष्ट आदेश दें। इसके अनावश्यक मुकदमेबाजी; खनन पट्टाधारियों की दिल्ली आने और इन तथाकथित अस्वीकृत समझे गए मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन करने की समस्या दूर होगी।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से मेरा अनुभव है कि राज्य के स्वामित्व वाले निगम संतोषपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की खनिजों के दोहन तथा खनन के लिए इस अधिनियम में कोई प्रावधान है ? यह एक अच्छा आदर्श है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि खनिजों पर राज्य का अधिकार हो और राज्य अभिकरण द्वारा ही दोहन हो लेकिन, दुर्भाग्यवश, हमारा अनुभव कहता है कि ये निगम, जो नौकरशाहों द्वारा चलाये जा रहे हैं, प्राय: लगातार घाटे में चल रहे हैं और जहां निजी उद्यमी 10 रुपये की लागत से एक टन अयस्क निकाल सकते हैं वहां हमारी सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को अयस्क की यही मात्रा निकालने के लिए 30/- रुपये की जरूरत नौकरशाही सौदे तथा ऊपरी खर्चे के कारण होती है। इसलिए इन खनिजों को निकालने के लिए निजी उद्यमियों को नियंत्रित करने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। निजी उद्यमियों को हतोत्साहित करना राष्ट्र हित में नहीं होगा। दुर्भाग्य से, मैं राज्य के स्वामित्व वाले निगमों का अध्ययन करने के पश्चात् इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूं। इस नये विधेयक में एक नया उपबन्ध है अर्थात् राज्य को यह अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि कतिपय क्षेत्रों का केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही दोहन किया जाना चाहिए। लेकिन अधिसूचना जारी करने के पश्चात् कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी खनिजों का खनन नहीं करती। ऐसे उदाहरण हैं, जहां कुछ क्षेत्रों में 10 या 15 साल से कार्य ठप्प पड़ा रहा है और जहां राज्य के स्वामित्व वाले कोई निगम पट्टा लेने और उनका दोहन करने के लिए आगे नहीं आया। इसलिए मैंने एक संशोधन का सुझाव दिया है कि जब सरकार यह कह कर अधिसूचना जारी करती है कि राज्य के स्वामित्व वाले निगम को इसका दोहन करना आवश्यक है, कम से कम यदि यह तीन साल की अवधि तक इसका दोहन करने की स्थिति में नहीं है अथवा अधिसूचना जारी होने के बाद तीन साल के भीतर खनन कार्य नहीं करती तो

अधिसूचना को रद्द मान लिया जाना चाहिए और निजी उद्यमियों को आगे आने और उनका दोहन करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

जैसा कि आपने अधिनियम में उपबन्ध किया है जहां खनन पट्टाधारी एक वर्ष की अवधि के अन्दर दोहर करने की स्थिति में नहीं हैं, उसका पट्टा निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

डा. कृपा सिन्धु भोई : खण्ड हो गए।

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : कृपया मेरी बात में व्यवधान मत डालिये। (व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : श्री भोई, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। श्री रेड्डी मान जायेंगे और आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप साथ-साथ क्यों बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय : श्री अय्यपु रेड्डी को बोलने दें।

श्री सी. माधव रेड्डी : सभापति महोदया, आप किसी को भी इस प्रकार एक साथ बात करने के लिए अनुमति न दें। मैं अपने साथी की बात नही सुन पा रहा हूं।

डा. कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : यदि आप इतने अधिक उत्साहित हैं तो आप मेरी बात में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : यदि भोई जी मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं उनकी बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य स्पष्टीकरण चाहता है तो वह खड़ा हो सकता है और सभापति की अनुमति प्राप्त कर सकता है।

डा. कृपा सिन्धु भोई : त उनका समर्थन कर रहा हूं। दूसरे महानुभाव अनावश्यक रूप से अन्य बहुत सी बातें कह रहे हैं।

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : अधिनियम में प्रावधान है कि खनन पट्टाधारी को पट्टा दिये जाने के बाद कम से कम एक वर्ष के भीतर खनन कार्य शुरू करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका खनन पट्टा दण्डस्वरूप रद्द कर दिया जाएगा, ठीक इसी प्रकार की कसौटी सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के साथ नहीं अपनाई जाए। जब अधिसूचना जारी करे कि किसी विशेष क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की आवश्यकता है तो कम से कम तीन वर्ष की अवधि के भीतर दोहन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो स्वभावतः अधिसूचना को निरस्त सभझा मान लिया जाए तथा इस क्षेत्र में निजी उद्यमी को अवसर दिया जाए।

जो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें लाया गया है, वह प्रथम अनुसूची में है। यहां आपने प्रथम अनुसूची में 12 और मदें जोड़ दी हैं। मैं प्रथम अनुसूची में इन नयी मदों के जोड़ने का स्वागत करता हूं। आपने इसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज जैसे बेराइटिस, वाक्साइट आदि शामिल

किये हैं। लेकिन आपने एक परन्तुक के माध्यम से उसमें चूना पत्थर को भी शामिल किया है इसका मतलब है कि उस चूना पत्थर का भी दोहन किया जाएगा जिसका प्रयोग ईंट भट्टों में भवन निर्माण सामग्री को तैयार करने के लिए किया जाता है। भवन निर्माण कार्य के लिए सीमेन्ट का भी प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से इसे प्रथम अनुसूची से निकाल दिया जाएगा। इसके विपरीत मैंने संशोधन के रूप में सुझाव दिया है कि वह चूनापत्थर जो सीमेन्ट निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है प्रथम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए तथा दूसरा चूना पत्थर जिसका प्रयोग देशी ईंट भट्टों तथा अन्य कार्यों में होता है जो चूना पत्थर की कुल खपत का 10 प्रतिशत भी नहीं है. शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग अतिशय विवाद को जन्म देगा क्योंकि एक चूना पत्थर मालिक यह नियमित करने की स्थिति में नहीं होगा कि जलाने वाला चूना किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा चूना पत्थर की कई श्रेणियां हैं—उच्च श्रेणी का चूना पत्थर, मध्यम श्रेणी का चूना पत्थर तथा सीमेंट उद्योगों में प्रयोग आने वाला चूना पत्थर। यह चूना पत्थर वही है जो सीमेंट उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है और जिसे प्रथम अनुसूची में शामिल किया जाना है, क्योंकि यह वह मद है, जिससे बहुत अधिक रायल्टी प्राप्त हो रही है और राज्य सरकारें चूना पत्थर से राजस्व कमाने के लिए बहुत आतुर है।

पट्टों के समय से पहले समाप्त किए जाने के संबंध में मैंने सुझाव दिया है कि खनन पट्टाधारियों को जब भी पट्टे का समय पूर्व निरस्तीकरण किया जाता है, मुआवजे का अधिकार मिलना चाहिए जो जिला जज द्वारा निर्धारित की जाये, क्योंकि पट्टा दिए जाने के उपरांत यदि एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, और कुछ बाह्य कारणों से पट्टे का स्वामित्व खो देता है तो उस व्यक्ति को परेशानी में नहीं डाला जाना चाहिए।

इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या राज्य सरकारों को रायल्टी के अलावा कर लगाने का अधिकार है। इन रायल्टियों का पुनरशोधन करते समय राज्यों के विचार मांगे जाने चाहिएं और राज्य सरकारों की आवश्यकमाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए रायल्टी का निर्धारण करते समय आपने सिंगरेनी के लिये कोयले की रायल्टी 5/- रुपये निर्धारित की है जबकि असम तथा अन्य स्थानों में कोयले की रायल्टी 7/- रुपये और इससे भी अधिक निर्धारित की है। रायल्टी का निर्धारण करते समय इस प्रकार की असंगतताओं से बचा जाना चाहिए।

हिन्दी]

श्री के. एन. प्रधान (भोपाल) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है,मैं उसका समर्थन करता हूं इसलिए कि पिछले कई वर्षों में खनिज के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। नये-नये भण्डारों का पता चला है और खनिजों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्व बढ़ गया।

पिछले वर्षों में राज्य सरकारों की ओर से भी इन बातों पर जोर दिया जा रहा था और खनिज सलाहकार परिषद् ने भी इस बात की सिफारिश की थी कि आज की आवश्यकताओं

के अनुसार इस कानून में संशोधन होना चाहिए। क्योंकि 1957 के इस कानून में 1972 के बाद से आज तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। जो संशोधन अब किए हैं, निश्चित रूप से स्वागत-योग्य हैं, क्योंकि इससे खनिज विकास के कार्यक्रमों में तेजी आयेगी, प्रदूषण रोकने में भी मदद मिलेगी क्योंकि पट्टे की अवधि समाप्त न होने पर भी यदि ऐसा लगता है कि प्रदूषण बढेगा तो उसको समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पट्टे की प्राप्ति में भी सरलीकरण किया गया है, अनुमोदन, प्रमाण-पत्र आदि की व्यवस्था जो पहले थी, उसको छोड़ दिया गया है।

इन सब अच्छाइयों के बाद भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि खानों में सुरक्षा के प्रबन्ध अच्छे होने चाहियें। पिछले वर्षों में जो दुर्घटनाएं होती रही हैं, उनसे सबक लेकर, उदाहरण के रूप में आज भी चसनाला दुर्घटना का नाम जब जबान पर आता तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि कम-से-कम इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों। इसी प्रकार खानों में बच्चों से काम न लिया जाए। खानों में सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून-पसीना गिराते हैं, खतरा मोल लेते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। उनके आवास, पेयजल, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, यह सब होना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि रायल्टी की दरों का पुनरीक्षण होना बहुत जरूरी है। हमारे एक्ट के सैक्शन 9 में इस बात की व्यवस्था है कि 4 वर्षों में उनका रिवीजन होना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि 1978-79 के बाद से आज तक 7,8 वर्षों में भी रिवीजन नहीं हुआ। 1984 में अध्ययन दल जरूर नियुक्त हुआ, लेकिन यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और राज्यों के लिए कितनी कठिनाई उपस्थित करती है कि 4 वर्षों के बजाय 8,8 वर्षों तक रिवीजन न होने पाये, अध्ययन दल बने 6 वर्षों के बाद और उनकी सिफारिशों पर फैसला 2,2 और 3,3 वर्षों तक न हो पाये ? इससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसी तरह केन्द्रीय सरकार की कई संस्थानों की राज्य सरकारों की रायल्टी और सैस की मोटी-मोटी रकम बकाया है, जो कि देनी चाहिएं। इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है, हम खुद जानते हैं कि आज की हमारी देश की स्थिति में जहां पर हमारी न केवल बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि उसका बढ़ना भी अनियंत्रित है, भारी बेरोजगारी है, आधी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है, वहां पर निश्चित ही यह खनिज, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका जो पोटैंशियल पूंजी बनाने और रोजगार मुहैयया करने में है, इस पर पूरी तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिये जब तक हम दीर्घकालीन खनिज नीति नहीं बनायेंगे, हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पायेंगे।

इसके बाद इस बात की भी जरूरत है कि हम केवल खनिज के दोहन पर ही निर्भर न करें, उन पर आधारित उद्योग भी लगायें, विशेष रूप से जिन प्रदेशों में जो खनिज पाये जाते हैं, वहां पहले उनके उद्योगों को प्रायर्टी मिलनी चाहिये।

मध्यप्रदेश के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि बस्तर में क्या स्पंज आयरन का संयंत्र और बेलाडीला में पैलीटाइजेशन का संयत्र नहीं लगाया जा सकता है ?

एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खनिजों के विकास में जो रुकावट आने वाली है, उस पर खासतौर से ध्यान देना होगा। इन खनिजों के विकास में हमारा वर्तमान वन कानून काफी आड़े आयेगा। हम सब आज जानते कि इस देश में हमारे प्रदेश में सिंचाई की बिजली की एक बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें रुकी हुई हैं। सड़कें बनाना, पीने का पानी उपलब्ध कराना और विकास के जितने भी काम व हमारे जीवन की जो आवश्यकतायें हैं, वह केवल वन कानून की वजह से रुकी पड़ी हैं। देश का हर नागरिक इस बात को महसूस करता है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष वनों की रक्षा होनी चाहिए और लगने चाहिएं और वनों को काटने के लिए कुछ-कुछ मार्ग दर्शक सिद्धान्त होने चाहियें।

इसके साथ-साथ कुछ ऐसी व्यवस्थायें भी होनी चाहियें कि अफसरों और बाबूओं के जो भी प्रपोजल राज्यों से आते हैं, विवेक पर न छोड़ा जाये उन निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर ही उन पर भी विचार किया जाए. यह भी नीति निर्धारित होनी चाहिए कि इतने वृक्ष अवश्य लगाने हैं। यह सब नीतियां निर्धारित करना इस विभाग का काम है। अगर हम खनिजों का विकास करना चाहते हैं तो वन कानून के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। जब एक नीति निर्धारित कर लेंगे और एक सिद्धान्त बना लेंगे तभी मैं समझता हूं कि जो यह सारे साधन राष्ट्र के उत्थान के, हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के और देश से बेरोजगारी मिटाने के हैं, वह सही साबित हो सकेंगे। जब हम साखतौर से इस कानून के तहत अपने आप को और इस विभाग को तैयार करेंगे, तभी इस देश का विकास हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं :

श्री बुद्धि अन्ना जैन (झाड़सेर) : मान्यवर, माइन्स एण्ड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 1986 जो कि सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह एक प्रगतिशील विधेयक कहा जा सकता है इसमें जो भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, सभी सराहनीय है।

हमारी अर्थव्यवस्था में खनन का बहुत ही योग हो सकता है। पहले हमारे यहां जितना भी खनन निकलता था, उससे हमने काफी प्रगति कर देश का विकास किया। परन्तु अभी भी कुछ सुदूर, सीमावर्ती और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जियालोजिकल सर्वे आफ इन्डिया ने काफी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया है, लेकिन वह क्षेत्र जहां पर संचार और यातायात आदि की सुविधाये उपलब्ध नहीं हैं, उनमें वह सर्वेक्षण नहीं हुआ है। आज हमारे पास जीपें हैं और जीपों के आधार पर सभी क्षेत्रों में पहुँचा जा सकता है। इस कारण सर्वेक्षण का काम उन क्षेत्रों में भी अवश्य किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के क्लॉज तीन में जो चार (ए) सब्जीक्यूट किया गया है, वह सराहनीय है। यही क्लॉज इस विधेयक का प्राण है। हमने पहलेविकास की ओर ज्यादा जोर दिया, लेकिन आज हमारे सामने एक समस्या यह पैदा हो गई है कि हम विकास भी करें और पर्यावरण की

ओर भी पूरा ध्यान दें। अगर हमने विकास किया, लेकिनउससे प्रदूषण हो गया तो फिर हमारा विकास विनाश की ओर चला जायेगा। इस दृष्टिकोण से इस विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किए गये हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। पहले यह प्रावीजन नहीं था कि पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाये। अब यह कदम उठाकर मंत्री जी ने एक सराहनीय काम किया है। अब आपने यह प्रावधान किया है कि अगर पर्यावरण को कोई नुक्सान पहुंचता है या प्रदूषण फैलता है तो वह लाइसेंस टर्मिनेट कर दिये जायेंगे।

दूसरी बात इस में विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस में पनिशमेंट के प्राविजन किए गए हैं इन्डिविजुअल माइनिंग और अनलाफुल माइनिंग के लिए उनके तहत इस को कागनिजबल आफेंस बनाया गया है और दो साल की सजा का प्राविजन किया गया है। मैं तो समझता हूं कि यह प्राविजन भी हार्ड नहीं है। इस को कागनिजबल आफेंस के साथ-साथ नानबेलेबल आफेंस भी बनाया जाना चाहिए और यह निर्धारण कर देना चाहिए कि दो साल तक की सजा तो होगी ही। अगर इस प्रकार का सख्त प्राविजन हम ने बना लिया तो यह इल्लीगल माइनिंग और अनलाफुल माइनिंग जो व्यक्ति करता है वह बन्द हो जायगी अन्यथा आज भी बहुत से क्षेत्रों में यह अनलाफुल माइनिंग चलती है। हमारे माननीय सदस्य व्यास जी के क्षेत्र में भी यह चलती है और कोटा के क्षेत्र में भी चलती है। इस प्रकार से यह अनलाफुल और इल्लीगल माइनिंग का सिलसिला आज भी चलता है। इसलिए जो प्राविजन्स इसके लिए किए गए हैं उन की मैं सराहना करता हूं मगर उन को और सख्त बनाया जाय।

साथ-साथ जो लाइम-स्टोन का इन्क्लूड किया गया है, इस के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। लाइम-स्टोन बिल्डिंग्स के, इमारत बनाने के काम में भी आता है और सीमेंट के कारखाने में भी काम आता है। सीमेंट के कारखाने के लिए जो काम में आता है उस को इन्क्लूड किया जाय तो उस से हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो लाइम-स्टोन भवन निर्माण के काम में आए उस के बारे में हमें एतराज है। इस के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

हमारे क्षेत्र में लिग्नाइट बहुत निकला है। ज्यालाजिकल सर्वे आफ इन्डिया और मिनरल्स कारपोरेशन भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। काफी दिनों से, चार वर्षों से इस का काम चल रहा है। यह भी रिपोर्ट आई है पांच करोड़ में मैट्रिक टन लिग्नाइट निकला है। हम चाहते हैं कि यह काम आगे और तीव्र गति से चले। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस के जरिए से हम पांच सौ मैगावाट का पावर हाउस बनाना चाहते हैं जिस से राजस्थान के अन्दर आज जो विद्युत की कमी है उस की पूर्ति कर सकें। इसलिए मिनरल्स कारपोरेशन और ज्यालाजिकल सर्वे आफ इन्डिया जो काम कर रहा है उस के लिए साधन जुटा करके वह कार्य और तीव्र गति से हो इस के लिए प्रबन्ध किया जाय। उस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हो ताकि उस के जरिए से हम पावर हाउस वहां पर बना सकें।

हमारे जैसलमेर जिले में जो लाइम स्टोन निकला है 99 प्रतिशत उस की प्योरिटी है। लेकिन उस का खनन अभी तक नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपति भी वहां नहीं पहुंचे हैं। वह क्षेत्र हमारे यहां से 60 मील आगे की दूरी पर है और वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। तो रेलवे

लाइन न होने से वह जो करोड़ों टन लाइम स्टोन वहां पड़ा है उस का उपयोग नहीं हो रहा है। यदि उस का सही ढंग से उपयोग हो तो हमारा जैसलमेर जिला जो अविकसित है वह विकसित हो सकता है।

जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट नो-इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन हमें इस का कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारे क्षेत्र में जितने भी मिनरल्स हैं उन का अच्छी तरह से दोहन नहीं होता है।

इसी तरह जैसलमेर में राक फास्फेट निकलता है। लेकिन उसकी क्वालिटी इन्फीरियर है। उस का शुद्धीकरण, बेनिफिकेशन किया जा सकता है और बेनिफिकेशन कर के उस का भी उपयोग किया जा सकता है। इसलिए उस का बेनिफिकेशन करना चाहिए और राक-फास्फेट भी वहां निकाला जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति महोदय, मैं माननीय इस्पात एवं खान मंत्री को बधाई देता हूं कि लोकहित में 1972 से लम्बित विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया है तथा खान एवं खनिज के विकास के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाया है। मैं खान मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक कोई हड़बड़ी मे नहीं रखा है। कई कमेटियों तथा मिनरल एिडवाइजरी कौसिल और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद इस महत्वपूर्ण मसले को विचारार्थ सदन में लाये हैं। मंत्री जी ने इसका उल्लेख अपनी प्रस्तावना में किया है। यह विधेयक खनिजों के विकास तथा इसके द्रुत गति से कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

खनिजों पर आधारित उद्योग हमारे राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे भविष्य में आगे जाने वाले दिनों को सुखद बना सकते हैं। 1957 के माइन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट के संशोधन से ये सारे अधिकार केन्द्र सरकार को मिल जायेंगे। इससे पहले इस कानून में यह अधिकार नहीं था। इसकी विशेषता यह है कि जियोलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया तथा इन्डियन ब्यूरो आफ माइन्स एवं आणविक प्रमण्डलों के कार्य संचालन में कोई बाधा नहीं रह जायेगी।

सबसे महत्वपूर्ण संशोधन सेक्शन 4 (ए) का है जिसके द्वारा प्राकृतिक प्रदूषण तथा बाढ़ की विभीषिका आदि कठिनाइयों पर नियन्त्रण पा सकेंगे और वन संरक्षण एवं स्वॉयल प्रिजर्वेशन के मार्ग खुल जायेंगे।

इसके अलावा लीज एवं लाइसेंस के तरीकों को व्यावहारिक एवं देश हित में बना सकेंगे।

सभापति महोदय, मंत्री, इस्पात एवं खनन तथा मंत्री पर्यावरण के उत्खनन के कारण जमीनों का ह्रास हो जाता है उससे महत्वपूर्ण उपयोगी जमीन बिना किसी प्रयोजन के रह जाती हैं। बिहार में विविध खनिजों के प्राय: 700 खदानें हैं। इस राज्य में कोई भी ऐसा खनिज नहीं

होगा जो प्राप्त न होता हो। तांबा, लोहा, अबरख, काइनाइट, कोयला, ग्रेफाइट, बाक्साइड आदि खनिज असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इनके उत्खनन के कारण कहीं मलबे के पहाड़, तो कहीं भारी गड्ढे बन जाते हैं। इन जमीनों का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे खनिज प्रायः हमारे जंगलों की भारी सम्पदा के इलाके में हैं। चार लाख हेक्टेयर जंगल नष्ट कर उत्खनन तथा उससे संबंधित कार्यों के लिए दिये गए हैं। बदले में राज्य को आमदनी मात्र 350 करोड़ रायल्टी के रूप में प्राप्त होती है जिसके लिए हमें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बदले में 35000 करोड़ का नुकसान बिहार और बंगाल को होता है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस संबंध में एक संतुलित योजना बनो की आवश्यकता है। जिन गरीब, हरिजन, आदिवासी लोगों की जमीन पर हम इतने बड़े कार्य कर रहे हैं उसकी उपयोगिता बिहार एवं समग्र राष्ट्र को सही रूप में प्राप्त न हो सकें तो यह दुःख की बात है। इसलिए बीरान पड़े हुए खदानों को मछली, पालन जंगलों का पुनर्रोपण एवं कृषि कार्यों के अन्तर्गत लाना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि एल्यूमिना फैक्टरी नार्थ बिहार के इलाके में बनाने के बजाय बगल के प्रदेश में प्रति दिन बिहार से सात हजार टन बाक्साइड भेजा जा रहा है। इस प्रकार की फैक्टरी दूसरे प्रदेश में बिहार का बाक्साइड भेजा जा रहा है लेकिन जिस इलाके में बाक्साइड पैदा हो रही है वहां पर उस मिनरल पर आधारित कोई भी फैक्टरी नहीं है। किन्तु क्षेत्रीय असंतुलन के कारण राष्ट्र के अन्दर विरोधी स्वर के पनपने से जो खतरा पैदा होता है, उसको माननीय मत्री जी ने बहुत नजदीक से देखा है और उसको राष्ट्रीय हित में डाला है।

एक बात मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बंगाल में लो-टेम्परेचर-कार्बोनाइजेशन 190 करोड़ की लागत से धानुकोनी में कारखाना बैठाया गया है, कोयले पर आधारित, उसी तरह का कारखाना बिहार में भी बैठाया जा सकता है। इसका लाभ बिहार के लोगों को भी दिया जा सकता है। अब मैं हजारी बाग क्षेत्र के बहुत हीं विषय की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. कोयले के उत्खन्न के कारण फायर-क्ले जैसी कीमती खनीज को उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह 400 मिलियन टन चिना-मिट्टी का सी. आई. एल. कोई उपयोग नहीं कर रहा है। इसको या तो फैंक दिया जाता है या इसको मिट्टी के मोल ठेकेदार लोग ले जाते हैं। बिहार में खनिज का कोई सदुपयोग न हो और इस की अवहेलना की जाती है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

इस बारे में मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहता हूं धनबाद के इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी दामोदर नदी है, वह काली पड़ गई है। उसका पानी प्रदूषण से भर गया है। पानी पीने के लायक नहीं है। नहाने के लायक भी नहीं है। अभी हाल ही में बिहार के हाई-कोर्ट ने इस बारे में फेसला लेने की कोशिश की है वह क्षेत्र कोयले की परिभाषा के अन्दर नहीं आते है। लेकिन हाल ही में बिहार सरकार ने इस संबंध में ध्यान दिया है कि उसको कोयले को डेफिनिशन के अन्दर लाए हैं।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, उसका स्वागत करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : समापति महोदया, मैंने विधेयक का अध्ययन किया है जो हमारे सामने है, मैं सबसे पहले कहूंगा कि मैंने माननीय इस्पात तथा खान मन्त्री से एक विशद तथा समर्थ विधेयक की आशा की थी।

यदि मैं यह कहूं कि माननीय इस्पात तथा खान मंत्री स्वयं बिहार के ही हैं; यह वह राज्य है जिसकी खनिज साधनों की रायल्टी के प्रश्न पर लम्बे समय से शिकायत रही है जो शायद उन्हें न ज्ञात हो। मैंने आशा की थी कि यह विधेयक उस राज्य के साथ उदारतापूर्ण रवैया अपनायेगा जो देश में बहुत बड़ी मात्रा में खनिज उत्पन्न करता है।

इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : आप समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करती हैं।

श्री सैय्यद शहाबुद्दीन : मेरा मतलब रायल्टी से है। उन्हें बिहार की जनता ने चुनकर भेजा है। (व्यवधान)

सभापति महोदया, खंड 2(क) में कई सरकारी एजेंसियों तथा विभागों का उल्लेख होने के साथ-साथ एक सरकारी कंपनी का उल्लेख है—खनिज अनुसंधान निगम लिमिटेड। मुझे यह कुछ असंगत लगता है। मेरा विचार है कि यहां खनन विभाग का उल्लेख होना चाहिए जो हमेशा किसी निगम या कंपनी के माध्यम से कार्य करने की इच्छुक रही है। जहां तक व्यवसायिक कार्य व्यापार का संबंध है, संभवतया यह इसकी समूची विचारधारा के अधिक अनुरूप होगा, निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बीच कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए।

विधेयक की धारा 3 में किए गए प्रस्तावित संशोधन की पहली ही पंक्ति में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है पंक्ति 15 'राज्य सरकार से परामर्श के बाद'। मैं जानता हूं कि परामर्श शब्द का किस प्रकार निर्वचन किया गया है। परामर्श को एक औपचारिकता बना दिया गया है। मेरा विचार है कि उन राज्यों का, जिनका खनिज संसाधनों पर स्वामित्व है, परामर्श से कहीं अधिक अधिकार है। इसलिए उचित शब्द 'सहमति से' या 'सहमति के साथ' होना चाहिए न कि परामर्श। इसमें कुछ और चीज भी है जिसे मैं अशिष्ट कहूंगा। एक तरफ इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत राज्य सरकार से अनुरोध करे तथा दूसरी तरफ इसमें कहा गया है कि 'इस प्रकार के अनुरोध पर राज्य सरकार आदेश देगी।' मुझे यह कुछ असंगत लगता है। अनुरोध तो नम्रता के साथ किया जाता है जबकि इसमें कहा गया है कि एक बार जब अनुरोध किया गया तो इसके पास कोई विकल्प नहीं बचता; तदनुसार इसे कार्य करना ही पड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि कभी व्याख्या करते समय 'हो' शब्द को 'होगा' समझा जाता है। संसद के सम्मुख लाये गये विधायन के किसी खंड में कुछ औचित्यता बरती जानी चाहिए।

इसी खंड के भाग 2 में मुझे कुछ मनोरंजक बातें देखने को मिलती हैं। इसमें एक परन्तुक है। जिसका कहना है कि पट्टे के समर्थ पूर्व निरस्त कर दिए जाने के बाद, मुझे संदेह नहीं है

कि उचित कारणों से सरकारी कंपनी को दे दिया जायेगा। इसमें उन कमियों का निदान करने के लिए कोई बात नहीं कही गई है जो कार्य शुरू होते हैं। आरम्भ हो गई थी। जिसने प्रदूषण को बढ़ावा दिया, जिसके प्राकृतिक पर्यावरण को विरल किया, जिसने बाढ़ को बढ़ावा दिया इत्यादि जिसने जन स्वास्थ्य तथा इमारतों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया। इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इन कमियों को दूर करने के लिए पट्टाधारियों तथा लाइसेंसधारियों का कोई दायित्व है। राज्यों को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी कारण से समय पूर्व पट्टा निरस्त कर सकते हैं और इसे सरकारी कंपनी को सौंप सकते हैं। मैं नहीं सोचता कि यह न्यायपूर्ण है। मैं नहीं सोचता कि सरकार का यह ध्येय है और यदि ध्येय यह है कि यदि पट्टा इसमें उल्लिखित कारणों से समाप्त कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में पट्टाधारी या नये लाइसेंसधारी को उन शर्तों के अधीन कार्य करना पड़ेगा जिनका इसमें उल्लेख किया गया है और जिससे समस्या का निदान होगा। इसे शुरू किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात, मैं कुछ टंकण की गलतियां पाता हूं। पंक्ति 43 से अगले पृष्ठ तक मैं कहूंगा कि इसके बीच कोई संबंध नहीं··· (व्यवधान) मुझे बताया गया है कि इसे ठीक कर दिया गया है।

अब मैं एक अति मनोरंजक पहलू पर आता हूं। मुख्य अधिनियम की धारा 5 को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है और एक बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि उस नियम शर्त को समाप्त कर दिया गया है कि खनन पट्टे के आवेदक को आयकर-अदायगी प्रमाणपत्र दाखिल करना होगा।

इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों को बताने वाले विवरण में इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है कि इस शर्त को क्यों हटाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह एक लाभदायक शर्त है कि जहां तक आयकर का सम्बन्ध है एक स्वाभाविक रूप से भारतीय आधार कानूनी रूप से भारतीय व्याप्ति पर आय कर की कोई राशि बकाया न हो। मैं समझता हूं कि खनन पट्टा एवं खनन लाइसेन्स देने के लिए यह एक स्वाभाविक शर्त है। अब उस शर्त को हटा दिया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह वर्णन करें कि इसे क्यों हटाया जा रहा है मैं समझता हूं कि एक कम्पनी के लिए लाइसेन्स के लिए आवेदन करने के लिए एक पूर्व शर्त यह होनी चाहिए कि इसके बारे में कर अधिकारियों की अच्छी राय हो।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण भाग पर आता हूं जोकि एक बड़ा मुद्दा है जो मूल अधिनियम की धारा 9 का खण्ड 8 है जो रायलटी से सम्बन्धित है, उसका स्थानापन्न किया जा रहा है। अब रायलटी लगभग एक राजनैतिक मुद्दा बन गया है और अब समय है कि हम अपने मस्तिष्क को इस समस्या पर लगाएं जिसमें केन्द्र राज्यों के सम्बन्धों में कुछ उलझाव हो सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि देश के बहुत से भागों में इस बात को लेकर असन्तोष है कि वह धन जो नवीकरणीय नहीं, उसे एक बार एठ लेने के बाद वह हमेशा के लिए खो जाता है और सम्बन्धित राज्य को उचित मुआवजा नहीं मिलता। हमारी प्रणाली के अन्तर्गत भूमि और उपभूमि में जो कुछ भी उसका मालिक राज्य है।

यही कारण है कि उसे रायलटी दी जाती है। यदि रायलटी की संम्पूर्ण अवधारणा को ले लिया जाता है तो यह बिलकुल भिन्न बात होगी, यदि हमने कहा है नहीं सभी खनिज संसाधन केन्द्र से सम्बन्धित हैं और राज्यों को कोई रायलटी नहीं देनी हैं। समस्या यह है कि न तो मूल अधिनियम में कौर न ही अन्तिम संशोधन में कोई मार्गदर्शन नहीं है जिसके आधार पर किसी विशेष खनिज की रायलटी निर्धारित की जा सके। कानून तदर्थ रूप से रायलटी की विशेष दर निर्धारित करता है और इसे समय-2 पर बदल दिया जाता है। मैं एक समाविष्ट विधेयक पसन्द करता हूं जिसका पहले संसद में उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने वायदा किया था जिसमें खनिज की आन्तरिक कीमत के निर्धारण के लिए मूलभूत मार्ग निर्देशन होते, जिसके आधार पर समय-2 पर रायलटी को निर्धारित किया जा सके। एक मांग की गई है जो पूरे देश में बल पकड़ती जा रही है कि टन भार पर रायलटी निर्धारित करने की अपेक्षा इसे बाजार मूल्य पर निर्धारित करना चाहिए। बाजार मूल्य निर्धारित करना कठिन हो सकता है परन्तु मेरा अनुमान है कि एक समय यदि गर्तमुख पर या खानं कर्म लाभ के आधार पर औसत बाजार-मुल्य को निर्धारित किया जा सकता है और यदि मुद्रा-स्फीति के कारण या किसी विशेष खनिज की मांग अधिक होने के कारण उसी अनुपात से रायलटी भी बढनी चाहिए वरना कीमत वृद्धि के कारण सारे अन्तर को यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो, केन्द्र द्वारा लिया जा रहा है। बहुता से मामलों में लाइसेन्स-धारी केन्द्र सरकार होती है। तब वास्तव में लाइसेन्सधारी एक कम्पनी क रूप में लाभ कमाते हैं और इस लाभ का कोई भाग राज्य को नहीं दिया जाता। यह कोयला व पेट्रोलियम पर लागू होता है। न्याय की मांग यह है कि पट्टेधारी को पट्टे की शर्तें निर्धारित नहीं करनी चाहिए। यहां बहुत से मामलों में पटटाधारी व लाइसेन्सधारी केन्द्र सरकार होती है और यह पटटाधारी समय-2 पर यह निर्धारित करता है कि पटटादाता को रायलटी के रूप में क्या मिलना चाहिए।

महोदय, देश में खनिज पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं परन्तु फिर भी जब मैं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कोयला, अभ्रक, लौहे अयस्क मैंगनीज आदि की ओर देखता हूँ तो मुझे ज्ञात होता है कि 4 वर्ष पश्चात समीक्षा के नियम पर भी व्यवहार से कभी भी ध्यान नहीं किया गया। कोयले की रायलटी दर सन 1985 में संशोधित की गई थी। अभ्रक और लोह-अयसक के सम्बन्ध में क्रमश 1975 और 1978 में संशोधित की गई थी। और संशोधन क्या था। संशोधन कोयले के संबंध में 2.8 रुपये से 7 रुपये प्रति टन और अभ्रक के सम्बन्ध में 2.8 रुपये से 4 रुपये प्रतिटन और लौह-अयस्क के सम्बन्ध में 1 रुपए से 1.5 रुपये था। ये कीमते बहुत थोडी हैं परिणामस्वरूप इन खनिज संसाधनों से राज्यों की आय कम हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक में वह सिद्धान्त होना चाहिए जिसके आधार पर खनिज की औसत गर्त-मुख कीमत कुछ समय के लिए निर्धारित की जा सके और इस औसत-कीमत के आधार पर, प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात रायलटी को बढ़ा दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं आर्थिक तर्क को जानता हूं कि संसाधन क्या किया जाना चाहिए असम सदैव यह कह सकता है कि सारे अपरिष्कृत उत्पादों को असम में ही शुद्ध किया जाना चाहिए परन्तु असम सभी परिष्कृत उत्पादों का उपभोग नहीं कर सकता। इसलिए प्रतियोगी तर्क यह हो सकता है कि परिष्करण उपभोग स्थान के पास ही होना चाहिए। इस प्रकार द्वितीयक और तृतीयक

संयंत्र की स्थापना के लिए आर्थिक रूप से अनुकूलतम चयन विद्यमान है। परन्तु निसन्देह जहां तक गाठा करने के सयन्त्र का सम्बन्ध है जिसे एक खान कर्म संयंत्र कहा जाता है इसे जितना सम्भव हो सके गर्त-मुख के पास स्थापित क्यों न किया जाए। ऐसा किया जा सकता है। इससे परिवहन लागत कम होगी। लौहे-अयस्क के परिवहन के स्थान पर आप केवल गुटिका या गाढ़े द्रव पदार्थ के रूप में लौह अयस्क का वहन करेंगे जिसे सीधे ही इस्पात संयन्त्र पर ले जाया जा सकता है चाहे यह कहीं भी स्थित हो। मैं एक क्षण के लिए यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी इस्पात संयंत्रों को बिहार में स्थापित किया जाना चाहिए। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि सारे लौह अयस्क सान्द्रण बिहार में किया जाना चाहिए। मेरे विचार से कम से कम हम इतना कह सकते हैं। अन्त में मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा। हमें श्री वास्तव समिति से बहुत आशाएं थी परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख है कि श्रीवास्तव समिति की रिपोर्ट जिसके आधार पर इस विधेयक में कुछ सिफारिशें की गई हे वे बहुत सन्तोषजनक नहीं रही है और यह असन्तोष बहुत सी व्यापार पत्रिकाओं से व्यक्त की गई है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस बारे में जानते हैं। मैं उनसे सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए निष्पक्ष एक उदार होने और अपनी तिजोरी न भरने के लिए सोचने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह (गुना) : माननीय सभापति जी इस सदन में विचाराधीन खान और खनिज संशोधन विधेयक काफी व्यापक और प्रगतिशील है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। सन् 1972 के बाद हमारे देश में माइनिंग के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, काफी माइन्स का एक्सप्लोयटेशन हुआ है और इस क्षेत्र में जो कुछ कठिनाइयां, दिक्कतें या बौटलनैक्स रहती थीं उनको दूर करने के उद्देश्य से ही यह बिल सदन में लाया गया है और मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

इस विधेयक की धारा 4,7,8.9 और 16 में बहुत अच्छे उपबन्ध किए गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। खासतौर से सैक्शन 4 में यह व्यवस्था की गई है कि पहले जिस अवैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य किया जाता था और उससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, अब उसको रोका जा सकेगा। यह स्वागत योग्य कदम है। वर्तमान कानून के अनुसार खनिज पटटों को पर्यावरण व पारिस्थितकीय के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु इस विधेयक के द्वारा सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि यदि किसी माइनिंग ओपरेशन से परिस्थितिकीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो वह उस पटटे को समाप्त कर सकती है। इससे पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काफी सहायता मिलेगी। धारा 15 में राज्य शासन को कुछ शक्तियां दी गई हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ और साथ-साथ यह भी सिफारिश करना चाहता हूं कि जिन राज्यों में खनिज उत्पादन होता है, जहां खनिज निकाला जाता है, उन राज्यों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। सैक्शन 16 में दण्ड की व्यवस्था की गई है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दन्ड को थोड़ा अधिक बढ़ाया जाना चाहिए।

इस बिल में खनिज सलाहकार परिषद और राज्य सरकारों के सुझावों को ध्यान में रखकर उपबन्ध किए गए हैं इसलिए भी मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इस बिल के पास हो जाने पर पर्यावरण सुधार में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी परन्तु मैं यहां एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमें मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी खदान का पट्टा किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया जाता है, अथवा किसी खदान के कार्य को रोक दिया जाता है तो उसमें काफी संख्या में मजदूरों के बेकार हो जाने की सम्भावना है। उन मजदूरों के वैकल्पिक रोजगार की भी उचित व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए। जिस प्रकार मेरे क्षेत्र शिवपुरी में पत्थर की खदानें हैं, वहां पर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए वन विभाग ने उन खदानों को बंद करने की सिफारिश की थी। यदि उन खदानों को बंद किया जाता है तो वहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेकार हो जाएंगे। उन मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के उपरान्त ही उन खदानों को बंद किया जाए यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। किसी भी ऐसे निर्णय से पूर्व हमें मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। दूसरे कई खदानों में जिस तरह से एक्सप्लोयटेशन होता है, उदाहरण के लिए दिल्ली के 10 मील दूर ग्रामीण क्षेत्र में जो भाटी खानें हैं उनमें जनवरी से मार्च के बीच 6 आदमियों की मृत्यु हुई है। उनमें से कुछ लोगों की तो रिपोर्ट भी नहीं मिली है। इसलिए उसके सम्बन्ध में भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए यह मेरा निवेदन है।

मेरा मन्त्री जी से एक निवेदन यह है कि हमें एक मल्टीक खनिज नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें हमारे राष्ट्र की खनिज सम्बन्धी नीति क्या हो, उसकी व्यापक और विस्तृत व्याख्या हो। उसमें खास तौर से तीन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए : पहला तो यह कि सभी खनिजों का दोहन हमारे देश में ही हो, कच्चे खनिज का हम कम निर्यात करें ताकि उस सम्पत्ति का राष्ट्र को फायदा मिल सके, दूसरे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए उससे पर्यावरण का विनाश कम से कम हो, जहां खनिज निकाले जाते हैं, वहां गड्ढे हो जाते हैं, उस इलाके का सौन्दर्य बरकरार रखने के लिए उस के आसपास वन लगाये जाने चाहिए, तीसरे उत्खनन के कारण यदि किसी इलाके से लोगों को विस्थापित किया जाता है तो जहां तक सम्भव हो ऐसे इलाकों में उत्खनन को कम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आबादी के रीसैटलमैंट की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए। फिर जब हम कोई राष्ट्रीय खनिज नीति बनायें, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन क्षेत्रों में खनिज निकाला जा है, उन क्षेत्रों के आसपास सौन्दर्य बरकरार रखने के लिए वन लगाए जाने चाहिए।

सभापति महोदय, कौंसिल ऑफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च ने माइनिंग एन्वायरनमैंट के विषय में जो कुछ रिसर्च कार्य किया है, खास तौर से सैन्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन धनबाद की जो बुकलैट हम एम. पीज. को उपलब्ध कराई गई है उसमें पर्यावरण में सुधार की दिशा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, रिसर्च किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। उसमें खास तौर से लिखा गया है कि '

[अनुवाद]

"खनन प्रक्रियाओं से भूमिका अधपतन, मृदा-अपरदन, भू-स्खलन और खान की एसिड युक्त नालियों के पानी के कारण जल-प्रदूषण विषाक्त प्रदूषण और धुल के कारण वायु प्रदूषण एवं जलीय प्रदूषण व हानिकारण गैस उत्पन्न होती है। इससे वन-कटाई के कारण पारिस्थितिक असन्तुलन भी उत्पन्न होता है जोकि जन्तु-जीवन, जलकर जीवन और समाजशास्त्रीय परिवर्तनों को हानि पहुचाने का एक कारण है।"

[हिन्दी]

हमारी राष्ट्रीय खनिज नीति जो बनाई जाए उसमें यह सेण्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन द्वारा जो फाइंडिंग्स एण्ड फैक्ट्स दिए गए हैं, इनको भी ध्यान में रखकर, यह राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई जानी चाहिए।

अनुसंधान और विकास के लिए यह आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास किया जाए और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदया, जिस प्रान्त से मैं आता हूं वह मध्यप्रदेश है और मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र में जितना कुल उत्पादन डालोमाइट का होता है उसका 34 प्रतिशत मध्यप्रदेश में होता है। इसी प्रकार ताम्बा 33 प्रतिशत, कोयला 28 प्रतिशत, बाक्साइट 20 प्रतिशत, मैंगनीज 20 प्रतिशत तथा राक फास्फेट 10 प्रतिशत मध्यप्रदेश में होता है। मध्यप्रदेश ने 1984 में 899 करोड़ रुपए मूल्य के खनिजों का उत्पादन करके राष्ट्र को दिया और राष्ट्र के सकल खनिज के मूल्य में, पेट्रोल और गैस को छोड़कर, 22 प्रतिशत योगदान दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इतनी अधिक खनिज सम्पदा में योगदान देने वाले मध्यप्रदेश में केन्द्र शासन को ज्यादा से ज्यादा पैसा खनिज के लिए लगाना चाहिए और वहां की प्रगति को ध्यान में रखना चाहिए।

सभापति महोदया, हमारे यहां पर बस्तर से सिंगरौली और कोरबा में बहुत ज्यादा कोयला होता है, लेकिन इसका उतना लाभ मध्यप्रदेश को नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर अपने उत्पादन केन्द्र खोलने चाहिए। हमारे मध्यप्रदेश के बस्तर में बैलाडीला में बहुत ज्यादा आयरन-ओर निकल रहा है और वह पूरा का पूरा कच्चा माल जापान में जा रहा है और जापान उस कच्चे माल को समुद्र में डम्प कर रहा है। इसलिए हम सोचते हैं कि जितना हमारे कच्चे खनिज का निर्यात हो रहा है, वह कम नहीं होना चाहिए। भविष्य की सम्भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस ओर देना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन है जिसके बारे 19 जुलाई, 1986 के "जनसत्ता" में काफी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक सार्वजनिक एण्टरप्राइज मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन है। इसलिए इसमें हुई अनियमितताओं की जांच करें, ताकि हम लोगों और जनता

को यह मालूम हो इन अनियमितताओं के खिलाफ आपने एक्शन लिया है और जो दोषी हों, उनको कठोर सजा दी जाए। इन शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन और स्वागत करता हूँ।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री को और उनके मंत्रालय के लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने माइन्स एण्ड मिनरल्स रेग्युलेशन एण्ड डिवेलपमेंट अमेंडमेंट बिल, 1986 इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि इसके आब्जैक्ट में बताया गया है काफी अर्से से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि 1972 के बाद में इस एक्ट में कोई अमेण्डमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उसमें अमेण्डमेंट की जाए। इसलिए वास्तव में यह स्वागत के लायक बात है। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि इकॉलोजिकल एण्ड पाल्यूशन की जो देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुये उन्होंने प्रि-मेच्योर टर्मिनेशन की बात इन ग्राउण्ड्स पर की है। वैसे यह क्लाज 1972 में इन्कार्पोरेट किया गया था, लेकिन उस वक्त देश के सामने इकलौजिकल इम्बैलेंस और पाल्यूशन की इतनी भारी समस्या सहसूस नहीं की गई थी जितनी अब हो गई है।

सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं शाहबुद्दीन साहब की बात की भी ताईद करता हूँ कि इकलौजीकल एण्ड पाल्युशन के ऊपर अगर लीज का प्रि-मेच्योर टर्मिनेशन होता है और यह पता लगता है कि देश की इकलोजी बिगड़ रही है और पाल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसी लीज को बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का जो प्रावधान किया गया है, वह वास्तव में शंका पैदा करता है। क्या आप इस इकलौजीकल एण्ड पाल्यूशन को उस ग्रेड में ले जाना चाहते हैं जिसके अन्दर चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो या लैसी हो, जो उस खान में काम कर रहा हो, उससे यदि आप उस खान को लेना चाहें, और अगर आपको कोई दूसरा बहाना न मिले, तो आप इस इकलौजीकल एण्ड पाल्यूशन के बहाने उससे उस खान को खाली करवा सकते हैं। उसका कब्जा आप ले सकते हैं और वह बेचारा कहीं कोर्ट और कचहरी में भी नहीं जा सकता क्योंकि इसके साथ जो बहाना आप इकलौजी एण्ड पाल्यूशन का दे रहे है। इस प्रकार से उसको कहीं भी जस्टिस नहीं मिल सकता। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इकलौजीकल एण्ड पाल्यूशन के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्लाज के ऊपर ध्यान दिया जाए और इसे समाप्त किया जाए।

इसके साथ ही, मैं इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप शेड्यूल "ए" में ग्यारह मिनरल लेकर आए हैं और आपने इस बात को महसूस किया कि लाइम-स्टोन और डालोमाइट, आज की हमारी स्टील, कैमिकल और फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज के बेसिक रा-मटीरियल्स हैं। उनको आप शेडयूल 'ए' में लेकर आए हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। थोड़ी शंका की बात उठ रही है कि जो लीजेज माइनर मिनरल में दी गई हैं जो कि कैमिकल ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइम-स्टोन की हैं, जब आपका यह एक्ट पास हो जाएगा तो उन लीजेज की और लैसीज की क्या स्थिति होगी, इसको भी आप क्लैरीफाई करें ? आपका यह एक्ट पास होते ही क्या उनकी लीजेज खत्म हो जायेंगी या जिस टाइम के लिए उनको साइट दी गई है, उसके

बाद उनको रिन्यू नहीं किया जायेगा ? यह एक विषय है जिस पर कानून बनाते वक्त ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है।

आपने सर्वे आफ एप्रूबल की जो मूल भावना शुरू की थी, उसको आपने वास्तव में सही रूप में महसूस किया है। यह मात्र फार्मेलिटी रह गई थी। इन्कमटैक्स सर्वे का भी जो आपने हटाया है, वह भी स्वागत योग्य बात है, क्योंकि इन दोनों के कारण खाली देरी होती थी, इसके बजाय कोई फायदा नहीं मिलता था।

इसके बाद जो आपने ओबजेक्टिव में कहा है, उससे थोड़ी शंका उठ गई है।

[अनुवाद]

"बहुत सी समितियों ने खनिजों पर आधारित उद्योगों की बाधाओं को दूर करने के लिये व उनकी तीव्र प्रगति के लिये अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्य सरकारें सब व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों ने औपचारिक मंच पर व अन्य मंचों पर खनिज सलाहकार परिषद की तरह अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर उन्हें अधिक प्रभावशाली व विकास-मूलक बनाने के लिए उनकी ताजा स्थिति देखने की इच्छा व्यक्त की है।"

[हिन्दी]

मुझे ऐसा लगा कि वह शायद मिनरल एडवाइजरी बोर्ड की ही बैठक थी, जिसमें मैं भी शरीक था, क्योंकि जब साठे साहब मंत्री थे, तो उन्होंने वह बुलाई थी। इसमें भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उस एडवाइजरी बोर्ड में भी जो अमैंडमैंट्स लाये हैं, उनको शायद आपने उतनी गहराई से नहीं सोचा होगा कि इनका क्या फर्क पड़ेगा. सैक्शन 5 में—

[अनुवाद]

"मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में प्रारम्भिक भाग में से शब्द "किसी भी राज्य में' मिटा दिये जायेंगे।"

[हिन्दी]

तात्पर्य यह हुआ कि एक तरफ तो आपने 10 किलोमीटर की लिमिट कर रखी है। आप सोचिए कि किसी एक पर्टिकुल इण्डस्ट्री में, मैं सीमेंट इण्डस्ट्री की एग्जाम्पिल साइट करता हूँ कि उसने एक्सपर्टाइजेशन किया है देश में तो वह आन्ध्र प्रदेश में भी 10 किलोमीटर ले सकती है, कर्नाटक में भी 10 किलोमीटर ले सकती है और बिहार में भी 10 किलोमीटर ले सकती है लेकिन आपके खाली एक ही शब्द से 'ऐनी वन स्टेट' से आपने उस उद्योग को 10 किलोमीटर तक एक ही स्टेट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे इण्डस्ट्री को फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं आपकी उस काउंसिल में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई।

आज भी आप यदि ट्रेड और इण्डस्ट्री से बात करेंगे कि 10 किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो शायद ही कोई आदमी इस बात से सहमत होगा।

मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। आपने रेशनलाइजेशन आफ पीरियड किया है। एक इण्डस्ट्री जो लगाता है, 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, उसे ओरिजनल लीज आप 20 साल की देते थे और उसके बाद दो रिन्यूअल 20,20 साल के देते थे। आपने उसको काटकर 10,10 साल कर दिया, उसका टोटल पीरियड 40 साल कर दिया। आप खुद समझते हैं कि एक इण्डस्ट्री जो हैवी इण्डस्ट्री में हो, जो हमारे देश में खनिज उद्योग है, आज उनकी दोहन की स्थिति बैनीफिकेशन की हो गई है तो मैं समझता हूं कि इस लीज पीरियड कम करने के कारण आपके माइनिंग सैक्टर में इन्वेस्टमेंट कम होगा, स्पोंडी डैवलपमेंट आफ इन्वैस्टमैंट बढ़ेगा नहीं। यह जो ओबजेक्टिव आप लाये हैं, इससे यह दोनों बातें बिल्कुल विपरीत नजर आती हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें, आपसे यह उम्मीद है।

इस देश में कौटिल्य ने भी कहा है कि किसी भी देश की खनिज सम्पदा के लिये उसका पहला रिसोर्स है उसके रिसोर्सेज के लिए। हमारे देश में इतना पिछड़ापन है, हमारा देश तरक्की के रास्ते पर आने की कोशिश कर रहा है, विकास कर रहा है। हमारे मिनरल्स से, आपके मन्त्रित्वकाल में यह उमीद है कि दोहन ज्यादा होगा और देश की आर्थिक व्यवस्था में खनिज सम्पदा से हम ज्याद से ज्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकेंगे, लेकिन आप लीज पीरियड को कम करके क्या माइनिंग सैक्टर में इन्वैस्टमैंट को बढ़ा सकेंगे ? लीज का एरिया जो आपने पहले रिस्ट्रक्ट किया है, यह भी स्वागत योग्य बात है, लेकिन 40 साल बाद में जो इण्डस्ट्री लगती है, 3,4 साल का तो गैस्टेशन पीरियड हो जाता है, उसके बाद 40 साल के बाद वह सारा इन्वैस्टमैंट बेकार हो जायेगा या उसको आफ फ्रैश ग्रांट के लिये कंसीडर करेंगे ? इन शब्दों के साथ आपने डिवाजन आफ रायल्टी को जो 4 साल से घटाकर 3 साल पीरियड किया है, यह वास्तव में अच्छी बात है। स्टेट्स को अपने रिसोर्सिज मोबलाइज करने का अच्छा मौका मिलेगा।

3.00 म. प.

आप स्वयं जानते हैं कि आपने यह पीरियड 4 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। लेकिन जब चार साल था तब क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हर 4 साल में रिवाइज कर देती थी। अब आपने एक बात यह कर दी है कि इतने प्रतिशत रायल्टी अपने आप तीन साल में बढ़ जाएगी। यह सारी एक्सरसाइज आपके मन्त्रालय को और स्टेट्स को बार-बार करनी पड़ती थी, वह अब नहीं करनी पड़ेगी।

माइनिंग प्लान की बात मिनरल एडवाइजरी बोर्ड में हुई थी। यह एक स्वागत योग्य बात है कि खनिज पदार्थ की दोहन किस प्रकार से हो और किस तरह से न हो, इसकी जानकारी पहले से हो जायेगी। एक प्रश्न यह उठता है कि शेडयूल्ड 'ए' में जो मिनरल हैं, उसकी स्वीकृति तो भारत सरकार देती है, लेकिन जो शेडयूल्ड 'ए' में नहीं है क्या वह अब भारत सरकार की स्वीकृति के लिए आयेंगे। जहां आज इस बात की चर्चा चल रही है कि स्टेट्स को ज्यादा पावर मिले, वहां दूसरी तरफ आप स्टेट्स को कन्ट्रोल करना चाहते हैं कि खनिज सम्पदा के लिए सिर्फ भारत सरकार के यहां से मंजूरी देंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक उचित कदम नहीं है। आप माइनिंग प्लान के तहत स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को छीनना चाहते हैं। इस बात को

आपको गम्भीरता से सोचना होगा। क्या आप ऐसा समझते हैं कि मिनरल जो कि राष्ट्रीय सम्पत्ति है, टेक्नीकल पर्सनल माइनिंग प्लान या ऐक्शन प्लान बना लेंगे ? अत: आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि स्टेट्स को जो पावर देने की बात हो रही है, आप उसकी तरफ हैं या आप उसे गवर्नमेंट आफ इण्डिया में कंसोलिडेट करना चाहते हैं। आज माइनिंग की वजह से जो लीज नहीं दी जा रही है। इस पर भी आपको विचार करना होगा।

जहां तक मिनरल के एक्सपोर्ट का सवाल है, उसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वैल्यू ऐड करके उसका एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं—फैलेस-पार एक मिनरल होता है और वह लम्प की शेप में होता है। अगर उसका पाउडर बनाकर उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, उससे रोजगार भी उपलब्ध होगा और ज्यादा पैसा भी हमारे देश को मिलेगा।

आपने पिछली कंसलटेटिव कमेटी की बैठक में कहा था कि मारबल के लिये जो राज्य सरकारें अपने सारे डिपाजिट को खत्म कर रही हैं, उसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे। लेकिन इस बारे में कोई भी बात देखने को नहीं मिल रही है।

इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और खनिजों का दोहन ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको ध्यान में रखेंगे। इसके साथ-साथ सबके मन में जो यह गलतफहमी पैदा हो गई है कि आप स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को छीनना चाहते हैं, उसका स्पष्टीकरण अपने जवाब में अवश्य करेंगे।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : सभापति महोदय, यह जो बिल अभी इस सदन में लाया गया है, इसमें बहुत विवाद की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जितना आगे बढ़कर इसको करना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। जो समय की आवश्यकता थी, उसके मुताबिक कुछ-कुछ अच्छा काम करने के लिए यह बिल लाया गया है, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

अपना ही एक ऐसा देश है जहां इस बात की इजाजत थी कि जब जहां चाहें माइनिंग लेकर घनघोर जंगल में जाकर जंगल उखाड़ दें। इससे देश को काफी नुकशान होता था। आज जंगल की तबाही से, जंगल की बरबादी से देश में बहुत बरबादी मची हुई है। इस बात को हम सब जानते हैं कि आज कहीं पानी की कमी है और कहीं बाढ़ों बहुत अधिक आती हैं। इस प्रकार मिनरल एक्सप्लोरेशन के नाम पर, देश में खनिज सम्पदा के दोहन के नाम पर प्राकृतिक सम्पदा को बरबाद करने का जो सिलसिला चला था, दुनिया के बहुत से देशों ने बहुत पहले इसको बन्द कर दिया और व्यवस्था कर दी कि जब तक उस जंगल को उसी रूप में नहीं बनाएंगे तब तक वह उस खदान से कोई भी मिनरल नहीं निकाल सकते। यह व्यवस्था देर में भी अगर लाई गई है तो भी स्वागत योग्य तो है ही।

3.06 म. प.

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

एक चीज इसमें रखी गई है. इसमें इन्होंने कहा है कि जंगल उसी जगह पर लगाना चाहिए या सरकार जहां कहे वहां लगाना चाहिए और फिर तीसरा यह और भी कह दिया कि

उसके बदले पैसा दे देना चाहिए। पहली दो बातें तो ठीक थीं कि जंगल जहां था वहां लगाना चाहिए या कहीं दूसरी जगह पर लगाना चाहिए लेकिन यह पैसे वाली बात जहां होगी वहां बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं मंत्री जी को इसी के बारे में सावधान करना चाहता हूं कि कुछ लोग थोड़े पैसे देकर जमीन की कीमत और लकड़ी की कीमत लगाएंगे। तो क्या जमीन और लकड़ी की कीमत को हम कम्पेन्सेशन मान लेंगे ? अगर उसको कम्पेन्सेशन मान लेते हैं कि प्राकृतिक सम्पदा का वह कम्पेन्सेशन हो जाएगा तो यह तो देश के लिए बड़ी नुकसानदेह स्थिति हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसको इस बिल से निकाल दें। इसमें कोई पैसे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जंगल के बदले जंगल लगाना पड़ेगा, पेड़ के बदले पेड़ लगाना पड़ेगा। जो व्यवस्था दुनिया में है उस व्यवस्था को हम लागू करें। यह बहुत आवश्यक था और इस आवश्यकता को हर जगह, सब लोगों को मंजूर किया था, हर स्टेज पर इसके लिए कहा गया था और इसीलिए यह बिल यहां लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

शहाबुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बातें कहीं। एक चीज जो उन्होंने कह दी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन को भी इसमें शामिल करने से थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं सिर्फ उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन कोई माइनिंग नहीं करता, उसका काम सिर्फ एक्सप्लोर करना है। वह जहां इन्डीकेट कर देता है कि यहां कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, उसकी सघन जानकारी लेने के लिए मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन का इस्तेमाल होता है। वह सिर्फ डिटेल्ड जानकारी हासिल करने के लिए होता है। वह माइन्स का कोई कामर्शियल एक्सप्लायटेशन नहीं करता है। इसलिए वह जो एग्जम्पशन दिया गया है वह बिलकुल वाजिब था। बल्कि मैं यह कहता हूं कि उसी में अगर आप यह कह देते कि बहुत से स्टेट डिपार्टमेंट आफ माइनिंग एण्ड जयालाजी ऐसे हैं जो खुद माइनिंग करते है, अगर उनको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें है कि :—

[अनुवाद]

खानों और भू-विज्ञान के महानिदेशकों को चाहे आप किसी भी नाम से बुलाएं।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडेय : उसके बाद है मिनरल कारपोरेशन लिमिटेड। वही मैं कह रहा था कि मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन को तो एग्जम्पशन देना बिलकुल वाजिब है। लेकिन स्टेट्स को जो दे रहे हैं शायद उससे नुकसान हो जाये। इसलिए कि बहुत-सी स्टेट्स ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट माइन्स चलाती हैं। उनको एग्जम्शन दे दिया जायेगा तो वे तो सोचेंगे कि हम तो बिलकुल खुद मुख्त्यार हो गए, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं···

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनको न दें ?

श्री दामोदर पांडे : नहीं, बिलकुल न दें। जो भी कामर्शियल एक्सप्लायटेशन करता है मिनरल्स का चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो उसको कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए, कोई एग्जम्पशन नहीं देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है और विश्वास है कि आप इस पर गौर करेंगे।

रायल्टी के बारे में सभा सदस्यों ने कहा। लेकिन हम लोग सब कहते हैं और बाद में आप जो कह देते हैं वही सही होता है। हम जो कहते हैं वह भुला दिया जाता है। आप रायल्टी फिक्स करते हैं टन पर और मनीवैल्यु का जो इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से कभी आंकते नहीं हैं। जो ढाई रुपये रायल्टी पहले देते थे, आज से 20-25 साल पहले वह सात रुपया अगर आज दे रहे हैं तो उसकी क्या कीमत है ? कोयले की कीमत या और भी मिनरल्स की कीमत जो हम लोग आंकते हैं तो कैसे करते है ? सब चीज उसकी कीमत पर होती है। लेकिन स्टेट को चूंकि उसमे कुछ बेनिफिट मिल सकता है इसलिए उसको टन में जब तक जोड़ते रहेंगे तब तक वह स्टेट बेचारा हमेशा मारा जाता रहेगा, चाहे वह बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल हो जहां कुछ मिनरल वेल्थ इस देश का है। 90 प्रतिशत तो इन्हीं जगहों तक सीमित है। तो ऐसे स्टेट जो ज्यादातर मिनरल वैल्थ पर निर्भर करते हैं, बिहार जैसे स्टेट जहां देश का एक तिहाई मिनरल वैल्थ पैदा होता है वहां इस पर ध्यान नहीं देंगे और सही बात यह है कि जब तक पैसे पर, इसकी कीमत पर रायल्टी नहीं बांधी जायेगी तब तक उसका काफी नुकसान होगा। मैं चाहता हूं इस पर आप विचार करें।

जहां तक लीज समाप्त करने की बात है, बहुत से लोगों ने शायद जानकारी के अभाव मे ऐसी बातें कहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या एक दो बार एक्सटेंशन के बाद और ज्यादा एक्सटेंशन देना चाहिए था। जहां तक मेरी जानकारी है और सदन की जानकारी है बहुत से लाइसेंस दिये जाते हैं प्रास्पेक्टिंग के नाम पर और प्रास्पेक्टिंग के नाम पर लाइसेंस लेकर वे एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, कामर्शियल एक्सप्लायटेशन भी करते हैं जिसकी जानकारी नहीं होती है, वर्षों-वर्षों तक के एक्सप्लोरेशन के नाम पर मिनरल वैल्थ निकालते जाते हैं, उसको बेचते भी हैं लेकिन यहां पर बताते हैं कि हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी इसी सदन में एक बार एक सवाल के जवाब में बहुत साल पहले कहा गया था कि कायनाइट का प्रोडक्शन अपने देश में निल है लेकिन उसी साल उसका एक्सपोर्ट हजारों टन था। इस तरह से प्रोडक्शन नहीं था लेकिन उसका एक्सपोर्ट था और अपने देश में भी उसका उपयोग होता था। इसी प्रकार सिलिमिनाइट के बारे में भी वही स्थिति थी। कारखाने के नाम पर एक कारखाना लगा दिया जहां सिलिमिनाइट पैदा होती थी लेकिन उसको निकालकर जर्मनी भेजते थे। इस तरह से उसका प्रोडक्शन निल था और एक्सपोर्ट हजारों टन था। इस तरह से जो लोग देश के साथ धोखाधड़ी करते थे उन पर कोई ऐक्शन नहीं हो पाता था। इसलिए अगर कोई एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाये और उसके अनुसार अगर वे काम नहीं करते हैं, कामर्शियल एक्सप्लायटेशन नहीं करते हैं तो उनका एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जरूर कैंसिल कर दिया जाये। मैं इसकी ताईद करता हूं।

इसके अलावा जो और कदम उठाये गए हैं वह स्वागत योग्य हैं। मैं समझता हूं फर्स्ट शैड्यूल में जो लाया गया है—वाक्साइट, कायनाइट, लाइम-स्टोन और दूसरे बड़े-बड़े मिनरल्स को, वह उचित ही है। पहले इनको फर्स्ट शैड्यूल में नहीं रखा गया था और पहले जो इनका महत्व था वह भी इतना नहीं था। आज लाइम-स्टोन का जो उत्पादन होता है वह, पहले जो उत्पादन होता था, उससे कई गुना अधिक बढ़ गया है और इसका महत्व भी बढ़ गया है।

इसलिए इसको फर्स्ट शैड्यूल में लाना बहुत जरूरी था और इसीलिए इसको लाया भी गया है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। कैसे बहुत सारी बातें कहने के लिए थीं लेकिन चूंकि आपका आदेश है इसलिए मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1986 पर वाद विवाद में हिस्सा लेने की अनुमति देने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मूल अधिनियम 1957 का संशोधन वर्ष 1971-72 में किसी समय किया गया था। पिछली बार इसमें किये गये संशोधन के 14 वर्षों के पश्चात् इस संशोधन को सदन के सामने लाया गया है। मुझे अवश्य कहना चाहिए कि यह अच्छा होगा अगर हम खनिजों के बारे में एक व्यापक विधेयक पर चर्चा करें क्योंकि आप जानते है कि हमारे देश के खनिजों में लौह अयस्क मैंगनीज तांबा जिसमें सोना भी शामिल है और अन्य मूल्यवान खनिजों का बड़ा भंडार है ये खनिज तब तक सम्पत्ति उत्पन्न नहीं कर सकते जब तक उनका पता लगाकर सर्वेक्षण करके और आर्थिक रूप से लाभकारी ढंग से उनका दोहन न किया जाए। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि यह अच्छा होगा अगर हम राष्ट्रीय खनिज नीति, के प्रारूप जो मन्त्रालय के विचाराधीन हैं, पर चर्चा कर सकते थे। उस निधि के साथ इस विधेयक को भी लाया जा सकता था जिससे हम देश में खनिज सम्पदा के पूरे पहलू पर साथ-साथ चर्चा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उस राष्ट्रीय खनिज नीति के प्रारूप को सदन के समक्ष नहीं लाया गया। माननीय मंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि वह इस विधान को लाये है जो मन्त्रालय की ओर से एक प्रशंसनीय कार्य है क्योंकि इस विधेयक में कई प्रगतिशील खंड हैं जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

हमने खनिजों का दोहन करने के क्षेत्र में एक शानदार प्रगति की है। देश के खनिजों की छानबीन संरक्षण और मूल्य निर्धारण का कार्य विभिन्न संगठनों के हाथ में है। उनमें से एक भारत का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था है। वे बचे हुए खनिजों और खनिजों का पता करने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते है। बाद में 1972 में बचे हुए और सम्भावित खनिजों के बीच का अन्तर कम करने के लिए खनिज खोज निगम (मिनरल एक्सप्लोटेशन कारपोयेशन) की स्थापना की गई इस विधेयक में कई ससहनीय उपाय हैं जिन्हें यहां लाया गया है।

मुझे स्वयं को मुख्यतः पर्यावरण और भू-वैज्ञानिक पहलुओं तक ही सीमित रखना चाहिए जो इस विधेयक के विचाराधीन है। विधेयक में उल्लेख किया गया है कि पट्टेधारियों को जो लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं लाइसेंस देते समय खनन सम्बन्धी योजना भेजनी चाहिए उसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को खनन सम्बन्धी योजना भेजनी चाहिए। यह एक नया और स्वागत योग्य कार्य है क्योंकि हमारे देश में अव्यवस्थित खनन बहुत अधिक हो रहा है जिससे हमारे देश का पूरा वातावरण और भू-विज्ञान नष्ट हो रहा है।

जैसाकि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्थित खनन के कारण सुन्दर पर्यावरण

पूरी तरह नष्ट हो गया है। हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया गया है लेकिन उस विधेयक को राज्य सरकार के पास आवश्यक संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया है। इस विधेयक के कुछ शब्दों में अक्षरी गलतियां थी। इस विधेयक को 1983 में केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आवश्यक संशोधन के लिए भेजा था। लेकिन तीन वर्ष बीत चुके हैं और कोई संशोधन नहीं किया गया है। समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की खनिज लाबी के दबाव के कारण, राज्य सरकार राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को वापिस नहीं भेज रही है। इससे सिद्ध होता है कि देश के विभिन्न भागों में खनन लाबी कितनी शक्तिशाली है। वे कानून की कमियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं और देश के विभिन्न भागों में अन्धाधुन्ध खनन हो रहा है। कोयले की खानों पर जब निजी मालिकों का अधिकार था उस समय बिहार में कोयले का अत्यधिक अव्यवस्थित खनन हुआ है। झरिया में सारा शहर नीचे धंसने की आशंका है क्योंकि वहां सारा कोयला निकाल लिया गया है और भूमि भराव नहीं किया गया है हाल ही में भारत सरकार ने झरिया शहर की सुरक्षा हेतु एक योजना बनाई है। लेकिन जहां तक रानीगंज शहर है वह भी धंसने के कारण खतरे में हैं। वहां भी केन्द्र सरकार को सुरक्षा और सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

विधेयक के खंड 5 में यह प्रस्ताव किया गया है कि अगर विदेशियों के पास 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर हों तो उन्हें भारत में खनन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर भारतीय नागरिकों के पास ६0 प्रतिशत इक्विटी शेयर है और विदेशियों के 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं तो उन्हें हमारे देश में खनिजों का अन्वेषण करने की इजाजत होगी यह अच्छी बात नहीं है कि विदेशियों को हमारे देश में खनन अन्वेषण की अनुमति दी जाए। 'फेरा' (एफ. ई. आर. ए.) के अनुसार विदेशियों के लिए अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत है। इसलिए प्रस्तावित विधान में वही उच्चतम सीमा रखी गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विदेशियों के मामले में अधिक कठोर कदम उठाये जाने चाहिए और प्रस्तावित विधान में मंत्री जी उन पर अधिक प्रतिबंध लगाये।

हम विश्व के विभिन्न भागों को खनिजों का निर्यात कर रहे है। हम जापान और अन्य देशों को लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं। निर्यात की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दशक के अन्त तक हम विभिन्न देशों को 400 लाख टन लोहे अयस्क का निर्यात करेंगे। इस शताब्दी के अन्त: तक यह मात्रा 600 लाख टन हो जाएगी हम जानते हैं कि हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। लेकिन खनिजों का निर्यात करते समय हमें अपने देश के विकास का और आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। बिना यह योजना बनाए कि खनिजो का देश के भावी विकास हेतु कैसे प्रयोग किया जाए केवल खनिजों के निर्यात से देश को खतरा और हानि होगी। केवल विदेशी मुद्रा कमाने से कुछ नहीं होगा।

दोनों तरफ के सदस्यों द्वारा रायल्टी का मुद्दा उठाया गया है। मैं श्री शहाबुद्दीन से सहमत हूं कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। धारा 9 के अधीन मूल्यांकन अवधि घटाकर चार वर्ष करने की बजाए तीन वर्ष की जानी चाहिए थी लेकिन कोई ऐसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। राज्यों

को उनके रायल्टी के हिस्से से वंचित किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है रायल्टी का निर्धारण खनिजों के मूल्य पर किया जाना चाहिए।

वहनशुल्क समकरण : कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को इस नीति के अधीन लाया गया है जबकि अन्यों को इससे बाहर रखा गया है। मैं पूछना चाहूंगा क्या वह राष्ट्रीय महत्व के सभी खनिजों को इसके अधीन ला रहे हैं आप कोयले के मामले में इसे लागू कर रहे हैं अन्य राष्ट्रीय महत्व के खनिजों पर नहीं इससे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के हितों का नुकसान हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वगत करता हूँ और माननीय मंत्री जी से प्रस्तावित राष्ट्रीय खनिज नीति के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक वास्तव में बहुत पहले आना चाहिए था। खनिज, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है और सौभाग्य से हमारे देश में खनिज पदार्थों का भण्डार है। आजादी से पहले सन् 19 7 तक जहां हम केवल 24 खनिज पदार्थों का दोहन करते थे वहां अब करीब-करीब 64 खनिज पदार्थों का दोहन कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर कोयले को लें तो जहां सन् 55 में 39 मिलियन टन उत्पादन करते थे वहां आज करीब-करीब 150 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और आयरन-ओर जहां सन् 56 में 4.7 मिलियन टन था, वहां आज करीब-करीब 42.2 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश में खनिज उत्पादन में हमने काफी प्रगति की है। ऐसा लगता है कि पर्यावरण को विशेष ध्यान में रखकर इस बिल को लाया गया है। यह स्वाभाविक है और समय की मांग को देखते हुए मंत्री जी इस बिल को लाए हैं। क्लाज-4-ए को मैं इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण क्लाज मानता हूँ। इसमें इकोलाजी, एनवायरनमेंट और पोल्युशन का ख्याल रखा गया है। इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर वायोलेशन होता है तो प्रिमेच्योर टर्मिनेशन भी हो सकता है। अभी जैसा कि शहाबुद्दीन साहब और अन्य सदस्यों ने कहा कि क्या वही काम टर्मिनेशन के बाद गवर्नमेंट एजेंसी या कारपोरेशन को देंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि कारपोरेशन या गवर्नमेंट एजेंसी अगर कंडीशन को वायोलेट करती है तो क्या उस पर भी लागू होगा। इसमें आपने दंड का भी प्रावधान किया है। जो ओरिजनल कानून है उसके अनुसार एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना है, अब आपने जो किया है दो साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना। मैं समझता हूं यह बहुत कम है। सजा का प्रावधान रखने में आपने कंजूसी की है, क्योंकि इस देश में चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इतनी कम सजा में यह चोरी नहीं रुकेगी, इस हिसाब से आपको सजा और सख्त करनी चाहिए। इसमें ज्यादा सजा का प्रावधान होना चाहिए।

नेशनल पालिसी खनिज के राष्ट्रीय दोहन नीति के बारे में आपने संकेत दिया है कि इसे हम बहुत जल्दी सदन में लाने वाले है। मैं चाहता हूं राष्ट्रीय नीति जल्दी से जल्दी हम सदन में लाएं और पर्यावरण के मामले में भी आप ध्यान रखें। आपने जो भी प्रावधान किया है प्रोटेक्शन या दण्ड का उसमें एक समस्या इम्पलीमेंटेशन करने की है। आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि

बहुत-सी राज्य सरकारें इसमें शामिल हैं, क्या इस सम्बन्ध में अलग से कोई कमेटी या बाडी का गठन करेंगे ताकि जो यह आपने प्रावधान रखा है उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति जी, खान खनिज संशोधन बिल 1986 जो अभी पेश किया गया है उसका मैं स्वागत करती हूं तथा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पहली बार पर्यावरण के सुधार के लिए जो देश में स्मारक हैं उनको बचाने के लिए तथा किसी प्रकार से देश की प्राकृतिक सम्पदा नष्ट न हो इसको देखते हुए इस बिल में संशोधन किया है, उसका भी मैं स्वागत करती हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी यह बिल अवैज्ञानिक तरीके से तथा जो अवैध खनन होता है उस पर निश्चित तौर पर रोक लगायेगा। खनिज किसी भी राष्ट्र के विकास की धुरी है, क्योंकि सारे उद्योग-धन्धे तथा देश का रोजगार वह खनिज पर निर्भर करता है। खनिज का विकास और खनिज सम्पदा को बढ़ाना हमारे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। इस ओर सरकार आगे बढ़ी है उसके लिये मैं बधाई देना चाहूँगी।

आपने इस बिल में यह प्रावधान रखा है कि समय से पूर्व भी आप किसी खान को निरस्त कर सकेंगे, यदि वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। इससे निश्चित तौर पर देश में जो पर्यावरण की खराब स्थिति है, उसमें सुधार आयेगा। इसके साथ ही आपने जो राष्ट्रीय महत्व की 11 खानों को प्रथम सूची में सम्मिलित किया है यह भी स्वागत योग्य है। नवीनिकरण के बारे में जो प्रगति की है इसका भी मैं स्वागत करती हूं।

मैं राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहूँगी, राजस्थान की धरती रत्नगर्भा है जहां पर कई प्रकार की खनिज सम्पदा छिपी हुई हैं और वहां पर खनिज का दोहन होता है उनमें बहुत अधिक कमियां हैं। खासतौर से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगी, वहां पर बिड़ला सीमेंट फैक्टरी के द्वारा जो लाइम-स्टोन का खनन होता है उसमें पूरी तरह से पर्यावरण की उपेक्षा की गई है। जहां तक ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनको भी तहस-नहस कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने एक पत्र प्रधान मंत्री जी को और आपको लिखा था। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख है कि आपका जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ, वह राजस्थान सरकार को आपने रेफरेंस देते हुए अपने पत्र में कहा कि किसी प्रकार भी जो ऐतिहासिक स्मारक हैं वह नष्ट नहीं हुए हैं। मैं इन फोटोग्राफ्स के साथ माननीय मंत्री जी को तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगी कि चित्तौड़गढ़ वह ऐतिहासिक इलाका है ··

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से वह फोटो माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगी और यह निवेदन करना चाहूंगी कि चित्तौडगढ़ में जितने ऐतिहासिक स्मारक हैं, जहां वीरों और वीरांगनाओं ने खून की होली खेली है, उनके स्मारक जगह-जगह बने पड़े हैं परन्तु आपके विभाग के द्वारा उन सारे स्मारकों को नष्ट किया जा रहा है। उसके प्रमाण मेरे पास हैं और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को प्रस्तुत करना चाहूंगी क्योंकि आपने मेरे पत्र के उत्तर में यह कहा था कि वहां किसी स्मारक को नुकसान नहीं हुआ है। मैं उस इलाके की

निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप सारी स्थिति का फिर से मूल्यांकन कराएं और देखें कि वहां कैसे पुराने ऐतिहासिक स्मारकों को नष्ट किया जा रहा है, किस प्रकार वहां नदियों को खोदकर, कटाव की स्थिति और बाढ़ की स्थिति पैदा की जा रही है और उससे वहां का सारा जीवन तहस-नहस हो रहा है। मैं चाहती हूं कि आप सारी जानकारी मंगवा कर उचित कदम उठाएं ताकि वहां के लोगों को बचाया जा सके, वहां के ऐतिहासिक स्मारकों को बचाया जा सके।

उसके साथ ही, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगी कि हमारे यहां अवैध खनन काफी मात्रा में हो रहा है, खासतौर से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का इलाका बहुत प्रभावित है। भीलवाड़ा से हमारे व्यास जी आते हैं और मेरे क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बेगों का इलाका ऐसा है, जहां काफी मात्रा में अवैध खनन होता है··· (व्यवधान) व्यास जी उसका उत्खनन करने वाले नहीं हैं परन्तु वहां किस तरह से कार्य हो रहा है, उस पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वहां सारा अवैध खनन का कार्य माइनिंग विभाग के अधिकारियों की शह पर हो रहा है। यदि इस प्रकार के खनन को अविलम्ब नहीं रोका गया तो वहां का सारा प्राकृतिक पर्यावरण तो नष्ट होगा ही, साथ-साथ सरकार को जो वहां से रौयल्टी मिलती है तथा आप वहां जो सुधार करना चाहते हैं, वह कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस ओर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान में इस समय लगभग 23 हजार माइन्स हैं परन्तु उन माइन्स में लोगों ने अपने ऐसे समूह बना रखे हैं जहां श्रम कानूनों की पूरी तरह से अवहेलना होती है। वहां किसी प्रकार के श्रम कानून नहीं माने जाते तथा श्रमिकों का भारी मात्रा में शोषण होता है। यहां तक कि उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। क्योंकि वे इलाके काफी इन्टीरियर में हैं, जहां न तो सड़कें हैं और न कोई अन्य सुविधा, जिसके कारण आपके अधिकारी वहां तक नहीं जा पाते, न कोई श्रम अधिकारी वहां पहुंच पाता। परिणाम यह होता है कि वहां श्रमिकों का भारी मात्रा में शोषण होता है। उसको अविलम्ब रोका जाना चाहिए। खासतौर से राजस्थान के भोलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और चित्तौड़गढ़ इलाकों में तो माइन्स सेफ्टी के लिए किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता। मान्यवर, मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है···इसके साथ ही इस बिल में आपने नवीनीकरण के लिए जो समय सीमा निश्चित की है, उसके लिए मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में रामगंज मंडी ऐसा इलाका है जहां लाइमस्टोन की बहुत अधिक मात्रा में खानें हैं। उसके साथ-साथ डोलोमाइट खानें भी हैं। वहां पर्यावरण के नियमों की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। खानें निकालकर पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं और उन पहाड़ों के खड़े हो जाने से वहां न तो पेड़-पौधे पनप पाते हैं और न कोई स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बन पाता। यदि आप वहां का सर्वेक्षण करायें तो आपको पता चलेगा कि वहां किस तरह नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उसको रोका जाना चाहिए। मान्यवर, राजस्थान में मुख्य रूप से जो माइन्स मिलते हैं, उनके विकास के लिए भी अभी तक कुछ नहीं किया गया···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : मुझे दो मिनट और चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। मुझे खेद है। कृपया समाप्त करें।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगी।

[हिन्दी]

आगूची में जिंक मिलता है, उसके लिए सुपर जिंक स्मल्टर का प्रावधान करने के लिए आप काफी समय से सोच रहे हैं परन्तु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसी प्रकार चन्देरिया की बात भी अभी तक कागजों में ही है।

रॉक फास्फेट के बारे में आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। उदयपुर के पास झामर कोयला में बहुत अधिक मात्रा में राक फास्फेट उपलब्ध है उसका कोई इस्तैमाल नहीं किया गयाहै इसी प्रकार से लिगनाइट भारी मात्रा में राजस्थान में प्राप्त होता है, उसके विकास के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन अवश्य करना चाहूंगी कि आप इनकी ओर ध्यान दें ताकि वहां उपलब्ध मिनरल्स को निकाला जा सके और विकास हो सके। राजस्थान की जो रत्न-गर्भा भूमि है, उसके विकास के लिए जो भी प्रावधान कागजों में, फाइलों में दबे पड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। डा. फूलरेणु गुहा बोलेंगी।

[हिन्दी]

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : चाहे वह सुपर जिंक स्मेल्टर का प्रावधान हो, चाहे चन्देरिया और चित्तौड़गढ़ में राक-फास्टेट के बारे में हो, चाहे फर्टिलाइजर कारखाने और लिगनाइट के लिए हो। जो व्यवस्था आप थर्मल पावर के लिए कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। समय बरबाद न करें।

[हिन्दी]

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : इन शब्दों के साथ, जो बिल आपने यहां प्रस्तुत किया है, वह स्वागत-योग्य है। इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : चेयरमैन साहब, रामपुरा अगूचा में सुपर जिंक स्मेल्टर लगाना चाहिए।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : व्यास जी, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं, जब आपका नम्बर आए, तब बोलिएगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सभापति महोदय से कह रहा हूं।

[अनुवाद]

डा. फुलरेणु गुहा (कनकी) : [illegible] विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री की प्रशसा करती हूं। मैं विधेयक का स्वागत करती हूं और तहदिल से इसका समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

हमारे देश में प्राकृतिक संपदा का काफी भंडार है। एक देश के विकास में उसके खनिज ससाधान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हमें आशा है कि हमारे देश में उपलब्ध खनिजों का अन्वेषण उपयुक्त समय में कर लिया जायेगा और इस तरह हमारा देश [illegible]। यह एक बहुत संतोषजनक बात है कि हमारे देश में इस संबंध में 1986 में 64 खनिजों की खोज की गयी है। [illegible] खनिजों के भंडार बढ़ाये हैं। [illegible] खनिजों के भंडार हैं। [illegible] खनिजों के [illegible] है। किन्तु फिर भी [illegible]

वर्तमान कानून के अनुसार, पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान को मध्य नजर रखते हुये पट्टों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर पारिस्थितिक और पर्यावरण पहलुओं में भी खनन प्रक्रिया हस्तक्षेप करती है तो सरकार को खनिज पट्टे को समाप्त करने का न तो अधिकार है और न ही शक्ति है। किन्तु विधेयक के पारित होने के बाद ऐसा किया जा सकता है और यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम है।

[हिन्दी]

हम सब इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश में खनिज उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण [illegible] है। पृथ्वी के तीन चौथाई हिस्से में समुद्र है जहां पर समुद्री तल में बेशकीमती खनिज उपलब्ध है। भारत को प्रयास तथा आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इन खनिजों को जल्दी ही समुद्र से निकाला जा सके। अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करते हुए खनन पट्टे का समय घटाया जा रहा है। कानून की अवज्ञा करने वालों के लिए सजा में वृद्धि कर दी गयी है। कारावास का समय एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष तथा जुर्माने की धनराशि 5000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गयी है। इस बात पर मुझे खेद है क्यों कि यह जुर्माना बहुत थोड़ा है तथा कारावास की अवधि भी पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि कारावास की अवधि पांच वर्ष नहीं तो कम से कम 3 वर्ष जरूर कर दी जाये। और इन बड़े लोगों के लिए 10,000 [illegible] कुछ भी आपने नहीं रखे। बड़े-बड़े खनिज एवं खनन मालिकों ने हमारे देश के [illegible] लोगों का शोषण करके करोड़ों रुपये इकट्ठे कर रखे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जब उनको यह पता होगा कि उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना और उसके अलावा जेल भेजा जा सकता है तब वे लोगों का शोषण करने तथा कानूनों की अवज्ञा करने से पहले थोड़े से सचेत होंगे। मेरा यह सुझाव है कि जब भी कोई व्यक्ति कानून की अवज्ञा करता है, चाहे वह छोटा या बड़ा कोई व्यक्ति हो, [illegible] उसे जेल भेजा जाना चाहिए। जब तक हम यह दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, ये लोग [illegible] अवज्ञा करने का प्रयास करेंगे जैसा कि वे वर्षों से करते आ रहे हैं। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां खनिज तथा खनन क्षेत्रों के समृद्ध मालिक रहते हैं। आप वहां जाये और उनके मकान को तथा उनके

वैसा खर्च करने के ढंग को देख। आपको बड़ी हैरानी होगी। इस अनुभव के साथ मैं सुझाव देता हूं कि कारावास का प्रावधान अवश्य होना चाहिए और उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि

मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि गैर-नागरिकों को खनन पट्टा नहीं दिया जायेगा। खनन

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पुनः यह अनुरोध करती हूं कि देश में एक दीर्घावधि खनिज नीति की आवश्यकता है। यह काफी समय से अपेक्षित है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सदन में एक दीर्घकालिक खनिज नीति प्रस्तुत करें। [हिन्दी]

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री नारायण चौबे (भिंदनापुर) : मैं भी अपने सभी दूसरे माननीय साथियों की तरह इस विधेयक का स्वागत करता हूं। काफी-कुछ कहा जा चुका है। मेरे पास बहुत कम समय है। इसलिए मैं सिर्फ 2 या तीन बातों पर जोर दूंगा।

विधेयक उपयोगी है। किन्तु इसे काफी देरी के बाद लाया गया है। निस्संदेह आज कहा सकते हैं कि न आने से तो देर से आना अच्छा है।

इस देश में पर्यावरण की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मन्त्री ने इण्डिया टुडे" उस लेख को जरूर पढ़ा होगा जिसमें देश के पर्यावरण के हालातों का जिक्र किया गया है। आजकल देश की भूमि का 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र जंगलों के तहत नहीं है और विशाल हिमालय के जो चित्र प्रकाशित हुए हैं वे वास्तव में तबाही लाने वाले हैं। हिमालय पर भी एक हरा वृक्ष दिखाई नहीं देता। इसलिए इसमें बहुत देरी हो गयी है, फिर भी हमें पर्यावरण को पहुंचाई जा चुकी है, फिर भी

साधारणतया, खनिज संपन्न देश के दरम्यान लोगों में आपसे आने वाले हैं, यहां के लोगों से बहुत दूर और उस हरित क्षेत्र से बहुत दूर जहां पर हम धान, गेहूं इत्यादि की फसलें उगाते हैं। ये

निस्सन्देह, जैसे हिन्दी में कहते हैं" जिसकी लाठी, उसकी भैंस" वाला हाल वहां पर चल रहा है ....

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : इस मामले में बिहार में सबसे अधिक उल्लंघन होता है।

श्री नारायण चौबे : हालत बहुत खराब है . श्रमिक कानून सिर्फ कागजों पर ही है। श्रम अधिकारी उस क्षेत्र का कभी भी दौरा नहीं करते और गरीब जनजातीय श्रमिकों का अधिकतम शोषण किया जाता है। मालिकों के गुंडों का सम्पूर्ण क्षेत्र में बोल बाला है। वे पुलिस तथा श्रम अधिकारियों के साथ मिले हुये हैं।

मैं अपने सामने बैठे हुए दोनों माननीय मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि जैसे महात्मा गांधी ने भारत दर्शन किया था आप कृपया बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान के कम से कम कुछ क्षेत्रों को तो अपनी आंखो से देखिए और देखें कि खनिज संशाधन पाये जाने वाले क्षेत्रों की असली हालत क्या है।

[हिन्दी]

मैं यही कहूंगा कि आप हमारे पास नहीं आती हैं। आप जब जाती हैं तो बंगलों में रहती हैं खाना खाकर चली जाती हैं। आप जब जाती हैं तो बंगलों में रहती हैं, खाना खाकर चली जाती हैं। आप हमारे साथ चलिए। मैं आपको उस जगह पर ले जाऊंगा।

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं हर जगह सभी यूनियनों के मजदूरों से मिलती हूं। अगर आपने ठीक से अध्ययन करके यह बात कही होती तो अच्छा होता।

श्री नारायण चौबे : उसके बाद क्या होता ? खेल खत्म, पैसा हजम।"

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : फिर ठीक तरीके से काम होता है।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : वह इस बात से प्रसन्न हैं कि सब कुछ ठीक है और खनिज क्षेत्र में अच्छी तरह से कार्य चल रहा है, मैं इस बात पर उनसे सहमत नहीं हूं।

जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जिसे मेरे सभी माननीय साथियों ने भी कहा है, वह रायल्टी से संबंधित है। रायल्टी टन भार के आधार पर नहीं होनी चाहिए। हमारे राज्यों को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। निस्सन्देह केन्द्रीय निधि में वृद्धि की जानी चाहिये। किन्तु बिहार, उड़ीसा राजस्थान और पश्चिमी बंगाल तथा सभी दूसरे राज्यों की धनराशि की भी पूर्ति की जानी चाहिए। इस बारे में मेरे विचार उनसे मिलते जुलते हैं कि यह टन भार के आधार पर नहीं होना चाहिए किन्तु यह पिट-हैड पर घटती-बढ़ती कीमत के आधार पर होना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे माननीय साथियों ने कहा है वह माल भाड़े को एक समान करने से संबंधित है वास्तव में ये पूर्वी राज्य बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा

क्षेत्र अलग इस रीति से नुकसान उठा रहे हैं। हमने सरकार से सुना है कि वह परिवर्तन लाने के लिए विचार कर रही है जिससे इसे अन्य क्षेत्रों की भांति जहां पर पिछले दो-तीन साल से परिवर्तन लाये गये उसके बराबर किया जा सके। मैं माननीय मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि वह इस बात को मन्त्रिमंडल की बैठक में उठायें ताकि इस पर जल्दी से निर्णय दिये जा सकें।

मैं अन्त में झरिया कोयला पट्टी के कुछ क्षेत्रों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। माननीय बहन जी को पता है कि वे पिछले 50-60 वर्षों से जल रहे हैं। क्योंकि उन पर निजी प्रबन्धकों का अधिकार है, इसलिए वे किसी की भी परवाह नहीं करते। पिछले 50 से 70 वर्षों से कुछ कोयला क्षेत्र जल रहे हैं। इस तरह हमें बहुत अधिक कोयले का नुकसान उठाना पड़ रहा है और सम्पूर्ण क्षेत्र में एक बहुत भारी खतरा है। हाल ही में सरकार ने कुछ खानों में आग बुझाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। यह एक बहुत मंहगा मामला है किन्तु सरकार ने कदम तो उठाये है।

कुछ क्षेत्र तो डूब रहे हैं क्योंकि पहले निजी मालिकों ने अपनी खानों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में किसी भी कानून व विनियम का पालन नहीं किया। उन्होंने खाली जगहों को रेत से नहीं भरा। झरिया डूब रहा है, रानी गंज भी डूब रहा है। वहां विस्तृत नगर क्षेत्र हैं तथा इन नगरों है करोड़ों रुपये और निर्मित वस्तुयें तथा परिसम्पत्तियां सभी डूब रही हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यदि अब कोई कार्यवाही न की गई तो पूरे रानी गंज को दामोदर के दूसरी ओर स्थानान्तरित किया जायेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुनः स्वागत करता हूं तथा मैं आशा करता हूं कि चूंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के भारी मात्रा में खनिज संसाधन हैं इसे लंबी अवधि के कार्यक्रम तथा नीति बनानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस विषय में हमारी सरकार शीघ्र ही एक विधेयक लायेगी।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (रेवगुड़) : सभापति महोदय, मैं इस खान एवं खनिज (नियमन और विकास, संशोधन विधेयक, 1986 का समर्थन करता हूँ। यह एक अच्छा विधेयक है जिसमें इस अधिनियम में संशोधन करके कुछ स्वागत योग्य विशेषताओं को लाया गया है।

इस विधेयक में अन्तिम बार 1972 में संशोधन किया गया था तथा इस बीच 14 वर्ष बीत गये हैं जिनमें सभी क्षेत्रों में काफी विकास हो चुका है। खनिज विकास के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। नये अविष्कार किये गये हैं तथा खनिज सलाहकार परिषद ने भी कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। आगे जैसाकि मन्त्री महोदय की प्रारम्भिक टिप्पणी से स्पष्ट है इस विषय में राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है तथा इन सबके परिणाम स्वरूप इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए वर्तमान विधेयक सभा के समक्ष रखा गया है।

मैं सरकार को विशेष तौर पर खान मन्त्री महोदय को इस अधिनियम के देश की तेजगति

से बदलती हुई सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के समरूप बनाने हेतु इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूँ।

इस विधेयक में कई प्रशंसनीय विशेषतायें हैं। यह विधेयक प्रक्रिया के सरलीकरण से अभिप्रेत है, अर्थात भावी लाइसेन्स तथा खनन पट्टे देने में लिये जाने वाले समय को कम करने की नीयत से इस विधेयक को लाया गया है। इस विधेयक में हमारी खानों के वैज्ञानिक विकास तथा पारिस्थितिकी संतुलन की सुरक्षा पर भी बल दिया गया है, सरकार की विचारशीलता तथा ईमानदारी इस विधेयक में वास्तव में प्रतिबिम्बित है। पारिस्थितिकी संतुलन तथा पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति यह ईमानदारी तथा विचारशीलता इस विधेयक में वास्तव में प्रतिबिम्बित है। महोदय, अवैध खनन के लिए तथा पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भी लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है। इस विधेयक में ऐसे कड़े उपाय किये गये हैं।

परन्तु, इन उपायों ती सराहना करते हुये मैं यह मानने के लिए भी बाध्य हूं कि स्थिति की आवश्यकताओं को देखते हुये इस विधेयक में अभी भी कुछ कमियाँ हैं। खनिज विकास के क्षेत्र में हम काफी कुछ कर चुके हैं परन्तु इससे भी अधिक करना बाकी है। हमारा देश खनिजों के मामले में धनी देश है। हमारा आर्थिक विकास तथा हमारे गरीबी निवारक कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस सम्पदा का, जो इस देश में पर्याप्त मात्रा में है, उद्देश्यपूर्वक बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह भाग्य की विडम्बना है कि खनिजों में धनी होने के बावजूद भी विश्व में हमारा देश एक निर्धन देश है। अब 11 नये खनिजों को जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, अनुसूची I में शामिल किया जा रहा है।

महोदय, स्वतन्त्रता के 37 वर्ष बाद तथा नियोजित विकास के लगभग 35 वर्ष बाद भी यह दुःख का विषय है कि हमें अभी अच्छी तरह सोच विचार करके एक व्यापक राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार करनी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे कृपा करके जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रहित में एक राष्ट्रीय खनिज नीति पेश करें। ऐसी नीति बनाते समय खनन प्रक्रियाओं को तेज करने की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए जो देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए तथा हमारी परिस्थिति को एवं पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्व रखती हैं। इन दोनों में एक संतुलन होना चाहिए तथा एक सुखद समझौता होना चाहिए। राष्ट्रीय हित में हमें खनिजों का उपयोग करना है तथा पारिस्थिति की एवं पर्यावरण को भी बनाये रखना है।

आज खनिज विकास तथा खनन कार्य लगभग गैर सरकारी क्षेत्र में ही किया जा रहा है। हमारे यहां अधिकतर खानों के मालिक गैर सरकारी हैं; क्यों न हम अधिक से अधिक खनन निजी क्षेत्र में करें तथा कम से कम खनन गैर सरकारी क्षेत्र में हो ?

फिर, हमें क्या खुशी मिल रही है और क्या मजबूरी है कि हम अधिकतर खनिजों का

कच्चे माल के रूप में निर्यात कर रहे हैं ? कुछ समय के बाद हम तैयार बनी बनाई वस्तुओं का आयात करते हैं तथा इस प्रक्रिया में हम काफी विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। इस सम्बन्ध में भी *एक सन्तुलन होना चाहिए।* कच्चे माल का कम से कम निर्यात किया जाना चाहिए जिसका अर्थ यह है कि हमें देश में खनिजों पर आधारित और अधिक उद्योग लगाने चाहिएं।

नई राष्ट्रीय खनिज नीति में श्रमिक वर्ग को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। खान श्रमिकों को खानों के अन्दर बहुत विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है; उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, निवास स्थान तथा पीने के पानी सम्बन्धी आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए।

शोध एवं विकास पहेलू को भी नहीं भूलना चाहिए।

इस संशोधन विधेयक को हम स्वीकृति दे रहे हैं, परन्तु यह प्रश्न पैदा होता है कि इन सब संशोधनों सहित इस कानून को लागू कौन करेगा। फिलहाल, हमारे पास इस कानून को लागू करने के लिए तंत्र नहीं है। इस कानून को ठीक ढग से लागू करने के लिए पर्याप्त तथा पूरी तरह सज्जित तन्त्र होना चाहिए।

अन्त में, चर्चा करने के लिए मेरे पास एक अन्य बात है। उड़ीसा के गन्ध मरदान क्षेत्र में एक बाक्साइट परियोजना शुरू की जा रही है। इसने एक बहुत विषम स्थिति पैदा कर दी है तथा अब इस परियोजना के सम्बन्ध में अनिश्चितता की स्थिति प्रबल होती जा रही है। इस परियोजना के विरुद्ध एक जन आन्दोलन चलाया जा रहा है, **गन्ध मरदान बचाओ बाल्को (बी. ए. एल. सी. ओ) हटाओ।** उस क्षेत्र में यह बहुचर्चित नारा बन गया है। नरसिंह नाथ जगह जो इस परियोजना के लिए जगह चुनी गई है एक खूबसूरत दुर्लभ जगह है जहां नरसिंह नाथ का प्राचीन मंदिर है। घने जंगल के बीच में एक सुन्दर नदी है। यह एक धार्मिक स्थल भी है। लोगों को यह शंका हो गई है कि इस नई परियोजना से इसे तथा इस क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचेगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मौके का सभी कोनों से अध्ययन करने के लिए केन्द्र से विशेषज्ञों का एक दल भेजें। यदि विशेषज्ञ समिति यह महसूस करती है कि उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है तब इस परियोजना के विरोध में आन्दोलन करने वालों को यह बात समजाई जा सकती है। परन्तु मेरा विचार यह है कि यदि यह परियोजना उस क्षेत्र के पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को कोई अपूरणीय क्षति पहुँचाती है तो बेहतर यही होगा कि हम इस परियोजना को चालू न करें। जैसा कि यह प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र से अविश्वास तथा असंतोष का वातावरण बना दिया गया है तथा लोगों के मन से शका केवल राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के दल द्वारा किये गए ऐसे अध्ययन द्वारा ही दूर की जा सकती है। वास्तव में जंगल, जोकि उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के लोगों के जीवनदाता हैं, उनकी रक्षा करनी होगी।

जब हम पर्यावरण के प्रश्न को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं तो ऐसा कैसे हुआ कि पर्यावरण विभाग की अनुमति लिए बिना ही बाल्को (बी. ए. एल. सी. ओ.) ने वहां खनन कार्य

मुझे कर दिया है ? लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं । इसलिए इस विषय पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

4.00 म. पं.

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में खानों के विनियमन तथा खनिजों के विकास का प्रावधान है । इस अधिनियम में अन्तिमबार संशोधन 1972 में किया गया था तथा तब से विकास की प्रक्रिया में काफी काम हो चुका है । भारत में खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं तथा इस विधेयक में खनिजों के विकास को मुख्य स्थान दिया गया है । ये स्वागत योग्य कदम हैं ।

सर्वप्रथम, हम देखते हैं कि यह संशोधन विधेयक सभी अड़चनों तथा कठिनाईयों को दूर करने के लिए लाया गया है ताकि खनिज उद्योगों का तीव्रगति से विकास हो सके । इस विधेयक में बहुत प्रभावी तथा विकास मूलक प्रावधान हैं । पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए भी एक प्रावधान है ।

खनिज प्रक्रिया को तेज करने के लिए यदि एक निर्धारित अवधि में खनन कार्य शुरू नहीं किया गया तो खनन पट्टा समाप्त हो जाएगा । खनन पट्टा देने के लिए क्षेत्र पूर्वेक्षण तथा खनन योजना तैयार करना पूर्व शर्त रखी गई है क्योंकि इससे हमें उचित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन करने में सहायता मिलेगी ।

4.01 म प.

[श्री अंगुल बशर पीठासीन हुए ।]

एक अन्य प्रावधान भी है जिसमें अनुमोदन प्रमाणपत्र आयकर भुगतान प्रमाणपत्र इत्यादि की आवश्यकता में छूट दी गई है । यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे प्रक्रिया के साधारणीकरण में सहायता मिलती है । अवैध खनन को रोकने के लिए भी कठोर दण्ड सहित इसे दण्डनीय अपराध बना कर एक प्रावधान किया गया है ।

महोदय, यहीं मुझे कुछ शंकाएं हैं । यहां प्रस्तावित संशोधन में राज्य सरकार के प्रभाव तथा क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । आप जानते हैं कि राज्य सरकारें खनिजों के मालिक हैं तथा खनिज उद्योगों के विकास हेतु स्पष्ट मार्ग निर्देश तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए । राज्य सरकारें भी तीव्र विकास की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूक हैं तथा आयकी कुछ छुटपुट घटनाओं, जहां उद्देश्यों का उल्लंघन हुआ हो, के आधार पर ही इसे सामान्य नियम नहीं बना लेना चाहिए । कुछ राज्यों में इक्की-दुक्की घटनाएं हुई होंगी परन्तु यह आम चित्र नहीं है ।

अब मैं 11 खनिजों को प्रथम अनुसूची में शामिल किए जाने के विषय पर आती हूं । यहां मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि डोलोमाईट तथा लाईम स्टोन को प्रथम अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । मेरी समझ में यह बात भी नहीं आती कि बॉक्साईट जिसके 25000 लाख टन के विशाल भण्डार हैं, को भी प्रथम अनुसूची में क्यों शामिल किया गया है । आश्चर्यजनक

खनिजों को प्रथम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु इन नये खनिजों के शामिल किए जाने से राज्य सरकारों के पास रेत तथा मिट्टी के पट्टे देने के सिवाय कोई शक्तियां नहीं रहेंगी।

खंड 4(ए) के उपखंड (3) में कहा गया है कि भावी लाइसेंस अथवा खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से सलाह लेनी होगी। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार का पूर्वेक्षण का निहित अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है।

मेरा निवेदन है कि खंड 4(ए) के उपखंड 2 के अन्तर्गत एक बहुत अच्छा प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियन्त्रण, प्रदूषण रोकने इत्यादि के हित में एक क्षेत्र के विषय में एक भावी लाइसेंस अथवा खनन पट्टे को, यदि आवश्यकता महसूस की जाये, समयपूर्व ही रद्द किया जा सकता है। परन्तु यहां भी मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से सलाह लेनी होगी। मैंने यह प्रश्न इसलिए उठाया है क्योंकि यदि हम सलाह लेते रहेंगे तो काफी समय लगेगा जिसके परिणाम स्वरूप देरी होगी। खंड 4(ए) के उपखंड (4) में निःसंदेह एक प्रावधान है कि यदि एक साल के अन्दर खनन कार्य शुरू नहीं होता है तो खनन पट्टा समाप्त हो जाएगा। मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहती हूं, अर्थात्, खनन पट्टे का मालिक उस समय तक खनन कार्य शुरू नहीं कर सकता, जब तक कि उसे भूमि अधिकार नहीं दिए जाते हैं। यही कारण है कि एक पट्टेदार को यह स्पष्ट करने के लिए, कि यह क्यों समाप्त हो जाएगा, उचित समय तथा अवसर दिया जाना चाहिए तथा इस अवधि में भी उसने कुछ धन अवश्य लगाया है। उसका क्या होगा ? क्या केन्द्र सरकार किसी भी तरह उसकी सहायता करेगी। यह बात भी मन्त्री महोदय को स्पष्ट करनी चाहिए।

महोदय खंड 5(2ब) के सम्बन्ध में.....

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : खंड में ही यह बात स्पष्ट की गई है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं नहीं समझ सकी। खंड 5(2ब) के संबंध में जो खनन पट्टा देने से संबंधित है, पूर्वशर्त के रूप में स्वीकृत योजना आवश्यक है। खनिजों का खनन वैज्ञानिक तरीके से होना आवश्यक है जिनसे उनकी अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित होगी तथा खनन प्रक्रिया के दौरान बर्बादी को रोका जा सकेगा : परन्तु मेरे विचार में सभी खनन पट्टे लेने वाले आवेदकों के लिए सरकार द्वारा खनन योजना को स्वीकृत कराना न ही तो संभव है तथा न ही व्यवहार्य है। राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए जा सकते हैं कि योजनाओं को स्वीकृति कैसे दी जाये। यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

खंड 9 में भी, रॉयल्टी के संशोधन के बारे में कुछ सदस्यगण पहले ही चर्चा कर चुके हैं तथा यह देखा गया है कि रायल्टी की दरों में समय पर एक भी संशोधन नहीं किया गया है। यह प्रावधान केवल कल्पित है। रायल्टी की दरों को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद संशोधित करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

धारा 13 (थध) में खनन कार्यों के किसी भी कारण से उस क्षेत्र में नष्ट हुई वनस्पति एवं पादपों जैसे पेड़ झाड़ियां आदि को पुनः वहां लगाने के बारे में कहा गया है। यहां तक तो सब ठीक है। परन्तु इसके बाद जब यह किसी अन्य क्षेत्र में किया जाता है तो इसे मैं नहीं समझ पाता हूं। किसी भी खनन पट्टाधारी से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह वनस्पति पट्टा क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में लगाये। केन्द्र सरकार के पास पट्टा क्षेत्र के एक दम बाहर सरकारी भूमि नहीं हो सकती है। यह वाछनीय है कि पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र में ही भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये और उसका सुधार करें।

महोदय, धारा 17 क की उपधारा 2 में कहा गया है कि राज्य सरकार को इसके अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र हेतु खनिज वाले क्षेत्र के आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। यहां राज्य सरकार की क्या भूमिका है? इससे राज्य सरकारों के परम्परागत अधिकार का उल्लंघन होता है। धारा 17 की उपधारा 2 में कहा गया कि राज्य सरकार को रायल्टी, भूमि किराया खनन की फीस आदि उसी दर पर देनी होगी जिस दर पर किसी गैर सरकारी व्यक्ति को या पट्टा धारी को देनी होती है। यह व्यवस्था वास्तव में ठीक नहीं है। यह प्रस्ताव करना भी असंगत है कि राज्य सरकार जो कि खनिज की मालिक है को भी किसी गैर सरकारी व्यक्ति को रायल्टी तथा अन्य चीजें देनी होंगी। यह संशोधन अनुचित है।

धारा 18 ग, में राज्य सरकारों को भी अनुसधान करने के काम में शामिल किया जाना चाहिए। निस्संदेह, अवैध खनन को रोका जाना चाहिए, यह सज्ञेय अपराध घोषित किया जाना चाहिए तथा निवारक उपाय भी किये जाने चाहिएं।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण के लिए अधिनियम में दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। अवैध खनन को रोकने में वर्तमान उपबंध अप्रभावी हैं तथा ये शायद ही लागू किये जा सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति अवैध खनन करता है वह मौके पर ही पकड़े जाने का इन्तजार नहीं करेगा।

इसलिए इस प्रकार के खनिजों का अवैध रूप से लाना ले जाना तथा इसका भण्डारन एक अपराध के रूप में समझा जाना चाहिए।

ये मेरे सुझाव हैं।

[हिंदी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, खान और खनिज संशोधन विधेयक 1986 जो लाया गया है, 14 साल बाद आया है, लेकिन मैं उसका स्वागत करता हूँ और पूरा समर्थन करता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था में देश में मिलने वाले जितने भी खनिज हैं चाहे किसी भी किस्म के हों उनका दोहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में सैकड़ों तरह के खनिज आज भी उपलब्ध हैं जिनका कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज्यूलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के परिमाण इतनी तीव्रगति से नहीं आते हैं इसलिये हजारों किस्म के खनिज आज भी जमीन के नीचे दबे हुये हैं जिनका कोई पता नहीं है और जो दोहन से बचे हुये हैं और इस कारण से रेवेन्यू का लाभ हो

रहा है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सर्वे का जो काम है उसको शीघ्रता से चलाया जाना चाहिए। ताकि हमें यह पता लगे कि कहां-कहां पर कौन-कौन सा खनिज है और उसका दोहन हो सके और राजस्व में वृद्धि हो सके। मिनरल्स एडवाइजरी कमेटी और दूसरी कई संस्थाओं ने तथा राज्य सरकार ने भी आपको सुझाव दिये हैं इस एक्ट में संशोधन के लिए और जो खासतौर से प्रदूषण के मामले में जो संशोधन किया है चाहे कारखाने हों या खानें हों वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है और वहां के निवासी किस कद्र परेशान हैं इसलिए इस पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए। जो लोग प्रदूषण करने वाले हैं चाहे वह खनिज पट्टाधारी हों, चाहे कारखानेदार हों, उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए। इस मामले में जितनी देरी की जायेगी उतना ही प्रदूषण अधिक बढ़ता जायेगा। हम प्रदूषण के खिलाफ नारे लगाते हैं, कानून पास करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे-छोटे गांवों में रिमोट प्लेसेज जहां पर खानें मौजूद हैं वहां पर भयंकर प्रदूषण की वजह से वहां के लोग 10-15 किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान बनाते हैं इसी वजह से कोई काम वह नहीं कर पाते इसलिये मेरा निवेदन है कि कड़ाई से नियमों का पालन करना चाहिये।

इस अधिनियम में प्रथम अनुसूची में 26 खनिजों की जो सूची थी उसमें 11 राष्ट्रीय महत्व की खान हैं और आपने 11 में एक चूने का पत्थर भी शामिल किया। मैं इसका विरोध करता हूँ और विरोध करने का कारण मेरे से पूर्व कुछ वक्ता दे भी चुके हैं। यह चूने का पत्थर छोटे-छोटे मकान बनाने के मेटेरियल में काम में आता है। इससे बड़ी गड़बड़ हो जायेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा में कोटा स्टोन है वह लाइम स्टोन के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर चूने के जो लीज होल्डर्स हैं वह आपके पास आयेंगे, पहले उनका काम कोटा में ही निपट जाता था। मेरा कहना यह है कि इस पर आप पुनर्विचार करें या ऐसी व्यवस्था करें कि लीज होल्डर का सारा काम, कोई अधिकारी वहां पर दफ्तर खोलकर बैठ जाये जिस जगह पर लाइम स्टोन निकलता हो, वहीं पर हो जाये। जिससे उसे दिल्ली के दर्शन नहीं करने पड़ें। अगर आप इसे राष्ट्रीय महत्व का समझकर 11 में रखना ही चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था जरूर करें कि छोटे-छोटे लीज होल्डर्स को लाईम स्टोन वालों को उनके दर्शन न हों और कोई अलग से इसके लिए रजिस्टर न बनाना पड़े, प्रोसीजर लम्बा न हो। मेरा निवेदन यह है कि 11 में से इस एक को घटा कर 10 कर दें, चूने का पत्थर छोड़ दें। इस संशोधन में आपने, जिसके पास पट्टा है, लीज होल्डर से अपेक्षा की है कि वह जिस स्थान पर खानों का दोहन करेगा वहां पर किसी भी वनस्पति को नुकसान नहीं पहुँचायेगा। मैं कोटा और बूंदी से आता हूँ, मैं आपको हजारों हेक्टेयर जमीन की बाबत कह सकता हूँ कि वहां पर एक भी पेड़ नहीं है लेकिन फारेस्ट एरिया घोषित किया हुआ है। अरबों रुपये की सम्पत्ति उस जमीन में जमीं दरोज है, अब उनका दोहन नहीं हो पा रहा है। उससे आपको भी नुकसान है, स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान है और उन बेरोजगार लोगों को भी नुकसान हो रहा है वहां छोटी-छोटी सैंड-स्टोन की खानें लगाकर आमदनी पैदा करना चाहते थे। इसलिए इसका पुनः सर्वे होना चाहिए।

मान्यवर, आखिर में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, उससे आपको भी फायदा होगा, भारत सरकार को भी फायदा होगा और मुझे स्वयं भी फायदा होगा। आपने कई ऐसे क्षेत्रों को फौरेस्ट एरिया घोषित किया हुआ है

जिनमें फौरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, पेड़ होना तो बहुत बड़ी बात है, वहां झाड़ी भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन क्षेत्रों का आप दोबारा सर्वे कराएं। उनको खनिज क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि अगर मान लीजिये मैं लीज-होल्डर हूं और कोई पेड़ काट देता हूं तो आप मुझ पर यह पाबन्दी लगा दीजिए कि मैं 100 पेड़ उगाऊं। यह बहुत बढ़िया है परन्तु उन क्षेत्रों का दोबारा सर्वे होना चाहिये जिनको आपने वन क्षेत्र घोषित कर दिया है।

अन्त में, एक निवेदन अवैध खानों की बाबत और करना चाहता हूं क्योंकि यह कार्य मेरे क्षेत्र में भी बहुत चल रहा है। खूब लोग पैसा कमा रहे हैं, कई करोड़पति बन गए हैं, कई अरब-पति बन गए हैं। माइनिंग इन्जीनियर को पैसा दिया जाता है, माइनिंग के दफ्तर को पैसा दिया जाता है और सरकार से लेकर हमारे तक को चूना लगाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर तुरन्त ध्यान दें और ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि आपको ऐसे आदेश प्रसारित करने चाहियें कि जिस जिले में जितने खनिज निकलते है और उससे जो रौयलटी आती है, उसका कुछ प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होना चाहिये। वहां सड़कों के बनाने पर, मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर, पीने का पानी उपलब्ध कराने पर रौयलटी का कुछ प्रतिशत भाग वहां के विकास पर खर्च होना चाहिये। और जिस इलाके में खनिज निकाले जाते हैं, उस पर आधारित कारखाने भी उसी जगह लगाये जाने चाहिएं। उदाहरण के लिए भीलवाड़ा में अगूचा वाला मामला है। क्यों आप सौ किलोमीटर दूर उसका कारखाना लगाना चाहते हैं। आप सोचिये ट्रांसपोर्टेशन पर ही कितना खर्च आयेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : धारीवाल जी, जब निर्मला जी यहां इस सदन में नहीं हैं, उस वक्त आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री शान्ति धारीवाल : चाहे निर्मला जी हो, या उर्मिला जी हों, अगर सही बात है तो मैं किसी के सामने भी कह सकता हूं। मैं नहीं समझा कि आप उस कारखाने को सौ किलोमीटर दूर क्यों लगाने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन पर ही कितना खर्चा आयेगा। आप यहां दिल्ली में ही देख लीजिये, यहां से चांदनी चौक जाने का पहले एक रुपया लगता था, अब दो रुपये लगते हैं और आपने जो हमें मिनी बस प्रोवाइड की हुई है, उसमें भी पहले एक रुपया लगता था, अब दो रुपये हो गये। इससे ही आप अन्दाजा लगाइये कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिये आप उस कारखाने को 100 किलोमीटर दूर लगाने की बजाए वहीं अगूचा में ही लगाइये, यह राजस्थान की जनता की मांग है और हम सब लोगों की भी यही इच्छा है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इन बातों को ध्यान में रखकर शीघ्र उचित निर्णय लेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री जी, अब तो आपको अगूचा के बारे में ध्यान देना चाहिये।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं खान और खनिज (विनयमन और विकास) संशोधी विधेयक, 1986 का समर्थन करती हूं। पिछले संशोधन से कई समस्याएं सामने आई हैं

संशोधी विधेयक में न केवल I1 और खनिज शामिल है अपितु इसमें इन खनिजों के विकास के जरिए देश के बहुमुखी विकास की भी व्यवस्था है। कृषि के अलावा, हमारे देश में खनिज विकास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक अच्छी बात है कि खनिजों के निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा ही नहीं कमा रहे हैं, बल्कि अपने ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। कई लाख लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं और ये उद्योग ज्यादातर दूर-दराज के स्थानों में लगाये जा रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में खनिज की खोज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस देश में बहुत अधिक खनिक सम्पदा है। यहां कोयला है, चांदी है, काफी मात्रा में लौह अयस्क, मैंगनीज, बोक्साइट, हीरे, तांबा तथा चूना पत्थर सहित क्या-क्या नहीं है। इस तरह हमारे देश में विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा है।

कर्नाटक ऐसा राज्य है, जिसमें कई प्रकार के खनिज मिलते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो सोने की खानें हैं। पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क हैं, तथा मैंगनीज अयस्क भी हैं। इसलिये, इन सब बातों को देखते हुये यह अति आवश्यक है कि सरकार यहां उद्योग लगाएं जिससे यहां के कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करने की कोशिश की जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए हमें इन्हें विकसित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कई सर्वेक्षण किये हैं और उन्होंने कर्नाटक में बहुत से ऐसे स्थानों का पता लगाया है, जहां खनिज उपलब्ध हैं, तथा हाल ही में भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने एक सर्वेक्षण करके यह पता लगाया है कि कप्पाडिगुड्डे में तथा वन्दाली खानों में भी बहुत अधिक सोना उपलब्ध है। अभी तक वहां कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं सरकार से चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो अनुरोध करूंगी कि इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अपनाया जाना चाहिये तथा उन खानों का विकास करना चाहिए जहां सर्वेक्षण द्वारा खनिजों का पता लगा है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था भी अनेक प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रही है। इसकी सेवाओं में स्थिरता आ गई है, संचार का अभाव है तथा वहां दर्जनों रिक्तियां हैं और हालांकि इसमें कर्मचारी गत 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं फिर भी उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है और इसी तरह की कई अन्य समस्यायें हैं।

इस भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान तथा नेशनलरिमोटसेंसिंग एजेन्सी की सहायता से 1981 से 1985 तक एक हवाई सर्वेक्षण किया गया। सभी महत्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक आंकड़ों को एक मैगनेनिक टेप पर इकट्ठा किया जाता है। यदि इन आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया तो वह कुछ समय पश्चात् नष्ट हो जायेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगी कि ये इस तरह क्यों इकट्ठे किए गये। इनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण एवं इकट्ठे किये गये आंकड़ों का प्रयोग आरम्भ किया जाना चाहिए। भारतीय भू-विज्ञानिक सर्वेक्षण ने 8 करोड़ रुपए के एक हवाई जहाज के साथ-साथ एक कम्प्यूटर भी कार्य करने लिए खरीदा है। इसका भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अब तक क्या उपयोग किया है? हवाई जहाज किस लिए खरीदा गया था। मैं माननीय मंत्री

से जानना चाहूंगी कि इस 8 करोड़ रुपये मूल्य के हवाई जहाज की खरीद के पश्चात् भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को क्या कार्य दिया गया।

जैसा कि मैंने पहले कहा है—मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, इसे ध्यान में रखते हुये, हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विजयनगर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए शिलान्यास किया था। परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है और मुझे इस बात का भी बहुत खेद है कि इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार एवं कर्नाटक के माननीय सदस्य कई बार हासपेट में विजयनगरम् इस्पात संयंत्र की स्थापना करने पर जोर देते रहे हैं। परन्तु हाल ही में मैंने उत्तर दिया है कि सरकार ने सातवीं योजना में विजय नगरम इस्पात सयंत्र सहित इस्पात संयंत्रों को लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये नियत किये है जिनके बारे में उन राज्यों एवं संसद सदस्यों का कहना है कि यह धन कार्य प्रारम्भ करने के लिए बहुत ही कम है। इसके अलावा सरकार ने कहा है—कि उन्होंने वहां "के. एस. आई. आई. डी. सी." और एस. आई. आई. एल. के सहयोग से होस्पेट में 1.5 टन की क्षमता वाला स्पंज लौह संयंत्र लगाने वाले हैं। परन्तु माननीय मन्त्री का कहना है कि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस मामले में सरकार अन्तिम निर्णय कब लेगी। चूंकि निर्णय तभी लिया जा सकता है जब वहां कोयला पहुंचाने का काम सन्तोषजनक ढंग से हो सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसे विजय नगरम इस्पात संयंत्र के विकल्प के रूप में स्वीकार करें, ताकि यह संयंत्र जितनी जल्दी संभव हो आरम्भ किया जा सके।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अयस्क का बहुत अधिक दोहन कर रहा हैं। परन्तु वहां कार्य कर रहे श्रमिकों की कई समस्यायें हैं, जो कि सुविधाओं एवं मनोरंजन आदि के बारे में हैं। अधिकतर श्रमिक यहां सारे भारतवर्ष से आते हैं और वे सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं। उनकी अपनी समस्यायें हैं। परन्तु हमें उनकी समस्याओं की जानकारी नहीं है। मैं सुझाव देना चाहतो हूं कि जहां कहीं भी खनिज खानें हैं वहां पर इन श्रमिकों को दी जाने वाली सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए एक परामर्शदाता समिति स्थापित की जाए। इस समिति में उस क्षेत्र के विधायकों तथा सांसदों को भी शामिल किया जाए ताकि हमें उनकी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का पता चल सके।

जापान को पालिस किए गए पत्थरों का निर्यात आर्थिक दृष्टि से बहुत सस्ता है। गुलाबी पत्थरों, काले पत्थरों तथा ग्रेनाइट पत्थरों का जापान को निर्यात किया जा रहा है। निजी उद्योग इस व्यापार में अधिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत से कांड हो रहे हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस उद्योग की रचना में वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं ताकि पत्थरों की पालिश यहीं पर कराई जाये बजाय उन्हें जापान भेजने के। अगर हम पालिश नहीं करते हैं तो निश्चित ही इसमें काफी खर्चा आयेगा। साथ ही हमें पत्थरों का निर्यात करने से पहले इसकी पालिश भी करनी चाहिए। इस प्रकार से हम इन पत्थरों के निर्यात से अधिक धन कमा सकेंगे। अतः जब कभी भी हम इन पत्थरों के निर्यात की बात करें तो हमें इस दृष्टिकोण पर भी विचार करना चाहिए।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि चूने के उत्पादन को प्रथम अनुसूची की 11वीं मद से निकाल देना चाहिए। चूने का पत्थर काफी मात्रा में देश में उपलब्ध है। कई सीमेंट संयंत्रों का कर्नाटक में निर्माण हो रहा है। भीमा शृंखलाओं में, गुलबर्गा तथा बीजापुर जनपदों की कृष्णा शृंखलाओं में काफी मात्रा में चूने का पत्थर उपलब्ध है। अपर-कृष्णा' परियोजना के निर्माण में विश्व बैंक सहायता दे रहा है। जब विश्व बैंक के अधिकारियों का एक दल आया था तो उन्होंने वहां अयस्क को देखकर टिप्पनी की थी कि यह अयस्क "आप लोगों पर हंस रहा है क्योंकि आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने टिप्पणी की थी यह ऐसा पड़ा है जैसे पहाड़ियों के ढेर पड़े हों ऐसी हालत में, सरकार को जितने उद्योग सम्भव हों इस क्षेत्र में स्थापित करने चाहिएं। इससे न केवल राज्य व देश की अर्थ-व्यवस्था सुधरेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 1986 का समर्थन करता हूं।

जहां तक लाइसेंस देने का और किसी खास क्षेत्र के पर्यावरण तथा इकोलाजी के प्रभावित होने का संबंध है इस विधेयक में उस पर नियंत्रण का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रथम अनुसूची में दी गई मदों के संबंध में पूरी तरह से प्राधिकृत नहीं है। इसमें दण्ड तथा जुर्माने को बढ़ाने का भी प्रावधान है। विद्यमान कानून में यह प्रावधान था कि राज्य सरकारें धारा 15 के अन्तर्गत नियम बनायें लेकिन यह अभी तक अस्पष्ट था। लेकिन अब क्षेत्र निर्दिष्ट कर दिये गए हैं और जिसके संबंध में राज्य सरकारों को बनाने पड़ेंगे।

कुछ प्रावधान है जिन पर मैं माननीय मन्त्री से पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। मेरी पहली बात यह है कि चूने के पत्थर को प्रथम अनुसूची में रखा गया है। चूना, वास्तव में, आम व्यक्ति—किसान, श्रमिक तथा ग्रामीण लोग प्रयोग करते हैं। जहां तक गांवों में मकानों के निर्माण का संबंध है, उन लोगों द्वारा चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आप प्रावधान कर रहे हैं कि चूने के लिए लाइसेंस केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही दिया जायेगा। वास्तव में, इस प्रावधान का विभाजन किया जाना चाहिए। उन खानों के मामले में जहां पर चूना पत्थर के क्षेत्र बड़े हैं, चूना अगर काफी मात्र में है, लाइसेंस भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद दिये जा सकते हैं। लेकिन सामान्य मामलों में आपने चूने को राज्य सरकारों की परिधि से बाहर कर इसे पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के हाथ में दे दिया है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है। मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री श्री पंत जी एक बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति हैं। वह गांव से आये हैं और वह जानते हैं कि गांवों में रहने वाले व्यक्ति के सामान्य व्यावहारिक जीवन में यह कितनी कठिनाई उत्पन्न करेगा।

दूसरे, मैं सुझाव दूंगा कि हम भारतीय संविधान के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। हम कृषि भूमि, शहरी संपत्तियों पर सीमा निर्धारित कर रहे हैं। अतः उन जैसे गतिशील एवं आदर्शवादी व्यक्ति से आशा है कि वह खानों में भी लाइसेंस जारी करने के मामलों में सीमा लागू करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह इसमें है।

श्री राम सिंह यादव : आपने इसे सीमित किया है, महोदय, लेकिन उस हद तक नहीं जितनी हमें आशा थी। आपने केवल 10 किलोमीटर तक सीमित किया है। हम कहते हैं कि हमारे यहां 23 राज्य हैं तथा कुछ संघ शासित क्षेत्र भी हैं। अतः, एक व्यक्ति 20 या 30 लाइसेंस भी प्राप्त कर सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक राज्य के लिए नहीं है बल्कि पूर्ण राष्ट्र में लाइसेंस देने की सीमा है।

श्री राम सिंह यादव : अतः लाइसेंस नीति के संबंध में मेरा कहना है, मैं माननीय मंत्री के दिमाग में जो सीमा है उसे जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है और राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में आपने धारा 5 की जगह एक नई धारा रखी है और प्रस्तावित नई धारा मे खंड (2) है जो इस प्रकार है :

"(2) राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि—

(क) यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि जिस क्षेत्र के लिए पट्टे के लिए आवेदन किया गया है उसका पहले पूर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसमें खनिज अंशों का होना सिद्ध कर दिया गया है :

परन्तु इस खंड की कोई भी बात किसी क्षेत्र को लागू नहीं होगी, यदि ऐसे क्षेत्र का सरकार के किसी विभाग या किसी अभिकरण द्वारा पहले ही पूर्वेक्षण कर लिया गया है और उसमें खनिज अंशों का होना सिद्ध कर दिया गया है;"

अर्थ, वास्तव में हमारा देश एक विकासशील देश है। वह मात्र सरकारी एजेंसी अथवा निगम तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि इसे व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि लाइसेंसधारी अपने जोखिम पर लाइसेंस प्राप्त कर रहा है। उसे अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? उसे अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? वह आकर कहेगा है—5 वर्ष, 10 वर्ष 20 वर्ष, अधिकतम अवधि—वह अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पर जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया से सर्वेक्षण करवायेगा। सरकार रायल्टी की हकदार है तथा खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व से। मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि इस प्रावधान को भी जोड़ा जाना चाहिए। अगर वह समझता है कि कोई खनिज पदार्थ वहां पर उपलब्ध है और उसे इसकी जानकारी है तो वह अपनी जिम्मेदारी तथा खर्च पर सर्वेक्षण करा सकता है, इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : धारा में यह प्रावधान है।

श्री राम सिंह यादव : यह उप-धारा 2 में स्पष्ट नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह स्पष्ट है। आप इसे बाद में पढ़िये।

श्री राम सिंह यादव : अलवर में कुछ ताम्बे की खानें हैं। यह 'दरिबा तांबा परियोजना' के नाम से मशहूर है। इस ताम्बे अयस्क में ताम्बे का अंश खेतरी ताम्बे की खान से अधिक है। हांलांकि खेतरी ताम्बा खान कार्य के हिसाब से बड़ी है और लौह-अयस्क बहुत अधिक है लेकिन अलवर दरीबा खान के संबंध में, ताम्बे की मात्रा बहुत अधिक है और स्थानीय प्राधिकरण तथा अलवर क्षेत्र के लोगों ने आपसे निवेदन किया है कि इस परियोजना में अधिक खर्च करके इसका विस्तार किया जाये क्योंकि वहां पर बहुत अधिक भंडार हैं।

जहां तक इस क्षेत्र के बारे में मुझे मालूम है, जयपुर जनपद में दरीबा खान से 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा अयस्क का पता लगाया गया है। लेकिन वहां पर खनन कार्य ठीक से शुरू नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि जयपुर जनपद के इस ताम्बा भण्डार का पता लगाकर खोदरीबा, अलवर जनपद की ताम्बा खान का विस्तार किया जाना चाहिए। इसका चरणों में विकास किया जाना था। लेकिन प्रथम चरण के पश्चात् आपने इसका विकास नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री से स्थल परीक्षण कराने का निवेदन करता हूं। जब आप शिक्षा मंत्री थे तब आप अलवर गए थे। लेकिन खान मंत्री के तौर पर आपने खोदरीबा-अलवर का दौरा नहीं किया है। मैं आपको इस क्षेत्र का दौरा करने का निमन्त्रण देता हूं। आप वहां जो कठिनाइयां है उन्हें समझ पायेंगे।

जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं, वे अस्थायी श्रमिक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भूमि के अन्दर जाना पड़ता है और कभी-कभी उन्हें खतरा उठाना पड़ता है। उनमें से कुछ श्रमिक 3 से 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। वे कहीं और नहीं जा सकते। जो लोग ताम्बे तथा अन्य खानों में खतरनाक कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि यह प्रावधान किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री को खेतरी परियोजना में होने वाली धोखाधड़ियों से वास्ता पड़ा होगा और वे लाखों रुपयें की हैं। सरकारी उपक्रम में ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी बातों को रोकने के लिए सावधानी बरतनी होगी।

अलवर जनपद की खानों को चलाने वाले लोग चाहते हैं कि ये पट्टे तथा रायल्टियां और अधिक अवधि की होनी चाहिए। पहले यह अवधि 20 वर्ष थी। शुरू में यह 20+20 थी। अब आपने इसे कम करके 20+10+10 कर दिया है। जहां तक राज्य खनिजों का संबंध है, मेरे विचार से प्रावधान वही होना चाहिए जैसा कि अधिनियम में शुरू में था।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर भी विचार करेंगे।

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : 2 घंटे का समय निश्चित किया गया है। समय समाप्त हो गया है। हमने अधिक समय ले लिया है।

श्री शांता राम नायक (पणजी) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। हमें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम वर्षों से इन्तजार कर रहे हैं और आज हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री शांता राम नायक : मेरा भी नाम था ? (व्यवधान)

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : मुझे भी मौका नहीं मिला। यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है। कुछ माननीय सदस्य हैं जो इसमें भाग नहीं ले सके। मैं यहां पर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे सकता लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और उनके विचार सुनकर उनके विचारों से लाभ उठाना चाहूंगा।

श्री शान्ता राम नायक : हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह मेरे हाथ में नहीं है। जो सुझाव आप देना चाहेंगे मैं उनका लाभ उठाना चाहूँगा। महोदय, वाद-विवाद बहुत ही रचनात्मक रहा तथा प्रत्येक सदस्य, जो बोला है, उसने विधेयक का स्वागत किया है। उन्होने विधेयक के प्रगतिशील उपायों की तरफ ध्यान दिलाया है और उनमें से कईयों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं सम्भवत: सभी सुझावों का उत्तर नहीं दे सकता अथवा प्रत्येक सदस्य की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बहुत समय लग जायेगा। मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि हम इन सुझावों से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। कुछ सुझाव इतने अच्छे थे कि मैं उनको तथा कुछ संशोधनों को भी स्वीकार कर लेता लेकिन यह विधेयक पहले ही राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। कोई भी संशोधन इस समय स्वीकार करने का अर्थ होगा इसे वापिस राज्य सभा को लौटाना। सत्र समाप्त होने वाला है। अत: मेरे विचार से यह ठीक नहीं होगा। हमें इस विधेयक को पारित कर देना चाहिए, हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इस विधेयक को पास करना बेहतर है। संसद अपनी मर्जी से, कभी भी बाद में, इस पर फिर से विचार कर सकती है। उन सभी सुझावों को जो दिए गये हैं मैं अस्वीकार भी नहीं करता। मैं उन्हें इस समय स्वीकार न कर सकूं लेकिन मैं उन पर विचार करूंगा और देखूंगा कि इन सुझावों से जो लाभ उठाया जा सकता है, वास्तव में, वह लाभ लिया जाए।

कई माननीय मित्रों ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में खान उद्योग जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस पर बल दिया है। इसमें शक नहीं है कि आज विश्व में जिस राष्ट्र के

पास खनिज पदार्थ हैं वह औद्योगीकरण करने की बेहतर स्थिति में है, अपनी सम्पत्ति बढ़ाने तथा निर्यात करने की दिशा में बेहतर स्थिति में है, और सामान्य रूप से कहें तो खनिज संपत्ति औद्योगिक सम्पत्ति तथा देश की अर्थव्यवस्था के विकास में एक भूमिका निभाती है। यह सर्व-विदित है। यह भी सर्वविदित है कि हमारे देश में खनिज सम्पदा बहुत अधिक है। हम सभी प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमारे पास कुछ खनिज पदार्थ फालतू मात्रा में हैं। कुछ अन्य खनिज हैं जो कुछ हद तक पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं, और कुछ खनिजों की हमारे यहां कमी है। औद्योगिक उत्पाद के रूप में हमने कुछ खनिजों का विकास किया है। उन्हें संसाधित किया है। उनके लिए उद्योग स्थापित किए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें खनिज प्राप्ति स्थान के नजदीक ही उद्योग स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद यह सही और सत्य है, लेकिन उद्योग स्थापित करने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन एकमात्र इसी बात को आधार बनाकर उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक राज्य के खनिज का प्रयोग दूसरे राज्य में भी किया जाता है। उस मामले में दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखना होता है। एक ही देश का अंग होने के नाते यह लाभदायक स्थिति है। यहां भिन्न-भिन्न भागों में वाणिज्य की छूट है और उद्योग के स्थान के चयन में खनिज प्राप्ति स्थान को और किसी औद्योगिक स्थान विशेष पर उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखा जा सकता है।

डा. फूलरेणु गुहा ने समुद्र-तल खनन की बात कही थी। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस बारे मे सोच रहे है और हमारे विशेषज्ञ इस क्षेत्र में भी अपनी क्षमता का विकास कर रहे हैं। श्री बसु ने देश में सोना भण्डार का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था देश में काफी मात्रा में सोना है। मैं भी यहां चाहता हूं कि काश ऐसा होता। लेकिन देश में काफी मात्रा में सोना और सोने के भण्डार नहीं हैं। कोलार सोना खानों मे सोना समाप्त प्रायः है। मैंने वैसे ही इसका जिक्र कर दिया है।

देश में खनन की गति तेजी करने की बात का भी उल्लेख किया गया था। मैं उनसे सहमत हूं और मैं समझता हूं कि जी. एस. आई. और एन. एस. सी. एल. का कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत वे इस ओर तेजी से कार्य करेंगे और ज्यादातर राज्य अपने खनन और भू-विज्ञान निदेशालयों के माध्यम से इन कार्यक्रमों में तेजी ला रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि अगर आप ड्रिलिंग बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा हवाई सर्वेक्षण करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा स्रोतों की आवश्यकता है। अतः एक सीमा के बाहर आप खनन में तेजी नहीं ला सकते। इसके अलावा प्राथमिकताएं भी होती हैं। आपको स्रोतों का बेहतर प्रयोग करने की प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होती हैं। आज देश इसी दिशा में कार्यरत है। देश में जिन महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, उस बारे में हम अधिक कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे यहां सही ग्रेड के तांबा अयस्क की कमी है। श्री यादव ने भी अभी इस बारे में जिक्र किया था। वास्तव में हमारे यहां समृद्ध किस्म का तांबा अयस्क और वर्तमान में विदेशों में प्रयुक्त हो रहा समृद्ध किस्म का तांबा अयस्क उपलब्ध नहीं है। टंगस्टन जैसी धातु के अयस्क की हमारे यहां काफी कमी है। मैं आपको और भी उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने विशेष प्रयास करने हैं। सौभाग्य से उद्योगों के लिए आवश्यक

अयस्क जैसे लोह या बाक्साईट अयस्क आदि हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहां काफी मात्रा में बाक्साइट उपलब्ध है। पूर्वी तट पर काफी मात्रा में बाक्साईट के प्रचुर भण्डार हैं और अच्छी किस्म के जिंक अयस्क भी हमें मिले है।

दो या तीन माननीय सदस्यों ने जिंक और पारे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने अगुचा खानों का जिक्र किया है जहां स्मेल्टर लगाया जाना चाहिए। इस समय मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैंने पहले ही सभा में इस मामले में सरकार के निर्णय की घोषणा कर दी थी। आज मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तथ्य यह है कि हमें ऐसे जिंक अयस्क का पता चला है जिसमें जिंक की मात्रा व उत्तमता, अभी निकाले जा रहे जिंक अयस्क से कहीं बेहतर है। अतः यह एक अच्छी परियोजना बन सकती है। अब सरकार ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है जिसके आधार पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा। इस परियोजना की यह स्थिति है। इस परियोजना की जब तक विस्तृत रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती तब तक माननीय सदस्य इस बारे में आक्षेप न करें। जहां तक एलुमिनियम का सम्बन्ध है, मैं केवल यही कहना चाहता हूं उड़ीसा में नेल्को परियोजना पूरी होने वाली है। एक दफा इस परियोजना में उत्पादन आरम्भ हो जाने पर इस देश में कम से कम कुछ वर्षों तक एलुमिनियम का उत्पादन आवश्यकता से अधिक ही रहेगा। हमारे पास फालतू एलुमिनियम रहेगा और इसके लिए हमें बाजार की तलाश करनी पड़ेगी। मैं सभा को यह खुशी की खबर देना चाहता हूं।

जहां तक तांबे का संबंध है, मध्य प्रदेश में मेलानखण्ड में तांबे के भारी भण्डार मिले हैं, जिनका विकास किया जाएगा।। यह भी ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि हमें ऐसे खनिजों का भी उत्पादन करना है, जो कि हमारी रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कुछ खनिजों की सप्लाई काफी कम है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर हमने अपनी नीति निर्धारित करनी है। अतः हमारी नीति है कि खनिजों का रिक्लीकरण किया जाए, उन्हें जल्द प्राप्त किया जाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जब हम खनिजों के खनन पर समान रूप से विचार करते हैं और खण्डवार दृष्टिकोण अपनाते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक राज्य खनिजों को तेजी से खनन करना चाहता है। निश्चय ही रोजगार, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी खनिज सम्पदा दूर-दराज क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों और जंगलातों में फैली हुई है। अतः इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी। क्योंकि यह सम्पदा समाप्त होती जाती है अतः हमें देश की लम्बी अवधि की आवश्यकताओं को और देश की सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। और हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हालांकि हमारे यहां भारी भंडार हैं हमें प्रति वर्ष की आवश्यकतानुसार ही उनका खनन करना चाहिए। ऐसा करते समय हमें अनुसन्धान और विकास कार्य की ओर भी ध्यान देना होगा और विश्व में इसके परिणामों को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास किसी खनिज का काफी भण्डार हो और हम उसका खनन भी न करें और निर्यात भी न करना चाहें। जबकि एक सुबह हमें पता चले कि किसी देश ने इसका विकल्प तैयार कर लिया है और अहिस्ता-अहिस्ता यह विकल्प इस खनिज का स्थान लेता जा रहा है। इससे हमारे

खनिज के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। अत: विश्व में हो रहे अनुसन्धान और विकास के परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अत: पदार्थ विज्ञान को भी ध्यान में रखना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तक सम्भव हो हमें वस्तुओं की अपेक्षा पदार्थों का निर्यात करना चाहिए। हमें मूल्य वर्द्धित उत्पाद तैयार करने चाहिएं। यह स्पष्ट है। दूसरी ओर हमें एक ओर तो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, अत: हम इस सम्बन्ध में साधारण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। दूसरे, जैसा कि मैंने कहा हमें इस बात का भी ध्यान रखना है अगर निकट भविष्य में इस पदार्थ का विकल्प तैयार हो जाए जो कि सस्ता हो तब हम अपने खनिज स्रोतों का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

अत: मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं, जो राष्ट्रीय खनिज नीति बनाये जाने पर जोर दे रहे हैं। इस नीति में ये सब तथ्य सम्मिलित होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रीय खनिज नीति का प्रारूप तैयार हो गया है। और इसे परिचालित किया गया है, ताकि राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों के विचारों को जाना जा सके। हमने इसे अपने मन्त्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों को भी भेजा है, और सलाहकार समिति की बैठक में हमने इस बारे में चर्चा भी की थी। (व्यवधान) हम खुशी से यह सभी को दे देंगे। चूंकि चर्चा के लिए एक मंच है और हमने सदस्यों को आश्वासन दिया है कि हम उस दस्तावेज के प्रारूप के आधार पर चर्चा करेंगे। किन्तु सदन में उत्साह देखकर, मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है और मेरा विचार है कि अब मैं यह प्रत्येक सदस्य को भेजूंगा।

एक माननीय सदस्य : आपकी बड़ी कृपा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं उस नीति के ढांचे की बात नहीं करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि अच्छा यही होगा कि आप यह पढ़ लें, उसके पश्चात् यदि आवश्यकता हो, तो हम इस पर चर्चा करें। किन्तु स्पष्टत: केन्द्र तथा राज्यों और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल केन्द्र तथा राज्यों का ही प्रश्न नहीं है—मैं इस मुद्दे की ओर विशेष ध्यान देना चाहता हूं। विभिन्न राज्यों के बीच भी समन्वय होना चाहिए। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैं राज्यों के बीच कटुता उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। किन्तु ऐसे उदाहरण भी हैं जहां एक राज्य ने कुछ ऐसे खनिज उत्पन्न किए हैं जो अन्य राज्यों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और इस कारण कठिनाइयां हैं। अत: समन्वय होना चाहिए।

श्रीमती पटनायक ने राज्यों द्वारा निभायी गई भूमिका की बात की। यदि मैं केन्द्र की भूमिका पर अधिक बल दे दूंगा तो वह नाजुक स्थिति में पड़ जाएंगी। किन्तु वास्तव में मैं उन्हें उत्तर नहीं दे रहा हूं। यह एक सामान्य सी बात है जो सबों ने कही है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि केन्द्र तथा राज्य दोनों की ऐसी भूमिका है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और संसद को भी एक विशेष भूमिका निभानी होती है जिसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है और संविधान के अन्तर्गत संसद को दिए गए अधिकारों के अन्तर्गत हमें यह अधिनियम मिला है जिसका हम आज संशोधन कर रहे हैं। यह अधिनियम भी इन शक्तियों का ही परिणाम है।

राज्यों को भी स्पष्टत: अधिकार प्राप्त हैं और वास्तव में सामान्यत: राज्यों को उन खनिजों को छोड़कर जो पहली अनुसूची में शामिल हैं, सभी खनिजों के विकास के मामले में अधिकार प्राप्त हैं और पहली अनुसूची पर यहां चर्चा हुई है। तत्पश्चात् पहली अनुसूची में शामिल खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति चाहिए। यही तो पहली अनुसूची का वास्तविक अर्थ है। अत: राज्य सरकारों को लाइसेंस और खनिज पट्टा देने के मामले में और पट्टानामा की विभिन्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के मामले में पूरा अधिकार है। उन्हें खानों और खनिजों के विकास के विनियमन के लिए एक मूल भूमिका निभानी है।

अब केन्द्रीय सरकार की भूमिका वही है जो मैंने मोटे तौर पर पहले बताई है—पूरी अर्थव्यवस्था पर गौर करना, खनिज आवश्यकताएं क्या हैं और किस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाए कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक खनिज उपलब्ध हैं और खनिज विकास के सम्बन्ध में एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं श्री अय्यपू रेड्डी के मुद्दे के संबंध में बाद में बताऊंगा। किन्तु यह केन्द्र को सौंपा गया एक दायित्व है कि वह पूरे देश की ओर देखे और देश की खनिज सम्पत्ति के विकास की ओर पूर्ण रूप से देखे और इसी में इन खनिज संसाधनों का संरक्षण तथा वैज्ञानिक विकास महत्वपूर्ण बन जाता है। अन्य पहलू—सर्वेक्षण तथा खोज जिनके संबंध में मैंने कहा, संरक्षण तथा परिष्करण जिसके संबंध में श्री शाहबुद्दीन ने कहा—ये जिम्मेदारियां आजकल केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाई जा रही है। राज्य सरकारें निस्संदेह इन सभी क्षमताओं का उतना विकास कर सकती हैं जितना वे करना चाहें। केन्द्र इसका स्वागत करता है। किंतु केन्द्र ने अपने ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां ले ली हैं जो यह निभा रहा है। ये सामान्यत: मेरे उन मित्रों को मालूम हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं का उल्लेख किया है और मैं अपने माननीय मित्रों को आश्वासन दे सकता हूँ कि इन सभी क्षेत्रों में अर्थात गवेषणा आदि के क्षेत्र में, केन्द्र राज्यों के बीच निकट सहयोग और समन्वय है और इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं रही है। ये व्यवसायिक विकास भी हैं और वे इस पूरी समस्या की ओर व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं। खनिज सलाहकार परिषद् और राज्य मन्त्रियों का सम्मेलन ऐसी दो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय लाया जाता है। किन्तु इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क होता है। किसी भी प्रकार हम कोई काम जल्दी में अथवा एकतरफा नहीं करते हैं। अत: कोई अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं।

5.00 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री पटनायक द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि जब राज्य सरकार पट्टा प्राप्त करते हैं तो केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श की व्यवस्था क्यों की जाती है। राज्य सरकार सामान्यत: अपने आप पट्टा नहीं लेती है, परन्तु यदि यह अपने लिये लेती है तो वह केन्द्रीय सरकार से सलाह लेती है। यह जो प्रस्ताव किया गया है यह इसका सीमित क्षेत्र है और मेरे विचार में इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

एक और भी सुझाव था, मैं अब भूल गया हूं कि यह किसने दिया, जो अवैध खनिजों

को अपने पास रखने तथा भण्डारण को दण्डनीय बनाये जाने से सम्बन्धित था। यह सुझाव हमें हाल ही में प्राप्त हुआ है। हमारा विचार है कि इस बात पर खनिज सलाहकार परिषद् की बैठक में विचार करेंगे। मैंने यह बात भी नोट की है कि बहुत से माननीय सदस्य समझते हैं कि अवैध खनन के लिए जो निर्धारित दण्ड है, यद्यपि इसे बढ़ा दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। यह एक और मामला है जिस पर हम ध्यान देंगे।

जो सदस्य बोले हैं उनमें से लगभग आधे सदस्यों ने मैं सदस्यों की पूरी संख्या नहीं बता सकता हूँ—रायल्टी के प्रश्न की बात की। रायल्टी का प्रश्न कुछ ऐसा है जिसमें सभी राज्यों की स्वभावतः ही रुचि है। जैसा श्री अय्यपू रेड्डी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि जब रायल्टी ली जाती थी तो उस समय राज्यो द्वारा कोई उपकर अथवा कोई खनिज कर नहीं लिया जाता था। यह स्थिति आरम्भ में थी। किंतु वर्तमान उपबन्ध यह है कि चार वर्ष की अवधि में रायल्टी में कोई वृद्धि नहीं होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस उपबन्ध के अनुसार कमी हो सकती है। किंतु यह वर्तमान उपबन्ध है।

एक माननीय सदस्य : कटौती तो है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : स्थिति स्पष्ट है। आप उपबन्ध पढ़िए। उपकर तथा खनिज कर के आने से उपकर तथा खनिज कर के अधिक मामलों में भी स्वतः वृद्धि हुई है। पृष्ठभूमि को देखते हुये, बहुत से खनिजों के मामले में 1968 से पूर्व मूल्यानुसार दरों पर रायल्टी वसूल की जाती थी। मूल्यानुसार दरें मूल्य सूचकांक की अन्तर्निहित व्यवस्था है। यह बात श्री शाहबुद्दीन ने कही है। इसे छोड़ दिया गया, क्योंकि इससे मुकदमेबाजी तथा अनेक प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती थी। अन्तिम अध्ययन दल ने रायल्टी को यथा मूल्य आधार पर निर्धारित करने का पुनः विचार किया था। किन्तु राज्य सरकारें इस प्रणाली को वापस लाने के पक्ष में नहीं थीं।

रायल्टी की दरें निर्धारित करने के लिए मूल्य स्तर वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है। किन्तु और भी अनेक बातें हैं और मैं समझता हूं कि रायल्टी निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। एक तो स्वयं खनिज का विकास है। दूसरे खनिज पर आधारित उद्योग का विकास है। फिर निर्यात का प्रश्न है। इन सभी बातों की ओर ध्यान देना है। कुछ मित्रों ने कहा है कि आप कम मूल्य पर क्यों निर्यात करते हैं। अब हम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं। अतः कभी-कभी आपको घाटे पर निर्यात करना होगा। ऐसे मामले में रायल्टियों आदि के सम्बन्ध में कोई क्या करता है? अतः मेरा विचार है कि रायल्टी निर्धारित करने में और भी बहुत सी बातें हैं और मैं समझता हूं कि रायल्टी निर्धारित करने में उन सभी बातों पर विचार करना होगा।

श्री अय्यपू रेड्डी ने खनिज अधिकार कर तथा उप-कर की घोषणा के संबंध में मुद्दा उठाया। क्या यह अलग है अथवा रायल्टी जैसा ही है। मैं कोई वकील नहीं हूं और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आम आदमी के दृष्टिकोण से दोनों भिन्न हैं। खनिज अधिकार कर और रायल्टी अलग-अलग हैं। किन्तु यह एक ऐसा विषय है जिसे अलग से देखना होगा। मैंने देखा है—जैसाकि उन्होंने भी कहा—कि इनमें से कुछ मामले निर्णयाधीन हैं। खनिज अधिकार

कर और उपकर से सम्बन्धित मुद्दे कभी व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र द्वारा भी उठाए गए हैं। राज्य सरकारों का यह विचार है कि उन्हें यह कर लगाने का अधिकार है जबकि उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में भिन्नता है।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : मैं आपका ध्यान सूची दो के मुद्दा 50 की ओर दिलाता हूँ जिसमें कहा गया है कि संसद द्वारा लगायी गई सीमाओं के होते हुए राज्य खनिजों पर कर लगाने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। संसद सर्वोपरि है। यह कह सकती है कि राज्य को रायल्टी के अतिरिक्त कोई और कर लगाने का अधिकार नहीं है अन्यथा प्रत्येक राज्य कर लगाएगा और रायल्टी की पूरी प्रणाली एक मजाक बन जाएगी। अतः यह बात संसद ही स्पष्ट कर सकती है कि क्या रायल्टी एक समान है अथवा यह प्रत्येक राज्य को उनके यहां उपलब्ध प्रत्येक मद पर कर लगाने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यही बात मैं भी कह रहा था। मद्रास उच्च न्यायालय ने उपकर लगाने का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह विचार है कि राज्य सरकार को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। मैं उस बात का खंडन नहीं करता हूं जो आपने संविधान से उद्धृत की है, किन्तु दो उच्च न्यायालयों ने इसकी अलग-अलग व्याख्या की है। मूलतः हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भी दृष्टिकोण अपनायें, वह खनिजों के विकास में रुकावट न बनें।

मैंने श्री अय्यपू रेड्डी की बात ध्यानपूर्वक सुन ली है और जहां तक एकरूपता का संबंध है मैं उनके व्यापक दृष्टिकोण से सहानुभूति रखता हूं। मैं समझता हूं कि यदि कोई राज्यों के साथ इस मामले पर समझौता करताहैं तो यह ठीक है। वास्तव में, मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा की है। यह देश के हित में है कि हम खनिजों को ऐसी मूल सामर्थ मान लें जो पूरी आर्थिक तथा औद्योगिक ढांचे में काम आती हैं। अतः यदि हम इस ढांचे की लागत कम करना चाहते हैं और अन्य मूल सामग्री के साथ हमें खनिजों का मूल्य तथा लागत भी कम रखना चाहिए। अब मैं आपसे अल्यूमिनियम का उल्लेख करता हूं। मान लीजिए बाक्साइट खनिज पर कर बढ़ जाता है। रायल्टी और उपकर बढ़ जाता है तो अन्ततः विद्युत का खर्च भी बढ़ जाएगा और अल्यूमिनियम की कीमत भी बढ़ जाएगी। अधिकांश राज्य अपनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं पर बहुत खर्च करते हैं और फिर उन्हें विद्युत की दर बढ़ाने में बहुत कठिनाई होगी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हम सभी यह जानते हैं। अतः अन्ततः क्या होता है कि राज्यों को इन क्षेत्रों में बहुत से राजस्व की हानि होती है। क्या यह ठीक नहीं है कि हम अलुमिनियम का मूल्य कम रखें। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, और इससे लागत भी कम होगी और कम लागत वाली अर्थव्यवस्था होगी ? यही बात लोहे पर, तांबे और जस्ता पर भी लागू होती है। मेरे विचार में आज हमारे तांबे और जस्ता का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से दूगना है। हमें पूरी तरह से देखना है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि केवल रायल्टी से ही मूल्यों में वृद्धि होती है। यह बात गलत है। इस संबंध में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि यह राज्यों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः मैं कभी भी राज्यों के दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीं करूंगा, किन्तु रायल्टी के संबंध में कोई विचार बनाने से पूर्व हमें इन सभी पहलुओं

की ओर ध्यान देना है। मैं इस प्रश्न पर एक राष्ट्रीय वाद-विवाद का स्वागत करूंगा। मैं इस मामले में राज्यों की प्रतिक्रिया का स्वागत करूंगा, क्योंकि मूल सामग्री के मूल्य बढ़ाने से निर्मित सामग्री के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। अन्त में उन्हें एक प्रकार से कुछ पैसा मिल जाता है और दूसरी ओर उन्हें और भी अधिक देना पड़ता है। अतः हमें राष्ट्रीय पहलू से देखना है। मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रश्न एक स्पष्ट दृष्टिकोण से तथा बलपूर्वक उठाया गया है और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न पर एक गम्भीर वाद-विवाद की शुरुआत होगी।

निर्यात का प्रश्न उठाया गया है। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने पहले ही इस मामले पर विचार व्यक्त किए हैं और मैं आपसे केवल यह निवेदन करना चाहूँगा कि विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति पर विचार करें और आपने निर्यात को बनाये रखने की आवश्यकता पर विचार करें। कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हम सभी को जानकारी है, अतः हमें किसी भी अयस्क के निर्यात को कम करने के सुझाव को कम गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए।

मैंने माननीय मित्रों द्वारा पट्टों को समय से पूर्व समाप्त करने के सम्बन्ध में बताये गए विभिन्न मुद्दों तथा विशेष रूप से पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध के व्यापक रूप से किये गए स्वागत को नोट कर लिया है। सबने इसका स्वागत किया है। मैं माननीय सदस्यों को इसके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन उपबन्धों को लागू करें···

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : बिड़ला बन्धुओं द्वारा किए जा रहे खनन से ऐतिहासिक स्मारकों को पहुंचाई जा रही क्षति से रक्षा किये जाने के बारे में आपको क्या कहना है—जैसा कि सभा की एक महिला सदस्य ने जिक्र किया है ? उन्होंने बताया है कि चित्तौड़गढ़ स्मारक को क्षति पहुंचाई जा रही है और इस क्षेत्र में बिड़लाओं द्वारा किये जा रहे खनन कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। यही हालत मध्य प्रदेश में मेरे सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की है। जहां कहीं भी बिड़ला बन्धुओं ने कार्य शुरू किया है यह तब से उनका गढ़ बन गया है। उन पर यहां केन्द्र तथा राज्य सरकार के कोई भी नियम या कानून लागू नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि भगवान भी यहां पर असहाय हैं। मैं जानूंगा कि माननीय मंत्री सदन को बताएं कि बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चाहे कोई भी हो, कानून लागू किया जाना चाहिए। मेरे माननीय मित्र राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसलिए, वह जानते हैं कि कानून लागू होना ही चाहिए··· (व्यवधान)

वास्तविक मुद्दा यह है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कई स्थानों में पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है। यह सच है कि आज कुछ स्थानों में खनन कार्य इस तरह से हो रहा है जिससे प्रदूषण तथा अन्य खतरे पैदा हो रहे हैं। इससे सुरक्षा का भी प्रश्न है। वाद-विवाद में अनेक पहलुओं को उठाया गया है। मैं माननीय मित्रों की बातों की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से प्रत्येक मामले पर विचार किया जाना चाहिए चाहे इसका जिक्र किसी महिला

सदस्य द्वारा किया गया हो या कि अन्य सदस्यों द्वारा किया गया हो। कानून के अन्तर्गत ही कदम उठाये जा सकते हैं तथा यदि किसी कदम को उठाये जाने की आवश्यकता है तो उसे उठाया जाना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : पर्यावरण के संरक्षण के हित में नये पट्टों पर लगाये जाने वाली शर्तों के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन्तजार करिये, हो सकता है कि उत्तर देते समय मैं आपके मुद्दों को भी शामिल कर लूं।

जहां तक सरकारी कम्पनियों का सम्बन्ध है जिन कारणों से पट्टे समाप्त कर दिये गए थे उनको दूर न करने के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किये गए हैं। यह शायद बहुत निराशाजनक विचार है। सरकार निश्चय ही यह आशा रखेगी कि इसकी अपनी कम्पनियां कानून का पालन करें। दूसरे, एक सुझाव है कि जहां तक उस सुझाव का सम्बन्ध है कि सरकारी कम्पनियों को पट्टा देने से पहले हमें सभी खमियों को ठीक कर लेना चाहिए, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी खराबी नहीं है परन्तु खनन का तरीका ऐसा है कि इससे पर्यावरण ह्रास, बाढ़ या भू-कटाव आदि होते हैं। इसके कई कारण बताये गए हैं। यदि खनन के तरीके में सुधार कर दिया जाये तो यही पर्याप्त होगा। इसलिए यह एक ऐसा मसला है जिसकी जांच की जा चुकी है और मैं समझता हूं कि हम आशा कर सकते हैं कि पर्यावरण से सम्बन्धित पहलु को पूरा संरक्षण मिलेगा।

वस्तुतः, इस संदर्भ में मैं जो उदाहरण देना चाहूंगा वह नेवेली का है। नवेली में भूमि को वनस्पति सहित ठीक किया गया। यही तरीका हमें भविष्य में अन्य स्थानों पर भी अपनाना चाहिए।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, जोकि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, को राज्य सरकार से एक नोटिस मिला है क्योंकि वह समस्त वातावरण को प्रदूषित कर रहा है··· (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में आप कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में बहुत जागरूक है, क्योंकि इसने एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को भी नोटिस दिया है, इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है ? जो मैं कह रहा हूँ यह उसका सबूत है। एक बात, जिसके कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, यह है कि कई स्थानों पर पर्यावरण की रक्षा करने की हमारी उत्सुकता के कारण खनिज विकास धीमा हो गया है। यह सच है। मैं सम्मानित सभा से आग्रह करूंगा कि इस मसले पर हमें एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इसकी पृष्ठ-भूमि एवं पर्यावरण विनाश के इतिहास को देखते हुए शायद इस समय हमें अधिक कठोर नहीं होना चाहिए, यदि ज्यादातर लोग पर्यावरण के संरक्षण के पक्ष में हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस मसले के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा सरकार भी निश्चित रूप से खनिजों के विकास की इच्छुक है और साथ ही सरकार पर्यावरण की रक्षा भी करना चाहती है तथा इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें इस बात का ध्यान रखा गया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, इस संदर्भ में मैंने गन्धामरदन से सम्बन्धित समस्या उठाई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं आपके राज्य के कई संसद सदस्यों से इस सम्बन्ध में मिला हूँ और उन्होंने इस मसले के बारे में मुझ से चर्चा की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जैसे कि आज श्री पाणिग्रही ने सुझाव दिया है वहां एक विशेषज्ञ समिति भेजी जानी चाहिए। इस सुझाव पर मैं बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। मैंने इससे इन्कार नहीं किया है और मैं समझता हूँ कि वह इससे कुछ आशा कर सकते हैं। मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे लोग मिल सकें ताकि मैं वहाँ भेजने के लिए इस समिति का गठन कर सकूं। यदि उनके पास बिना अधिक पक्षपात के कोई सुझाव हो तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ।

चूना पत्थर के बारे में प्रश्न उठाया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि शायद इस बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं। यहाँ अभिप्राय स्पष्ट है कि मकान बनाने के काम में जिस चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है उसे छोड़ दिया जाये परन्तु इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेन्ट उद्योग आदि में इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर को शामिल किया जाए यदि आप मुख्य अधिनियम की धारा 3 (ङ) में छोटे खनिजों की परिभाषा देखें तो पता चलेगा कि मकान बनाने के पत्थर को छोटा खनिज कहा गया है और इस धारा में आगे यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार किसी भी खनिज को अधिसूचना जारी करके छोटा खनिज घोषित कर सकती है। यदि इसमें फिर भी कोई सन्देह हो तो हम तब भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। हम चूना पत्थर को मकान बनाने के लिये गोटी के रूप में प्रयोग किये जाने के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ इस काम के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यह वहाँ मकान बनाने के काम आने वाली गोटी के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपको इस संबंध में कोई कठिनाई है तो हम एक अधिसूचना जारी करेंगे। परन्तु मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई होनी चाहिए। श्री शाहबुद्दीन ने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि खनिजों का परिष्करण एवं सामान्य केन्द्रीकरण खनन स्थलों के निकट होना चाहिए। यह सभी को मान्य है। तांबे के मामले में यह किया जाता है। जस्ता से सन्दर्भ में किया जाता है। वास्तव में इसी सांन्द्र अयस्क को फिर विभिन्न क्षेत्रों के केन्द्रों में भेजा जाता है। परन्तु लौह अयस्क के मामले में, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है इसमें थोड़ा अन्तर है। हमारे देश में लौह अयस्क के परिष्करण का अभी तक ज्यादा प्रचलन नहीं है, फिर भी यह उसकी धुलाई तक ही सीमित है।

एक माननीय सदस्य : स्पंज लोहे के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : स्पंज लोहे के लिए कोयला एवं गैस की आवश्यकता है अतः आपके पास दो कच्चे माल हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : जस्ता के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जस्ता के बारे में मेरे पास पहले से ही एक विवाद है। मैं क्या कर

सकता है ? कुछ विशेषज्ञों ने इस पर विचार किया है फिर या तो मैं विशेषज्ञों की राय मानू या फिर यदि मेरे माननीय मित्र सहमत हों तो मुझे इस पर एक नजर डालने दें। परन्तु किसी भी समझौते की संभावना नहीं है। जब इसमें कोई सहमति नहीं हो सकती तो केवल विशेषज्ञों की राय ही बचती है। और कोई रास्ता नहीं है।

दूसरी बात, जो श्री शाहबुद्दीन ने उठायी है तथा जिसका पाण्डेय जी पहले ही जवाब दे चुके हैं, यह थी कि एन. इ. सी एल. उस उपबन्ध में शामिल किया जाए। परन्तु उनके पास इसका जवाब है। एन. इ. सी. एल. पूर्णतया भारत सरकार की सस्था है अत: इसे वहां होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैंने मोदी जी के मुद्दों के सिवाय ज्यादातर मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने खनन योजना की आवश्यकता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्राधिकार क्षेत्र को लेना चाहती है और हमारे दिमाग से यह बात नहीं हट सकती है। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह खनन योजना केवल बड़ी खानों के लिए ही आवश्यक नहीं है। दुर्घटनायें होती हैं, प्रदूषण की समस्या है, फिर यह भी सवाल उठाया जाता है कि क्या आप वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित कर रहे हैं या नहीं, बहुत सी छोटी खाने है जहां समस्यायें पैदा की जाती है। बजरी खान में कभी न कभी कोई न कोई मरता ही रहता है। यह दिल्ली के निकट है तथा यहां ऐसे हादसे होते हैं। ये पत्थर की खाने हैं यह सुझाव दिया गया है कि उनके लिए खनन योजना नहीं होनी चाहिए। अत: इस देश में वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहन देने के लिए खनन योजना का खानों पर लागू किया जाना ही इसके लिए आधारभूत बात है। मैं समझता हूं कि इससे समस्या की गंभीरता में कमी आयेगी।

श्री विष्णु मोदी : खनन योजना के बारे में पहले ही अधिनियम में व्यवस्था है। खनन योजना, सर्वेक्षण भूगर्भीय मानचित्र एवं ये सभी बाते पहले ही अधिनियम में हैं। इनके बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अब खनन योजना में इसका जिक्र नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इसमें अन्तर यह है कि किसी भी खनन पट्टा देने से पहले खनन जोजना का होना आवश्यक है। यही अन्तर है

श्री विष्णु मोदी : अब यह आवश्यक है, और कोई भी इस योजना के बगैर कार्य नहीं कर सकता है। इसकी अधिनियम में पहले ही व्यवस्था है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उन्हें खनन पट्टा नहीं मिलेगा।

श्री विष्णु मोदी : उन्हे खनन पट्टा नहीं मिलेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यही तो मै कह रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : यह केवल अधिनियम में है। यह लोगों या प्राधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। वह कठिनाई भी वहां आयेगी परन्त मेरा निवेदन यह है कि उन खनिजों के संदर्भ में जिन्हे अनुसूची 'क' में शामिल किया गया है राज्य को पट्टा देने का पूरा अधिकार है। परन्तु उन खनिजों के बारे में, जो अनुसूची 'क' में नहीं आते हैं भारत सरकार से उनकी

खनन योजना को अनुमोदित कराया जाए। लेकिन आप कहते हैं कि खनन योजना केवल राज्य सरकार द्वारा ही अनुमोदित की जायेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हमारे मध्य बहुत अधिक अंतर नहीं है। आप इस सिद्धान्त को मानकर चल रहे हैं। आप केवल यही महसूस करते है कि इसे राज्य सरकार को करना चाहिए। कम से कम आपने मेरी आधी बात को माना। आगे, मैं आपको शेष बात से सहमत कर लूंगा। मैं समझता हूँ कि मैंने उठाये गये अधिकांश मुद्दों को ले लिया है। निःसंदेह कई अन्य मुद्दे भी हैं परन्तु उन पर काफी समय लगेगा। मैंने इस बात को नोट कर लिया है कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कई मुद्दे उन संशोधनों की विषय वस्तु हैं जिन्हे उन्होंने प्रस्तुत किए हैं मैं उनमें से कुछ का उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

अनिल बसु जी आप क्या कह रहे थे ?

श्री अनिल बसु : भाड़ा समकरण के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : भाड़ा समकरण के बारे में मैं आसानी से कह सकता हूँ कि यह बात इस विधेयक विशेष से उत्पन्न नहीं होती है परन्तु चूंकि दो माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि यह एक अलग मसला है जिस पर सिद्धान्त रूप में सरकार ने लौह तथा इस्पात पर भाड़ा समकरण के सिद्धान्त को समाप्त करने का फैसला किया है। परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि मेरे माननीय मित्र एवं बिहार के अलावा अनेक राज्य सरकारों ने तथा मुख्य मंत्रियों ने हमें इसके विपरीत वकालत करते हुए लिखा है। हमने इसको धीरे-धीरे समाप्त करने का फैसला किया है और हम इसके समय के बारे में सावधानी से विचार करेंगे ताकि उन राज्यों में जो कि समेकित इस्पात संयत्रों से काफी दूर हैं कम से कम कठिनाई पैदा हो। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस व्यापक दृष्टिकोण को समर्थन देंगे, क्योंकि लोहा और इस्पात पर भाड़ा समकरण की प्रथा 30 वर्षों से चल रही है। इतना अधिक निवेश इन सभी अन्य राज्यों पर भाड़ा समान करने वाली योजना के आधार पर किया जा चुका है। इसलिए आज यदि हम इसे अचानक हटाते हैं तो इससे इन लोगों के लिए निश्चित रूप से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इसलिए इस प्रश्न का हल सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा यद्यपि जैसा कि मैंने कहा है सिद्धान्त रूप में सरकार ने निर्णय ले लिया है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक पर सभा में विचार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

अब खंड 2.

प्रश्न यह है—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया :

खण्ड 3—(धारा 4क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)।

अध्यक्ष महोदय : अब खंड 3 को लेंगे। श्री डी. बी. पाटिल क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री डी. बी. पाटिल (कोलाबा) : मैं संशोधन संख्या 4 और 5 को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं संख्या 6 को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 2, पंक्ति 42—

"जिसे वह उचित समझे" के स्थान पर।

"इस शर्त पर कि जिस कारण से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पटटे की समय पूर्व समाप्ति की गई थी, उसे उचित रूप से ठीक कर दिया है" प्रतिस्थापित किया जाये।' (4)

'पृष्ठ 3, पंक्ति 17,—

"या भूतलक्षी' का लोप किया जाये :"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शान्ताराम नायक, क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) हां, श्रीमान। मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 2, 43 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन, प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियन्त्रण, प्रदूषण के निवारण के आधार पर, लोक स्वास्थ्य अथवा संचार के लिए संकट उत्पन्न न होने देने के लिए, भवनों, स्मारकों या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथवा खनिज के संसाधनों के परिरक्षण के आधार पर, समाप्त किया गया है, तो सम्बन्धित क्षेत्र के लिए कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा किसी भी व्यष्टि को जिसमें सरकारी कम्पनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई निगम भी शामिल है। मंजूर नहीं किया जाएगा"।' (13)

'पृष्ठ 2, पंक्ति 45,—

"धारक को" के पश्चात्

"जिला न्यायाधीश द्वारा" अन्तःस्थापित किया जाये।' (14)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यपु रेड्डी, क्या आप संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री ई. अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 2,—

पंक्ति 46, के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु जहां उप-खंड (1) और (2) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा समाप्त किया जाता है और जहां राज्य सरकार किसी सरकारी कम्पनी अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी निगम के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की कोई मंजूरी देती है, वहां वह अनुज्ञप्ति अथवा पट्टाधारक को उतना प्रतिकर अदा करेगी जो किसी प्रकार समय पूर्व समाप्ति से यथास्थिति, अनुज्ञप्ति अथवा पट्टाधारक को हुई किसी हानि के लिए उस जिला न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया जाये जिसकी अधिकारिता में वह खनन क्षेत्र है"।' (17)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी. बी. पाटिल।

श्री डी. बी. पाटिल : यह प्रस्ताव किया गया है कि पूर्वेक्षण अनुसूज्ञप्ति या खनन पट्टे को कुछ आधारों पर समय से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है। आधार इस प्रकार है :

" ··प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियन्त्रण प्रदूषण के निवारण या लोक स्वास्थ्य अथवा संचार के लिए संकट उत्पन्न न होने देने के लिए या भवनों,

स्मारकों या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "

यह एक बहुत अच्छा कदम है। कुछ कारणों से, सरकार अपने हाथ में कुछ शक्तियां ले रही हैं। सरकार ने यह प्रावधान किया है कि एक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् सरकार यह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा एक सरकारी कम्पनी या निगम को दे सकती है। ऐसी अनुज्ञप्ति और पट्टे को देते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। इस बात का प्रावधान नहीं है कि जिन कारणों से इसको समाप्त किया गया था, उन्हें ठीक किया जाये। मैंने यह सुझाव दिया है कि जब तक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे को समाप्त करने के कारणों को हटा नहीं दिया जाता तब तक ऐसे खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शान्ताराम नायक।

श्री शान्ता राम नायक : इस विषय पर आपने देखा है कि हमारी तरफ वाले अधिकतर माननीय सदस्यों ने समान विचार प्रकट किये हैं अर्थात् जब एक पट्टे को प्रदूषण इत्यादि आधारों पर समाप्त किया जाता है तो इसे सरकार को भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून इस पर भी लागू होते हैं। जैसा कि उन्होंने अभी कहा है कि यह खनन के तरीके पर निर्भर करता है। ठीक ऐसे ही। अगर तरीका गलत है तो प्रदूषण फिर भी हो सकता है और अगर ढंग ठीक है तो वहां पर प्रदूषण नहीं होगा। किन्तु आपने यहां पर ऐसा नहीं बताया। यदि

या पट्टा देते समय ढंग को नियमित कर दिया जाये तो इसे समझा जा सकता है। मान लो से न्यायालय में चुनौती दे दी जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार का तरीका ठीक ? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? वे फिर कह सकते हैं कि आपने इसे सम्मिलित नहीं किया। सलिए, मैंने इस संशोधन का सुझाव दिया है :

"परन्तु यह और कि कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन, प्राकृतिक पर्यावरण, के परिरक्षण बाढ़ के नियन्त्रण, प्रदूषण के निवारण के आधार पर, लोक स्वास्थ्य अथवा संचार के लिये,संकट उत्पन्न न होने देने के लिए भवनों, स्मारकों या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथवा खनिज के संसाधनों के परिरक्षण के आधार पर, समाप्त किया गया है, तो सम्बन्धित क्षेत्र के लिए कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा किसी भी व्यक्ति को जिसमें सरकारी कम्पनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई निगम भी शामिल है मंजूर नहीं किया जायेगा।"

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"परन्तु जहां उप-खंड (1) और (2) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा समाप्त किया जाता है और जहां राज्य सरकार किसी सरकारी कम्पनी अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी निगम के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की कोई मंजूरी देती है वहां वह अनुज्ञप्ति अथवा पट्टाधारक को उतना प्रतिकर अदा करेगी जो किसी प्रकार समय पूर्व समाप्ति से यथास्थिति, अनुज्ञप्ति अथवा पट्टाधारक को हुई किसी हानि के लिए उस जिला न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया जाये जिसकी अधिकारिता में वह खनन क्षेत्र है।"

निस्सन्देह, पारिस्थिति और पर्यावरण की वजह से आपने इसे जहां-जहां समाप्त किया है, इस बारे में मेरे पूर्ववक्ता ने बता दिया है, फिर इसे एक सरकारी कम्पनी को दुबारा देना तर्कपूर्ण नहीं है किन्तु जब आप इसे एक सरकारी कम्पनी को देते हैं तो पहले वाले पट्टाधारी को उसके द्वारा उठाये गए नुकसान का मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए। अन्यथा इसका परिणाम यह होगा कि यदि किसी ने निवेश करके एक खान विकसित की है तो राज्य सरकार इसे समय से पहले ही समाप्त कर देती है, फिर यह इसे स्वयं ले लेती है अर्थात् कम्पनी को दे देती है जहां तक एक व्यक्ति ने इसे पारिस्थिति और पर्यावरण के आधारों पर विकसित किया है तो उस व्यक्ति को उसके निवेश तथा उद्योग के लाभों से वंचित करते हुए, इसे रद्द करना राज्य सरकार की इच्छा पर है और फिर यह कहना कि उसे किसी भी मुआवजे का अधिकार नहीं है, व्यर्थ होगा। इसलिए, मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सबसे पहले श्री ई. अय्यपु रेड्डी के संशोधन को लेते हुये, यह तभी लागू हो सकता है जब पट्टे के अकालिक समाप्त होने के उपबन्ध के सम्बन्ध में कुछ पहलुओं को न देखा जाये अर्थात्, जब यह लागू हो जाये और इस पर कार्यवाही करने से पहले उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। इस प्रकार, इस विशेष उपबन्ध में अकालिक समाप्ति से पहले सुनने

का अधिकार एक सुरक्षात्मक उपबन्ध है। वास्तव में, यह पहले नहीं था—किन्तु अब है। इसलिए, मेरे विचार में, एक पट्टे में भूल-चूक की वजह से कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिनको वह सम्बन्धित अधिकारी के सामने स्पष्ट नहीं कर सकता और इसके परिणामस्वरूप वहां पर एक अकालिक समाप्ति हो जाती है। निस्सन्देह, इस सम्बन्ध में मुआवजे का कोई मामला ही नहीं बनता है।

जहां तक दूसरे दो संशोधनों का सम्बन्ध है, वे एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं; और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है सुधार करने के प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं होगी, सुधार की आवश्यकता तो कुछ करने के बाद ही हो सकती है। माना कि खनन का कार्य किसी निश्चित ढंग से किया जा रहा है और पहले से कोई वास्तविक सुधार किये बिना सरकारी कम्पनी उसे ठीक कर सकती है और वहां पर कुछ मामले हो सकते हैं; मैं नहीं कहता कि प्रत्येक मामले में सरकारी कम्पनी को लाइसेंस दिया जाये; और ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें आप पट्टे की पूर्वेक्षण समाप्ति के कुछ कारणों को जान जाते हैं जिस पर सरकारी कम्पनी द्वारा भी न तो ध्यान दिया जाता और न सुधार किया जाता है और ऐसे मामलों में सरकारी कम्पनी को पट्टा नहीं दिया जायेगा। इसलिए यह स्वतः नहीं होता है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सदन सहमत है तो मैं खंड 3 से सम्बन्धित सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा।

श्री शान्ता राम नायक : मैं अपने संशोधनों को वापिस लेना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री शान्ता राम नायक को अपने संशोधन वापिस लेने की सदन अनुमति देता है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 13 और 14 सदन की अनुमति से वापस लिये गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सदन सहमत हैं तो मैं शेष संशोधन सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 4, 5, और 17 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड 4—(धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'पृष्ठ 3, पंक्ति 27,—

"भारतीय राष्ट्रिक हैं" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"और सम्बन्धित आयकर अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में आयकर समाधोधन प्रमाण-पत्र रखता हो" ।' (1)

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

'पृष्ठ 4, पंक्ति 3,—

"यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि" का लोप किया जाये ।' (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10 से 12,—

"सम्बन्धित क्षेत्र के खनिज भण्डार के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा" के स्थान पर "यथा विहित" प्रतिस्थापित किया जाये ।' (19)

श्री विष्णु मोदी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"बशर्ते कि यह उपबन्ध प्रथम सूची में निर्दिष्ट न होने वाली खननों पर लागू नहीं होगा" ।' (28)

श्री सैय्यद शहाबुद्दीन : जैसाकि मैंने पहले कहा, मैंने और कुछ नहीं जोड़ना है । किसी अवर्णनीय कारण से, आयकर अदायगी प्रमाणपत्र की आवश्यकता इस संशोधन विधेयक द्वारा हटायी जा रही है । मेरे संशोधन का तात्पर्य मूल अधिनियम की स्थिति को बनाए रखना है ।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : मैं सिर्फ इन शब्दों "यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि" को हटाने तथा यथाविहित शब्द को "सम्बन्धित क्षेत्र में सरकार द्वारा खनिज भडारों के विकास के लिए" द्वारा प्रतिस्थापित कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि, जैसाकि आपने पहले कहा है कि एक छोटे से खनिज भडार की योजना की केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति लेना बहुत मुश्किल होगा । इसलिए वह खंड रखने की बजाए मैं इसे इन शब्दों 'जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है' द्वारा प्रतिस्थापित करवाना चाहता हूँ । आपको शायद न पता हो कि केन्द्र सरकार की योजनाओं द्वारा किस तरह की खनन प्रक्रिया और किस तरह के खनन पट्टे की राज्य सरकार की योजनाओं को आवश्यकता है । आपके नियम बनाने की शक्ति में वह लचीलापन होना चाहिए, इसे कठोर मत बनायें, प्रत्येक खनन पट्टे के लिए केन्द्रीय सरसार की योजना या किसी और योजना के लिए आप जोर न दें । क्योंकि इस तरह आप स्वयं काफी आवेदन-पत्रों को न्यौता देंगे और आपके लिए उससे निपटना मुश्किल होगा । इसलिए, मैंने यह खड या संशोधन प्रस्तुत किया है ताकि आप उनको सुरक्षित रख सकें, और इस तरह इसे नियम निर्माण शक्ति में उपयुक्त बना सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विष्णु मोदी ।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय,

[अनुवाद]

मेरा संशोधन इस प्रकार है : "बशर्ते कि यह उपबन्ध प्रथम सूची में निर्दिष्ट न होने वाली खननों पर लागू नहीं होगा ।"

[हिन्दी]

मंत्री महोदय ने जो माइनिंग प्लान बनाया है, बहुत अच्छा किया है और मैं पर्सनली इससे एग्री करता हूं । फर्स्ट शैड्यूल में जो मिनरल्स नहीं हैं, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज है । सब राज्यों से यह मांग आ रही है कि उनको ज्यादा आटोनामी चाहिए, उनको ज्यादा पावर्स चाहिए । ऐसे समय में जो मिनरल्स फर्स्ट शैड्यूल में नहीं हैं, उन मिनरल्स का माइनिंग प्लान बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को ही एप्रूव करने के लिए अथोराइज करें, तो इससे ज्यादा अच्छा होगा ।

[अनुवाद]

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : श्रीमन्, जहां तक श्री शहाबुद्दीन के संशोधन का सम्बन्ध है नियंत्रण और वित्तीय छूट समिति ने सिफारिश की थी कि आप अदायगी से संबंधित उपबंध को समाप्त किया जा सकता है जैसा कि आयात व्यापार नियंत्रण आदेशों के अधीन आयात निर्यात लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में किया गया है और इसी आधार पर प्रस्तावित संशोधन बनाया गया है । किन्तु मामला यहीं समाप्त नहीं होता है । नियमों में हम एक शपथ पत्र देने की व्यवस्था करेंगे और उस शपथ पत्र में उसे यह घोषणा करनी पड़ेगी कि कर अदा कर दिया गया है, इत्यादि । इस लिए समस्या का ध्यान रखने के लिए उस उपबन्ध को नियमों में समाविष्ट करना पड़ेगा ।

जहां तक माननीय श्री अय्यपू रेड्डी के दो संशोधनों का सम्बन्ध है, उन्होंने सिर्फ एक के बारे में ही बताया है, दूसरे के बारे में नहीं इसलिए मैं एक तक ही सीमित रहूंगा··· संशोधन संख्या 19, जिसके बारे में वह बात कर रहे थे ।

मैं उनके इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि खनन योजनाओं के निरीक्षण का केन्द्रीकरण केन्द्र सरकार के लिए एक भारी सिरदर्दी पैदा कर देगा । उन्होंने नियमों में एक उपबंध का भी सुझाव दिया है । हम नियमों में कुछ उपबंध करेंगे । किन्तु हम सोच रहे हैं कि आई. बी. एम. को यह कार्य सौंपा जाए और इसे निरीक्षण जारी रखने तथा खनन योजना को विद्युत प्रदान करने की मंजूरी देने के लिए इसके सभी विकेन्द्रीकृत क्षेत्रीय अधिकारियों का उपयोग करना चाहिए । इस समस्या को सुलझाने के लिए यह एक उपयोगी तरीका है । चर्चा के दौरान दूसरी बात यह कही गई है कि ऐसी खनन योजनाएं तैयार करने के लिए हमारे पास विशेषज्ञों की पर्याप्त संख्या नहीं है । इसलिए हम उन व्यक्तियों के बारे में एक उपबंध या एक उपयोगी उपाय के बारे में विचार कर रहे हैं जिनका खनन और इन्जिनियरिंग या भूविज्ञान का अनुभव है और

एक खनन योजना को तैयार करने के लिए अनुभवशाली व्यक्तियों को आवश्यक अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि एक साधारण उद्यमी को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस बात की आप प्रशसा करेंगे इससे अन्ततः अनेक वैज्ञानिकों के लिए तथा खनिज में डिग्री प्राप्त लोगों के लिए बहुत से पद सृजित होंगे। आज उन्हें नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है। इससे उन्हें अवसर मिलेंगे।

जहां तक श्री मोदी के संशोधन का सम्बन्ध है, उसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं, क्योंकि दिल्ली के निकट छोटी खानों में सुरक्षा पर्यावरण की स्थिति भली प्रकार विदित है। तथा इस देश में प्रत्येक खनन कार्य के लिए एक खान योजना तैयार की जानी चाहिए।

श्री सैयद सहाबुद्दीन : मैं अपना संशोधन संख्या 1 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा सैयद शाहबुद्दीन को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

संख्या 1 सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : मैं अपने संशोधन संख्या 18 और 19 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री अय्यपू रेड्डी को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

संशोधन संख्या 18 और 19 सभा की अनुमति से वापस लिए गए

श्री विष्णु मोदी : मैं अपना संशोधन संख्या 28 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री विष्णु मोदी को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

संशोधन संख्या 28 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया :

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए :

खण्ड 7—(धारा 8 में संशोधन)

श्री डी. वी. पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 36 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"परन्तु यह और कि पट्टे के निबन्धन और शर्तों का प्रत्येक नवीकरण के समय राज्य सरकार के पक्ष में, पुनर्विलोकन किया जायेगा।" (7)

श्री शान्ता राम नायक : प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31,—

"बीस वर्ष" के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

पृष्ठ 4, पंक्ति 33,—

"दस वर्ष" के स्थान पर "पन्द्रह वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।" (16)

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 36 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि जहां केन्द्रीय सरकार खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये अपना पूर्व अनुमोदन नहीं देना चाहती है, वहां वह खनन पट्टे के धारकों को सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी।" (20)

श्री विष्णु मोदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

(एक) पंक्ति 31,—

"बीस" के स्थान पर "चालीस" पढ़िये।

(दो) पंक्ति 33,—

"दस" के स्थान पर "बीस" पढ़िए। (29)

श्री डी. बी. पाटिल : अपने संशोधन में मैंने सुझाव दिया है कि पट्टे का नवीकरण करते समय उसकी शर्तें वही नहीं रहनी चाहिएं। अपितु नवीकरण के ऐसी शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए जो सरकार के पक्ष में हों।

श्री शान्ता राम नायक : जबकि पट्टे को समाप्त करने के लिए बहुत से उपबन्ध किए गए हैं तथा बहुत से अधिनियमों का उल्लेख किया गया है मैं समझता हूं कि समयावधि कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सुझाव दिया है कि इसे 20 वर्षों के स्थान पर 25 वर्ष होना चाहिए तथा नवीकरण अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष होनी चाहिए।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : अपने संशोधन में मैंने सहज न्याय के मौलिक सिद्धान्तों का सुझाव

दिया है। परन्तु खनन पट्टाधारियों की बात सुने बिना आप अपनी पूर्वानुमति रोके रखते हो, उसका परिणाम होगा कि उन्हें राज्य सरकारों से भी नवीकरण नहीं प्राप्त होगा। यदि इन व्यक्तियों की नवीकरण प्राप्त करने के लिए बात नहीं सुनी जाती है, तो निश्चय ही प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन पुनः निदेश देगा कि उसे उसकी बात सुनने का अवसर दिया जाए। अतः यह संशोधन स्पष्ट है और इसे स्वीकार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज जो लीजेज पर लगी हुई हैं, जिन मिनरल्स में एक्सप्लाइटेशन से इण्डस्ट्रीयलाइजेशन हुआ है, उसके रिन्यूअल की अवधि 20 साल से घटाकर 10 साल करने का कोई औचित्य नहीं है। इससे इण्डस्ट्रियलाइजेशन कम होगा। इसमें मेरा इतना सा ही अमेंडमेंट है कि मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज, जिनकी लीज समाप्त होती है, उनका रिन्यूअल पीरियड जैसे पहले 20 साल था, वैसे ही किया जाए।

[अनुवाद]

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक श्री पाटिल के संशोधन का सम्बन्ध है हर समय पट्टे का नवीकरण होता है, इसे वास्तव में नया पट्टा समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि राज्य सरकार स्वयं अपने हितों की रक्षा करेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा उपबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक श्री नायक के संशोधन उन्होंने अवधि को 20 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष तथा 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। अवधि में यह पर्याप्त वृद्धि है। मैं श्री मोदी के संशोधन पर चर्चा करूंगा तथा उसमें वर्षों की अवधि आ जायेगी। उनका संशोधन यह है कि अवधि 20 के स्थान पर 40 होनी चाहिए और 10 की बजाय 20 होनी चाहिए जो कि 40+20+20 अर्थात् 80 वर्ष बन जायेगी।

श्री विष्णु मोदी : उस पर मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उसी बात पर आग्रह करता हूँ जिसका मैंने उल्लेख किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आप उस संशोधन पर आग्रह कर रहे हैं जो आपने नहीं रखा है। परन्तु तथ्य यह है कि 40 वर्ष की अवधि बहुत लम्बी है तथा आवश्यकता पड़ने पर अवधि को बढाया जा सकता है।

प्रो एन. जी. रंगा (गुन्टूर) : 40 वर्ष की अवधि बहुत लम्बी है। अनेक बातें हो सकती हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रो. रांगा 40 के पक्ष में नहीं है। उनके द्वारा ऐसा कहने से पहले अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक श्री रेड्डी के संशोधन का प्रश्न है, उनके प्रस्ताव में बल है और जब हम नियमों में संशोधन करेंगे तो हम इस सुझाव पर समुचित रूप से विचार करेंगे।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : तब मैं अपने संशोधनों को वापस लेता हूं।

श्री शान्ता राम नायक : मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं।

श्री डी. बी. पाटिल : मेरे संशोधन के बारे में मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सर्वश्री डी. बी. पाटिल, शान्ता राम नायक, अय्यपू रेड्डी और विष्णु मोदी को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 7, 15, 16, 20 और 29 सभा की अनुमति से वापस लिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया :

खंड 8—(धारा 9 में संशोधन)

सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

खंड 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"8 मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : —

"परन्तु केन्द्रीय सरकार प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध हर तीसरे वर्ष रायल्टी की दर की पुनरीक्षा करेगी, जो पूर्ववर्ती अवधि के दौरान खान मुहाने पर उनके औसत बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर की जाएगा।"

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 38 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए** :

"विद्यमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि धारा 9 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया स्वामित्व खनन अधिकारों पर करों के रूप में माना जायेगा और कोई भी राज्य सरकार उसे देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनन अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं होगी। परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार किसी खनिज पदार्थ के संबंध

में देय स्वामित्व की दर में वृद्धि या कमी करने हेतु द्वितीय अनुसूची में संशोधन करते समय राज्य सरकार से परामर्श करेगी और खनन पट्टों के धारकों की ओर से दिये गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगी।" (21)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता चुका हूं कि मूल अधिनियम में कमी यह है कि रायल्टी के निर्धारण के लिए कोई युक्ति संगत तथा वैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया। मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय खनिज नीति की बात की है और उन्होंने इस विषय पर एक राष्ट्रीय वादविवाद की भी बात की है। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय खनिज नीति रायल्टी प्रणाली के लिए एक युक्ति संगत आधार तय करेगी। मुझे वास्तव में मंत्री महोदय, के इस वक्तव्य से आश्चर्य हुआ है कि कुछ राज्यों ने किसी समय मूल्यानुसार रायल्टी निर्धारित करने के विचार का विरोध किया है मुझे आशा है कि बिहार इनमें नहीं है. मैं मंत्री महोदय के साथ एक बात उठाना चाहता हूं। उन्होंने खनिज कर और उपकर लगाने के बारे में उल्लेख किया है मानों यह रायल्टी के बारे में कठोर रवैये का एक कारण था। वास्तव में उन्होंने उल्टी बात कही है। मैं समझता हूं कि कठोर नियम के कारण टन भार के आधार पर रायल्टी निर्धारित की जाये, कई राज्यों को खनिज कर और उपकर लगाकर अपने संसाधन घटाने पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक समय खनिजों का कुल वार्षिक मूल्य लगभग 2000 करोड़ रुपये आंका गया था रायल्टी में राज्यों का हिस्सा 15 से 25 करोड़ रुपए ही बैठता है। मुझे विश्वास है कि वह इस बात से सहमत होंगे कि टन भार के आधार पर राज्यों को उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए मैंने सुझाव दिया है कि रायल्टी प्रणाली को पूरी तरह मूल्यानुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : महोदय, वाद-विवाद का प्रथम वाचन में उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने बताया है कि इस मामले पर विचार किये जाने की आवश्यकता है तथा वह राज्य सरकारों से भी परामर्श करेंगे। उस खण्ड से संसद पर यह दायित्व आ जाता है कि वह यह निर्णय करें कि राज्यों को खनिजों पर कर लगाने की अनुमति कहां तक दी जाये। मुझे केवल इसी बात की चिन्ता है कि भारत सरकार को समय रहते इस पर निर्णय लेना चाहिए। जब राज्य खनिज पर कर लगाने लग जायेंगे और उन्हें इनसे आय प्राप्त होने लगेगी तो इसके परिणाम स्वरूप खनिज बहुत राज्यों तथा अन्य राज्यों के मध्य अन्तर पैदा हो जायेगा। उस समय केन्द्रीय सरकार तथा संसद के लिए कठिन हो जायेगा कि वह इस अधिकार पर नियंत्रण कर पायें क्योंकि सूची 2 की मद 50 संसद पर स्पष्ट रूप से यह दायित्व लगाता है कि वह यह स्पष्ट करें कि किस हद तक राज्य सरकारें खनिज कर पर विधान बना सकती है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले पर अविलम्ब निर्णय लें।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : श्री शाहबुद्दीन का संशोधन प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के बारे में है न कि अन्य खनिजों पर और यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अन्य खनिज रायल्टी से मुक्त होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि उनका यह इरादा है। यह तो उनके पूरे तर्कों के विपरीत होगा।

जहां तक श्री अप्पपू रेड्डी के संशोधन का प्रश्न है हम इस मामले पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने विचार बता चुका हूं, और मैं यह बता दूं कि जहां मैं उनसे सहमत हूं वहां केवल समय ही इस समस्या का हल नहीं कर पायेगा। इससे यह समस्या जटिल हो सकती है। परन्तु इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा है। जैसा कि वह जानते हैं कि पहले ही राज्यों द्वारा उपकर लगाये जा चुके हैं तथा देश में प्रभाव अच्छा नहीं रहा है यदि इसका प्रभाव अच्छा होता तो मेरे लिए इस मामले को निपटाना सरल होता। आज स्थिति कुछ जटिल बन गई है क्योंकि कई राज्यों द्वारा खनिज कर और उपकर लगाये जा चुके हैं।

श्री ई. अप्पपू रेड्डी : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 21 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

सैयद शाहबुद्दीन : मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सैयद शाहबुद्दीन के सन्शोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 9, प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 (धारा 11 में संशोधन)

श्री डी. बी. पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 5, पंक्ति, 5-

"उपक्रमित" के स्थान पर "पूरी" प्रतिस्थापित किया जाये।' (8)

इसमें किसी ऐसे पूर्वेक्षण लाइसेंसधारी को वरीयता देने का प्रयास किया गया है जिन्हें पूर्वेक्षण लाइसेंस दिया गया है तथा खनन लाइसेंस पत्र देते समय इसकी व्यवस्था की गई है और कुछ शर्तें रखी गई हैं अर्थात:

परन्तु यह कि राज्य सरकार संतुष्ट है कि लाइसेंस धारी ने

(क) ऐसी भूमि में खनिज संसाधनों को प्रभावित करने के लिए पूर्वेक्षण कार्य किया है। मैंने "उपक्रमित" के स्थान पर 'पूरा' किया का सुझाव दिया है। केवल पूर्वेक्षण कार्य शुरू किये जाने का कोई लाभ नहीं है। पूर्वेक्षण कार्य शुरू करने के स्थान पर मैंने सुझाव दिया है कि उन लाइसेंस धारियों को वरीयता दी जाये जिन्होंने पूर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इससे यह अधिक कठोर बन जायेगा एक खनन योजना पेश किए जाने का प्रावधान है और इसलिए खनिज का पूर्वेक्षण और प्रभावित करके वह खनन योजना तैयार करने में सक्षम होगा और उससे माननीय सदस्य के इरादे का पालन हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री डी. बी. पाटिल के संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 (धारा 13 में संशोधन)

श्री शांताराम नायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 5, पंक्ति 27,-

"वैसी ही चीजों" के स्थान पर "अन्य प्राकृतिक पर्यावरण" प्रतिस्थापित किया जाये'...(3)

श्री डी. बी. पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 5, पंक्ति 32 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"(थद) वह रीति जिससे भूमि अपक्षीणन, भू-स्खलन और भू-क्षरण को रोकने या नियंत्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी।

(थध) वह रीति जिससे खनन, खानों से जल-निकासी, खानों से निकलने वाले विषाक्त प्रदूषणों के कारण उत्पन्न अम्लता के द्वारा होने वाले जल प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

(थन) वह रीति जिससे जल-वैज्ञानिक परिवर्तनों को विनियमित किया जाएगा;

(थप) वह रीति जिससे धूल तथा गैसों के कारण होने वाले वायु-प्रदूषण को रोकने या नियन्त्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

(थर) वह रीति जिससे शोर-गुल-प्रदूषण को रोकने या नियन्त्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

(थल) वह रीति जिससे वन्य तथा जलचरों को हानि न होने देने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

(थव) वह रीति, जिससे सामाजिकी परिवर्तनों के दुष्प्रभावों का निवारण किया जाएगा; और

(थश) वह रीति जिससे प्राकृतिक सौन्दर्य के ह्रास (प्रकृति की सुन्दरता पर प्रतिकूल प्रभाव) को रोका जाएगा या नियंत्रित किया जाएगा।"

श्री शांता राम नायक : जो संशोधन आपने रखे हैं उनके परिणामस्वरूप स्वभावतः नियमों से संबंधित धारा में संशोधन करना होगा तथा इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है—

"वह रीति जिससे पेड़-पौधों और वनस्पति की जैसे कि वृक्षों, झाड़ियों और वैसी ही चीजों की बहाली....."

यहां पर "और वैसी ही चीजों" शब्दों के स्थान पर मैं यहां यह कह कर विशिष्ट उपयोगी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि "और अन्य प्राकृतिक पर्यावरण यदि प्राकृतिक पर्यावरण खनन कार्यों के कारण बिगड़ता है तो इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने होंगे। आप इस बात पर विचार करें कि "और वैसी ही चीजों" शब्द ठीक है अथवा "और अन्य प्राकृतिक पर्यावरण" शब्द ठीक हैं। टिप्पणी किसी अधिकारी द्वारा तैयार की जानी है। कृपया आप इस पर ध्यान दें तथा मेरा निवेदन है कि आप इसे स्वीकार करें।

श्री डी. बी. पाटिल : खनन कार्यों और पूर्वेक्षण कार्यों का पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन कार्यों में पर्यावरण बिगड़ जाता है। सरकार ने पेड़-पौधों और वनस्पति की जैसे कि वृक्षों, झाड़ियों और वैसी ही चीजों की बहाली का सुझाव दिया है। मैंने ये सुझाव दिए हैं :

"वह रीति जिससे भूमि अपक्षीणन, भू-स्खलन और भू-क्षरण को रोकने या नियन्त्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

वह रीति जिससे खनन, खानों से जल-निकासी, खानों से निकलने वाले विषाक्त प्रदूषकों के कारण उत्पन्न अम्लता के द्वारा होने वाले जल प्रदूषण को रोकने या नियन्त्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

वह रीति जिससे जल-वैज्ञानिक परिवर्तनों को विनियमित किया जाएगा;

—इसमें भूमिगत जल-प्रवाह शामिल है।

वह रीति जिससे धूल तथा गैसों के कारण होने वाले वायु-प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

वह रीति जिससे शोर-गुल-प्रदूषण को रोकने या नियन्त्रित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

वह रीति जिससे वन्य तथा जलचरों को हानि न होने देने के लिए सतर्कता बरती जाएगी;

वह रीति, जिससे सामाजिकी परिवर्तनों के दुष्प्रभावों का निवारण किया जाएगा; और

वह रीति जिससे प्राकृतिक सौन्दर्य के ह्रास (प्रकृति की सुन्दरता पर प्रतिकूल प्रभाव) को रोका जाएगा या नियन्त्रित किया जाएगा।"

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मैं श्री नायक को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इन सभी संशोधनों का अध्ययन किया है। मैंने उन पर ध्यान दिया है। केवल इस जगह ही पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान नहीं है। यदि आप अधिनियम की धारा 18 की ओर ध्यान दें तो आप पायेंगे कि कानून बनाने की शक्ति में ही यह प्रावधान किया गया है। मैं इसे आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। "केन्द्रीय सरकार के पास नियम बनाने के अधिकार इस प्रकार होंगे :

जिस ढंग से और जिस प्राधिकारी द्वारा किसी खान मालिक को इसलिए निर्देश जारी किए जाएं कि वह खानों के संरक्षण या उनके क्रमबद्ध विकास के हित में या खान में पूर्वेक्षण या खनन कार्य से पैदा होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण संरक्षण के लिए अथवा प्रदूषण के निवारण अथवा नियन्त्रण के लिए कुछ कदम उठाए अथवा ऐसा ही कुछ काम न करें।"

यह बहुत व्यापक है। पाटिल महोदय की बात इसमें पूर्णतया सम्मिलित है। उनके इस संशोधन के पीछे जो भावना है तथा उन्होंने जो प्रयास किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। वास्तव में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है जिस पर किसी प्रकार की बहस की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह बात पहले ही इसमें शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों को वापस ले रहे हैं ?

श्री शांता राम नायक : मैं संशोधनों को वापस लेता हूँ :

श्री डी. बी. पाटिल : मैं भी संशोधन को वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्यों को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 3 तथा 9 सभा की अनुमति से वापस लिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 12 और 13. प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 और 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिए गए

(खंड 14—नई धारा 17 ए का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 14, अब संशोधन प्रस्तुत किए जायेंगे। श्री चिन्ता मोहन।

डा. चिंता मोहन : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से सन्तुष्ट हूं। खंड 14 से सम्बन्धित मैं अपना संशोधन सं. 27 प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। डी. बी. पाटिल, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री डी. बी. पाटिल : हां। खंड 14 से सम्बन्धित मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 7, पंक्ति 25,—

"उसी दर" के स्थान पर "नाममात्र दर" प्रतिस्थापित किया जाये।.....(10)

पृष्ठ 7, पंक्ति 25 से 27 तक,—

"जिस पर वह इस अधिनियम के अधीन तब सदेह होता यदि ऐसी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियायें पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा उपक्रमित की गई होती" का लोप किया जाये।' (11)

'पृष्ठ 7,—

पंक्ति 27 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"परन्तु यदि जिस भूमि पर, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियायें उपक्रमित की जाती हैं, उससे प्राप्त आय ही उस प्राइवेट व्यक्ति की जीविका का एक मात्र साधन है तो उसे युक्ति युक्त प्रतिकर दिया जायेगा।"—(12)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।

श्री डी. बी. पाटिल : यह उपबंध किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में जिसमें खनिज खनन का कार्य एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है, ऐसे प्राइवेट व्यक्ति को पूर्वेक्षण शुल्क, रायल्टी, भूमि किराया इत्यादि लेने का अधिकार होगा। मैं सरकार के सुझाव से सहमत नहीं हूं क्योंकि भूमि सरकार की सम्पत्ति है न कि प्राइवेट व्यक्ति की। वह तो केवल इसका एक अधिकारी है जिसको बिक्री तथा गिरवी रखने के कुछ अधिकार हैं। मेरे विचार में इन खनिजों के लिए उसे मुआवजे का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उसे नाम मात्र किराया लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए तथा इसलिये इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए। भूमि में जो खनिज हैं वे प्राइवेट व्यक्ति के नहीं हैं। अतः मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए। फिर मैंने सुझाव दिया है कि मुआवजा यदि दिया जाना है तो यह नाममात्र होना चाहिए और यदि प्राइवेट व्यक्ति की भूमि पर खनन किया जाना है तथा यदि उसे आजीविका के साधनों से वंचित किया जाता है तो उसे कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : महोदय, ऐसे मामले अधिक नहीं होंगे, परन्तु यदि कुछ खनिजों के अधिकार प्राइवेट लोगों के पास हैं तो प्रस्तावित धारा 17ए की उपधारा (3) का समस्त उद्देश्य जिसका उद्देश्य ऐसे प्राइवेट लोगों से अधिकार प्राप्त करना है, विफल हो जाता है। इसलिए नाममात्र दर की अपेक्षा वही दर बेहतर है।

श्री डी. बी. पाटिल : खनिज निकालने का कार्य प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिये।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जी हां।

श्री डी. बी. पाटिल : यही कारण है कि मैंने यह सुझाव दिया है।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मुझे बताया गया है कि कुछ मामले हैं। यही कारण है कि मैंने गोवा के बारे में पूछा है जहां पुर्तगालियों द्वारा बहुत खनिज अधिकार दिए जाने के संदर्भ में कुछ अन्यायपूर्ण अड़चनें हैं। अतः मुझे बताया गया है कि वहां कुछ मामले हैं। इतनी पूछताछ मैंने अवश्य की थी। क्या वहां ऐसे मामले हैं? मुझे बताया गया है कि कुछ मामले हैं जो इसके अन्तर्गत आते हैं।

श्री डी. बी. पाटिल : महोदय, मैं संशोधन के लिए आग्रह कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री डी. बी. पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10 से 12 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 14 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 15, प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 16' श्री अय्यपू रेड्डी उपस्थित नहीं हैं। अब मैं खंड 16 को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 17, अय्यपू रेड्डी उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 18, अय्यपू रेड्डी जी यहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया दिया गया :

खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड (1) अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल सुबह 11 बजे म. पू. पर पुन समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.04 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 अगस्त 1986 23 श्रावण 1908 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई ।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6